गुरुवार, 20 नवंबर 1980

29 कार्तिक, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 3, गुरुवार, 20 नवम्बर 1980/29 कार्तिक 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1–18
*तारांकित प्रश्न संख्या	41 से 46 तथा 48	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		18–150
तारांकित प्रश्न संख्या	47 तथा 49 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या	401 से 502 तथा 504 से 600	
सभा पटल पर रखे गये पत्र :		150–158
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		158–169
कतिपय जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य बढ़ाने का सरकार का कथित निर्णय और इनमें से कुछ औषधियों की बाजार में कमी		
श्री नवल किशोर शर्मा		159–164
श्री रामावतार शास्त्री		164–169
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति :		170–173
नौवां प्रतिवेदन		
चिट फण्ड विधेयक—पुरःस्थापित		170
नियम 377 के अधीन मामले		170–173

किसी नाम पर अंकित यह * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य से पूछा था।

विषय पृष्ठ

(एक) अमरीकी न्यायालय द्वारा महिला जालसाज को सजा भुगतने के लिये भारत भेजा जाना

श्री बापू साहिब परूलेकर 170–171

(दो) उड़ीसा में नमक का उत्पादन

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 171

(तीन) तमिलनाडु में इस्पात निर्माताओं को सी० आर० चादरों की सप्लाई

श्री सी० टी० दंडपाणि 171–172

(चार) बिहार में अभ्रक उद्योग

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 172

(पांच) बिहार के मुंगेर और पटना जिलों में खड़ी फसल को कीड़ों से नष्ट होने से बचाने के उपाय

श्रीमती कृष्णा साही 173

(छः) त्रिपुरा में आवश्यक वस्तुओं की कमी

श्री अजय विश्वास 173

बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का मर्जन और अन्तरण) विधेयक 174

विचार करने का प्रस्ताव

श्री चित्त बसु 174–177

श्री बापू साहिब परूलेकर 177–180

श्री के० माया तेवर 180–182

श्री सोमनाथ चटर्जी 182

श्री राजनाथ सोमकर शास्त्री 182–184

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 184–190

खंड 2 से 33 तथा 1 190–195

पारित करने का प्रस्ताव

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 193

श्रीमती गीता मुखर्जी 193–194

श्री रामावतार शास्त्री 194

श्री मोहम्मद इस्माइल 194–195

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय 195

विषय	पृष्ठ
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन, विधेयक	195
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री पी० शिवशंकर	195
श्री सोमनाथ चटर्जी	200–207
श्री एच० के० एल० भगत	207–212
श्री के० माया तेवर	212–215
श्री जेवियर अराकल	215–216–220
श्री बापू साहिब परूलेकर	220–225
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	225–228
श्री विजय कुमार यादव	228–230
श्री जनार्दन पुजारी	230–233
श्री ए० नीलालोहिथादसन	233–234
असम बजट, 1980–81	216-219
विवरण प्रस्तुत किया गया	

लोक सभा

——

गुरुवार, 20 नवम्बर, 1980/29 कार्तिक, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

——

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

न्हावा-शेवा पत्तन की सामाजिक लागत लाभ अध्ययन

*41. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सुझाव पर पत्तन न्यास द्वारा बम्बई बन्दरगाह के पार, न्हावा-शेवा में प्रस्तावित पत्तन का सामाजिक लागत-लाभ अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का ही एक हिस्सा होगा;

(ग) क्या परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई समय-सीमा नियत की गयी है; और

(घ) सरकार उक्त परियोजना को कब अंतिम स्वीकृति देगी और अपना कार्य कब आरंभ करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना के लिए जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी है, वह उक्त पत्तन के सामाजिक लागत-लाभ अध्ययन का एक हिस्सा नहीं है । यह एक अतिरिक्त अध्ययन है जो बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है ।

(ग) और (घ) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के और सामाजिक लागत-लाभ अध्ययन रिपोर्ट के भी अगस्त, 1981 तक मिल जाने की संभावना है । इसके बाद परियोजना की संस्वीकृति पर विचार किया जाएगा । निवेश का निर्णय लेने पर काम शुरू किया जाएगा ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने पहले ही 1979 में एक कार्यकारी दल गठित कर दिया था जिससे कि इस समस्या पर पूरी तरह विचार किया जाये और उसने यह पाया कि उस समय इसकी क्षमता 71 लाख टन की थी और ऐसा समझा गया था कि उनकी 1987-88 में परियोजनायें 110 लाख

टन से अधिक हो जाएंगीं और उसे ध्यान में रखकर उन्होंने न्हावा-शेवा पत्तन की आवश्यकता को महसूस किया । क्या यह भी सच नहीं है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने पृथक रूप से एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने भी यह महसूस किया कि इस पत्तन की आवश्यकता है ? क्या यह सच नहीं है कि जब पर्यावरण विशेषज्ञ माननीय प्रधान मंत्री से मिले, तो वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री ने संबंधित मंत्रालय को परियोजना रिपोर्ट की तैयारी को स्थगित करने के लिए कहा ? वास्तव में क्या यह बात सच नही है कि पर्यावरण विशेषज्ञों ने तो केवल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के स्थान पर आपत्ति की थी ? केवल उसी आधार पर ही उन्होंने आपत्ति की थी । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि इस बात को दृष्टिगत रख कर वास्तव में इस समय क्या स्थिति है ।

श्री बूटा सिंह : संक्षेप में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा उठायी गयी विभिन्न आपत्तियों पर विचार करते समय उनके अभ्यावेदन पर हमने उस प्रक्रिया पर थोड़ा विचार किया जो अपनायी जा रही थी । जैसा कि माननीय सदस्य ने तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग के प्लेट फार्म की स्थापना के बारे में कहा है । अब इस समय जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है कि विस्तृत परियोजना का प्रतिवेदन के संबंध में अध्ययन कराया जा रहा है और हमें आशा है कि 1981 के अन्त तक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मिल जाएगा । उसके पश्चात निवेश निर्णय लिया जाएगा और कार्य आरम्भ हो जाएगा ।

प्रो० मधु दंडवते : अपने मुख्य उत्तर में एवं उस उत्तर में, जो अभी-अभी दिया है, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि परियोज्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तथा निवेश निर्णय ले लेने के पश्चात ही परियोजना का कार्य आरम्भ होगा । अब इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा । रेल मंत्रालय के सुझाव पर मैंने स्वयं सुझाव दिया था और यह निर्णय लिया गया था कि परिवहन के इन सभी साधनों के बारे में समेकित रवैया अपनाने हेतु एक राष्ट्रीय परिवहन समिति का गठन किया जाए । सौभाग्यवश श्री बी० डी० पांडे की अध्यक्षता में परिवहन समिति की नियुक्ति की गयी थी । क्या यह सच नहीं है कि समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि बम्बई पत्तन में वर्तमान भीड़ भाड़ को कम करने के लिए न्हावा-शेवा पत्तन की स्थापना की जानी चाहिए । निवेश के संबंध में उन्होंने कहा है कि जब निवेश निर्णय ले लिया जाएगा, तो अन्तिम परियोजना का कार्य शुरू हो जाएगा । मेरे पास यहां 'टाइम्स आफ इंडिया' दिनांक 22 अगस्त, 1980 का अंक है, जिसमें न्हावा-शेवा पत्तन के लागत-लाभ अध्ययन के संबंध में कुछ थोड़ा लिखा गया है । इसमें यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी निवेश ब्यूरो ने पहले ही परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है । अत: जब कि यह प्रकाशित हो चुका है कि सरकारी निवेश ब्यूरो ने पहले ही निवेश करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो आपने यह कैसे कह दिया कि केवल निवेश निर्णय ले लेने के पश्चात ही परियोजना का काम शुरू किया जाएगा ? तथ्य क्या हैं ?

श्री बूटा सिंह : पांडे समिति की सिफारिशों पर और तत्पश्चात मंत्रिमंडल में स्वीकृति के बाद सरकारी निवेश बोर्ड विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है । उसी स्वीकृति के आधार पर हमने अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का आदेश दिया

है। यह सामान्य प्रक्रिया है कि पहले हम एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने की स्वीकृति प्राप्त करते हैं, उसके उपलब्ध हो जाने पर, परियोजना के लिये सरकारी निवेश ब्यूरो से निवेश स्वीकृति ली जाती है।

प्रो० मधु दंडवते : उत्तर स्पष्ट नहीं है। यह पहले ही समाचार पत्र में छप चुका है कि सरकारी निवेश ब्यूरो ने विवेश के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और आप उस उत्तर को भी देख सकते हैं कि आपसे पूर्व मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया था, जिनके पास उस समय यही विभाग था। उन्होंने कहा है कि सब कुछ पहले ही किया जा चुका है। इस मामले के संबंध में इस सदन के दोनों पक्षों के अनेक सदस्य एक मत थे और उन्हें यह बता दिया गया था कि शीघ्र यह काम शुरू कर दिया जायेगा। मुझे मालूम नहीं कि मंत्री के बदल जाने पर निर्णय भी बदल जाते हैं।

श्री बूटा सिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य के मन में कुछ भ्रम है। मैं कह रहा हूं कि दो चरण हैं। प्रथम चरण में हम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के लिए स्वीकृति लेते हैं और उस चरण को कर लिया गया है। दूसरा चरण यह है कि इस प्रतिवेदन के मिल जाने के पश्चात होता है। इसके पश्चात कोई बाधा एवं समस्या नहीं रहती। परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। यह विभिन्न चरण है। प्रथम चरण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने का है। हमें आशा है कि 1981 के अन्त तक यह प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाएगा। उस कार्य के शुरू हो जाने के पश्चात कोई समस्या नहीं है।

श्री ए० टी० पाटिल : मंत्री महोदय ने अन्तिम स्वीकृति के तकनीकी पहलू के बारे में कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तिम स्वीकृति लेने के प्रयोजन हेतु किन मामलों पर विचार करना होता है क्योंकि सभी मामलों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। चूंकि अभी भी माननीय मंत्री कहते हैं कि स्वीकृति का तकनीकी भाग भी है, इसलिये यह बताया जाये कि अन्तिम स्वीकृति के लिये किन बातों को ध्यान में रखना होता है?

श्री बूटा सिंह : इसमें कोई भी तकनीकी बाधा अथवा रुकावट नहीं है। पहली बात किसी परियोजना के लिये यह होती है कि उसके लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये। जब तक प्रारूप एवं अन्य बातों सहित विस्तृत प्रतिवेदन नहीं मिल जाता, जब तक हम काम शुरू नहीं कर सकते।

सत-अल-अरब जल मार्ग में फंसे हुए भारतीय जहाज

***42 श्री केशव राव पारधी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और इराक की सीमाओं को विभक्त करने वाले सत-अल-अरब जल मार्ग में तीन भारतीय जहाज फंसे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जल मार्ग से इन जहाजों को मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और

(ग) उन जहाजों में लदे हुए सामान का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सत-अल-अरब जल मार्ग में चार भारतीय जहाज फंसे हुए हैं जिनमें से एक खुर्रमशहर में और तीन बसरा में फंसे हुए हैं।

(ख) सरकार इन जहाजों की सुरक्षा और वहां से उनकी रवानगी के लिए ईरान और इराक के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। सत-अल-अरब में हमारे जहाजों के अलावा और भी कई जहाज फंसे हुए हैं और इस समय इन जहाजों का मुहाने से निकल आना कठिन है।

(ग) इन जहाजों ने माल को, जो वे खुर्रमशहर और बसरा के लिए ले जा रहे थे, उतार दिया है। बसरा स्थित तीन जहाजों ने वापसी यात्रा के लिए कोई माल नहीं लादा था, किन्तु खुर्रमशहर स्थित जहाजों ने 237 गैस सिलिंडर लादे थे जो खाली थे।

श्री केशव राव पारधी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बताया गया है ईरान और इराक के अधिकारियों से सरकार सम्पर्क बनाए हुए है, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे।

श्री बूटा सिंह : जैसा मैंने कहा कि सत-अल-अरब जल मार्ग में बहुत से जहाज रुके हुए हैं, जिनमें दूसरे मुल्कों के जहाज भी हैं। उनमें चार जहाज इंडिया के हैं। जो रुके हुए हैं। कर्मचारी बिलकुल सुरक्षित हैं। एक जहाज के कर्मचारी भारत वापस आ चुके हैं। दूसरे जहाजों के कर्मचारी वहां हैं। इन जहाजों के मास्टर को महावाणिज्य दूत से परामर्श करके मौके पर निर्णय ले लेने के पूरे अधिकार दे दिये गये हैं।

श्री ए० टी० पाटिल : आप की अनुमति से क्या मैं मंत्री महोदय से यह एक बात जान सकता हूं ? ऐसा समाचार मिला है कि एक जहाज पर तोप का गोला लगा और उस जहाज के कर्मचारियों और कप्तान को तैर करके इराकी तट तक जाना पड़ा, जहां से वे अब भारत वापस आ गये हैं। क्या यह सच है ? सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

श्री बूटा सिंह : जी हां, श्रीमान्, 9 अक्तूबर, 1980 को विजयावतार नामक एक जहाज को तोपों के गोलों से कोरनशाहर में डुबा दिया गया और स्वीमी के अनुदेशों के अन्तर्गत कर्मचारियों ने जहाज को छोड़ दिया। मास्टर सहित सभी कर्मचारी बसरा सुरक्षित पहुंच गये और अम्बू नामक एक केडिट को छोड़ कर वे सभी देश वापस लाये जा चुके हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास को गुम हुये केडिट के बारे में जानकारी भेज दी गयी थी।

श्री सतीश अग्रवाल : उत्तर में यह बताया गया है कि "सुरक्षा और छुड़ाने के लिये अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।"

'छुड़ाने' से आपका क्या अभिप्राय है ?

अध्यक्ष महोदय : यह जहाजों के बारे में है।

श्री बूटा सिंह : मैंने 'छुड़ाने' शब्द का उपयोग नहीं किया है। उत्तर में भी 'छुड़ाने' शब्द नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : इसमें यह बताया गया, "सुरक्षा और छुड़ाने।"

श्री बूटा सिंह : मुझे खेद है, यह जहाजों के चलने के बारे में है। क्योंकि अनेक जहाज उस क्षेत्र में फंसे हुये हैं। इसमे बचना कठिन बात है।

श्री सतीश अग्रवाल : वास्तव में आपने इस शब्द का उपयोग किया था।

ईरान-इराक युद्ध में भारत द्वारा मध्यस्थता

***43 श्री जनार्दन पुजारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और इराक ने भारत से यह अनुरोध किया है कि वह उनके विवाद में मध्यस्थता करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) ईरान-इराक की लड़ाई शुरू होने के तुरन्त बाद दोनों देशों के विशेष दूत अपने-अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए भारत की यात्रा पर आए। हालांकि उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए भारत से खास तौर पर नहीं कहा लेकिन उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत के किसी भी प्रकार के प्रयत्नों पर विचार करने के लिए वे तैयार होंगे। ईरान और इराक की स्थितियों को समझने के लिए प्रधान मंत्री के विशेष दूतों ने तेहरान और बगदाद की यात्रा की। इसी बीच न्यूयार्क से गुट-निरपेक्ष देशों के आंदोलन के समन्वय ब्यूरो ने शांति स्थापित करने के प्रयत्न शुरू किए। भारत ने इस बात पर विचार करने के लिए कि इस झगड़े का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कैसे किया जा सकता है, इन प्रयत्नों में और बेलग्राद के अनौपचारिक विचार-विमर्श में सक्रिय हिस्सा लिया।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण किन्तु सच बात है कि ईरान-इराक के युद्ध को समाप्त करने के भरसक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा लगता है कि यह जारी रहेगी। अब भारत सहित गुटनिरपेक्ष देशों के युद्ध को समाप्त करने के अभी हाल के प्रयास निराशाजनक रहे हैं। भारत को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ी है। हिन्द महासागर में अमरीका की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति के कारण तथा हिन्द महासागर में सैन्य अड्डे बनाने हेतु प्रयासों के कारण वह एक सक्रिय भूमिका भी है। इन सभी तथ्यों के देखते हुये यदि युद्ध लम्बा हो जाता है, तो युद्ध के भारत के दरवाजे तक पहुंच जाने का खतरा हो जायेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैंने दो दिन पहले इस विषय पर एक विस्तृत वक्तव्य दिया था जिसके अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी सभी बातें आ जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री पुजारी ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस ईरान-इराक युद्ध के कारण कितने भारतीय मारे गये और घायल हुये और इन भारतीयों को उन देशों के द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गयी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस संबंध में एक और प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी आपने जो उत्तर दिया था मेरा प्रश्न है "ईरान–इराक की लड़ाई शुरू होने के तुरन्त बाद दोनों देशों के दूत भारत की यात्रा पर आये ।" जब आप गुटनिर्पेक्ष नीति को मानते हैं तो आपने उनका इन्तजार क्यों किया ? आप कह रहे हैं "उनकी यात्रा के तुरन्त बाद" हम लोग अपनी तरफ से शांति की स्थापना करना चाहते हैं । आप कह रहे हैं ईरान–इराक की लड़ाई शुरू होने के तुरन्त बाद दोनों देशों के दूत भारत की यात्रा पर आये और तब आपने शुरू कर दिया स्वतः ?" मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी तरफ से इस कदम को शुरू में क्यों नहीं उठाया । अब यह शार्टली आफ्टर का क्या मतलब है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जब यह लड़ाई शुरू हुई उस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो रही थी और सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल का यह काम था कि इस बात को अपने हाथ में लेती जिसकी हम कोशिश करते रहे और इसके बाद उन्होंने खुद भेजा अपना एनवाय यहां । हमने बुलाया नहीं लेकिन वे चाहते थे हिन्दुस्तान की तरफ से कोई न कोई ऐसा रोल अदा किया जाए जिससे दोनों की मदद हो । उससे हम इत्तिफाक करते थे । उनकी बात सुनने के लिए हमारे भी एनवायज वहां भेजे गए । इतने में हमने नान एलाइंड जो इनिशिएटिव था उसे वहां शुरू किया ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इस मामले में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की ओर से पहल की गई है। वर्तमान स्थिति कुछ इस तरह की है कि यह एक प्रकार के गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महा मंत्री पहल कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी एक अत्यन्त वरिष्ठ राजनायिक को सौंपी है । मैं उन प्रयासों के बारे में जानना चाहूंगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महा मंत्री द्वारा किए गए पहल कार्यों के साथ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के पहल के कार्यों को समन्वित करने के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महा मंत्री द्वारा की गई पहल के गुटनिरपेक्ष देशों की पहल के मापदण्ड के अन्तर्गत लाने के लिए किए जा रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : संयुक्त राष्ट्र संघ के महा मंत्री ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसरण में यह कार्य श्री पाल्मे को सौंप दिया है । इसलिए, सुरक्षा परिषद के निर्णय के अनुसार, उन्होंने पहले अपीलें जारी की हैं और अब उन्होंने एक अत्यंत वरिष्ठ राजनयिक को वहां भेजा है । उसके वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, यह हमें देखना है । इस समय हम केवल यही कह सकते हैं कि वह अपना कार्य अच्छी तरह करें ।

श्री रत्न सिंह राजदा : इन दोनों देशों के दूत भारत आए थे । क्या सरकार ने उनके साथ किसी तरह के ठोस प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया ? जहां तक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की पहल का सम्बन्ध है, क्या भारत गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाने के लिए पहल करेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्होंने केवल भारत के मध्यस्थता प्रयासों के लिए नहीं कहा था । इस बात के संकेत थे कि समस्या का समाधान करने के लिए भारत यदि कोई प्रयास करेगा तो वे उस पर विचार करने के इच्छुक होंगे । मुख्य रूप से उन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोण के बारे में हमें बताया । वहां कोई मध्यस्थता प्रस्ताव नहीं थे

और मध्यस्थता के लिए कोई मांग नहीं थी । सम्बद्ध देशों से इस तरह का संकेत मिलने से पूर्व ही किसी देश द्वारा मध्यस्थता की बात सोचना खतरनाक होगा ।

श्री आर० एल० भाटिया : ईरान और इराक हमारे अच्छे मित्र हैं। वे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भी हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत कोई साहसिक कदम क्यों नहीं उठा रहा ? साहसिक कदम उठाए जाने के लिए इस सयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी एजेंसियों/देशों की ओर क्यों नजर लगाए हुए है ? यह रुख अपनाने के लिए आगे न आने के भारत के रास्ते में क्या बाधा है ? हमारे विदेश मंत्री महोदय ईरान और इराक क्यों नहीं जा सकते और मामला हल करने का प्रयास नहीं कर सकते ? यदि संभव हो तो वे श्रीमती गांधी के प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं ताकि ये दोनों मित्र आपस में न लड़ें । दुनियां के देश भले ही उनकी लड़ाई चाहते हों लेकिन हमारे हित में यह है कि वे एक दूसरे के साथ युद्ध न करें ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : व्यक्तिगत रूप से मैं अकेला इन देशों में जाने की बात नहीं करता । मैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के पांच या छः विदेश मंत्रियों के साथ वहां जाना चाहता था। इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था । जैसा कि मैंने परसों के अपने वक्तव्य में बताया, इसमें चूंकि प्रारंभिक कठिनाई है और जब तक हम उस कठिनाई पर काबू नहीं पा लेते तब तक किसी के अकेले अथवा अन्य लोगों के साथ वहां जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रत्न सिंह राजदा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था। माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही यह बताया था कि दूतों आदि के साथ क्या विचार-विमर्श हुआ था । मैं उस बारे में आगे छानबीन नहीं कर रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिये स्वयं का कोई सुझाव दिया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, इस तरह के मामले के बारे में कुछ कहने के लिए कोई समय नहीं है । इस पर विचार करना होगा । विचार-विमर्श चल रहा है । मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि भारत इस मामले में काफी सक्रिय है ।

श्री आर० के० महालगी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि आज मध्यस्थता की सही-सही स्थिति क्या है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कोई मध्यस्थता नहीं ?

श्री नीला लोहिथादसन : भारत उस तरह की पहल करने में असमर्थ है जैसी कि हमने स्वर्गीय पण्डित नेहरू के शासनकाल के दौरान इस तरह के मामले में की थी ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसमें अयोग्यता का कोई प्रश्न नहीं है । पहल की जा चुकी है । भारत उस पहल में पूरी तरह भागीदार है ।

रेल द्वारा माल यातायात

+44. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों की कमी के कारण रेलवे द्वारा माल यातायात की स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक माल डिब्बों की उपलब्धता का महीनेवार ब्यौरा क्या है; और

(ए) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कोई उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) हाल के महीनों में लदाख में कुछ गिरावट आयी है जिसके लिए सुधारात्मक उपाय पहले ही प्रारम्भ कर दिये गये हैं। आशा है कि आने वाले महीनों में स्थिति सुधर जाएगी और हम यथासम्भव अधिकतम बकाया लदान पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

चालू वर्ष के पहले सात महीनों अर्थात् अप्रैल से अक्टूबर '80 के दौरान लादे गये माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए लदान की तुलना में 3.2 प्रतिशत तक मामूली कम रही है। माल के लदान के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता माल डिब्बों के फेरों पर निर्भर करती है। इन लदान फेरों में हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कटौती के कारण उत्पादन कम रहने और रेलों के यार्डों में परिचालन कार्य के प्रभावित होने, आसाम में आन्दोलनों, लाइनों में टूट-फूट के कारण गाड़ियों के संचालन में अस्त-व्यस्तता आदि विभिन्न कारणों से गिरावट आयी है। इनमें से अधिकांश कारण रेलवे के नियंत्रण से बाहर हैं। रेल कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने के कारण भी कुछ क्षेत्रों में परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर '80 तक के महीनों के दौरान प्रारम्भिक यातायात वाले प्रतिदिन लादे गए माल डिब्बों की संख्या निम्नलिखित है :—

(चौपहियों के हिसाब से)

महीना	प्रति दिन लादे गए माल डिब्बों की संख्या	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
अप्रैल '80	23106	4885
मई '80	22303	4392
जून '80	21513	4073
जुलाई '80	21794	4122
अगस्त '80	21516	4377
सितम्बर '80	22150	4495
अक्तूबर '80	22487	5035

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) रेलों तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर संचलन की पूरी तरह निगरानी रखने के अलावा माल डिब्बों के फेरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय भी बनाए रखा जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के

लिए राज्य सरकारों की सहायता भी ली जा रही है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी आन्दोलनों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जा रहा है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष महोदय, माल डिब्बों की कमी आज एक सिर दर्द बनी हुई है। बिजली की कमी क्यों है, क्योंकि रेलवे वैगन कोयला नहीं ढो पा रहे हैं। चीनी की कमी क्यों है, क्योंकि रेलवे वैगन चीनी नहीं ढो पा रहे हैं। वैसे जहां भी जाइये, आवश्यक वस्तुओं की कमी है या दूसरे सामान के उत्पादन में रेलवे वैगनों की कमी की वजह से काफी गड़बड़ी हो रही है। राज्य-सभा में सप्लाई मंत्री ने स्वीकार कर लिया है जहां। रेलवे यातायात की कमी है वहां दूसरी आवश्यक वस्तुएं चीनी वगैरह बाहर विदेशों में चली गई हैं और यहां कमी हो रही है। क्या ऐसी बात है कि रेलवे वैगनों की कमी है या कोई बड़े ब्लैक मार्केटियर्स की कहीं मिलीभगत हो रही है या आपकी अक्षमता है जिसकी वजह से रेलवे वैगनों की कमी हो रही है ?

श्री केदार पांडे : हिन्दुस्तान में रेलवे वैगन्स 5 लाख हैं, इसमें 4 लाख तो ब्राडगेज पर हैं और एक लाख मीटर गेज पर हैं। वैगन्स की कमी कुछ है, लेकिन केवल कमी की वजह से ही नहीं बल्कि जो हमारी गुडज़ ट्रेन चलती हैं, लोडिंग की कठिनाई है और उन गुडज़ ट्रेनों की स्पीड बहुत कम है। उसको अगर इन्क्रीज कर दिया जाये तो ठीक हो सकता है। इसके अलावा रिपेयर्स में वैगन ज्यादा चले गये हैं। जितने रिपेयर्स में जाने चाहियें, उससे ज्यादा रिपेयर्स में चले गये हैं। 4 परसेंट के हिसाब से वैगन्स रिपेयर्स में रहने चाहियें, लेकिन उससे ज्यादा रिपेयर में पड़े हुए हैं।

तीसरा कारण यह है कि वैगन्स की भी कुछ कमी है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि लास्ट ईयर जितना लोडिंग हमने किया है, उससे 3.2 परसेंट 6 महीने में कम हुआ है। हम अब इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। रेलवे में इम्प्रूवमेंट के लिये जिस एक्शन की जरूरत है, वह हमने लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नवम्बर से आगे काम तेजी से चलेगा।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अगर रेलवे वैगनों की कमी है तो क्या आर्थर बटलर कंपनी को नये रेलवे वैगन बनाने का आर्डर देने जा रहे हैं जिससे कमी को दूर किया जा सके और वैगनों की पूर्ति हो सके ?

श्री केदार पांडे : वैगन्स की कुछ कमी की वजह से 13 हजार वैगनों का आर्डर दिया गया है। मैंने तीन कारण बताये हैं और कुछ वैगनों की कमी भी है, लेकिन केवल कमी की बात ही नहीं है, एफीशियेन्सी की भी बात है, उसमें भी कुछ कमी है, उसे भी दूर करने की बात है।

श्री दौलत राम सारण : क्या त्रिपाठी जी को इसीलिए हटाया गया है ?

श्री निरेन घोष : रेलवे वैगनों की कमी के कारण क्या मंत्री महोदय देश के वैगन निर्माताओं को इनका आर्डर देने की कृपा करेंगे ? रेलवे ने ही वैगन निर्माताओं को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था परन्तु उस समय उन्होंने इन निर्माताओं को लगभग दस वर्ष तक आर्डर नहीं दिए। यह अकेला ही भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा दबाव हो गया है

और भ्रष्टाचार का फलता फूलता बाजार वैगनों और रेलों के आवंटन में व्याप्त है। इन सभी कारणों पर विचार करते हुए क्या वे उन वैगन निर्माताओं को, जो खाली बैठे हुए हैं, पर्याप्त संख्या में इन वैगनों के लिए आर्डर करेंगे ? वास्तव में उनमें से कुछ दिवालिया हो गए हैं और सरकार द्वारा उनका अधिग्रहण कर लिया गया है। कृपया वैगनों की संख्या की कमी के बारे में बताएं।

श्री केदार पाण्डे : मैंने पहले ही यह बात स्वीकार करली है कि वहां वैगनों की कमी है। हमने पहले ही 13,000 वैगनों के लिए आर्डर कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने अपना हर संभव बेहतर प्रयास किया है। परन्तु कुछ सुधारों की आवश्यकता है। मैं यह देखूंगा कि उन सुधारों के बारे में इसी माह ध्यान दिया जाए।

श्री निरेन घोष : क्या वे वैगनों के लिए आर्डर करेंगे ?

श्री केदार पाण्डे : मैंने पहले ही 13,000 वैगनों के लिए आर्डर कर दिए हैं। मैं इस मामले में विचार करूंगा और यदि अधिक वैगनों की आवश्यकता होगी तो हम और आगे आर्डर दे सकते हैं।

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बाक्साइट ऐसा मैटीरियल है, जो डिफेंस में भी काम आता है, बिजली विभाग में भी काम आता है और कई अन्य जगह भी प्रयोग में लाया जाता है। छोटा नागपुर में पालामु जिले में टोरी स्टेशन और रांची जिले में लोहदरगा स्टेशन पर, जहां बाक्साइट का सब से बड़ा भंडार है, डिब्बों की कमी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बाक्साइड के प्राडक्शन में ह्रास हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस के काम आने वाले बाक्साइट के लदान के लिए डिब्बों की जो कमी है, उसमें सुधार लाने के लिए कब तक प्रयास किया जायेगा।

श्री केदार पाण्डे : मैं जानता हूं कि पालामु जिले में और रांची में लोहरदगा में बाक्साइड मिलता है। वहां पर वैगनों की कमी की वजह से और दूसरे कारणों से जरूर कुछ कठिनाई हुई है। मैं देखूंगा कि वह कठिनाई दूर हो और हम उसके लिए उपाय करेंगे। हम लोहरदगा की लाइन को भी बनाने की बात सोच रहे हैं। उस लाइन पर भी वह जाना चाहिए, ताकि काम और भी ठीक हो।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है कि डिब्बों की कमी का एक कारण यह है कि डिब्बे बनाने वाले कारखाने अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, दूसरे, अपनी जरूरत पूरी होने से पहले हम दूसरे देशों को डिब्बे निर्यात करते हैं और तीसरे, कई बड़े-बड़े व्यापारी सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राईवेट कामों के लिए डिब्बे एनगेज कर लेते हैं ? क्या डिब्बों की शार्टेज के ये तीन कारण नहीं हैं ?

श्री केदार पाण्डे : यह बात बेबुनियाद है कि बड़े-बड़े आफिसर्ज को घूस देकर यह काम कराया जाता है। यह बेबुनियाद बात है। अगर कहीं पर करप्शन होगा, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि वैगनों की कमी है। इस समय रेलवे के पास पांच लाख वेगन हैं और 13,C00 वैगनों का आर्डर दिया गया है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि मोकामा में एशिया की वैगन बनाने की सब से बड़ी फैक्टरी है, मगर रेल विभाग के द्वारा वहां पर वैगन बनाने का जो आदेश दिया जाता है, उसके लिए बहुत कम प्राइस दी जाती है, जबकि दूसरे प्रान्तों में ज्यादा प्राइस दी जाती है ? सरकार की यह ड्युअल प्राइस पालिसी क्यों है और वहां पर वैगन बनाने के लिए आर्डर क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

श्री केदार पाण्डे : मैंने पहले कहा है कि तीन कारण हैं, उनमें से हम पहले दो कारण रेमुव कर दें तब उसके बाद असेसमेन्ट करेंगे कि और कितने वैगन चाहिए । अभी 13 हजार वैगन्स का आर्डर हमने दिया हुआ है और जो पांच लाख वैगन हैं उनका पहले प्रापर अरेन्जमेन्ट कर लें, वह रिपेयर में कम जायें और तेजी से चलें, साथ ही स्टेशन्स पर जो वैगन्स डिटेन हो जाते हैं उसको भी रोका जाए । ऐसा करने के बाद और 13 हजार वैगन पाने के बाद हम असेस्मेन्ट करेंगे कि और कितने वैगन चाहिए तथा वह कहां पर बनें ।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : मन्त्री महोदय ने कबूल किया है कि वैगन्स की कमी है। वैगन्स की कमी के साथ-साथ उन्होंने यह भी माना है कि मरम्मत के लिए जाने वाले वैगनों का प्रतिशत उससे अधिक हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता है । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो वैगन्स रिपेयर होने के लिए जाते हैं, क्या उन्हें सही व्यवहार मिल रहा है अथवा कच्चे माल की कमी के कारण सही व्यवहार नहीं मिल रहा । क्या आपके पास ऐसी सूचना है कि नहीं कि रेलवे के कारखानों में वैगन ठीक से रिपेयर नहीं होते हैं क्योंकि वहां रा-मैटीरियल की कमी रहती है।

श्री केदार पाण्डे : मैंने माना है कि रिपेयर में जितने वैगन जाने चाहिएं उससे ज्यादा जाते हैं । लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इतने वैगन रिपेयर में नहीं जायेंगे और इसमें एफीशिएन्सी आयेगी ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, क्या यह बात सच है कि रेल डिब्बों की कमी की वजह से विहार में रबी की फसल के लिए खाद नहीं पहुंचाई जा रही है और क्या यह भी सच है कि विहार सरकार ने भारत सरकार से एस० ओ० एस० के जरिए यह मांग की है कि सात हजार टन खाद की ढुलाई के लिए हल्दीया, पारादीप, मद्रास और बम्बई से विशेष रेल डिब्बों की व्यवस्था करें, इस सिलसिले में आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री केदार पाण्डे : यह बात सही है कि गुड्स ट्रेन के मूवमेंट की कमी की वजह से हम वहुत ज्यादा सामान नहीं पहुंचा सके हैं । इस मैलेडी को मैं मानता हूं, मैं इसको बहुत ही जल्दी एक-दो महीने के अन्दर, दूर करने का इलाज करूंगा । जहां तक रबी की फसल के लिए खाद को पहुंचाने का सवाल है, उसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि इसमें हमें सफलता मिलेगी ।

श्री रामावतार शास्त्री : विहार सरकार ने जो आपके पास एस० ओ० एस० भेजा है, उसमें आपने क्या किया है ?

श्री केदार पाण्डे : उसको मैं रिसपांड करने जा रहा हूं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आज जो रेलवे की हालत है, क्या वह पिछली जनता सरकार की निष्क्रियता की देन नहीं है ? उसमें कुछ राजनीतिक दलों की वजह से क्या लॉ-आउट नहीं है ?

श्री केदार पाण्डे : इस सिलसिले में पहली बात यह है कि जब जनता पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक्त वह जनता पार्टी निष्क्रिय रही और अब जनवरी में यह सरकार बनी है, तब से इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। इसी महीने से यह इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है।

ब्रिटेन के प्राधिकारियों द्वारा भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति न दी जाना

***45 श्री रशीद मसूद :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ब्रिटेन के आप्रवास प्राधिकारी ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले भारतीयों को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1980 से अब तक कितने भारतीयों को ब्रिटेन के आप्रवास प्राधिकारियों द्वारा प्रवेश की अनुमति देने से इनकार किया गया और उन्हें प्रवेश की अनुमति न दिये जाने के मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं कि आप्रवास प्राधिकारियों द्वारा प्रवेश की अनुमति न देने में मनमाने ढंग से काम न किया जाए ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जी हां।

(ख) जनवरी-जुलाई 1980 के दौरान 772. ब्रिटिश प्राधिकारियों ने जो मुख्य कारण बताए हैं, उनमें ये भी हैं :

1. इस ओर से आश्वस्त नहीं हो सके कि आगन्तुक वस्तुतः पर्यटक थे;
2. इस ओर से आश्वस्त नहीं थे कि पारगमन करने वाले ये यात्री तत्काल किसी दूसरे देश जा सकते थे और वहां प्रवेश पाने की ओर से आश्वस्त थे;
3. कार्य परमिट के बिना रोजगार को तलाश करने के लिए;
4. अपेक्षित प्रवेश अनुमति के बिना बसने के लिए;
5. इस प्रकार के अपुष्ट दावों के लिए कि वे चार दिन के लिए आ रहे हैं; आदि।

(ग) ब्रिटेन में प्रवेश चाहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के प्रति व्यवहार और कतिपय ऐसे आधारों पर उन्हें प्रवेश अस्वीकार कर दिए जाने के लिए जो अपर्याप्त अथवा दुर्बल हों, हमारी चिन्ता से ब्रिटेन के प्राधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर अवगत कराया गया है।

लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन में शिकायत के विशिष्ट मामलों की जांच के लिए और शिकायत दूर करने के लिए ब्रिटिश के साथ कदम उठाया है ।

श्री रशीद मसूद : मुहतरम् स्पीकर साहब, हमारे जो उधर के सब लोग हैं, वे हर मामले की खराबी का सिलसिला जनता पार्टी सरकार से जोड़ देते हैं जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखने में आया था और उसमें उन्होंने त्रिपाठी जी को भी अपोजीशन के साथ जोड़ दिया । ·· (व्यवधान)

मेरा सवाल यह है कि आपने (सी) पार्ट का जो जवाब दिया है, उसमें यह बताया है कि हमने यह मामला बरतानिया की कन्सर्न्ड आथेरिटीज से उठाया था । इस सिलसिले में क्या आप यह बताएंगे कि आपने जो सवालात उठाए थे, उनका क्या नतीजा निकला ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उसका नतीजा यही निकला है कि अभी हाल में बरतानिया की सरकार ने यह मान लिया है कि जो रेप्रेजेन्टेशन्स हमारी तरफ से किये जाएगे, आलातरीन सतह पर उन पर गौर होगा और जहां कहीं भी शिकायत सही निकलेगी, उसको दफा किया जाएगा ।

श्री रशीद मसूद : मैं मुहतरम् वजीर साहब से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जैसा अभी बताया है कि हमारे यहां से जो रेप्रेजेण्टेशन्स जाएंगे आला सतह पर उन पर गौर किया जाएगा क्या आप यह करेंगे कि अपने यहां एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री में ऐसी सैल बना दें जो जाने वाले लोगों को ऐसा सर्टिफिकेट दे कि किस परपज के लिए वे जा रहे हैं और उसकी इन्टीनेशन वहां हाई कमीशन को दे दें ताकि हिन्दुस्तान के लोगों को जो बाज दफा कई-कई दिनों तक पड़े परेशानी होती है और उन्हें वहां रहना पड़ता है, वे उस परेशानी से बच जाएं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरी समझ में नहीं आया है कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री रशीद मसूद : मेरा कहना यह है कि एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री में आप एक सैल बना दें जो यहां से जाने वाले लोगों को एक सर्टीफिकेट दे दे कि फलां-फलां परपज के लिए जा रहे हैं और एक इन्टीमेशन अपने हाई कमीशन को दे दें जो उनकी वहां मदद कर दे और वे उनको क्लियर कर दें ताकि उन्हें वहां पड़े न रहना पड़े ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां हजारों लोग जा रहे हैं, वहां आपकी बात मानी जाए, तो और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी उनकी ।

श्री रशीद मसूद : हजारों लोग जा रहे हैं और 70 करोड़ लोगों का यह मुल्क है । कोई ऐसा नहीं है कि दो चार आदमी जा रहे हों ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह संभव नहीं है ।

श्री रशीद मसूद : तो यह कहिए कि यह पासीबल नहीं है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम कैसे सर्टिफाई करें कि वह शादी करने जा रहा है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में किसी तरह की मंत्री स्तर की वार्ता आयोजित की गई है और यदि हुई है तो उससे क्या धारणा बनी है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं ही श्री लार्ड कैरिंगटन से बात की थी ।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि उस बात से क्या समझौता हुआ है। इन विषयों के बारे में सरकार का स्वयं का मूल्यांकन क्या है ? क्या सरकार यह समझती है कि ब्रिटेन में प्रवासियों को परेशान किया जा रहा है ? ये भारतीय नियमों एवं प्रक्रिया से घिरे हुए हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । क्या इस समस्या पर काबू पाने के लिए किसी तरह की समिति, ब्रितेन में भारतीनों की समिति द्वारा कोई सुझाव दिया गया है, यदि ऐसा हुआ है तो भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, जब लार्ड कैरिंगटन यहां की यात्रा पर आए तो तब मुझे उनके साथ यह विषय उठाने का अवसर मिला था । मैंने उनसे कहा भी— वह ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं—मैंने इस बात का संकेत भी दिया कि यदि यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है तो इससे हमारे सम्बन्धों पर भी आघात पहुंच सकता है । जहां तक स्वयं इस समस्या का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसके आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु अब प्रश्न रखा गया है तो मैं इस समस्या के वास्तविक परिप्रेक्ष्य को सदन के समक्ष रखना चाहूंगा ।

महोदय, 1980 में जनवरी से जून तक की अवधि में 90,000 यात्रियों को अनुमति दी गई और 651 लोगों को अस्वीकृत कर दिया गया । पिछले वर्षों की भी यही कहानी है । इसलिए, अस्वीकृति का प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम होता है और मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इन सभी मामलों में अस्वीकृति अनुचित और अकारण रही थी क्योंकि मैंने पहले ही अस्वीकृति के कारणों को बता दिया है और जब कोई व्यक्ति अस्वीकृति के कारण बता देता है तो वह निश्चित तौर पर यह कह सकने की स्थिति में नहीं होता कि सभी अस्वीकृतियां अनुचित हैं । महोदय, यह स्थिति है ।

हम युनाइटेड किंगडम स्थित भारतीय संघों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं । वे हमें सुझाव देते आ रहे हैं । हम उन सभी सुझावों पर विचार कर रहे हैं और हम उनके साथ सहयोग से काम कर रहे हैं । लेकिन साथ-साथ, हमें यह अनुभव करना होगा कि स्वीकार या अस्वीकार करने का अन्तिम अधिकार ब्रिटिश सरकार का है । हम पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके आधार पर वे समझे जाने वाले गैरकानूनी प्रवासियों के प्रवेश को अस्वीकार करती है । जो लोग किसी भी रूप में गैरकानूनी प्रवासी नहीं हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से तंग करने के बारे में हम अधिक चिंतित हैं ।

क्या मैं इन्हें याद दिला सकता हूं कि कुछ महीने पहिले विश्व शांति परिषद् के सचिव श्री रमेश चन्द्र को ब्रिटेन में दाखिल होने से रोकने सम्बन्धी चर्चा इस सभा में हुई थी और सरकार ने इस पर अपना विरोध प्रकट किया था ? क्या उनकी सूचना में यह बात लायी गयी है कि

अभी हाल में 'घासीराम कोतवाल' नामक विवादास्पद नाटक को प्रदर्शित करने के लिये इंगलेंड गयी मराठी नाटक मंडली को काफी देर तक हीथरो हवाई अड्डे पर बहुत परेशान किया गया। उनके वाद्य यंत्रों तथा अन्य सामान को खोला गया, उसकी जांच की गयी तथा उसका निरीक्षण किया गया और उनसे हर प्रकार की पूछताछ की गयी और ब्रिटेन में दाखिल होने से पहले उन्हें बहुत परेशान किया गया ? उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ब्रिटेन में गैरकानूनी तौर पर प्रवेश किया है। क्या ये उस बारे में जानते हैं ? इस मामले में क्या किया गया ? सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मामला हमारी सूचना में लाया गया है। उस विशेष मामले पर एक अलग प्रश्न है जिसका उत्तर मैं इसके आने पर दूंगा। इस समय मैं इतना कहूंगा कि हमने इस बारे में सख्त विरोध प्रकट किया है। हमने ही नहीं, उस देश के मेजबानों, नाटक की मेजबानी करने वाली एक महिला ने भी विरोध प्रकट किया है। हमने वह कार्यवाही कर दी है, जो इस बारे में सम्भव थी। प्रतीत होता है कि वाद्य यंत्रों की तलाशी अन्दर से उन्होंने इस उद्देश्य से की कि शायद इन यंत्रों के अन्दर कुछ हो।

श्री आर० एस० स्पैरो : विदेश जाने वाले अनेक भारतीयों तथा विदेशों में बसे भारतीयों से रिपोर्टें आयी हैं कि विभिन्न स्थानों पर हमारे दूतावास के कर्मचारियों का रवैया उतना सहयोग वाला नहीं है जितना कि होना चाहिये। इसका कारण यह हो सकता है कि चारों ओर आने जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है और कर्मचारियों की संख्या में उसके अनुपात में वृद्धि नहीं की गयी है। मैं विदेश मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कठिनाईयों को दूर करने के लिये कर्मचारियों को आज के युग की परिस्थितियों के बारे में प्रशिक्षित करके अथवा किसी अन्य निर्देश द्वारा दूर करने के लिये क्या कोई योजनायें हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह बात स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य कहां की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश उच्चायुक्त सम्बन्धी कर्मचारियों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। हमें आशा है कि वहां कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और इसके विपरीत हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है। लंदन उच्चायुक्त में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं। इनकी संख्या में धीरे-धीरे कटौती हो रही है।

जहां तक इन मामलों को चलाने का प्रश्न है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, मैं सभा को सूचित करता हूं कि हमारे उच्चायुक्त के अधिकारी कई बार हवाई अड्डे पर गये। उच्चायुक्त स्वयं यह देखने के लिए वहां गये कि अनावश्यक विलम्ब न हो। बार-बार ऐसा किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जहां कुछ कठिनाईयां हुई हैं। इन मामलों को तुरन्त उठाया गया है और उनके समाधान का प्रयास किया गया है।

भारत-ईरान सहयोग

*46. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान में कई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए ईरान सरकार ने भारत का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो ईरान सरकार ने किस क्षेत्र में भारत का सहयोग मांगा है तथा क्या सरकार ने ईरान सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो जिन देशों ने ईरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उनके साथ भारत के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के विभिन्न सम्भव क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इस वर्ष के मध्य से ईरान और भारत की सरकार के बीच प्रारम्भिक बातचीत चल रही है। लेकिन ईरान की सरकार ने ईरान में औद्योगिक बस्तियों को स्थापित करने में भारतीय सहयोग के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम विलास पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि आर्थिक विषयों पर प्रारंभिक बातचीत चल रही है, लेकिन 15 अगस्त 1980 के स्टेट्समैन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अनुसार भारत के साथ 26 करोड़ रुपए का सौदा तेहरान में हो चुका है और कई करोड़ के सौदे पर बातचीत चल रही है। मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि आर्थिक विषयों पर अभी प्रारंभिक बातचीत चल रही है। दोनों में वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वस्तुस्थिति यही है कि यह एक धारावाहिक कार्यवाही है जो रुकने वाली नहीं है। यह लगातार हो रही है। कुछ हुई है, कुछ हो चुकी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केवल ईरान से ही नहीं, इराक से और कई देशों से हमारी इस संबंध में बातचीत हो रही है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय किसी भी तरह से सेटिसफाई कर देते हैं। इनका जवाब अस्पष्ट है। ताजे समाचारों के अनुसार इराक ने उन देशों से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं, जिन देशों ने ईरान से सहयोग किया है और आप ईरान से सहयोग करने वाले हैं तो क्या आपने इस ओर भी ध्यान दिया है कि उनके साथ सहयोग से इराक से राजनयिक संबंधों पर असर तो नहीं पड़ेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे संबंध ईरान और इराक दोनों से हैं और किसी से भी संबंध टूटने का सवाल ही नहीं है और हमें इसकी कोई आशंका नजर नहीं आती है।

श्री अजीत कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, भारत और ईरान के बीच कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना एक बदशक्ल गुत्थी के रूप में उलझी हुई है। शाह के समय में इस योजना के लिए ईरान ने 63 सौ लाख डालर देने की बात कही थी, जिसमें से अभी तक केवल 18 सौ डालर का भुगतान ही हुआ है और बाकी पड़ा हुआ है और आगे ईरान ने लौह अयस्क आयात करने से भी इन्कार कर दिया है। इसके कारण भारत का इतना पैसा जो कि इस योजना पर खर्च हो चुका है, अधर में लटका हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नया जो समझौता

किया जाएगा उसका क्या हवा होगा जबकि पुराने समझौते को ही ईरान सरकार पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुकी है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अलग-अलग परियोजनाओं की जानकारी विदेश मंत्री को नहीं होती है । हम, जो सम्बन्धित मंत्रालय होते हैं उनका और विदेशों के प्रतिनिधियों का संबंध जोड़ देने वाले हैं । उनमें क्या समझौता होता है जिम्मेवारी इसकी दूसरे मंत्रालयों को होती है और उनका ही यह काम होता है । कोई आप विशेष प्रश्न पूछना चाहें तो उस मंत्रालय के मंत्री जी से पूछें या मुझसे भी आप पूछेंगे तो मैं वह जानकारी उनके माध्यम से लेकर आपको दे सकता हूं ।

श्री चिंतामणि पाणीग्रही : आज के ईरान में भारत-ईरान संयुक्त सहयोग से कई परि-योजनायें चल रही हैं । उनमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगी है और ईरान में आज हमारे हजारों तकनीशियन काम कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने वहां लगी पूंजी और वहां चालू सांझी सहयोग परि-योजनाओं की रक्षा करने के लिए क्या कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो क्या-क्या कदम उठाये गये हैं या उपाय किए गए हैं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अभी कोई विशेष उत्तर देना जल्दी है क्योंकि दोनों देश युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं । अभी तो युद्ध को पहली प्राथमिकता देना स्वभाविक ही है । हमें आशा है कि वहां चल रहे उपक्रम प्रभावित नहीं होंगे । हम उचित समय पर देखेंगे कि उन पर कोई प्रभाव न पड़े और वे पहले की तरह चलते रहें ।

एटम बम बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रयास

*48. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है;

(ख) क्या इंडियन एक्सप्रेस में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान शीघ्र ही चीनी क्षेत्र में परमाणु परीक्षण करने वाला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार अपनी सुरक्षा के लिये क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान यूरेनियम समृद्धता और नाभिकीय ईंधन संसाधन योग्यता प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहा है जिससे वह नाभिकीय युक्ति बनाने में समर्थ हो जाएगा ।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ग) सरकार के पास इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है ।

(घ) सरकार इस बारे में घटनाओं पर निगाह रख रही है और भारत के सुरक्षा संबंधी हितों की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठा रही है ।

श्री हरिकेश बहादुर : मंत्री महोदय के उत्तर के आधार पर मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस समाचार की पुष्टि कर रही है कि पाकिस्तान चीन के क्षेत्र में अणु परीक्षण करने जा रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने कहा है कि हमारे पास इसकी पुष्टि में कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार पुष्टि करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वे शायद यही जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अब भी पुष्टि करने जा रही है। मैंने कहा है कि हम सभी घटनाओं का पता लगा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : पाकिस्तान बड़े पैमाने पर सैनिक अभ्यास कर रहा है, पकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू-काश्मीर का जिक्र किया है, अमरीका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा है कि यदि पाकिस्तान को खतरा हो तो अमरीका 1959 के अमरीका-पाकिस्तान रक्षा समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान की सहायता करेगा और चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान तथा जमीन से आसमान की ओर पार करने वाले प्रक्षेपास्त्र सप्लायी कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय उप-महादीप में शांति को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ता कई विषयों पर चल रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहां आये थे। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में जम्मू-काश्मीर के बारे में अपने विचार प्रकट किये। मैंने उनकी बातों का उत्तर दिया था। इस प्रकार का विचार विनिमय चल रहा है। लेकिन साथ-साथ हम अन्य देशों के सामर्थ्य के बारे में भी सतंक हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इराक-ईरान युद्ध में मरे भारतीयों की संख्या

*47. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री दिलीप सिंह भुरिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक-ईरान युद्ध में कितने भारतीय मरे और घायल हुए;

(ख) ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई सहायता या क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इनकी संख्या है : 15 भारतीय मारे गये और 25 घायल हुए। इसके अतिरिक्त, तीन भारतीय लापता हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका।

(ख) और (ग) जो व्यक्ति मारे गये हैं अथवा घायल हुए हैं वे सब निजी कम्पनियों/इराकी राज्य उपक्रमों के कर्मचारी थे। इन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में मुआवजे के दावे उनके अपने-अपने नियोजकों द्वारा इराक के संगत विनियमों के अधीन पेश कर दिए गए हैं और सम्बद्ध प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

भारत में बसे नेपालियों के बारे में नेपाल सरकार का दृष्टिकोण

*49. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि वर्ष 1971 से पूर्व असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बसे नेपालियों को नेपाल मूल के भारतीय नागरिकों के रूप में माना जाये;

(ख) यदि हां, तो इस समय असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कितने नेपाली रह रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने नेपाल सरकार द्वारा की गई इस मांग के बारे में निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) समाचार पत्रों में यह छपा था कि सितम्बर, 1980 में राष्ट्रीय पंचायत में विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई बहस के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री श्री के० बी० शाही ने असम और भारत के अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाले नेपालियों के प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि "1971 के बाद जबकि भारत सरकार ने इन इलाकों में आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इन इलाकों में प्रवेश करने वाले नेपालियों को नेपाल की समस्या माना जा सकता है लेकिन जो लोग भारत के इन राज्यों में 1971 से पहले आ गए थे उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि यह भारत की समस्या है। जो नेपाली असम और अन्य भारतीय राज्यों में 1971 से पहले आए थे उन्हें नेपाल मूल के भारतीय नागरिक मानना होगा।"

(ख) 1971 की जनगणना रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल में पैदा हुए और निम्नलिखित उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में गिने गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	नेपाली मूल के व्यक्तियों की संख्या
1	2
असम*	78,268
मणिपुर	6,940

1	2
मेघालय	13,397
नागालैंड	9,278
त्रिपुरा	930
अरुणाचल प्रदेश	15,551

*इसमें मिजो जिला शामिल हैं, जिसका अब संघ शासित क्षेत्र मिजोरम के रूप में गठन किया गया है।

1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर-पूर्व क्षेत्र में गिने गए व्यक्तियों में से निम्नलिखित ने नेपाली गोरखाली को अपनी मातृ-भाषा घोषित किया :

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	
अरुणाचल प्रदेश	30,911
असम	3,49,116
मणिपुर	26,381
मेघालय	44,445
मिजोरम	4,557
नागालैंड	17,536
त्रिपुरा	3,107

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐसी कोई मांग नहीं की है।

केंडुआपाड़ा रेलवे स्टेशन पर चोरी

*50. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड मण्डल के केंडुआपाड़ा रेलवे स्टेशन पर चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस चोरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(घ) क्या इस इलाके में रेलवे के ठेकेदारों के साथ कुछ रेल कर्मचारियों ने सांठ-गांठ करके यह चोरी की है; और

(ङ) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार ने कौन से विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी हां।

(ख) 17-8-1980 को लगभग 22.30 बजे जब तिरपाल से ढका एक खुला माल डिब्बा सं०-ई आर–87262, जिसमें 1070 बोरी यूरिया लदा हुआ था और जिसे विशाखापत्तनम से

फरीदकोट के लिए बुक किया गया था, खराब हो जाने के कारण केंदुआपाड़ा स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर खड़ा था, तो बदमाशों ने उसे खोलकर उसमें से यूरिया की कुछ बोरियां चुरा लीं। जांच करने पर माल डिब्बे में यूरिया की 93 बोरी कम पायी गयीं। जिनकी कीमत लगभग 9,300 रुपये थी।

(ग) छ: व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(घ) जी हां। रिपोर्ट मिली है कि रेलवे सुरक्षा बल का एक रक्षक भी इसमें शामिल है।

(ङ) रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत इस मामले में छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और रेलवे सुरक्षा बल, चौकी कटक द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जिस रक्षक पर संदेह है कि इस अपराध में उसकी मिलीभगत थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है तथा निलम्बित कर दिया गया है।

भारतीय दूतावासों के साथ पत्र-व्यवहार की भाषा

51. **श्री जयराम वर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से भारतीय दूतावासों के साथ पत्र-व्यवहार केवल अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ भारतीय दूतावासों में भारतीय अनुवादक नहीं हैं और कुछ दूतावासों में जो गैर-भारतीय अनुवादक नियुक्त किए गए हैं उन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूतावासों में हिन्दी की टाइप की मशीनें, हिन्दी टाइपिस्ट या आशुलिपिक नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने की इच्छा होने पर भी ऐसा करना संभव नहीं होता है; और

(च) यदि हां, तो राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कब तक प्रबंध हो जाएगे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी नहीं। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्र-व्यवहार होता है लेकिन अंग्रेजी में अधिक पत्र-व्यवहार होता है। हिन्दी का प्रयोग अधिकतर प्रोतोकोल प्रलेखों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं करारों में और विदेशों में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार से सम्बद्ध हमारे पत्र-व्यवहार के लिए तथा अन्य सांस्कृतिक, शैक्षिक और साहित्यिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है।

(ग) और (घ) हमारे मिशनों में कुछ गैर-भारतीय अनुवादक हैं लेकिन दुभाषिये/अनुवादक का काम अधिकतर हमारे अपने ही अधिकारी करते हैं, जिनके लिए सेवा में स्थायी होने के लिए विदेशी भाषा में प्रवीणता और हिन्दी की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

(ङ) और (च) हम विदेश स्थित अपने 72 दूतावासों को हिन्दी टाइपराइटर पहले ही भेज चुके हैं और हमने यह निर्णय किया है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक मिशन को कम से कम एक टाइपराइटर अवश्य भेज दिया जाए। हमारे पास कुछ प्रशिक्षित हिन्दी टंकण और आशुलिपिक हैं और हम एक ऐसी योजना बनाने की कोशिश में हैं जिसके अंतर्गत टंकण और आशुलिपिक मुख्यालय में अपनी तैनाती के दौरान, विदेशों में तैनाती से पहले हिन्दी टंकण और आशुलिपि सीख सकेंगे।

सरकार इस विषय पर सरकारी नीति की भाव और भाषा के अनुसार हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का सुनिश्चय करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। प्रगति एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की प्रस्तावित हड़ताल

*52. **श्री के० ए० राजन :**

श्री विजय कुमार यादव : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तन तथा गोदी श्रमिकों ने मालिकों के साथ अपनी मांगों को लेकर वार्ता के विफल हो जाने से 18 नवम्बर, 1980 से अनिश्चित काल की हड़ताल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के विफल हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को निपटाने और हड़ताल को टालने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पत्तन तथा गोदी कर्मकारों के अखिल भारतीय चार बड़े फेडरेशनों से संबद्ध संघों ने. अर्थात् आल इंडिया पोर्ट एण्ड डाक वरकर्ज फेडरेशन, इंडिया नेशनल पोर्ट एण्ड डाक वरकर्ज फेडरेशन, पोर्ट डाक एण्ड वाटरफ्रंट वरकर्ज फेडरेशन आफ इंडिया और वाटर ट्रांसपोर्ट वरकर्ज फेडरेशन आफ इंडिया, नोटिस में यह धमकी दी थी कि यदि वेतन संशोधन की उनकी मांगें 18 नवम्बर, 1980 तक न मानी गयीं तो उस तारीख से वे सभी बड़े पत्तनों पर हड़ताल कर देंगे।

(ख) मई, 1980 में गठित द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति की बातचीत में, जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे, गतिरोध आ गया, क्योंकि 8-10-80 को हुई बैठक में फेडरेशनों ने इस बात पर जोर दिया कि 640 रु० की न्युनतम वेतन और साथ में कुल वेतन पर 23% की न्यूनतम वृद्धि और 3 वर्ष के लिए समझौता की मांग बिना आगे वार्ता नहीं हो सकती। नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने यह माँग स्वीकार नहीं की।

(ग) सरकार ने 12 और 13 नवम्बर, 1980 को परिसंघों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर विचार-विमर्श किया। नौवहन और परिवहन मंत्री ने फेडरेशनों से अपील की कि वार्ता पूरी होने तक वे हड़ताल न करें। मंत्री महोदय की अपील पर, फेडरेशनों के प्रतिनिधि

हड़ताल स्थगित करने के लिए राजी हो गए हैं। आगे विस्तार पूर्वक वार्ता संबंधित फेडरेशनों के साथ सरकारी स्तर पर 17-11-80 और 18-11-80 को हुई है और मंत्री स्तर पर यह वार्ता 26-11-80 को होनी निश्चित हुई है।

भारत में साम्प्रदायिक घटनाओं को पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाना

53. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री निहाल सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार-पत्र ने टिप्पणी की है कि भारत में साम्प्रदायिक दंगे भारतीय मुसलमानों को भारत में एक तीसरे पाकिस्तान की मांग करने के लिए बाध्य कर सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में साम्प्रदायिक दंगों के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय मंच में उठाने के लिए मार्गोपायों पर विचार करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 19 अगस्त, 1980 को छः घंटे की एक बैठक की थी; और

(ग) यदि हां, तो भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान के इस हस्तक्षेप को रोकने और भारत की सही घटनाओं के बारे में मुस्लिम जगत को सूचित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान के उर्दू दैनिक "नवाय वक्त" ने 20 अगस्त के अंक में इस आशय की रिपोर्ट छापी है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमें सूचित किया है कि यह रिपोर्ट मनघड़ंत है।

(ग) भारत में हुए दंगों के बारे में पाकिस्तान की सरकारी प्रक्रिया और वहां के प्रचार तंत्र द्वारा इन खबरों को नकारात्मक तरीके से पेश किये जाने पर भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा शिमला करार का उल्लंघन करते हुए भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के प्रयासों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया हैं। पाकिस्तान सरकार को बताया गया कि इस तरह के हस्तक्षेप और आक्रामण प्रचार से भारत पाक संबंधों को धक्का लग सकता है। साथ ही भारत सरकार ने मित्र इस्लामी देशों को यहां की घटनाओं की उचित रूप से जानकारी देने के उपाय भी किए हैं।

ब्राडगेज लाइन से इन्दौर और दिल्ली का सीधा रेल संबंध

*54. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय इन्दौर और दिल्ली के बीच कोई सीधी ब्राडगेज लाइन नहीं है;

(ख) क्या उक्त नगर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थानों ने इसके लिए बार-बार मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) जी नहीं। इन्दौर और दिल्ली, कोटा और नागदा के रास्ते बड़ी लाइन से और रतलाम के रास्ते मीटर लाइन से पहले ही जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग) बड़ी लाइन के रास्ते इन्दौर और दिल्ली के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की मांग की जाती रही है किन्तु न तो यातायात के आधार पर ऐसी गाड़ी चलाने का कोई औचित्य है और न ही परिचालन की दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक है क्योंकि रास्ते के कुछ खण्डों पर लाइन क्षमता पर बहुत दबाव पड़ रहा है और टर्मिनल स्टेशनों पर अर्थात् दिल्ली, नयी दिल्ली और इन्दौर में टर्मिनल सुविधाएं भी सीमित हैं।

रेल डिब्बों (कोच) का उत्पादन

*55. **श्री छागुर राम :**

श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए कितने आरक्षित डिब्बे प्रयोग में लाए गए हैं और खराब डिब्बों को बदलने के लिए कितने डिब्बों को अलग से रखा गया है।

(ख) क्या मांग की पूर्ति के लिए इन्टेगरल कोच फैक्टरी के डिब्बों का वार्षिक उत्पादन पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ-साथ रेल डिब्बों की मांग में हो रही वृद्धि की पूर्ति के लिए, उत्पादन बढ़ाने को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने इन्टर्गल कोच फैक्टरी का आधुनिकीकरक करने के लिए अब तक क्या उपाय किये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 22 जोड़ी सुपर फास्ट गाड़ियां चलाने के लिए, न्यूनतम आवश्यकता लगभग 710 सवारी डिब्बों की है। इसके अलावा, इनमें से 16.6% सवारी डिब्बे खराब सवारी डिब्बों के बदलाव के लिए निर्धारित किये गये हैं।

(ख) सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले सवारी डिब्बे पूर्णतः सवारी डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) सवारी डिब्बा कारखाना के उत्पादन को 720 से बढ़ाकर 750 सवारी डिब्बा करने के एक प्रस्ताव को 1981-82 के निर्माण कार्य में सम्मिलित करने की योजना बनायी गयी है। देशी सवारी डिब्बों के उत्पादन को और बाढ़ने के लिए एक नये सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट की स्थापना करने हेतु एक तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, जिसने प्रति वर्ष 400 सवारी डिब्बों की प्रारम्भिक क्षमता वाले एक नये सवारी डिब्बा निर्माण यूनिट की स्थापना करने की सिफारिश की थी, जिसकी क्षमता का भविष्य में प्रति वर्ष 750 सवारी डिब्बे तक विस्तार की गुन्जाइश हो। इस रिपोर्ट की इस समय योजना आयोग द्वारा जाँच की जा रही है।

सामुद्रिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

56. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन निगम के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें उन्होंने अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सामुद्रिक संस्थान (मैरिटाइम इंस्टीट्यूट) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब स्थापित किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना तीन चरणों में पूरी होगी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

चरण 1	1980-81
चरण 2	1981-82
चरण 3	1982-83

भारतीयों और पाकिस्तानियों को प्रवेश स्थल पर परेशान किया जाना

57. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय एवं पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को भारत-पाकिस्तान सीमा के प्रवेश स्थल पर परेशान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने प्रवेश (निर्गम स्थल पर), विशेषकर अटारी रेल/सड़क पड़ताल चौकी पर भारतीय और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को परेशान किए जाने के बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं और कुछ व्यक्तियों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई करने के अलावा, सरकार ने इन पर विचार किया है और वस्तुतः, भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कदम उठाए भी हैं। अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सामान संबंधी नियमों को अब पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों पर भी लागू कर दिया है। अटारी रेलवे स्टेशन पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तरह ही दो श्रेणियों वाली हरी और लाल व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की सीमा शुल्क की दृष्टि से निकासी में समय की काफी बचत हो गई है।

(2) यात्रियों के लिए उपलब्ध सामान संबंधी रियायत के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए रेलगाड़ियों में और प्लेटफार्म पर नियमित घोषणाएं की जाती हैं। यात्रियों की शीघ्र और भद्रतापूर्वक जांच करके निकासी के लिए जन-सम्पर्क के बारे में अधिकारियों के प्रशिक्षण की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है।

(3) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले यात्रियों की तत्काल निकासी के लिए सामान संबंधी नियमों को उदार तथा युक्तिसंगत बनाने और विभिन्न स्टेजों पर पर्यवेक्षक, कर्मचारियों की यात्रा बढ़ाने जैसे कई कार्यविधिक तथा प्रशासनिक उपाय किए गए हैं।

(4) भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यात्रा में समय की बचत करने और उसे अधिक आरामदेह बनाने के लिए सरकार कुछ उपायों पर विचार कर रही है। अटारी सड़क जांच चौकी पर बेहतर सुविधाएं जुटाने के बारे में भी विचार किए जा रहे हैं।

(5) विदेश यात्रा योजना के अंतर्गत 500/- यू० एस० डालर की विदेशी मुद्रा देने की सुविधा, जो कि अभी तक पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं थी, अब उन्हें भी दे दी गई है।

चीन और भारत के संबंध

58. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवादी चीन गणराज्य के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अपने सिद्धान्तों और हितों के आधार पर चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है।

(ख) इस सिलसिले में सरकार ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अन्वेषणात्मक बातचीत शुरू करने के एक अंग के रूप में विदेश मंत्रालय में सचिव श्री ऐरिक गोंसाल्वेज ने जून के उत्तरार्द्ध में पीकिंग की यात्रा की और उस अवसर पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री को भारत यात्रा का निमन्त्रण दिया।

(2) कृषि मन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह कोरियाई लोकतांत्रिक जनगणराज्य से पीकिंग होते हुए जब स्वदेश लौट रहे थे उस समय उन्होंने चीन के एक उप-प्रधान मन्त्री, श्री वान ली से मुलाकात की।

(3) व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा खेलकूद जैसे क्षेत्रों में आदान-प्रदान बढ़ाने के प्रयत्न बराबर किए जा रहे हैं।

जाखापुरा-देतारी लाइन

*59. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाखापुरा से देतारी तक रेल लाइन के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख दिसम्बर, 1980 है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि प्रथम चरण का कार्य दिसम्बर, 1980 से पहले पूरा हो जाए तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष देतारी से बाँसपानी तक रेल लाइन के दूसरे चरण का कार्य शुरू करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री केदार पाँडेय) : (क) जी हां ।

(ख) पहुंच मार्गों, सम पारों आदि के लिए अपेक्षित कुछ भाग को छोड़कर सारी भूमि रेलवे को सौंप दी गयी है । अब तक मिट्टी सम्बन्धी 99% कार्य पूरा हो चुका है ।

सभी बड़े पुलों का निर्माण हो चुका है और 100 में से 4 छोटे पुलों का निर्माण हो रहा है तथा अन्य पूरे हो चुके हैं । प्रगति 95% है ।

स्टेशनों की इमारतों और पहुंच मार्गों और कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण हो रहा है । 96% कार्य पूरा हो चुका है ।

रेल पथ : 14 मि० मीटर रेल पथ को जोड़ा जा चुका है और बाकी काम हो रहा है । सुकिंदा तक का खण्ड 27-7-1980 को यातायात के लिए खोल दिया गया है । कुल मिलाकर प्रगति 73% है ।

(ग) 1981—82 के दौरान देतारी से बाँसपानी तक दूसरे चरण के निर्माण कार्य को शुरू करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

राजस्थान में रेल लाइनें

*60. **श्री दौलतराम सारण :** क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन स्थानों से नई रेल लाइनें बिछाने की मांग की गई है और किन-किन स्थानों के लिए पिछली सरकार और राज्य सरकार ने नई रेल-लाइनें बिछाने का सुझाव दिया था;

(ख) कौन से स्थानों पर रेल-लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है लेकिन उस पर स्वीकृति नहीं दी गई है और कौन से स्थानों पर नई रेल लाइनें बिछाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किए जाने का विचार है;

(ग) रेल-लाइनें बिछाने के लिए राजस्थान के किन स्थानों का चयन उनके पिछड़ेपन को देखते हुए करने का विचार है; और

(घ) क्या सरदारशहर से बरास्ता रावतसर नई रेल-लाइन बिछाने की कोई मांग है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राजस्थान राज्य से निम्नलिखित 14 नयी लाइनों के लिए मांग प्राप्त हुई है :—

1. बूंदी के रास्ते कोटा से चित्तौड़गढ़ तक नयी लाइन।
2. कोटा से गोधरा तक एक नयी लाइन।
3. करौली से सवाईमाधोपुर।
4. अम्बाजी के रास्ते पालनपुर से उदयपुर।
5. कोटा से देवगढ़।
6. बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और धोनीमान के रास्ते गंगापुर से गांधीधाम।
7. भीलवाड़ा से ब्यावर।
8. गंगापुर टाउन के रास्ते नाथद्वारा से भीलवाड़ा।
9. टोंक को जिला मुख्यालय से जोड़ना।
10. छत्तरगढ़ और बीकानेर के रास्ते रायसिंहनगर से फलौदी।
11. हनुमानगढ़–सरदारशहर–फतेहपुर।
12. घरसारी–रामगढ़–जैसलमेर।
13. फलौदी–नचना।
14. कोटा–अजमेर।

(ख) निम्नलिखित लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है :—

1. फालना से नाथद्वारा। 140 कि० मी० लम्बी इस लाइन की अनुमानित लागत 60.37 करोड़ रुपये थी जिससे ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होता। इसलिए इसका अनुमोदन नहीं किया गया।

2. रतलाम से बाँसवाड़ा। 95 कि० मी० लम्बी इस लाइन की अनुमानित लागत 34 करोड़ रुपये थी जिससे ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होता। इसलिए इसका अनुमोदन नहीं किया गया।

3. कोटा–चित्तौड़गढ़। इस नयी लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम जारी है जो कि अनुमोदित कार्य है।

4. नाथद्वारा से टोडाराय सिंह और लूनी के रास्ते जोधपुर से मारवाड़ तक नयी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीयियरी एवं यातायात स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) कोटा–चित्तौड़गढ़ लाइन के सिवाय फिलहाल राजस्थान में किसी नयी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

बीकानेर से छतरगढ़ तक एक नयी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के सम्बन्ध में रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच हो जाने के बाद ही विनिश्चय किया जा सकता है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। रक्षा मन्त्रालय के अनुरोध पर सूरतगढ़ से

सरूपसर तक एक समानान्तर बड़ी लाइन सहित अनूपगढ़ के रास्ते सरूपसर से रायसिंहपुर तक एक नयी लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का सर्वक्षण किया जा रहा है।

(घ) जी हां। सरदारशहर और रावतसर के रास्ते हनुमानगढ़ से फतेहपुर तक एक नयी लाइन के निर्माण की मांग है। इस समय धन की तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना संभव नहीं है।

दक्षिण रेलवे में प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के रिक्त स्थान

401. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे क्षेत्र में इस शिक्षा वर्ष में भाषावार प्राथमिक पाठशाला अध्यापकों के कुल कितने पद हैं;

(ख) क्या उन पदों को भरने के लिये कोई विज्ञापन दिया गया था;

(ग) कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) चुने गए व्यक्तियों की अर्हताएं क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

36–अंग्रेजी माध्यम के–9
तमिल माध्यम के–27

(ख) जी हां।

(ग) अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों के लिए 119 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और चार उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। तमिल माध्यम वाले अध्यापकों के लिए चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है जिसके लिए 1665 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) चुने गये चार उम्मीदवारों में से दो उम्मीदवार बी० एड० योग्यता के साथ स्नातक हैं और दो ने मिडल ग्रेड टीचर्स सर्टिफिकेट के साथ एंग्लो इंडियन हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। चारों उम्मीदवारों को अध्यापन का पूर्व अनुभव भी प्राप्त है।

जयन्ती जनता एक्सप्रेस का प्रतिदिन चलाया जाना

402. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जयन्ती जनता रेल गाड़ी को प्रतिदिन चलाने की योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें क्या बाधाएं हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) न तो राजेन्द्र पुल पर और न ही मार्गवर्ती खंडों पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। इसके अलावा, नयी दिल्ली स्टेशन पर टर्मिनल की पर्याप्त क्षमता भी नहीं है। बाराबंकी और

सोनपुर के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम जारी है। नयी दिल्ली तथा मार्गवर्ती खंडों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की योजना बनायी गयी है और/या विचाराधीन है और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने पर मुजफ्फरपुर नयी दिल्ली/दिल्ली के बीच दैनिक गाड़ी की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जायेगा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आरक्षण कर्मचारी

403. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आरक्षण कर्मचारियों ने मुख्य आरक्षण निरीक्षक को गिरफ्तार किये जाने और कथित परेशान किये जाने के विरुद्ध 27 अगस्त, 1980 को आकस्मिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो आरक्षण कर्मचारियों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं और कथित परेशान किये जाने का स्वरूप क्या था; और

(ग) क्या मामला अन्तिम रूप से तय हो गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नयी दिल्ली स्टेशन के आरक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को गिरफ्तार किये जाने के विरुद्ध अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए 27 अगस्त, 1980 को कुछ घण्टों के लिए अचानक हड़ताल की थी। मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था।

सिगरेट पीने पर रोक लगाने के उपाय

404. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिगरेटों के पैकेटों पर 'धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है' की सांविधिक चेतावनी के अतिरिक्त सिगरेट पीने पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगाने के लिये कोई उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) 1. सिगरेटों के व्यापार और वाणिज्य में तथा उत्पादन, प्रदाय और वितरण करने के संबंध में कतिपय प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने एक कानून अर्थात् "सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का नियमन) अधिनियम, 1975" बनाया है। जो 1-4-1976 से लागू है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को इसके विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिए सन् 1977 में भेजा था।

2. बहुत से राज्यों ने नव युवकों के धूम्रपान पर और सिनेमा घरों, बसों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिए हैं।

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने प्रकाशन तथा जन प्रचार के जरिये धूम्रपान के खतरों के बारे में जन प्रचार अभियान आरम्भ कर दिया है। इस विषय पर फिल्में तैयार की गई हैं और वे सिनेमा घरों में दिखलाई जा रही हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने धूम्रपान और इससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में चार स्क्रिप्ट आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों को भेज दी हैं।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसमें धूम्रपान से होने वाले खतरों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से संबंधित विषय शामिल किया गया है।

5. पूरे देश में पाठ्य पुस्तकों में एक समान स्तर की सामग्री निर्धारित की जाए यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो से परामर्श लेकर राष्ट्रीय "धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों" पर एक अध्याय तैयार किया जाए जिसे अनुमोदित हो जाने के बाद विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह सिफारिश की जाए कि वे स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में इसे शामिल कर लें।

6. धूम्रपान पर और अधिक रोक लगाने के लिए सिगरेटों का उत्पादन करने और उनका बिक्रय करने पर कर में और अधिक वृद्धि कर दी गई है।

7. आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपने वाणिज्यिक सेवाओं में सिगरेटों और तम्बाकू के अन्य उत्पादों के बारे में विज्ञापन स्वीकार न करने का निर्णय लिया है।

8. इंडियन एअर लाइन्स ने विभिन्न हवाई जहाजों में "यहां धूम्रपान न करें" लागू कर दिया है और इस बात की घोषणा करना बंद कर दिया है कि "यदि आप धूम्रपान करना चाहें तो धूम्रपान कर सकते हैं।"

रेल श्रम न्यायाधिकरण पंचाट

405. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने रेल श्रम न्यायाधिकरण पंचाट स्वीकार कर लिया है और उसके क्रियान्वयन का आदेश दे दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों की उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन सहित अधिकांश स्थानों पर अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे रेलवे के कुशल कार्यकरण पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है; और

(घ) सरकार का विचार कर्मचारियों की इस कमी को कब तक दूर करने का है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । रेलवे श्रम अधिकरण, 1969 द्वारा रेल कर्मचारियों के काम के घंटों के संबंध में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 1977 में रेल मंत्रालय ने सभी भारतीय रेलों को, जिसमें उत्तर रेलवे भी शामिल है, श्रेणी 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए 10,012 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए मंजूरी दे दी थी । इनमें से लगभग 85 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) कुछ स्थानों पर अभी भी अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

अन्दमान के लिये विदेश से एक अन्य जहाज का खरीदा जाना

406. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० वी० अन्दमान के बदले जाने के अभाव में अन्दमान-मुख्य भूमि के बीच यात्री सेवा बहुत असंतोषजनक है और अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन ने तुरन्त एक दूसरा यात्री जहाज खरीदने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य भूमि अन्दमान के बीच यात्री सेवा में सुधार के उक्त प्रस्ताव पर सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अण्डमान मेनलैंड पैसेंजर सर्विस लगभग संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है । हाल ही में एम० वी० अण्डमान का विशेष सर्वेक्षण के आधार पर इसकी परिचालन क्षमता की अवधि मई, 1978 तक बढ़ा दी गई है और जहाज ठीक प्रकार से चल रहा है । एम० वी० अण्डमान को बदल कर इसके स्थान पर एक पुराने यात्री जहाज की खरीद के लिए अण्डमान प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । उक्त प्रशासन से उक्त जहाज के लिए कहा गया है जिससे कि सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जा सके ।

खिलाड़ियों की रेल विभाग में नौकरी

407. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन युवकों को रेल विभाग में नौकरी दी जाती है जो अपने विद्यार्थी जीवन में खिलाड़ी रहे हैं और जिनके पास इसके प्रमाण पत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं;

(ग) क्या उत्तर रेलवे ने युवा लड़कों और पुरुषों को अपना अभ्यास बनाए रखने और परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया है;

(घ) क्या 10 फरवरी, 1980 को दिल्ली में ऐसी कोई परीक्षा की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो परीक्षा में कितने लोग बैठे और कितनों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की;

(च) क्या सफलता प्राप्त करने वालों को 10 अगस्त, 1980 की दौड़ में शामिल होने के लिये लखनऊ ले जाया गया था; और

(छ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सेवा संबंधी अभिलेखों का सत्यापन

408. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कार्यरत प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के गैर चिकित्सा अधिकारियों से सम्बन्धित मामलों की संख्या कितनी है जिन्होंने 25 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है परन्तु जिन्हें सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के सत्यापन के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या इस भूल के कारण सेवा निवृत्त हुएं कुछ अधिकारियों की पेन्शन रोक दी गई है और यदि हां, तो ऐसे सेवा निवृत्त अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस भूल के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी;

(घ) क्या प्रशासन से सम्बन्धित कुछ अधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में पिछले 24 वर्षों अथवा उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और लगातार वहीं पर कार्य करते रहने के कारण उनके स्वार्थ निहित हो गये हैं; और

(ङ) सरकार का स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पहली नवम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार यह संख्या 107 है ।

(ख) सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी भी पेंशन के मामले को रोका नहीं गया है ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) जो अधिकारी एक पद/अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर लेते हैं उन्हें सामान्यतया मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अथवा मंत्रालय से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मंत्रालय में बदल दिया जाता है ।

राष्ट्रीय प्रयोगशाला की क्लोरीन की गोलियां प्रयोग करने की सिफारिश

409. श्री राजेश पायलट : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिशुओं/बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण बनने वाली उन बीमारियों का दमन करने के लिये, जो पानी से उत्पन्न होती हैं, राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी/अर्थ-चिकित्सा कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्लोरीन की गोलियां/तरल क्लोरीन उपलब्ध कराने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोक स्वास्थ्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी को लोगों के इस्तेमाल के लिए कीटाणुरहित बनाने हेतु अब भी बहुत पहले से चली आ रही धारणा के अनुसार ब्लीचिंग पाउडर (क्लोरीन युक्त हल्का चूना) का प्रयोग किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो बाढ़ से प्रभावित नमी वाले क्षेत्रों में खराब हो जाता है तथा अपने हानिकारक तत्वों के कारण बहुत खतरनाक साबित होता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां, राष्ट्रीय पर्यावरणिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (भूतपूर्व केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान) ने क्लोरीन की गोलियों की सिफारिश की है जिन्हें उन घरों में पानी को कीटाणुरहित बनाने के लिए इस्तेताल में लाया जा सकता है जहां लोगों को नियमित रूप से कीटाणुरहित पानी उपलब्ध नहीं किया जाता है।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिन गांवों में जन स्वास्थ्य रक्षक कार्य कर रहे हैं उन गांवों में पेय जल के स्रोतों को नियमित रूप से कीटाणुरहित बनाने के लिए जन स्वास्थ्य रक्षकों को क्लोरीन की गोलियाँ/ब्लीचिंग पाउडर सप्लाई कर दिया जाय।

(ग) और (घ) ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत सी जल आपूर्ति प्रणालियों में जल को कीटाणुरहित बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए इसका आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है और गांव में जिन लोगों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाए उन्हें इस कार्य में बहुत आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस पाउडर में किसी हानिकारक तत्व के होने की कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है।

रेल गाड़ियों का देरी से चलना

410. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के देर से चलने के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अधिकांश क्षेत्रीय रेलों में अक्तूबर, 1980 के दौरान पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीने की तुलना में "बिना समय खोये चलने वाली" डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन की स्थिति में सुधार हुआ है और इनका प्रतिशत लगभग 90.0 रहा है। लेकिन मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और पूर्वोत्तर रेलवे जैसी कुछ अन्य रेलों में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि, शरारती तत्वों की गतिविधियों, आसाम में राजनैतिक आन्दोलनों, दुर्घटनाओं, बिजली की कमी आदि के कारण समय-पालन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, इंजन की खराबी, सिगनल की खराबी/दोष और अन्य परिचालनिक दोष जैसे कुछ अन्य कारणों से भी गाड़ियों को रुके रहना पड़ा जबकि ये कारण रेलों के नियंत्रण में थे।

(ख) परिहार्य रूप से गाड़ियों के रुके रहने के इन मामलों में रेलों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है और महाप्रबन्धकों को निदेश दिये गए हैं कि वे गाड़ियों का समय-पालन सुनिश्चित करने के लिए इस ओर व्यक्तिगत ध्यान दें। उनसे यह भी कहा गया है कि न केवल क्षेत्रीय मुख्यालय के स्तर पर बल्कि क्षेत्र कार्य के स्तर पर भी वे महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के संचालन पर दिन प्रतिदिन के निगरानी-कार्य में तेजी लायें। महाप्रबन्धकों को यह भी अनुदेश दिये गये हैं कि समय-पालन न करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का पता लगाया जाए और उनके विरुद्ध दृढ़ता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए। शरारती तत्वों द्वारा खतरे की जंजीर खींचने और होस-पाइप अलग किये जाने की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

सम्दड़ी और भीमेरलाई रेलवे स्टेशन के बीच क्षतिग्रस्त हुआ मार्ग

411. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष लूनी नदी में बाढ़ के कारण राजस्थान के बाड़मेर जिले में सम्दड़ी और भीमेरलाई रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या उपरोक्त रेलवे मार्ग अभी तक ठीक नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मार्ग पर रेलवे की गति बढ़ाने के लिए इसकी मरम्मत कब तक कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) लगभग 55 लाख रुपए।

(ग) प्रभावित रेल-पथ की मरम्मत कर दी गयी है। गिट्टी बह जाने के कारण सितम्बर 1979 में यातायात को 30-50 कि० मी० प्रति घण्टे की सीमित रफ्तार पर पुनः चालू कर दिया गया था।

(घ) गिट्टी डालने का काम पूरा हो जाने के बाद इस खण्ड पर 75 कि० मी० की सामान्य गति को 30-6-81 तक पुनः शुरू कर दिया जाएगा ।

अनुसंधान विकास और मानक संगठन के वैज्ञानिक

412. **श्री ए० नीला लोहियादासन नाडार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का अनुसन्धान, विकास और मानक संगठन एक स्वशासी निकाय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसके संविधान की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है;

(ग) 1 अप्रैल, 1980 के दिन अनुसंधान, विकास और मानक संगठन में विषय-वार कितने डिग्री-धारी वैज्ञानिक काम कर रहे थे; और

(घ) अनुसंधान, विकास और मानक संस्थान में स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट डिग्रियों वाले वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) डिग्रीधारी इंजीनियरों की विभागवार संख्या इस प्रकार है :—

सिविल इंजीनियरिंग	87
यांत्रिक इंजीनियरिंग	154
बिजली इंजीनियरिंग	70
इलैक्ट्रानिक्स	15
दूर संचार	12
वास्तुकार	11
धात्विक	5
रसायनिक	8
विज्ञान स्नातक	82
(घ) (i) स्नातकोत्तर डिग्रीधारी इंजीनियरों की संख्या	66
(ii) डाक्टरेट डिग्रीधारी इंजीनियरों की संख्या	6

"स्पेन" द्वारा प्रकाशित गलत मानचित्र

413. **श्री आर० के० महालगी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अगस्त, 1980 की "स्पेन" पत्रिका के पृष्ठ 4 पर प्रकाशित जेरोम कहान के "दि इण्डियन ओशन, ए जोन आफ पीस" लेख में प्रकाशित मानचित्र की ओर दिलाया गया है जिसमें जम्मू और काश्मीर के उस भाग को, जिस पर अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) भारत की सीमाओं के इस गलत चित्रण की ओर 'स्पैन" पत्रिका के सम्पादक का ध्यान आकर्षित किया गया था। उनसे कहा गया था कि भविष्य में वे इस प्रकार की गलती न करें। उन्होंने गलत नक्शे के प्रकाशन पर खेद व्यक्त किया है और भविष्य में नक्शों के प्रकाशन के बारे में हमारे सुझाव को नोट कर लिया है।

आयुर्वेदिक दवाओं की गंभीर कमी

414. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली के लिए उपलब्ध की गई धनराशि में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भारी कटौती की गई है जिससे स्टोर डिपो तथा औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधियों की गम्भीर कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पिपलाना रेलवे स्टेशन

415. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालनपुर-गांधीधाम लाइन पर पिपलाना रेलवे स्टेशन के पूर्वी ओर के रेलवे क्रासिंग को कब से बिना चौकीदार का क्रासिंग बनाया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त स्टेशन के पश्चिम की ओर एक और क्रासिंग है जिसे खुला रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए इस स्टेशन के पूर्वी ओर के क्रासिंग को भी खुला रखा जाएगा। यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तरी छोर के (प्रश्न में जिसे पूर्व बताया गया है) कि० मी० 171/13-14 पर समपार संख्या 147-सी पर दिन के समय 7 बजे से 19 बजे तक चौकीदार तैनात किया जाता है। रात्रि के समय अर्थात् 19 बजे से 7 बजे तक सड़क यातायात के लिए फाटकों को बन्द रखा जाता है और सड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें खोल दिया जाता है।

(ख) दक्षिण छोर के (प्रश्न में जिसे पश्चिम बताया गया है) कि० मी० 172/8 पर समपार संख्या 148-सी बिना चौकीदार वाला समपार है, जिसका उपयोग सड़क यातायात द्वारा चौबीसों घण्टे किया जाता है।

(ग) पश्चिम रेलवे ने पिपलाना स्टेशन के समपार सं० 147-सी के सड़क यातायात की गणना करने की कार्रवाई करने के उपाय किये हैं और औचित्य पाये जाने पर रात्रि में भी इस समपार पर चौकीदार तैनात किया जा सकता है।

सिजुआ में ड्यूटी पर तैनात ए० एस० एम० की हत्या

416. **श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री** सिजुआ में ड्युटी पर तैनात ए० एस० एम० के कत्ल के बारे में 10 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पुलिस प्राधिकरण धनबाद को सिजुआ में 21 अप्रैल, 1980 को ड्यूटी पर तैनात ए० एस० एम० की नृशंस हत्या के मामले में किसी सुराग का पता लगा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस मामले को बिना किसी विलम्ब के सी० बी० आई० को सौंपने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निरस्त्रीकरण के बारे में जेनेवा सम्मेलन

417. **श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1980 में जेनेवा में निरस्त्रीकरण के बारे में 75 राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां, कुछ ऐसे परम्परागत हथियारों के प्रयोग पर जिन्हें अत्यधिक घातक माना जाता है अथवा जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे अपने प्रभाव में भेद रहित होते हैं (जिन्हें अमानवीय अस्त्र और कभी-कभी अतिशय क्रूर अस्त्र भी कहा जाता है) पर रोक लगाने अथवा प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन 15 सितम्बर से 10 अक्तूबर, 1980 तक जेनेवा में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत सहित कुल 76 राज्यों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार किये गये :—

(1) परम्परागत विशिष्ट हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने अथवा प्रतिबन्ध लगाने पर कन्वेंशन।

(2) ऐसे कणों के सम्बन्ध में प्रोतोकोल जिनका पता ही न चल पाता हो।

(३) सुरंगों, बम छिपाने और दूसरे प्रकार की युक्तियों और अन्य उपकरणों के प्रयोग पर रोक अथवा प्रतिबन्ध लगाने पर प्रोतोकोल।

(4) दाहक हथियारों के प्रयोग पर रोक अथवा प्रतिबन्ध लगाने पर प्रोतोकोल।

यह भी उल्लेखनीय है कि परमाणु शस्त्र प्रसार रोक संधि पर द्वितीय पुनरीक्षण बैठक 11 अगस्त से 6 सितम्बर, 1980 तक जेनेवा में हुई। लेकिन इस सम्मेलन में किसी संयुक्त घोषणा अथवा किसी अन्य प्रलेख पर मतैक्य नहीं हो सका। चूंकि भारत इस संधि का सदस्य नहीं है, अतः उसने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

दिल्ली परिवहन निगम की बस भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव

418. **श्री अरविन्द नेताम :**

श्री नन्दकिशोर शर्मा :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली परिवहन निगम के बस भाड़े में वृद्धि पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है और यह निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड का विचार है कि निगम की भाड़ा दरें लागत के अनुसार नहीं हैं और डीजल व अन्य संघटकों की कीमतों में हाल में वृद्धि होने के कारण भाड़े की दरें बढ़ाई जानी चाहिएं। लेकिन सरकार ने इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन

419. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री निहाल सिंह :

श्री बी० बी० देसाई : क्या **विदेश मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1980 में आयोजित राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए;

(ख) सम्मेलन पर भारत सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ग) उक्त सम्मेलन में क्या परिणाम हासिल हुए ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अंतिम विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 13.55/80)

(ख) इस सम्मेलन के लिए 25,18,900 रुपये के बजट की व्यवस्था की गई थी।

(ग) इस संयुक्त विज्ञप्ति में दृष्टि भेद के बावजूद बहुत से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर काफी हद तक समान आधार परिलक्षित होता है। इस अवसर पर मुक्त और निस्संकोच वातावरण में हुए विचार-विनिमय से इस समस्या को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सका, खासतौर पर प्रशांत के छोटे द्वीप राज्यों के संदर्भ में। इस क्षेत्र में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के महत्व और उनकी बढ़ती हुई सार्थकता को स्वीकार किया गया और ठोस उपाय बतायें गये। छोटे द्वीप राज्यों के लिए विशिष्ट उपायों पर भी सहमति हुई।

कुष्ठरोग अधिनियम का निरसन

420. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कुष्ठरोग संघ ने कुष्ठरोगी अधिनियम 1898 के निरसन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) लेपर्स एक्ट, 1898 में संशोधन करने के बारे में सलाह देने के वास्ते भारत सरकार के 1975 में राष्ट्रीय कुष्ठ परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति गठित की थी। इस उप-समिति ने लेपर्स एक्ट, 1898 को रद्द करने तथा माडल पब्लिक हैल्थ एक्ट में आवश्यक उपबंध शामिल करने का सुझाव दिया था। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए नवम्बर, 1979 में राज्य सरकारों को 1898 के इस एक्ट को संशोधित/रद्द करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की बात पर विचार करने की सलाह दी गई थी। माडल पब्लिक हैल्थ कानून प्रारूप (ड्राफ्ट) अवस्था में है।

हिन्द महासागर में अमरीका और रूस के संयुक्त सैनिक अभ्यास

421. **श्री राम सिंह यादव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की वायु सेना तथा रूस की सेनाओं ने नवम्बर और दिसम्बर, '80 के दौरान हिन्द महासागर में संयुक्त रूप से सैनिक अभ्यास करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका की सरकार ने निर्णय किया है कि उन सैनिक अभ्यासों में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (एन० ए० टी० ओ०) में स्थित इसके ए-7 और एफ-11 बम वर्षक विमान, जिनके अड्डे यूरोप में हैं, हिस्सा लेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि सिद्धान्त रूप में भारत सरकार हिन्द महासागर को एक शांति-क्षेत्र मानती है;

(घ) क्या अमरीका की वायुसेना तथा नौसेना द्वारा इस प्रस्तावित सैनिक अभ्यासों से हिन्द महासागर क्षेत्र, भारत तथा अन्य तट-वर्ती देशों की भांति तथा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) इस बारे में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार नकली युद्ध के माहौल में मिस्र की सेनाओं के साथ संयुक्त रूप से सैनिक अभ्यास करने के लिए 11 नवम्बर को 1450 अमरीकी सैनिक काहिरा पहुंचे । इन अभ्यासों के लगभग 12 दिनों तक चलते रहने की संभावना है । इन संयुक्त अभ्यासों के केवल मिस्री प्रदेश में ही होने की सूचना है, न कि हिन्द महासागर में । ए–7 लड़ाकू हवाई जहाज और सहायक हेलीकाप्टर इन अभ्यासों में भाग लेंगे परन्तु हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या इनमें से कोई हवाई जहाज यूरोप स्थित नाटो अड्डों से लिए जाएंगें ।

(ग) से (ङ) भारत ने कई मौकों पर यह दोहराया है कि वह 1971 के संयुक्त राष्ट्र संकल्प के अनुसार हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की घोषणा का पूरी तरह से समर्थन करता है । भारत ने हिन्द महासागर के बड़े-बड़े देशों की सैनिक शक्ति की मौजूदगी का हमेशा ही विरोध किया है जिसके कारण हमारे पड़ौस में नये तनाव और संघर्ष पैदा हो जाते हैं तथा शांति और स्थिरता को खतरा बन जाता है ।

भारत अन्य गुट-निरपेक्ष, समुद्र तटवर्ती और पश्च राज्यों के साथ मिलकर 1971 की घोषणा में निहित धारणा को बनाए रखना चाहता है जिसके अनुसार हिन्द महासागर में बड़े-बड़े देशों की सैनिक शक्ति मौजूद नहीं रहनी चाहिए । 1971 की घोषणा कार्यान्वयन के लिए, 1981 में हिन्द महासागर सम्मेलन आयोजित किए जाने का भारत समर्थन करता है ।

मध्य प्रदेश में नई लाइनें

422. **श्री वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा (1) नई रेल लाइनों, (2) ब्राड गेज में बदलने, (3) वर्तमान रेल लाइनों के बढ़ाए जाने, (4) चालू सर्वेक्षणों को पूरा करने तथा (5) नए सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है, अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) ललितपुर-सिगरौली-खजुराहो-सतना-रीवां लाइन तथा वरवाडीह-करौंजी लाइन पर कितनी प्रगति की गई है;

(घ) क्या गुना-शिवपुरी-ग्वालियर-बेतवा लाइन के नए प्रस्ताव के सम्बन्ध में सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के कितने सर्वेक्षण अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजे गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979 से पूर्व राज्य सरकार की ओर से 6 नयी रेल लाइनों का अनुरोध प्राप्त हुआ था। 1979 में, मध्य प्रदेश सरकार ने 11 नयी लाइनों का निर्माण करने तथा 5 बदलाव परियोजनाओं का सुझाव दिया था। इनमें से कुछ नयी लाइनों में वर्तमान लाइनों का विस्तार भी शामिल था। सामान्यतया रेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर सर्वेक्षण की स्वीकृति दी जाती है।

(ख) रेलों की कटिन वित्तीय स्थिति और अन्तर्निहित भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, यदि सभी परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाता है तो यह आवश्यक है कि सबसे पहले प्रस्तावित क्षेत्रों में खनन और अन्य औद्योगिक विकास योजनाओं के अनुरूप यातायात की सम्भावनाओं का मूल्यांकन कर लिया जाय। अतः इन सुझावों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) ललितपुर-सिंगरौली और बरवाडीह-करौंजी सर्वेक्षण प्रगति पर हैं और मार्च, 1981 तक इनके पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(घ) गुना-इटावा लाइन के लिए सर्वेक्षण का अनुमान हाल ही में स्वीकृत किया गया है और इसे शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार से सर्वेक्षणों के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही योजना आयोग द्वारा सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्तावों की स्वीकृति देना अपेक्षित है।

अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ का मांग-पत्र

423. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ की ओर से हाल में एक दस-सूत्री मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मांग पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई द्विपक्षीय बातचीत आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक ब्यौरेवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मामले की जांच की गयी है और स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए आल इंडिया रेलवेमेंज फैडरेशन को उत्तर भेज दिया गया है। इन मामलों पर समय-समय पर इनके लिए स्थापित नियमित मंचों पर विचार-विमर्श किया जाता है जिसमें ए. आई. आर. एफ. भी सम्बद्ध किया जाता है।

विवरण

दस-सूत्री मांग-पत्र में निम्नलिखित मागें की गयी हैं :—

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के बराबर मजूरी और इस प्रयोजन के

लिए वर्ग 'क' 'ग' और 'घ' के सभी कर्मचारियों को वेतन में तदर्थ वृद्धि के रूप में प्रति माह 150 रुपये की तुरन्त स्वीकृति ।

(2) जीवन-यापन लागत में पूर्ण निरस्तीकरण के लिए मंहगाई भत्ता फार्मूले का संशोधन और राथ समिति की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े सही करना । उपभोक्ता सूचकांक 334 पर सभी प्रयोजनों के लिए मंहगाई भत्ते का वेतन के साथ विलीनीकरण ।

(3) 8.33% न्यूनतम बोनस की स्वीकृति ।

(4) वर्ग 'क' 'ग' और 'घ' में संवर्ग की पुनसंरचना करना जिससे समयबद्ध पदोन्नति की गारंटी दी जा सके जैसी कि वर्ग 'क' के अधिकारियों के मामले में होती है । वर्ग 'घ' के पदों को वर्ग 'ग' पदों में उन्नत करने के लिए उनका वर्गीकरण जैसा कि वर्ग 'क' 'ख' और 'ग' संवर्ग में होता है ।

(5) मकान किराया, भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते के लिए शहरों का पुनर्वर्गीकरण तथा इन भत्तों की दरों में संशोधन ।

(6) श्रमिकों को नियमित करना ।

(7) रेल कर्मचारियों के आश्रितों का नियोजन ।

(8) (क) मई 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में उत्पीड़न समाप्त करना ।

(ख) 1974 की हड़ताल की निलम्बन/सेवा से हटाये जाने की अवधि के लिए पूरे वेतन का भुगतान ।

(9) प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी लागू करना ।

(10) स्वायत्त निगम द्वारा रेलों का प्रबन्ध किया जाना ।

फारस की खाड़ी में फंसे हुए भारतीय जहाज

424. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-इराक युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी में फंसे पड़े भारतीय जहाजों की संख्या कितनी है; और

(ख) इसके कारण होने वाली हानि का व्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मौजूदा ईरान-इराक संघर्ष के दौरान शत्-अल-अरब जलमार्ग में चार जहाज और 20 पाल पोत फंसे हुए हैं ।

(ख) नौवहन उद्योग को अनुमानतः कुल लगभग 375.00 लाख रुपये की हानि हुई है ।

महमूदाबाद रेलवे स्टेशन

425. **श्री राम लाल राही :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महमूदाबाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक पृथक तहसील बन जाने पर, महमूदाबाद रेलवे स्टेशन के महत्व को देखते हुए वहाँ एक प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) महमूदाबाद रेलवे स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने का यातायात सम्बन्धी कोई औचित्य नहीं है।

ईरान-इराक युद्ध में मारे गये भारतीय तथा इसमें भारतीय संपत्ति को हुई क्षति

426. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारस की खाड़ी के देशों के बीच हाल की लड़ाई के दौरान कितने भारतीय मारे गये तथा कितने मूल्य की भारतीय सम्पत्ति नष्ट हुई है;

(ख) यदि किसी अन्य प्रकार की क्षति हुई है तो वह कितने मूल्य के बराबर है;

(ग) जरूरतमंद व्यक्ति की उस क्षेत्र के भारतीय दूतावासों द्वारा क्या विशिष्ट सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) युद्ध के दौरान मारे गए या घायल हुए भारतीयों के परिवारों को कितनी-कितनी राशियां दी गई हैं तथा सम्पत्ति का नुकसान उठाने वाले भारतीयों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस युद्ध के दौरान, ईराक में 15 भारतीय मारे गए। हमारे राष्ट्रिकों को हुई क्षति का सही-सही मूल्यांकन अभी संभव नहीं है।

(ग) इस क्षेत्र में स्थित हमारे मिशनों ने परिवहन और भोजन की व्यवस्था कर तथा हवाई जहाजों में तालमेल स्थापित कर, वहां से जाने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रीकों को निर्बाध और शीघ्र प्रत्यावर्तन के कार्य को सुनिश्चित करनें के लिए अनेक काम किये हैं। हमारे मिशन, भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिए अधिक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लगातार सम्पर्क करते रहे हैं।

(घ) भारत सरकार से मुआवजे का कोई दावा नहीं किया गया है। परन्तु संबंधित इराकी समाज सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत संबंधित कम्पनियों व्यक्तियों ने मुआवजे के दावे पेश किये हैं।

बम्बई पत्तन में सामान्य माल वहन क्षमता और वास्तव में की गई ढुलाई

427. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन में सामान्य माल वहन क्षमता कितनी है और जून 1980 से 15 अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में कितने सामान्य माल की ढुलाई की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में अन्य मुख्य पत्तनों की क्षमता और माल वहन स्थिति क्या थी;

(ग) इस अवधि में सरकार ने बम्बई पत्तन पर भीड़भाड़ को कम करने हेतु क्या कार्य-वाही की है जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाली हानि को कम किया जा सके; और

(घ) क्षमता की अपर्याप्तता समाप्त करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें अब तक कहां तक क्रियान्वित किया जा चुका है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गोदियों में जहाजों की अभीष्ट अवधि तक ठहरने की दर और कार्यचालन के अन्य संकेतों को ध्यान में रख कर वार्षिक आधार पर बड़े-बड़े पत्तनों में जहाजों के आने जाने की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। बम्बई पत्तन से सामान्य माल को चढ़ाने उतारने की क्षमता प्रतिवर्ष 6.00 मिलियन टन आंकी गई है। बम्बई पर जून, 1980 से 15 अक्टूबर, 1980 के दौरान 2.73 मिलियन टन सामान्य माल चढ़ाया व उतारा गया।

(ख) पत्तनों की क्षमता का जैसी कि 31 मार्च, 1980 को मोटे तौर पर आंकी गई थी और जून, 1980 से सितम्बर, 1980 तक यहां से माल के यातायात का विवरण संलग्न है।

(ग) हालांकि जून से अक्टूबर के बीच की अवधि मानसून अवधि होती है और इस अवधि में बरसात के कारण पूरे समय तक काम नहीं हो सकता और धीरे-धीरे होता है तो भी इस बार बम्बई पत्तन पर जहाजों का जमाव नहीं रहा।

(घ) पत्तनों को नये उपकरणों से लैस करने और पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 99 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो प्रयोजनाएं शुरू की गई हैं उनमें से कुछ नीचे दी जा रही हैं :—

बम्बई

(1) बुचर द्वीप में चौथे तेल घाट का निर्माण।

पारादीप

(2) (क) एक दूसरे सामान्य माल घाट का निर्माण।

(ख) कच्ची धातु को चढ़ाने उतारने के संयंत्र में कुछ सुधार और अदल-बदल।

विशाखापत्तनम

(3) (क) तीसरे वैगन टिपलर की संस्थापना।

(ख) पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेंट तथा इनसे बची हुई चीजों को चढ़ाने उतारने के लिए एक मूरिंग बर्थ का निर्माण।

टूटीकोरिन

(3) कोयला घाट का निर्माण।

न्यू मंगलौर

(2) कुंद्रेमुख आयरन और कन्सेन्ट्रेटों के निर्यात के लिए पत्तन सुविधाओं का निर्माण।

उपकरण

1. बम्बई

(क) कटेनर चढ़ाने उतारने के उपकरण की प्राप्ति।

विवरण

क्रम सं०	पत्तन का नाम	31 मार्च, 1980 को आंकी गई प्रति वर्ष की क्षमता	1 जून, 1980 से 30 सितम्बर, 1980 तक यातायात× हुआ सामान्य माल
		(मिलियन टन)	(मिलियन टन)
1.	कलकत्ता/हल्दिया	4.46	0.91
2.	कोचीन	1.65	0.61
3.	कांडला	1.15	0.53
4.	मद्रास	2 40	0.70
5.	मार्मुगाओ	0.35	0.06
6.	न्यू मंगलोर	0.55	0.15
7.	परादीप	0.35	0.08
8.	टूटीकोरिन	1.70	0.83
9.	विशाखापत्तनम	2.10	0.51

× यातायात के आंकड़े अनन्तिम हैं।

नोट : चूंकि अक्टूबर के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं इसलिए 1 जून, '80 से 30 सितम्बर '80 तक के आंकड़े ही दिखाये गये हैं।

2. कलकत्ता

(क) वार्फ और यार्ड क्रेन की प्राप्ति।

3. मद्रास

(क) कंटेनर चढ़ाने-उतारने के उपस्करों की प्राप्ति।

(ख) ग्रैबिंग क्रेन की प्राप्ति।

4. विशाखापत्तनम

(क) क्रालर/मोबाइल क्रेनों की प्राप्ति।

कोचीन त्रिवेन्द्रम लाइन

428. **श्री स्कारिया थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक वाया कोट्टयम दोहरी लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोचीन और एर्णाकुलम के बीच के खण्ड पर पहले से ही दोहरी लाइन बिछी हुई है। एर्णाकुलम से कोट्टायम के रास्ते तिरुवनन्तपुरम तक दोहरी लाइन का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के लिये पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

429. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :

श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से पाकिस्तान के लिये पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वीजा का आवेदन करने वाले अधिकतर व्यक्ति कराची जाने वाले होते हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास और कराची स्थित कौंसुलेट द्वारा आसानी से वीजा जारी किया जाता है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं। परन्तु आमतौर पर पासपोर्ट जारी किये जाने से देरी के बारे में समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं और उनके बारे में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(ख) चूंकि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास बीजा जारी करता है, इसलिये हमें उन स्थानों के बारे में सही-सही सूचना नहीं है, जिनके लिए वीजों के वास्ते आवेदन किया जाता है। परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार कराची जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या, पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में जाने वाले व्यक्तियों की तादाद से अधिक है।

(ग) जी हां, वर्ष 1979 के दौरान लगभग 2,70,000 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारत की और लगभग 95,000 भारतीय राष्ट्रिकों ने पाकिस्तान की यात्रा की।

ट्रक मार्गों पर ट्रकों के चलने का समय

430. **श्री के० राममूर्ति :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रक मार्गों पर ट्रकों के चलने का 30–40 प्रतिशत प्रभावी समय चुंगी-चौकियों पर नष्ट हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ट्रकों के कुल चलन समय को कम करने के लिये राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ एक मुख्य मार्गों पर इस समिति के अध्ययन से पता लगा है कि यात्रा में लिए गए समय का 30 से 40 प्रतिशत भाग चुंगी की चौकियों पर बर्बाद होता है।

(ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल सरकार चुंगी चौकियों को खत्म करने की जरूरत के बारे में राज्य सरकारों से विभिन्न सम्मेलनों में अनुरोध करती रही है जिससे कि इन चौकियों पर समय नष्ट न हो। ऐसे सम्मेलनों में एक सम्मेलन वह है जिसे वित्त मंत्री ने सितम्बर, 1980 में आयोजित किया था।

मध्य रेलवे के क्षेत्र में गन्दी बस्तियां

431. **श्री डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के उपनगर कुरला में मध्य रेलवे की सम्पत्ति पर गन्दी बस्तियां बन गई हैं;

(ख) क्या वहां क्रान्तिनगर नामक एक गन्दी बस्ती भी है, जो उक्त क्षेत्र में रेलवे भूमि पर गत 20 वर्षों से स्थित है;

(ग) क्या गरीब लोगों के प्रति सरकारी नीति के अनुसार, रेलवे की क्रान्तिनगर के निवासियों को बिजली आदि जैसी सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति देने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कालोनी को इस प्रयोजन के लिए अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 12 वर्षों से रेलवे भूमि पर क्रान्तिनगर कही जाने वाली एक अनधिकृत स्लम कालोनी के अस्तित्व की रिपोर्ट मिली है।

(ग) बाहरी व्यक्तियों की अनधिकृत कालोनियों के लिए इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की रेलों की नीति नहीं है। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सरकार (स्थानीय प्राधिकरण) द्वारा रेलवे की स्वीकृति से की जा सकती है बशर्ते कि वह स्लम कालोनी रेलवे भूमि पर स्थित हो।

(घ) बम्बई उपनगरीय बिजली सप्लाई से बिजली के कनेक्शन के लिए इस कालोनी के निवासी रेलवे में 'आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र' चाहते हैं। रेलवे ऐसा करने के लिए अवगत है बशर्ते कि झोपड़ियों में रहने वाले रेलवे की भूमि पर कब्जे के लिए भुगतान करने और रेलवे को उस भूमि की आवश्यकता होने पर रेलवे की भूमि खाली करने की वचनबद्धता सहित रेलवे के साथ एक अनुसप्त करार करने के लिए सहमत हों। स्लम के निवासियों ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। अतएव आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा बंगला देश की नावों का पकड़ा जाना

432. श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल ने मेघालय-बंगला देश सीमा पर 15 अक्तूबर 1980 को पूर्वी खासी पहाड़ियां जिले में बलाट के निकट बंगला देश की 55 देशी नावें पकड़ी थीं, जिनमें बंगला देश के बहुत से राष्ट्रिक चूना-पत्थर एकत्र करने भारत में आए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा बंगला देश सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो बंगला देश सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा 15 अक्तूबर 1980 को मुकाई नदी में चेरापंजी के दक्षिण-पश्चिम में करीब 37 कि० मी० दूर बंगला देश के राष्ट्रिकों की 56 नौकाएं पकड़ी गयी थीं।

(ख) और (ग) सीमा सुरक्षा बल के स्थानीय कमांडर ने अपने बंगला देशी समकक्ष को एक विरोध पत्र दिया है। इसका कोई औपचारिक उत्तर नहीं आया है लेकिन 15 नवम्बर, 1980 को बी० एस० एफ० और बी० डी० आर० के प्राधिकारियों की एक बैठक में इस सवाल पर विचार किया गया था। इस बैठक में बी० डी० आर० के प्रतिनिधियों ने यह वायदा किया था कि वह बंगला देश के राष्ट्रिकों को अच्छी तरह से यह बात समझा देगा कि वे वैध दस्तावेजों के बिना भारत की सीमा में न घुसें। उन्होंने नौकाएं वापस करने के लिए भी अनुरोध किया।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय समाचारों का सेंसर किया जाना

433. श्री जगपाल सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दूतावास द्वारा हाल ही में शुरू किये गये मासिक प्रकाशन "न्यूज इंडिया" का पाकिस्तान सरकार द्वारा सेंसर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भारत में प्रकाशित किये जा रहे प्रकाशन को भी सरकार सेंसर कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। करीब चार वर्ष के अन्तराल के बाद इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूतावास ने पाकिस्तान में भारत के बारे में सूचना के

प्रसार के लिए "इंडिया न्यूज" नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा किये गए अनुरोध के जवाब में "इंडिया न्यूज" के अक्तूबर अंक को वितरण से पूर्व अनुमति के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के पास भेजा गया था। पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इसके प्रकाशन के लिए इस शर्त पर अनुमति दी कि "रीडर्स कमेंटस" वाले कालम को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। तदनुसार "इंडिया न्यूज" को उक्त कालम के विना ही प्रकाशित किया गया और इसकी जगह खाली छोड़ दी गई।

"इंडिया न्यूज" के नवम्बर अंक को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को भेजा हुआ है और उसके प्रकाशन की अभी तक अनुमति नहीं मिली है।

(ख) इस मामले को नई दिल्ली तथा इस्लामाबाद दोनों स्थानों पर स्थित राजनयिक सूत्रों से पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है।

(ग) जी नहीं। भारत में पाकिस्तान के राजदूतावास द्वारा किसी प्रकाशन के निकलने पर कोई प्रतिवंध नहीं है।

जम्मू-तवी-उधमपुर रेल लाइन

434. **श्री जी. एल. डोगरा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : जम्मू और काश्मीर राज्य की आर्थिक स्थिति को तथा राज्य में अत्यधिक यातायात की आवश्यकता देखते हुए :

(1) जम्मू-तवी और जालन्धर शहर के बीच के रेल मार्ग को दोहरा किया जायेगा;

(2) दिल्ली और जम्मू के बीच, दोनों ओर से दिन के समय चलने वाली एक-एक रेलगाड़ी प्रारम्भ की जायेगी; और

(3) जम्मू-तवी तथा उधमपुर के बीच के रेल मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (1) वर्तमान यातायात को देखते हुए जालन्धर सिटी और जम्मू-तवी के बीच के खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का औचित्य नहीं बनता।

(2) जी नहीं। फिलहाल, दिल्ली और जम्मू-तवी के बीच दिन में कोई गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) जम्मू-तवी से उधमपुर तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने के लिए अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा रिपोर्ट की जांच कर लिये जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

श्री माओ–शास्त्री करार की क्रियान्विती

435. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 के श्री माओ–शास्त्री करार को कितना क्रियान्वित किया गया है;

(ख) भारत मूल के कितने व्यक्तियों ने श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन किया है और कितनों को श्रीलंका द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ग) भारत में श्रीलंका से स्वदेश लौटे नागरिकों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1964 और 1974 के भारत–श्रीलंका करारों के अंतर्गत 31 अगस्त, 1980 तक जो लोग प्रत्यावर्तित किए गए थे उनकी कुल संख्या 3,42,558 है जिसमें 2,63,275 वे लोग हैं जिनके नाम सूची में पहले से ही दर्ज थे और शेष 79,383 व्यक्ति इन लोगों की संतानें हैं जिनके नाम सूची में होने का प्रश्न ही नहीं है ।

(ख) 31 अगस्त, 1980 तक भारतीय मूल के 6,25.000 लोग श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं । इनमें से 1,93,667 लोगों को, जिनमें 1,50,506 (मूल सूची) के हैं और शेष 43,161 उनकी संतानें हैं, श्रीलंका की नागरिकता दी जा चुकी है ।

(ग) श्रीलंका से आने वाले लोगों को भारत सरकार की ओर से फिर से बसने के सिलसिले में जो सुविधाएं दी गई हैं, उनमें शामिल हैं : —

(1) प्रत्यावर्ती के प्रथम बार आगमन के समय सीमा-शुल्क में उदार रियायतें ।

(2) पुनर्वास स्थलों तक मुफ्त यात्रा की सुविधाएं ।

(3) कृषि तथा औद्योगिक योजनाएं स्थापित करके अपना काम-धाम शुरू करने के लिए ऋण और अग्रिम राशि का दिया जाना ।

(4) शिक्षावृत्ति और अनुदान के रूप में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं ।

विकसित देशों में प्रतिबंधित औषधियों का भारत में बेचा जाना

436. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकसित देशों में प्रतिबन्धित कुछ औषधियां हमारे देश में बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों के नाम क्या हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की औषधियां न बेची जायें, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन औषध नियन्त्रक (भारत) की अनुमति के बिना देश में न तो किसी नई औषधि का आयात किया जा सकता है और न ही उसका निर्माण किया जा सकता है । नई औषधियों के आयात करने की अनुमति तभी दी जाती है जब उसके बारे में यह विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है कि यह दवा निर्दिष्ट स्थितियों के लिए सुरक्षित और गुणकारी है । नई दवाओं के आयात की अनुमति उस समय तक नहीं दी जाती है जब तक वह उस देश में स्वीकृत नहीं कर दी जाती जिसमें वह बनाई गई है और अनेक देशों में बेची नहीं जा रही होती ।

यदि दवा के प्रचलन के पश्चात् इसके विषलेषण की रिपोर्ट मिलती है तो देश में चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इसके आयात करने, निर्माण करने अथवा बिक्री करने पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाई की जाती है। हाल ही के वर्षों के दौरान पशुओं में जहरीले गौण प्रभाव/उपचारी गुणकारिता की कमी/कैंसर जननशीलता होने के 6 मामले देखे गये हैं। ये दवाईयां हैं (1) प्रेक्टोलोल, (2) नियालामाइड, (3) मेथापाइरीलीन फ्यूमरेट, (4) एमिडोपायरिन (5) हेलोंजीनेटिड आक्सीक्विनोलिन्स तथा (6) फेनफोर्मिन। पहली चार दवाईयों के मामले में आयात करने और निर्माण करने पर पाबन्दी लगाने की कार्रवाई की जा चुकी है।

फेनमोर्मिन तथा हेलोजिनेटिड आक्सीक्विनोलिन के मामले में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहित जिन चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था वे इन दवाईयों के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इन दवाईयों के जिन जहरीले प्रभावों की रिपोर्टें मिली थीं वे इस देश में नहीं देखे गये थे, यद्यपि ये दवाएं पिछले कई वर्षों से इस्तेमाल की जाती रही हैं। जो निर्माता इन औषधियों वाले योग बेच रहे हैं उनको ये हिदायतें दे दी गई हैं कि वे दवाइयों के पेकटों तथा बिक्री को बढ़ाने वाले साहित्य पर इन दवाओं के गौण प्रभावों के बारे में उपयुक्त चेतावनियां लिखें।

राजस्थान में राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए आवंटित धनराशि

437. **श्री अशोक गहलोत** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में राजमार्गों के विकास और मरम्मत तथा नए राजमार्गों के लिये राजस्थान सरकार को कोई धनराशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और तत्संबंधी मद-वार ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1980-81 के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और आरक्षण के लिए नीचे लिखी धनराशि आवंटित की गई है :—

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

		(लाख रुपये)
चालू कार्य		388.90
नये कार्य		36.10
	कुल	425.00

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

	अब तक दी गयी धन-राशि (लाख रुपये)
साधारण मरम्मत कार्य	63.00
नवीकरण	45.00
विशेष मरम्मत कार्य (नई)	34.60
बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम (जारी)	12.00
शहर को मिलाने वाली सड़कें	3.22
	157.82

दिल्ली परिवहन की बसें

438. **श्री भीखूराम जैन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें हैं;

(ख) उनमें से कितनी प्रतिदिन प्रायः सड़क पर चलती हैं और कितनी खराब रहती हैं;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने कुल कितनी बसें स्कूलों, कालेजों तथा अन्य स्थानों को ठेके पर दे रखी हैं और इस स्रोत से दिल्ली परिवहन निगम को कितनी आय होती है; और

(घ) दिल्ली में बस सेवा में सुधार करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम का क्या कार्यक्रम है और यह सुधार कब तक किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बसों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसें	—2508
(ख) प्राइवेट ऑपरेटरों की बसें	— 551
कुल	—3059

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण में दिल्ली परिवहन निगम की 2190 बसें और 471 प्राईवेट बसें चल रही हैं । 318 बसें नहीं चलाई जा रही हैं, क्योंकि 164 बसें आवधिक अनुरक्षण और मोटर गाड़ी निरीक्षण आदि में हैं और केवल 154 बसें ही इस समय भारी मरम्मत के लिए खड़ी हैं ।

(ग) 356 बसें दिल्ली में विभिन्न स्कूलों को दी जा रही हैं और इससे औसत मासिक आमदनी लगभग 483 लाख रुपये है ।

(घ) नगर में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) मार्च, 1981 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 3,974 (जिनमें 1,000 प्राईवेट ऑपरेटरों की बसें भी शामिल हैं) करने का विचार है । 630 नई बसें खरीदने और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1980-81 की योजना में 1938 करोड़ रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया है ।

(2) 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिए एक वर्षीय योजना तैयार की गई है । इस योजना में बसों की संख्या और संबंधित आधारभूत व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए स्कीमें रखी गयी हैं जिससे शहर में समग्र यातायात की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया जा सके ।

(3) मरम्मत और अनुरक्षण की सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने 3.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक दूसरी वर्कशाप के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की है । इस वर्कशाप के 1982-83 तक चालू हो जाने की संभावना है। इस्तेमाल में लाई जाने वाली बसों के प्रतिशत के 1984-85 तक बढ़कर 90 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

राजन बाबू टी० बी० अस्पताल की नर्सों द्वारा हड़ताल

439. **श्री एन० ई० होरो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के राजन बाबू टी० बी० अस्पताल की नर्सों ने एक बाहरी व्यक्ति द्वारा ड्यूटी पर एक नर्स के साथ छेड़-छाड़ करने के कथित प्रयास के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिये 26 अक्तूबर, 1980 को हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) नर्सों की मांग यह थी कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की जाए और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएं । इन दोनों बातों के बारे में आवश्यक उपाय किए जा चुके हैं।

कर्जन के निकट हुई रेल दुर्घटना के कारण मौतें

440. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री विजय कुमार यादव :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री भीखा भाई :

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के बाद कितनी दुर्घटनायें हुई और इन दुर्घटनाओं में जोन-वार और महीने-वार, कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए;

(ख) पीड़ितों के परिवारों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो वह क्या है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इनसे बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ग्रथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1356/80)

(ख) इन दुर्घटनाओं में घायलों को तथा मृतकों के सगे-सम्बन्धियों को भारतीय रेलों पर (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को छोड़कर जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं है) 4.60 लाख रुपये की राशि का अनुग्रह भुगतान किया गया है । क्षेत्रीय रेलों (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को छोड़कर) ने बताया है कि दावा आयुक्त द्वारा इन दुर्घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की किसी रकम का भुगतान करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है । दुर्घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा आयुक्त को दावा किया जा सकता है । यदि कोई विशेष कारण बताया जाये तो दुर्घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर दावे का आवेदन भी दिया जा सकता है । न्यायालय के फैसले से पहले पूरी अदालती कार्यवाही की जाती है जिसमें समय लगता है । हाल ही में हुई इन तीन बड़ी गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए राज्य सरकारों से तदर्थ दावा आयुक्तों को नामित करने के प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है । उत्तर तथा पश्चिम रेलों द्वारा कर्मकार क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों को 36,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :—

रेल कर्मचारियों की गलती	364
रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	129
तोड़-फोड़	6
उपस्कर की खराबी	129
संयोगवश	78
कारण सिद्ध न हो सका	14
कारण का अभी अन्तिम फैसला नहीं हुआ	88
	808

चूंकि दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों की असफलता सबसे बड़ा कारण है, इसलिए गाड़ी संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा सम्बन्धी चेतना पैदा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लांघव उपाय न अपनायें जो दुर्घटना का कारण बनें, रेलों के संरक्षा संगठन निरन्तर अभियान चला रहे हैं।

गाड़ियों की जाँच तथा सवारी व माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जांच के काम को गहन कर दिया गया है तथा रेल-पथ के उचित अनुरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्वों पर निर्भरता को कम करने के लिए पहियों, धुरों तथा रेल की पटरियों, धुरा काउन्टरों, रेल-पथ परिपथन आदि के पराश्रव्य दोष संसूचकों जैसे परिष्कृत साधन उत्तरोत्तर शुरू किए जा रहे हैं।

दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा तत्काल निवारक कार्रवाई करने की दृष्टि से रेलों पर उच्च स्तरीय कार्य दलों का भी गठन किया गया है।

राजस्थान नहर को सीमेंट की सप्लाई हेतु वैगन

441. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर की पूर्ति के लिये सीमेंट तथा कोयले की सप्लाई हेतु अपेक्षित संख्या में रेल-वैगन आवंटित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कोयले का परमिट मिल जाने के बावजूद भी रेल-वैगन उपलब्ध नहीं कराये गए हैं; और

(घ) राजस्थान नहर के निर्माण कार्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की ढुलाई के लिए वास्तविक मांग की तुलना में प्रति वर्ष कितने वैगन उपलब्ध कराये गए ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) सीमेंट के लदान के लिए सीमेंट फैक्टरियों को रेल माल-डिब्बे दैनिक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं और बाद में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए लदान का प्रबन्ध सीमेंट फैक्टरियां करती हैं। सीमेंट लादने के उपभोक्तावार आंकड़े रेलों द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं। जहां तक राजस्थान नहर परियोजना के लिए कोयले के संचलन का संबंध है, विगत तीन वर्षों से सम्बन्धित लदान के वास्तविक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और उपलब्ध होने पर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

भारत के मामलों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप

442. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के कुछ महीनों में पाकिस्तान सरकार काश्मीर के मामले को उठा कर भारत के आंतरिक मामलों में बार-बार हस्तक्षेप करती रही है;

(ख) क्या पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की भी तैयारी कर रहा है;

(ग) क्या पाकिस्तान अपनी इस मांग को लेकर कुछ निहित स्वार्थों वाली अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है; और

(घ) पाकिस्तान की इन चालाकियों का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव): (क) काश्मीर के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा कर पाकिस्तान इधर कुछ महीनों से शिमला करार में प्रतिष्ठित, आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप और द्विपक्षवाद के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर रहा है ।

(ख) सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं ।

(ग) पाकिस्तान काश्मीर के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने और अपने पक्ष के प्रति समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का समर्थन पाने का प्रयास कर रहा है ।

(घ) सरकार ने पाकिस्तान सरकार द्वारा काश्मीर के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास करने और भारत के खिलाफ आक्रमक प्रचार करने के लिए पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है और इसकी निन्दा की है । अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने इस बात पर बल दिया है कि जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग हैं ।

नमक की ढुलाई के लिए वैगनों का आबंटन

443. **श्री कुसुम कृष्ण मुर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ईस्ट गोदावरी जिले के कमजोर वर्गों से वैगनों के नियमित आवंटन के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है ताकि वे वहां पर नियमित रूप से एवं मौसम के समय भारी मात्रा में उत्पादित नमक को अन्यत्र भेज सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक किस प्रकार की पहल की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माननीय सदस्य के 12-7-1980 के पत्र के साथ काकीनाडा पोर्ट से नमक के संचलन के लिए माल डिब्बों की सप्लाई के सम्बन्ध में काकीनाडा साल्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टिंग मर्चेंटस काकीनाडा (ईस्ट गोदावरी जिला) का एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ख) काकीनाडा पोर्ट से जनवरी में अक्तूबर 1980 तक कार्यक्रमबद्ध नमक के 194 माल डिब्बों का लदान किया गया जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 36 माल डिब्बे लादे गए थे । इसके अलावा, जनवरी से अक्तूबर 1980 तक की अवधि में कार्यक्रम रहित नमक के लिए 517 माल डिब्बे लादे गए थे ।

एशिया और विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए किए गए उपाय

444. **श्री चित्त महाटो** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : एशिया और विश्व में शान्ति की स्थापना और स्थायित्व के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): इस वर्ष के प्रारम्भ से श्रीमती इन्दिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार एशिया तथा विश्व में शाँति स्थापना तथा स्थायित्व को बढ़ाने की दृष्टि से अनेक कदम उठा रही हैं। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय निम्नलिखित है :—

1979 के अन्त में अफगानिस्तान की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हमारे पड़ौस में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया। भारत सरकार इससे सीधे रूप से सम्बन्धित देशों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाए हुए है जिससे संकट के वातावरण को दूर किया जा सके। इन सम्पर्कों तथा विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित पक्षों के बीच राजनीतिक बातचीत तथा समझौते द्वारा अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, अखण्डता तथा प्रादेशिक अखंडता का सुनिश्चय करना है।

भारत सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रपति हेंग सेमरीन की अध्यक्षता वाली कम्पूचिया की सरकार के साथ औपचारिक राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना है। यह न केवल इस देश में विद्यमान भारी सार्वजनिक मांग की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप था अपितु यह कम्पूचिया की वस्तुस्थिति को मान्यता प्रदान करना भी था। इसका उद्देश्य कम्पूचिया सरकार को व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना भी था जिससे इस क्षेत्र में सामान्धीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

सरकार पश्चिम एशिया में हुई हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बहुत चिंतित है। ईरान और इराक न केवल भारत के पड़ोसी तथा मित्र ही हैं अपितु वे गुट-निरपेक्ष तथा विकासशील देश भी हैं और उनके बीच के संघर्ष से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कमजोर पड़ने के साथ-साथ क्षेत्रीय तथा विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत सरकार ने ईरान तथा इराक की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों तथा व्यवस्थाओं के अनुसार शांतिपूर्वक हल करें। ईरान और इराक के बीच के मतभेदों के शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान की दिशा में गुट-निरपेक्ष देशों की संयुक्त पहल में भी भारत ने भाग लिया है।

इस वर्ष के अधिकतर भाग के लिए ग्रुप 77 के अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार ने एक नवी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तर-दक्षिण वार्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हाल ही में भारत ने विकसित तथा विकासशील देशों के बीच की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए एक लघु-शिखर-वार्ता की तैयारियों के लिए आस्ट्रेलिया के चांसलर द्वारा बुलायी गई विदेश मंत्रियों के एक छोटे ग्रुप की बैठक में भाग लिया।

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की अगली बैठक के लिए, जो फरवरी, 1981 के दौरान नई दिल्ली में होनी है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आशा है कि इस बैठक से तनाव-शैथिल्य, निशस्त्रीकरण तथा आर्थिक विकास जैसे मामलों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

जाम्बिया के राष्ट्रपति का दौरा

445. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :

श्री के० लकप्पा :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाम्बिया के राष्ट्रपति के हाल के नई दिल्ली के दौरे के समय उनके साथ किस प्रकार की बातचीत हुई;

(ख) क्या बातचीत सफल रही; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति डा० केनेथ काऊन्डा 12 से 15 सितम्बर, 1980 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आये। डा० काऊन्डा के साथ हुई बातचीत सफल रही। यह बातचीत पारस्परिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर तथा सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सम्बन्धों पर भी विचार विमर्श हुआ।

(ग) इस यात्रा की समाप्ति पर कृषि और ग्रामीण विकास लघु उद्योग धन्धे, औद्योगिक सहयोग, व्यापार और संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध चार प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किये गये। एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई थी जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1357/80]

दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रैस का पटना से होकर चलाया जाना

446. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रैस को पटना से होकर चलाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) 101/102 हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस एक अन्तर महानगरीय गाड़ी है जो कलकत्ता और दिल्ली के बीच सीधे यातायात के लिए है और इसीलिए उसे छोटे रास्ते से होकर चलाया जाता है और केवल परिचालनिक कारणों से उसे रास्ते के स्टेशनों पर रोका जाता है। अतः इसे पटना के लम्बे रास्ते से चलाना वाँछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस गाड़ी की अधिकतम अनुमेय रफ्तार 130 कि० मी० प्रति घंटा है और इसके वर्तमान मार्ग पर

जिस स्तर के रेल पथ और सिगनलिंग की व्यवस्था है, वहीं ही यह गाड़ी इस रफ्तार से चल सकती है।

जन्म-दर को नियंत्रित करने के लिए प्रभावशाली उपाय

447. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत वर्ष हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन में जन्म-दर को नियंत्रित करने हेतु प्रभावशाली उपाय करने के लिए कुछ निर्णय लिये गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया और उसके क्या परिणाम रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1358/80)

ईरान और इराक में भारतीयों का घिर जाना

448. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री के० लकप्पा :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और इराक में बहुत से भारतीय घिरे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सुरक्षित स्थानों में भेजने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जो कोई भी भारतीय राष्ट्रिकीय संकटग्रस्त क्षेत्र से जाना चाहता था वह जा सका और सरकार ने तत्परतापूर्वक इस बात का सुनिश्चय किया कि इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के सब प्रबंध किए जाएं। जो भारतीय राष्ट्रिक वहां रह गए हैं वे अपनी इच्छा से ही वहां रहे हैं।

इराक के राष्ट्रपति के विशेष दूत का भारत का दौरा

449. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक के राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री सादाम हुसैन, जो प्रधान मंत्री से मिले थे, ने इच्छा व्यक्त की थी कि भारत युद्ध विराम के बारे में अपने प्रभाव का उपयोग करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इराक के राजदूत ने खास तौर पर यह तो नहीं कहा था कि इस लड़ाई को बंद करवाने के लिए भारत अपने सद्भाव से काम ले, लेकिन प्रधान मंत्री के साथ अपने विचार-विमर्श के दौरान इस बात का संकेत अवश्य किया था कि समस्या को सुलझाने की दिशा में भारत के किसी भी प्रयास की इराक सराहना करेगा।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में और गुटनिरपेक्ष देशों की ओर से की गई पहल के एक भागीदार के रूप में, इस संघर्ष के शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

बी० सी० जी० गुणकारिता

450. श्री छीतू भाई गामित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० सी० जी० विवाद के सम्बन्ध में विशेषज्ञों को एकत्रित करने और इस टीके के गुणकारिता के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के प्रयास में और यह निर्णय लेने के लिए कि देश के प्रतिरक्षण कार्यक्रम (इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम) में इसे जारी रखा जाये या नहीं भारतीय बाल-रोग चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में बी. सी. जी. के सम्बन्ध में एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वालों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों और इस बारे में सरकार से की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) उक्त कार्यशाला की ब्यौरेवार सिफारिशों पर अभी कार्यवाही की जा रही है। तथापि कार्यशाला में सर्वसम्मति यह थी कि वर्तमान उपलब्ध जानकारी के साथ नवजात शिशुओं को बी. सी. जी. का टीका लगाना जारी रखा जाना चाहिए।

भारतीय नौवहन निगम के लिए और अधिक जहाज खरीदने का प्रस्ताव

451. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में वृद्धि करने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न वर्ग के 47 और जहाज खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या लागत आएगी;

(ग) क्या उसमें कोई विदेशी मुद्रा भी खर्च होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) भारतीय नौवहन निगम ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कुल 47 जहाज प्राप्त करने का विचार है। निगम के इस प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

कर्नाटक और बिहार में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव

452. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी राज्य या संघ क्षेत्र में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्नाटक और बिहार सरकारों को मैसूर और मुजफ्फरपुर में ऐसा एक विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति पर भारत सरकार अभी विचार कर रही है। कर्नाटक, बिहार या देश में कहीं और इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर कोई नीति निर्णय लिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

दानापुर डिवीजन के लिए विकास योजना

453. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर डिवीजन के विकास के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 40 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है जिसमें यात्रियों के लिए पेयजल, प्लेटफार्मों पर शेड तथा रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण आदि जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हां, तो दानापुर डिवीजन के किन-किन स्टेशनों पर ये सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगीं; और

(ग) क्या उसमें दानापुर स्टेशन पर अप और डाउन प्लेटफार्म, शेड का विस्तार करने और अतिरिक्त क्वार्टर बनाने का भी उपबन्ध है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दानापुर स्टेशन के अप और डाउन प्लेटफार्मों पर शेड का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। दानापुर स्टेशन पर 53 यूनिट क्वार्टरों (दुमंजिले) (टाइप I–17, टाइप–11–29 और टाइप–111–) के निर्माण के काम प्रगति में हैं।

फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे

454. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पटना जिले में फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे के कर्मचारियों अथवा कामगरों को समय पर भुगतान करने के लिए रेलवे बोर्ड अनुदान के रूप में लाखों रुपए खर्च कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे बन्द हो गई है अथवा सरकार से समय-समय पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आंशिक रूप से चलती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अनुदान बन्द न करने के क्या कारण हैं और उक्त रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में न मिलाने के कारण क्या हैं?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय लाइट रेलवे कम्पनी को उनके साथ हुए करार के अनुसार कम्पनी को देय वार्षिक आर्थिक सहायता की रकम का ही भुगतान करता है। करार में यह उल्लेख है कि केन्द्र सरकार को लाइट रेलवे की कुल प्राप्तियों के साथ-साथ प्रदत्त पूंजी पर 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के बराबर रकम कम्पनी को भुगतान करनी है। पिछले कुछ वर्षों में, यह भुगतान इस प्रकार किया गया है :—

वर्ष	रकम
1976-77	6.69 लाख रुपये
1977-78	6.69 लाख रुपये
1978-79	11.23 लाख रुपये
1979-80	12.22 लाख रुपये

जैसा ऊपर कहा गया है, आर्थिक सहायता का भुगतान करने के लिए केन्द्र सरकार की दायिता सीमित है, लाइट रेलवे के कर्मचारियों को मजूरी/वेतन का भुगतान लाइट रेलवे से सीधा सम्बन्धित है और केन्द्र सरकार को सामान्यतः इसमें कुछ नहीं करना होता। लेकिन, यदि मजूरी/वेतन का भुगतान करने में देरी के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त और अन्य एजेंसियों से शिकायतें मिलती हैं तो केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता देते समय लाइट रेलवे कम्पनी को सबसे पहले मजूरी/वेतन का भुगतान करने के लिए कहती है।

(ख) फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे कार्यरत है और इस खंड में एक जोड़ी मिली-जुली गाड़ी चलती है। जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, आर्थिक सहायता का भुगतान करार के अनुसार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि करार के अनुसार, केन्द्र सरकार का दायित्व केवल आर्थिक सहायता का भुगतान करने तक सीमित है।

ईरान और इराक से भारतीयों को स्वदेश लाया जाना

455. **श्री के. प्रधानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ईरान-इराक युद्ध को देखते हुए भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने में मदद करने के लिए एक विशेष दल कुवैत, बसरा तथा जोर्डन को भेजा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ईरान में युद्ध में ध्वस्त क्षेत्रों के चिकित्सालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये भारतीय चिकित्सकों ने अपने पदों को नहीं छोड़ा है और वे अपनी जान हथेली पर रखकर घायलों की देख-रेख कर रहे हैं; और

(ग) ईरान और इराक में रह रहे उन भारतीयों विशेषकर उन डाक्टरों, जो वहां प्रति-नियुक्ति पर हैं, का ब्यौरा क्या है जो भारत आने के लिए तैयार नहीं हैं और वहीं काम करने को तैयार हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मोटे तौर पर यही बात है।

(ग) अभी भी इराक में कोई 17 से 19 हजार तक और ईरान में 10 हजार से अधिक भारतीय हैं। इनमें डाक्टर तथा दूसरे प्रतिनियुक्त लोग और उनके आश्रित तथा श्रमिक भी शामिल हैं जिनमें स्थायी भी हैं और अल्प-कालिक भी ।

जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवाएं समाप्त किया जाना

456. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के गिरिडीह जिले के जमना और गोमियों खंड़ों के 218 जन स्वास्थ्य रक्षकों (समुदाय कार्यकर्ताओं) की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यद्यपि उनके चयन के समय एक ही स्थान पर तीन वर्षों तक (जन स्वास्थ्य सेवा करने के लिए) करार पर हस्ताक्षर किये गए थे;

यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको बहाल करने का है ताकि उन्हें बेरोजगार होने से बचाया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में उनके पदों को समाप्त करके ऐसे लाखों कर्मचारियों को बेरोजगार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि 1-9-1980 से राज्यों में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना बंद कर दी गई है। जन स्वास्थ्य रक्षकों को किसी भी समय, सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है। इसलिए उनके पदों के समाप्त किये जाने या उन्हें नौकरी से निकाल फेंकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जन स्वास्थ्य रक्षक का शुरू में चयन करते समय एक यह शर्त रही है कि उसका अपना व्यवसाय और आय का स्वतंत्र साधन होना चाहिए। प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रतिमास 50 रुपए का मानदेय दिया जाता है ताकि जन स्वास्थ्य रक्षक का कार्य करते समय उसका जो खर्च हो उसे पूरा किया जा सके। जैसे कि उनके पद नाम से विदित है कि जन स्वास्थ्य रक्षक वह व्यक्ति है जिसे गांव के लोग स्वास्थ्य के उपायों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं चुनते हैं।

के० के० एक्सप्रेस के साथ अधिक डिब्बे जोड़ा जाना

457. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के० के० एक्सप्रेस गाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह काम कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) के० के० एक्सप्रेस के डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। यह वृद्धि केवल तभी सम्भव है जब नयी दिल्ली और जोलारपेट्टै के बीच इस गाड़ी में दो इंजन लगाये जायें।

तमिलनाडू एक्सप्रेस में दो इंजन लगाए जाने के अनुभव से यह आवश्यक हो गया है कि बेहतर विश्वसनीयता के लिए डिब्बों और रेल इंजनों में मजबूत कपलिंगों की व्यवस्था की जाये। रेल इंजनों और डिब्बों में मजबूत कपलिंग लगाये जाने का काम पहले से ही शुरू किया गया है ताकि चालन के दौरान गाड़ी दो भागों में न बंट जाय। वर्तमान अनुमानों के अनुसार के० के० एक्सप्रेस में दो इंजन लगाये जाने और इस गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने के काम को कार्यान्वित करने की सम्भावना लगभग 1981 के आरम्भ में है।

फ्रांस द्वारा चीन को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बेचने की पेशकश

458. **श्री शिवकुमार सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जैसा कि 18 अक्तूबर, 1980 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में छपा है, मालूम है कि फ्रांस सरकार ने चीन को दो परमाणु संयंत्र बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र की कितनी क्षमता है और यह संयंत्र चीन की परमाणु ऊर्जा में कितनी वृद्धि करेंगे और भारत की सुरक्षा को कितना खतरा होगा;

(ग) क्या सरकार ने संयंत्र की इस प्रकार की बिक्री के विरुद्ध फ्रांस सरकार को विरोध-पत्र दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में फ्रांस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। बताया जाता है कि 900 मेगावाट क्षमता के दो संयंत्र लगाए जाने हैं और उनके ब्यौरे पर अभी बातचीत चल रही है। संयंत्र बिजली पैदा करने के लिए होंगे।

(ग) जी नहीं। परमाणु बिजली संयंत्रों की बिक्री पर ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नसबन्दी आपरेशन के बाद मृत्यु

459. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि "परिवार नियोजन अभियान" के दौरान किए गए नसबंदी आपरेशन के बाद कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में उस परिवार की जिसका रोजी कमाने वाला सदस्य आपरेशन के बाद मर जाता है, कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि परिवार कल्याण पखवाड़े के दौरान रोहतक में 25 सितम्बर, 1980 को नसबंदी किए गए एक व्यक्ति की टेटनस से 11 अक्तूबर, 1980 को मृत्यु हो गई। हरियाणा सरकार ने रोहतक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कह दिया है कि मृतक के परिवार को 500/- रुपये दे दिये जाएं।

(ग) और (घ) नसबन्दी (पुरुष और महिला दोनों) आपरेशन से मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को 500 रुपए की अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता दी जाती है।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण

460. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1980 के पैट्रिअट में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें रूसी दैनिक "प्रावदा" के हवाले से पाकिस्तान द्वारा छाँगल मरुस्थल में परमाणु बम के परीक्षण की तैयारी और मिराज वायुयानों, जो परमाणु अस्त्रों को ला-ले जा सकते हैं, की खरीद का समाचार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) परमाणु अस्त्र सामर्थ्य अर्जित करने के पाकिस्तान के प्रयत्नों से संबंधित रिपोर्टों के बारे में भारत सरकार की चिन्ता उच्चतम स्तर पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष व्यक्त कर दी गई है और पाकिस्तान सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान के परमाणु-कार्यक्रम का कोई शाक्ति विरोधी आयाम नहीं है। आशा है कि पाकिस्तान सरकार वचन का पालन करेगी।

नवम्बर में निजामुद्दीन और बम्बई के बीच विशेष रेल गाड़ियां

461. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नवम्बर के दौरान कई दिनों तक निजामुद्दीन (दिल्ली) और बम्बई के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये विशेष रेलगाड़ियां किस आधार पर चलाई जा रही हैं;

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) निजामुद्दीन (दिल्ली) और बम्बई के बीच यातायात की अतिरिक्त सामयिक भीड़-भाड़ की निकासी के लिए।

माल परिवहन के लिए लक्ष्य

462. **श्री तारिक अनवर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 1980-81 के दौरान माल-परिवहन के लिये क्या लक्ष्य रखा है और उससे कितना राजस्व प्राप्त होने की आशा है;

(ख) अब तक कितने माल का परिवहन किया गया है और रेलवे की कुल आय की तुलना में इस कार्य से प्राप्त आय का प्रतिशत कितना है;

(ग) उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलों द्वारा माल-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कोई नये कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980-81 के दौरान राजस्व उपार्जक माल यातायात के लदान के लिए लक्ष्य 2145 लाख मीटरिक टन का है और इससे 1718.23 करोड़ रु० का राजस्व प्राप्त होने की संभावना थी।

(ख) अप्रैल से सितम्बर 1980 तक माल यातायात का वास्तविक लदान 898.5 लाख मीटरिक टन है जबकि आनुपातिक लक्ष्य 1035 लाख मीटरिक टन है और माल यातायात से होने वाली आमदनी रेलों से होने वाली कुल आमदनी का 43.72 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) समग्र संचलन पर दिन प्रतिदिन निगरानी रखते हुए, रुकावटों को दूर करने, लदान में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के मामले में तथा आन्दोलनकारी कर्मचारियों से कड़ाई से निपटने के लिए रेल उपयोगकर्त्ताओं तथा राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय रखा जाता है। माल डिब्बा स्टाक के बेहतर उपयोग के लिए उनके फेरों में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप यातायात की निकासी अधिक हो जायेगी।

खराब माल डिब्बों की मरम्मत को उच्चतम प्राथमिकता देकर उनकी संख्या कम करने के लिए भी कार्यवाई की जा रही है तथा अधिक संख्या में माल डिब्बों की खरीद भी की जा रही है।

नौवहन में विलम्ब की घटनाओं को कम करने के लिए किए गए उपाय

453. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्णय लेने के कार्य के व्यवस्थित विकेन्द्रीकरण और नौवहन में होने वाले विलम्ब का कम करने के लिए प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश परिवहन उद्योग में हुई क्रान्ति के साथ कदम मिला कर चल सके ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महा पत्तन न्याय अधिनियम, 1963 के अनुसार देश के सभी दस बड़े पत्तनों को स्थानीय प्राधिकरण माना गया है। अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से हम समय-समय पर बड़े पत्तनों के अध्यक्षों

को अधिकाधिक वित्तीय अधिकार देते रहे हैं ताकि वे अनुमानों को स्वीकृति देने या ठेके इत्यादि के मसलों पर शीघ्र निर्णय करने में समर्थ हो सकें।

नौवहन में विलंब होने के कई कारण हैं, जैसे :— पत्तनों पर जहाजों का जमाव, उपकरणों की कमी या उनका अनुपयोगी हो जाना नौवहन दस्तावेजों को तैयार करने में देरी, खराब मौसम, ज्वार-भाटा से उत्पन्न होने वाली अन्य कठिनाइयां इत्यादि। नौवहन में विलंब को कम करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की तंगी के बावजूद छठी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की गई है ताकि पत्तनों की क्षमता को बढ़ाया जा सके, उनमें आधुनिक सुविधाएं मुहैया की जा सकें और जहां-कहीं आवश्यक हो जरूरी उपकरणों की खरीद की जा सके। माल को सही ढंग से वितरित करने के लिए बनाई गई एक अन्तर-मंत्रालयी स्थायी समिति इस बात की समीक्षा करती है कि उर्वरक, चीनी, समेंट, खाने का तेल जैसी भारी वस्तुओं के लिए कितने जहाज आए और गए। यह समिति समय-समय पर इस बात का भी फैसला करती है कि किस पत्तन पर कौन-सा माल उतारा जाएगा और किस पत्तन से माल बाहर भेजा जाएगा। नौवहन में देरी को कम करने के लिए कार्य-प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से पत्तन के प्राधिकारी समय-समय पर पत्तन प्रबंधकों और नौवहन कम्पनियों के बीच बैठकें भी बुलाते हैं।

ईरान-इराक युद्ध में फंसे और क्षतिग्रस्त भारतीय जहाज

464. श्री वी० वी० देसाई :

श्री एम० एच० मोहसिन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के युद्ध के दौरान ईरान और इराक सीमा पर फंसे बहुत से जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने भारतीय जहाज फंस गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ग) उनके कितने कर्मचारी मारे गए;

(घ) उनमें से कितने छोड़ दिए गए हैं और कितने अब भी उनके अधिकार में हैं;

(ङ) क्या किसी क्षतिपूर्ति की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार मौजूदा ईरान-इराक लड़ाई के दौरान फंसे जहाजों में से कुछ जहाज क्षतिग्रस्त हो गए या डूब गए हैं।

(ख) चार भारतीय जहाज तथा उनत्तीस पाल पोत फंस गए थे। इनमें से एक भारतीय जहाज खुर्रमशहर तथा सात पाल पोत (बसरा के निकट) फालों में क्षतिग्रस्त हुए/डूब गए।

(ग) और (घ) इन जहाजों के कर्मीदल में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन इन जहाजों में से एक जहाज पर सवार एक कैडेट लापता है जिसके बारे में अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है।

(ङ) और (च) अपरिहार्य परिस्थितियों में जो जहाज युद्ध के सीमा क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं उनको जो क्षति होती है या नष्ट हो जाते हैं वह सब युद्ध जोखिम बीमा में शामिल होता है।

तिरूर-क्रंगनूर लाइन

465. **श्री इ० के० इम्बीचीबावा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारियों को कोई ज्ञापन मिला है जिसमें केरल में तिरूर-गुरुवायूर-क्रंगनूर को मिलाने वाली तटवर्ती रेल लाइन की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तिरूर-गुरुवायूर-क्रंगनूर को मिलाने वाली रेलवे लाइन के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) गुरुवायूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक नयी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है। गुरुवायूर के रास्ते तिरूर से क्रंगनूर तक की प्रस्तावित लाइन, 90 मि० मी० लम्बी होगी और इस पर लगभग 10 करोड़ रु० लागत आयेगी। यह सर्वेक्षण अभी हो रहा है और साथ ही आर्थिक संसाधनों की तंगी है इसलिए तिरूर से क्रंगनूर तक नयी रेलवे लाइन के प्रस्ताव के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

नासिक रोड रेलवे स्टेशन

466. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस समय नासिक रोड स्टेशन से न कोई यात्री गाड़ी शुरू होती है और न ही वहां समाप्त होती है। इस स्टेशन पर सिंहस्थ मेले के लिए अपेक्षित विशेष गाड़ियों को संभालने की आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। फिर भी, नासिक रोड स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री टर्मिनल और मालगोदाम सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने का काम चालू वर्ष के बजट में अनुमोदित किया गया है और इस काम को किया जायेगा।

विदेश मन्त्री का बंगला देश का दौरा

467. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अगस्त, 1980 में बंगला देश की यात्रा की थी और वहां के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की थी;

(ख) क्या यह सच है कि दोनों पक्ष सभी बकाया समस्याओं को हल करने में सहायता करने के लिए ठोस कार्यवाही करने हेतु सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन समस्याओं को हल कर लिया गया है और इन्हें हल करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) बंगला देश के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर मैंने 16 से 18 अगस्त, 1980 तक ढाका की यात्रा की । मैंने अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया । महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मामलों पर विशेष रूप से सविस्तार विचार-विमर्श किया गया । इस विचार-विमर्श से भारत-बंगला देश संबंधों में और अधिक प्रेरणा मिली है ।

(ग) यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत और बंगला देश के बीच कई मसले काफी पेचीदा हैं जिन्हें हाथों-हाथ सुलझाया नहीं जा सकता, अलबत्ता हमें यह विश्वास है कि पारस्परिक सहयोग और सद्भावनापूर्ण वार्तालाप की प्रक्रिया से इन्हें इस तरह से हल किया जा सकता है जिससे दोनों पक्षों को सन्तोष हो । बंगला देश के नेताओं के साथ हुई मेरी बातचीत से दोनों पक्ष एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझ सके हैं ।

माल यातायात की कमी

468. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

श्री के० कुन्हम्बू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में माल यातायात में रेलवे में 1 करोड़ 20 लाख टन की कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, लक्ष्य की तुलना में । फिर भी, गत वर्ष की तदनुरूपी महीनों की तुलना में 24.7 लाख मी० टन की गिरावट हुई है । इसके अतिरिक्त, शुद्ध मी० टन किलोमीटर में केवल 1.4 प्रतिशत की गिरावट आयी है ।

(ख) असम में नागरिक अशान्ति, पूर्वी सेक्टर में तेल शोधक कारखानों का बन्द होना, पूर्वी सेक्टर में बिजली की गहन कटौती जिससे मार्शलिंग यार्ड तथा कारखानों के कार्य-निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा, माल डिब्बों तथा रेल इंजनों की कम मरम्मत, इस्पात संयंत्रों को कच्चे सामानों की कम मांग । पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण-पूर्व रेलों पर बाढ़ तथा दरारें, विभिन्न रेलों पर श्रमिक अशान्ति तथा बैलडिल्ला की खानों में कठिनाई जिससे निर्यात के लिए कच्चे लोहे की कम मांग हुई ।

कोयला-मुहानों को कोयला वैगनों की सप्लाई

469. **श्री नीरेन घोष** :

श्री जैनुल बशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 से ट्रैफिक किलोमीटर टन भार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या कोल इण्डिया ने कोयला-मुहानों से कोयले के लदान के लिए वैगनों की अपर्याप्त संख्या में सप्लाई की कोई शिकायत की है;

(घ) वैगनों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कितने वैगनों की मांग की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयला-मुहानों से कोयला उठाने के लिए रेलवे कोई माल-डिब्बे सप्लाई नहीं करती, बल्कि विशेष रूप से इस कार्य के लिए बनायी गयी रेलवे साइडिंगों पर डिब्बे सप्लाई किये जाते हैं।

(घ) माल डिब्बों की ऐसी कोई कमी नहीं है।

(ङ) रेल मंत्रालय ने 1977-78 और 1978-79 के दौरान चौपहियों के हिसाब से 13,000 माल-डिब्बों और 1979-80 में 13,100 चौपहिया माल-डिब्बों के निर्माण की योजना बनायी थी। इन वर्षों में चौपहियों के हिसाब से वास्तविक उत्पादन क्रमशः 12,166.5, 12,022 और 10,827 माल-डिब्बों का रहा है।

हुगली नदी का जलिघमबार और आकलैंडबार

470. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी की नौमान्यता में सुधार के लिए उक्त नदी के जलिघमबार और आकलैण्डबार हटाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

दिल्ली और हावड़ा के बीच सुपर-फास्ट रेल गाड़ियाँ चलाई जाना

471. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से हावड़ा तक अधिक ऐसी सुपर-फास्ट रेल गाड़ियां चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो वर्तमान किसी भी रेलगाड़ी से कम समय ले; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार

472. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसनसोल-दुर्गापुर तक उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) पूर्व रेलवे के आसनसोल-दुर्गापुर खण्ड को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नए राजमार्गों और पुलों का निर्माण

473. श्री अजय विश्वास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नये राजमार्गों और पुलों का निर्माण करने का विचार कर रही है;

(ख) उनसे कितनी दूरी तय होने और कितने पुलों का निर्माण होने की आशा है,

(ग) राजमार्ग और पुल कौन-कौन से स्थानों पर बनाये जायेंगे; और

(घ) उन पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) इस समय जो सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हैं उनकी कुल लम्बाई 30,700 किलोमीटर है और ये सड़कें सारे देश में स्थित हैं । इस समय आमतौर से इन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर ही ध्यान दिया जा रहा है और यह काम 1980-85 की पंचवर्षीय योजना में भी होता रहेगा । उपलब्ध सूचना के अनुसार इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो निर्माण कार्य 1-4-1980 को जारी थे, केवल उनके लिए 250 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी । इन अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के अलावा यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का और अधिक विकास करने के लिए 1980-85 की पंचवर्षीय योजना में नई परियोजनाएं भी शुरू की जानी हैं । जब 1980-85 की पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तब नियत धन राशि का ठीक-ठीक पता लग सकेगा । अगर माननीय सदस्य का आशय मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि करने से है तब स्थिति यह है कि अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह 1980-85 की पंचवर्षीय योजना में धन के उपलब्ध होने पर निर्भर है और इस योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

नामखाना-बज-बज रेल लाइन

474. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में नामखाना-बज-बज रेल लाइन के निर्माण की क्या प्रगति है; और

(ख) परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लक्ष्मीकांतपुर-कुल्पी लाइन सहित बजबज और नामखाना के बीच नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए पूर्व रेलवे द्वारा एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है। पूर्व-रेलवे ने हाल ही में रेल मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजी है और इसकी जांच की जा रही है।

(ख) अभी तक इस परियोजना के निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया है। विस्तृत जांच और योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने पर इसका निर्माण शुरू किया जायेगा।

दूर संचार सेवा

475. श्री मुकुन्द मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लक्ष्मीकान्तपुर और जयनगर तथा मजीलपुर स्टेशनों के बीच दूर संचार सेवा तथा अन्य संचार सेवाओं के पूरी तरह अस्तव्यस्त होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दूर संचार सेवा की पुनः स्थापना के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) डाक एवं तार विभाग द्वारा संस्थापित और अनुरक्षित दूर संचार केबुलों में खराबी के कारण लक्ष्मीकान्तपुर और जयनगर मजीलपुर स्टेशनों के बीच 5-4-80 से संचार व्यवस्था में व्यवधान आ गया था।

(ग) जी हां।

(घ) जब तक खराब केबुलों को बदल नहीं दिया जाता, तब तक के लिए जयनगर, मजीलपुर और लक्ष्मीकान्तपुर स्टेशनों के बीच ऊपरी लाईनों की व्यवस्था करने की कार्रवाई की गयी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मीरज-हुबली लाइन का परिवर्तन

476. श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीरज-हुबली और होस्पल-गोवा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सर्वेक्षण कुछ वर्ष पूर्व किया गया था;

(ग) यदि हां, तो यह पुनः क्यों आवश्यक है; और

(घ) क्या परिवर्तन इसी योजनावधि में किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अब जो सर्वेक्षण प्रस्तावित है, उसमें कुछ उन समस्याओं पर जिन पर, पहले विचार नहीं किया गया था, और अब बदली हुई परिस्थितियों तथा आमान-परिवर्तन पर उनके प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया जायेगा।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी जांच की जायेगी बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

मदुरै डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

467. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै डिवीजन के अधीन तिरुनेलवली-नागर कोयला कन्या कुमारी रेलवे लाइन को जोयन करने के लिये मदुरै डिवीजन के रेल कर्मचारी कुछ दिन के लिये हड़ताल पर थे;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तत्कालीन रेल मंत्री ने कई संसद सदस्यों, केरल और तमिलनाडु में विरोधी दल के नेताओं और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से भेंट की थी ; विभिन्न दलों द्वारा प्रकट विचारों के बारे में सरकार अभी जांच कर रही है।

नीलाचल एक्सप्रेस गाड़ी के साथ भोजनयान का जोड़ा जाना

478. **श्री रास बिहारी बेहरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलाचल एक्सप्रेस गाड़ी के साथ भोजन यान नहीं जोड़ा जा रहा है और उसमें पर्याप्त पानी नहीं रहता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नीलाचल एक्सप्रेस में कोई पेन्ट्री-यान नहीं है किन्तु इस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को रास्ते की स्थैतिक खान-पान स्थापनाओं से जल-पान और भोजन आदि सप्लाई करने की समुचित व्यवस्था की गयी है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्टेशनों पर इस गाड़ी को समुचित समय तक ठहराने की व्यवस्था भी की गयी है।

मार्ग के जिन स्टेशनों पर यह गाड़ी ठहरती है वहां पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था है। शौचालयों और वाश-बेसिन के लिए प्रारम्भिक स्टेशनों पर टंकियों में पानी भर दिया जाता है और आवश्यकतानुसार उन्हें टूण्डला, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, गया, गोमोहबोकारो, टाटा, खड़गपुर, बालासोर और कटक स्टेशनों पर फिर से भर दिया जाता है।

(ख) इस गाड़ी में पैंट्री-यान लगाने के सम्बन्ध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और इस सम्बन्ध में रेल प्रशासन द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है।

केरल क्षेत्र में माल का यातायात

479. **श्री ए० ए० रहीम : क्या रेल मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विशेष रूप से औद्योगिक नगरों में ऐसे कितने रेल स्टेशन हैं जिन पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों, माल शैडों और साइडिंग का निर्माण किया जाना है; और

(ख) केरल क्षेत्र में, जिसमें अधिकतर स्टेशनों पर माल प्लेटफार्मो/साइडिंग्स का अभाव है, माल का यातायात सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केरल में चार स्टेशनों अर्थात् पालघाट, कालीकट, बडगरा और कोट्टारकरा में माल गोदाम की अतिरिक्त बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। भविष्य में निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर इनकी व्यवस्था की जायेगी। केरल के अन्य स्टेशनों पर माल गोदाम/साईडिंग की वर्तमान सुविधाएं वर्तमान माल यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त हैं।

समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

480. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रेल मन्त्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समस्तीपुर-दरभंगा तथा दरभंगा-जयनगर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) इस रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ग) मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर लगभग कितना खर्च आयेगा और इस पर अब तक कितना कार्य किया जा चुका है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समस्तीपुर-दरभंगा खंड के आमान परिवर्तन का काम एक अनुमोदित कार्य है। दरभंगा-जयनगर मीटर लाइन खंड के आमान-परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण अनुमान रेल मंत्रालय द्वारा 18-8-1980 को स्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) समस्तीपुर से दरभंगा तक की दूरी 37 कि० मी० है और दरभंगा से जयनगर तक दूरी 19 कि० मी० है।

(ग) मोटे तौर पर किये गये मूल्यांकन के अनुसार समस्तीपुर-दरभंगा-जयनगर आमान-परिवर्तन परियोजना पर 13.5 करोड़ रु० लागत आने की संभावना है। समस्तीपुर-दरभंगा खंड के आमान परिवर्तन के लिए 1980-81 के बजट में 10 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है जो एक पूर्व-अनुमोदित कार्य है। दरभंगा-जयनगर खंड के बारे में पूर्वोत्तर रेलवे से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

"रुग्ण" माल डिब्बे

481. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14,000 अधिक माल डिब्बे "रुग्ण" बताये गए हैं;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन को पता है कि कोयले एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रुग्ण माल डिब्बों की इस भारी संख्या का बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन के 4,24,729 चौपहिया माल डिब्बे तथा मीटर लाइन के 1,17,735 चौपहिया माल डिब्बे हैं। किसी भी समय मरम्मत और अनुरक्षण किये जा रहे खराब डिब्बों का लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इस आधार पर, किसी भी समय बड़ी लाइन पर खराब चौपहिया माल डिब्बों की संख्या 17,149 और छोटी लाइन पर खराब चौपहिया माल डिब्बों की संख्या 4,709 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सितम्बर, 1980 के दौरान खराब माल डिब्बों की संख्या का दैनिक औसत बड़ी लाइन पर 19,462 चौपहिया माल डिब्बे तथा छोटी लाइन पर 7,715 चौपहिया माल डिब्बे था।

(ख) स्वीकार्य आंकड़ों से अधिक खराब माल डिब्बों की संख्या चौंका देने वाली नहीं है जिससे कि कोयला अथवा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के संचलन पर अधिक प्रभाव पड़े।

(ग) बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर अनुमेय छूट के अन्तर्गत खराब माल डिब्बों की संख्या कम करने के लिए एकजुट प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली में लिए गए देसी घी के नमूनों में नमी

482. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देसी घी के अब तक लिए गए नमूनों में दिल्ली में कानूनी रूप से दी गई स्वीकृति से अधिक मात्रा में नमी पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो मिलावट रोकने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले उपाय क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) 1978, 1979 के दौरान और 31 अक्टूबर, 1980 तक देसी घी के केवल एक नमूने में कानूनी रूप से दी गई स्वीकृति से अधिक मात्रा में नमी पाई गई थी।

(ख) मिलावट को रोकने के लिए नमूने लिए जाते हैं।

लक्षद्वीप में सड़कें

483. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप की वर्तमान सड़कों की पूरी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की अत्यधिक मांग की जा रही है कि केन्द्रशासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप में नई सड़कों का निर्माण कराया जाय;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का वर्तमान सड़कों की मरम्मत कराने तथा साथ ही नयी सड़कों का निर्माण करवाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि दी गई है;

(ङ) क्या, अत्यधिक मांग को देखते हुए, केन्द्र सरकार इस कार्य के लिए लक्षद्वीप प्रशासन को और अधिक राशि देने को सहमत हो गई है; और

(च) इस वर्ष के दौरान लक्षद्वीप में सड़कों के विकास पर अब तक कितना कार्य किया गया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) से (च) सरकार लक्षद्वीप द्वीप समूह में सड़क संचार कार्यों के सुधार की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। 1973 तक लक्षद्वीप में केवल साईकल पथ और पैदल पथ ही थे। पांचवीं योजना में, मौजूद साईकिल पथों को 8 फुट कच्ची ग्रामीण सड़कों के रूप में चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए व्यवस्था की गई और 5.13 लाख रु० खर्च किए गए। 1978-79 और 1979-80 में सड़कों पर 5.05 लाख रुपये खर्च किए गए और वर्ष 1980-81 के लिए 6 लाख रु० मंजूर किए गए। 1980-81 में स्थानीय प्रशासन को फिलहाल 8.97 लाख रुपये खर्च होने की आशा है और इसके परिणामस्वरूप 1980-81 में 3.5 किलोमीटर की नई सड़कें बनाये जाने की संभावना है।

उनके 1980-85 के योजना प्रस्तावों में, लक्षद्वीप प्रशासन ने सड़क विकास के लिए 54.62 लाख रु० खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें 44.62 लाख रु० ग्रामीण सड़कें बनाने और 10 लाख रु० भारत की मुख्य भूमि से सड़क सामग्री को शीघ्र लाने के लिए मशीनों वाले मालपोत भी खरीदने के लिए है। छठी योजना के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रेल सेवा आयोग द्वारा चयन

484. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवा आयोग द्वारा ग्रुप तीन और ग्रुप चार के पदों के लिये चयन करते समय रेल कर्मचारियों (सेवारत/सेवा-निवृत) के पुत्रों और पुत्रियों (विवाहित/अविवाहित) को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एक स्थायी स्वैच्छिक सहायना समिति का गठन

485. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने तथा यात्रियों की सुविधा आदि के संबंध में रेलवे के लिए कोई स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे में ऐसी कितनी समितियां गठित की गयी हैं; और

(ग) क्या कोई नियम बनाये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) दक्षिण रेलवे पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गयी है ।

(ग) इस प्रकार के कोई नियम नहीं बनाये गये हैं । स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(ग) स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :—

(1) बिना टिकट रेल यात्रा और अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की जांच;

(2) रेलवे स्टेशनों पर सफाई की जाँच;

(3) रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों में पीने के पानी जैसी अन्य यात्री सुविधाओं की जांच;

(4) विभागीय और प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा दोनों प्रकार की खानपान और वेंडिंग व्यवस्था की जांच;

(5) चोरी और उठाइगीरी के कारण रेलवे राजस्व को होने वाली हानि की रोक-थाम; और

(6) रेलों के सम्बन्ध में आम जनता की शिकायतों को सुनना ।

पूर्वोत्तर रेलवे में हाल्ट स्टेशन

486. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में हाल्ट स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नन्द-निलगुनिया, शेरपुट तथा मुनेश्वरनगर हाल्ट स्टेशनों को पूर्ण स्टेशनों के रूप में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के 124 हाल्ट स्टेशनों के नामों की सूची संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1359/80)

(ख) नन्दिनी लगुनिया (नन्दनिलगुनिया नहीं) पहले से ही एक क्रासिंग स्टेशन है । पूर्वोत्तर रेलवे पर शेरपुर और मुनेश्वरनगर नाम के कोई हाल्ट स्टेशन नहीं हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मुजफ्फरपुर और अमृतसर के बीच सीधी रेल गाड़ी

487. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर और अमृतसर के बीच बड़ी लाइन पर एक सीधी गाड़ी चलाने के लिए मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब तक उक्त गाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राजेन्द्र पुल सहित मार्गवर्ती संतृप्त खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी के कारण पटना के रास्ते मुजफ्फरपुर और अमृतसर के बीच बड़ी लाइन की एक सीधी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है। तथापि अगले वर्ष बाराबंकी-सोनपुर मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में बदलने के पश्चात पुनर्गठन के समय मुजफ्फरपुर और अमृतसर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की मांग को ध्यान में रखा जायेगा।

भारत में कैंसर रोग का प्रारंभिक चरण में पता कर सकने वाले छः केन्द्रों की स्थापना

488. **श्री जनार्दन पुजारी :**

आचार्य भगवान देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कैंसर रोग का प्रारम्भिक चरण में पता कर सकने वाले छः केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जनवरी 1980 में सरकार ने देश में कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्र खोलने संबंधी एक योजना को मंजूर करने के आदेश जारी किए थे। इस योजना में कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले प्रत्येक केन्द्र को निम्नलिखित शर्तों पर 50,000 रुपये की अनावर्ती सहायता देने की बात की गई है :

1. राज्य सरकार/संस्था किसी क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध करेगी।
2. राज्य सरकार/संस्था इन पदों के बनाये रखने तथा प्रशिक्षण संबंधी आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए सहमत हो।
3. राज्य सरकार/संस्था कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्रों को खोलने के लिए उपयुक्त स्थान और अन्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करने के लिए सहमत हो। इस योजना में यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक बड़े राज्य में ऐसे तीन-तीन केन्द्र मध्य आकार के राज्यों में दो-दो और छोटे राज्यों में एक-एक केन्द्र खोला जाए।

ऊपर दी गई योजना के ब्यौरे को देखने से यह मालूम होगा कि इसमें केवल केन्द्रों की संख्या की बात कही गई है और यह संख्या प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करेगी। ऐसे केन्द्र किन स्थानों पर खोले जाएं यह बात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विवेक पर पर छोड़ दी गई है।

स्प्रिंग प्लेटों की वेल्डिंग

489. श्री सूरज भान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदलने के लिये पर्याप्त संख्या में नये स्प्रिंग उपलब्ध न होने के कारण रेलवे, विशेषतः बाक्स वैगनों पर, स्प्रिंग प्लेटों को वेल्डिंग करवा कर लगा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि वेल्डिंग करवाने की यह प्रथा आर० डी० एस० ओ० की सलाह के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्य को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवियों को "क्लोरोस्कोप" की सप्लाई

490. श्री राजेश पायलट : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पेयजल का क्लोरीनीकरण के बारे में 7 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7292 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रयोग के आधार पर चुने गए क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी अर्ध-चिकित्सा किट्स में "क्लोरोस्कोप" की कहां तक व्यवस्था की गई है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में इन प्रयोगों की क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि प्रयोग सफल रहे हैं, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी को "क्लोरोस्कोप" सप्लाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उसके लिए बजट में कितना प्रावधान है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की शुद्धता पर निगरानी रखने के लिए पेयजल के क्लोरोनीकरण करने हेतु उपकरण प्रदान करने के लिए सरकार यू० एन० आई० सी० इ० एफ०/ विश्व स्वास्थ्य संगठन से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (च) प्रयोग के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 66,880 रुपये की सहायता से 1000 जन स्वास्थ्य रक्षकों

को क्लोरोस्कोप दिए जाने का विचार है। प्रस्तावित प्रयास के परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इस प्रयोग का विस्तार करने के बारे में कोई निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा।

पेयजल के स्रोतों पर पानी का क्लोरीनीकरण

491. **श्री राजेश पायलट : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी शिक्षण बुलेटिन के प्रथम अंक के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयसेवियों से सप्ताह में एक बार अपने-अपने गांवों के कूओं तालाबों आदि पेयजल के स्रोतों पर पानी में क्लोरीन मिलाने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवियों को अब तक क्लोरीन की कितनी गोलियां दी गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्लोरीन की गोलियां/तरल को सी० एच० बी०/अर्ध-चिकित्सा किट्स में शामिल किया गया है और राज्य सरकारों से इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार कूओं/तालाबों में डालने का आग्रह किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां। जन स्वास्थ्य एककों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनमें एक काम गांव के कूओं आदि में नियमित रूप से क्लोरीन डालना भी है। संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे जन स्वास्थ्य रक्षकों को गांवों में पीने के स्रोतों में नियमित रूप से क्लोरीन डालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करायें। जन स्वास्थ्य रक्षकों को लगातार शिक्षित करते रहने के लिए ये तथा ऐसी ही अन्य हिदायतें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छापी जाने वाली तिमाही पत्रिका 'जन स्वास्थ्य रक्षक शिक्षण' में दोहराई जाती हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पतालों में खून की कमी

492. **श्रीमती संयोगिता राणे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में खून की कमी है और खून की कमी के कारण दिल का आपरेशन और अन्य आपरेशन समय पर किया जाना सम्भव नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यापारिक रूप से स्थापित रक्त बैंक बहुत ऊंचे दामों पर रक्त बेच रहे हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, यह सच है।

(ग) स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं।

पान की ढुलाई

493. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पान की ढुलाई के लिए बसीन में माल डिब्बे जोड़ने की प्रक्रिया बन्द कर दी गई है और इससे काश्तकारों को कठिनाई हो गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि लादे जाने वाले पान के पत्तों के लिये माल डिब्बे बढ़ाने और माल डिब्बों में स्थान दिलाने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध किया जाये;

(ग) क्या यह भी विचार है कि यातायात शड्यूल में पान के पत्तों को खराब होने वाली वस्तु माना जाये तथा इसे खराब होने वाली वस्तु को बचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शैडों की व्यवस्था की जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बसीन क्षेत्र से पान के पत्तों के यातातात की निकासी बसई रोड में यात्री गाड़ियों द्वारा संचलित पार्सल यान गाड़ी सेवाओं से की जाती है न कि माल-डिब्बों द्वारा। विगत में पार्सल यानों की कुछ कमी रही थी और इसे दूर कर दिया गया है और अब निकासी नियमित आधार पर की जा रही है।

(ख) प्राप्त होने वाले पान के पत्तों की वर्तमान मात्रा इतनी नहीं है जिससे वर्तमान प्रबन्ध में वृद्धि करने का और वैकल्पिक व्यवस्था करने का औचित्य बनता हो।

(ग) और (घ) पश्चिम रेलवे पर, पान के पत्तों के यातायात को पहले से ही नश्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे वरीयता दी जाती है। बसई रोड और पालघर स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर सामान्य छतें पहले से ही उपलब्ध हैं।

रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी दो, तीन तथा चार के कर्मचारी

494. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी II, III और IV के कितने कर्मचारी भारतीय रेलों में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विभागीय पदोन्नति का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आरक्षण कोटा भर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसको भरने के लिये क्या कार्यक्रम अपनाये जाने का विचार है; और

(घ) कितने प्रतिशत आरक्षित पदों पर अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती की गई है और इस बारे में शेष पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टाटानगर-बडजामदा पैसेन्जर गाड़ी को बोलानी तक चलाया जाना

495. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टाटानगर-बडजामदा पैसेंजर गाड़ी को बोलानी तक ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय किस तारीख से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दादर-बम्बई स्टेशन का विकास

496. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का दादर-बम्बई स्टेशन को विकसित करने का विचार है ताकि मध्य तथा पश्चिम रेलवे को परसर मार्ग बदलने की सुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो विकास कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा और वह कब तक समाप्त हो जाएगा; और

(ग) क्या सरकार का दादर स्टेशन को विकसित करने के पश्चात पुणे-अहमदाबाद के बीच सीधी गाड़ी को प्रारम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिवा-वेसिन मार्ग के खुल जाने और परिणामस्वरूप दादर के रास्ते होने वाले माल यातायात की सम्भावित कमी को देखते हुए सरकार दादर में अतिरिक्त कोचिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है । अभी इस योजना को तैयार किया जाना है ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे प्रयोगकर्ता समिति

497. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रयोगकर्ता समिति का गठन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक नामांकित कर दिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा ।

आयुर्वेदिक औषधियों की स्थानीय बाजार से खरीद

498. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई आयुर्वेदिक औषधियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा या स्वयं रोगी द्वारा जिसे औषधि की कीमत बाद में मिल जाती है, स्थानीय बाजार से खरीदे जाने की इसी प्रकार से अनुमति नहीं है, जैसी व्यवस्था एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में विद्यमान है; और आयुर्वेदिक औषधियों के मामले में इंडेन्ट केवल एक ही सप्लाईकर्ता को दिया जाता है जिसका सम्पूर्ण सप्लाई पर एकाधिकार है और जो औषधि सप्लाई करने में 7-10 दिन तक लगाता है;

(ख) आयुर्वेदिक औषधियों की सप्लाई के मामले में भी जैसी कि एलोपैथी के मामले में है, वैसी ही प्रक्रिया अपनाने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) सप्लाई के तरीके को "सुचारु सुस्थापित" बनाने और केवल फार्मास्यूटिकल कम्पनियों द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियां जारी करने के लिए सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सुपरवाइजरों की कथित कमी

499. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कर्षण (ट्रैक्शन) विभाग में 425-700 रु० के ग्रेड में सुपरवाइजरों, विशेषकर चार्जमैनों की कमी है क्योंकि 1975 के बाद रेल सेवा आयोग के माध्यम से कोई भर्ती नहीं की गई है और दिल्ली तथा मथुरा के बीच विद्युतीकरण के विस्तार से स्थिति और भी खराब हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य की सुरक्षा और दक्षता के लिए अपेक्षित संख्या में सुपरवाइजर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। वास्तव में चालू वर्ष में, रेल सेवा आयोग से 58 व्यक्तियों का एक पैनल प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेल लाइनें

500. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कुल कितनी लम्बाई में रेल लाइनें हैं और समूचे भारत की जनसंख्या के आधार की तुलना में ये लाइनें कितने प्रतिशत हैं;

(ख) क्या नई रेल लाइनें बनाने में केरल की उपेक्षा की गई है यद्यपि वह राज्य देश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है;

(ग) क्या यह सच है कि इड्डिक्की और मुवत्तुपुजा निर्वाचन क्षेत्रों में कोई रेल लाइन नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि मदुरै-कोचीन रेल लाइन आरंभ की जाती है, तो मदुरै और 'स्यू' 2 नहर के बीच 1500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी कम की जा सकती है तथा परिवहन के लिये काफी ऊर्जा की बचत की जा सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण लाइन के लिए सर्वेक्षण क्यों नहीं आरंभ किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केरल में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 916 कि० मी० हैं। प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से मार्ग कि. मी. केरल के लिए 4.30 और समस्त भारत के लिए 11.1 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ईड्डिकी और मुवेट्टुपुटा रेलवे लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं।

(घ) और (ङ) फिलहाल, मदुरै-कोच्चिन रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

501. **श्री केशवराव पारधी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : साइप्रस के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस में मित्रता, आर्थिक सम्बन्ध और व्यापार सुविधाएं बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मदों पर हुई चर्चा का परिणाम क्या रहा है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सपाइरोस काइप्रियान 23 से 25 अक्तूबर 1980 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। बातचीत में जो कि मित्रतापूर्ण वातावरण हुई थी, अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श हुआ और उसमें सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्धों पर भी विचार किया गया।

इस यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1260/80)

भारत बहुत शीघ्र ही एक हाई कमिश्नर नियुक्त करेगा जिसका निवास निकोसिया में होगा।

दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा घटिया किस्म के फालतू पुरजों का प्रयोग

502. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा खरीदे जा रहे दोषपूर्ण तथा घटिया किस्म के फालतू पुर्जों के बारे में दिनांक 23 अक्तूबर, 1980 के "टाइम्स आफ इण्डिया", नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा फालतू पुर्जों की खरीद के बारे में कोई संयत नीति का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बसों के खराब होने के कारणों की विभागीय जांच के फलस्वरूप पता चलता है कि कुछएक पुर्जे, जैसे आयल सील, बेयरिंग, क्लच प्लेटें और जिनकी कम कीमत कुछ लाख रुपये है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निगम ने पिछले कुछ वर्षों में खरीदे पुर्जों के बारे में किसी एक समरूप नीति का अनुकरण नहीं किया। अधिकतर पुर्जे क्वालिटी को नहीं बल्कि कीमत को आधार मानकर खरीदे गये। प्रत्येक मद की खरीद भी उपयोगिता आदि की अवधि के आधार पर न की जाकर पिछली कीमत के आधार पर की गई। इस सम्बन्ध में इस समय कुछ सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत रेडियोग्राफरों के लिए सेलेक्शन ग्रेड

504. श्री चिन्तामणि जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम करने वाले रेडियोग्राफरों के केवल दो ग्रेड हैं जिनमें एक 260-430 रुपये का जूनियर रेडियोग्राफर का और दूसरा 330–560 रुपये के वरिष्ठ रेडियोग्राफर का है और उसके पश्चात् उनके लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले वहां पर गतिरुद्ध हैं और कर्मचारियों के इन वर्गों में बहुत असंतोष हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के इस वर्ग के लिए सेलेक्शन ग्रेड लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकारी नियमों के अनुसार चयन ग्रेड उन पदों के लिए दिया जाता है जो 75 प्रतिशत या इससे अधिक सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और जिनके प्रोन्नति के अवसर 50 प्रतिशत से कम होते हैं। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेडियोग्राफरों के दो ग्रेड हैं। इनमें से जूनियर रेडियोग्राफरों के सीनियर रेडियोग्राफर बनने के अवसर हैं। चूंकि सीनियर रेडियोग्राफर का पद पूर्णतया प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, इसलिए सरकार के वर्तमान नियमों में चयन ग्रेड की व्यवस्था नहीं है।

इटारसी के निकट पंजाब मेल की टक्कर से हुई मौतें

505. श्री हरिकेश बहादुर :

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री जगपाल सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :

श्री वी० वी० देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 अक्टूबर, 1980 को इटारसी के निकट पंजाब मेल के मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण कितने व्यक्ति मरे;

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटदा के शिकार हुये लोगों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है; और

(घ) रेल दुर्घटना रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 20-10-80 को इटारसी स्टेशन पर 6 अप पंजाब मेल और 747 डाउन माल गाड़ी के बीच टक्कर होने के परिणामस्वरूप 22 व्यक्ति मारे गये ।

(ख) इस दुर्घटना की रेल संरक्षा आयुक्त, बम्बई ने सांविधिक जांच की है, जो पर्यटन और सिविल विमानन मन्त्रालय के अधीन स्वतन्त्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) इस दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों को रेल प्रशासन द्वारा 46,000 रुपये का अनुग्रह भुगतान किया गया है । तदर्थ दावा आयुक्त, जिसकी नियुक्ति विचाराधीन है, द्वारा क्षतिपूर्ति निश्चित की जाएगी ।

जो रेल कर्मचारी ड्यूटी पर होते हुए इस दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त हुए उन्हें कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बारे में यथा-समय कार्रवाई की जायेगी ।

(घ) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों की असफलता सबसे बड़ा कारण है, इसलिए गाड़ी संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा सम्बन्धी चेतना पैदा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव उपाय न अपनायें जो दुर्घटना का कारण बनें, रेलों के संरक्षा संगठनों को निरन्तर अभियान चलाने के निदेश दिए गये हैं ।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी व माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जांच के काम को गहन कर दिया गया है तथा रेल-पथ के उचित अनुरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है । मानवीय तत्वों पर निर्भरता को कम करने के लिए पहियों, धुरों तथा रेल की पटरियों, धुरा काउन्टरों, रेल-पथ परिपथन आदि के पराश्रव्य दोष संसूचकों जैसे परिष्कृत साधन उत्तरोत्तर शुरू किए जा रहे हैं ।

मस्तिष्क ज्वर के कारण हुई मौतें तथा बीमारी को रोकने के लिए उठाए गए कदम

506. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों के दौरान मस्तिष्क ज्वर के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है; और

(ख) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अब तक मिली सूचना के अनुसार जुलाई-अक्तूबर, 1980 के दौरान मस्तिष्क ज्वर (एन्सेफ्लाइटिस) से हुई मौतों की संख्या का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम करने, निदान करने और इलाज करने के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने विस्तृत तकनीकी अनुदेश जारी कर दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को ये अनुदेश फिर से जारी कर दिए हैं;

2. मस्तिष्क ज्वर के रोगियों का शीघ्र पता लगाने, उनका इलाज करने तथा इसकी सूचना देने के उपाय कर दिए गए हैं ;

3. भारत सरकार ऐसे रोगियों के बारे में इस रोग से प्रभावित राज्यों से सूचना प्राप्त करने के लिए लगातार सम्पर्क बनाए हुए है;

4. ट्रापिकल स्कूल आफ मेडीसिन, कलकत्ता; अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता; राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली; राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान तथा केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के अपेक्षित दल ऐसे रोगियों का उपयुक्त निदान करने तथा तकनीकी सहायता तथा परामर्श देने के लिए राज्यों में भेजे जाते हैं;

5. प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों की संख्या कम करने के लिए विशेष छिड़काव हेतु राज्य सरकारों को अतिरिक्त कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध की जाती हैं ।

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से जापानी एन्सेफिलाइटिस वैक्सीन सीमित मात्रा में आयात की गई है और जब कभी जरूरत होती है तो इसमें से आवश्यक मात्रा में यह वैक्सीन प्रभावित राज्यों को भेज दी जाती है ।

विवरण

अनुबंध-1

राज्य	मौतों की संख्या
असम	54
आंध्र प्रदेश	5
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2
बिहार	127
मध्य प्रदेश	38
तमिलनाडु	4
उत्तर प्रदेश	485

अधिकारियों की सेवाकाल में वृद्धि करने सम्बन्धी नीति

507. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि करने संबंधी किसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) रेलवे बोर्ड के कितने सदस्यों को उनके सेवाकाल में वृद्धि दी गई है;

(ग) क्या रेल अधिकारियों ने उक्त वृद्धि के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर कड़ी जांच-पड़ताल के बाद जन-हित को देखते हुए केवल आपवादिक मामलों में दी जाती है।

(ख) तीन।

(ग) जी हां।

(घ) तीन सदस्यों को दी गयी सेवाकाल में वृद्धि समाप्त की जा चुकी है।

सौराष्ट्र मेल रेल दुर्घटना में हुई मौतें

508. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अक्तूबर, 1980 को सौराष्ट्र मेल रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे/घायल हुए;

(ख) दुर्घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) मृतकों के परिवार के सदस्यों को सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 27-10-1980 को लगभग 01.05 बजे, जब 6 अप हापा-बम्बई सौराष्ट्र मेल पश्चिम रेलवे के मियागाम करजण और इटोला स्टेशनों के बीच चल रही थी, तो वह एक डाउन माल गाड़ी के उस माल डिब्बे से टकरा गयी जो उसी समय पटरी से उतर कर उसके रास्ते पर आ गिरा था।

इस दुर्घटना में 11 व्यक्ति मारे गये, 14 को गम्भीर चोटें आयीं और 10 मामूली रूप से घायल हुए।

(ग) रेल प्रशासन द्वारा इस दुर्घटना में मारे गये 9 व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा 20 घायल व्यक्तियों को क्रमशः 17,000/- रुपये तथा 17,250/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा, जिसकी नियुक्ति विचाराधीन है, किया जायेगा।

इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप दो रेल कर्मचारी मारे गये जो कि ड्यूटी पर थे तथा एक अन्य को गम्भीर चोटें आयीं। घातक मामलों में 2000/- रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रह भुगतान किया गया है। इसके अलावा, इन मामलों में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में उठाया जाना

509. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री चित्त बसु :

प्रो० अजीत कुमार मेहता :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संयुक्त महासभा के अक्तूबर, 1980 को हुए 35वें सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में काश्मीर के प्रश्न का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो काश्मीर और भारत के संबंध में उन्होंने अपने भाषण में मुख्य रूप से किन-किन बातों का उल्लेख किया है;

(ग) उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने इसका तीव्र विरोध किया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का क्या पक्ष रहा है;

(ङ) क्या प्रधान मन्त्री ने अपने प्रेस सम्मेलन में इसे शिमला समझौते का स्पष्ट उल्लंघन बताया है;

(च) यदि हां, तो क्या इससे शिमला समझौते के कार्यान्वयन पर काफी प्रभाव पड़ा है; और

(छ) पाकिस्तानी प्रचार का मुकाबला करने के लिए भारत की आगामी कार्य योजना क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जम्मू और काश्मीर के बारे में नीचे लिखे अनुसार कहा था :—

"हम उन परिस्थितियों की ओर से सजग हैं जिसकी वजह से यह (संयुक्त राष्ट्र) अपने घर में अपना एक संप्रभुता सम्पन्न राज्य स्थापित करने के फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार से सम्बद्ध अथवा जम्मू और काश्मीर राज्य के लोगों को दिए गए इस वचन का पालन नहीं कर पाया है कि वे इसके संगत संकल्पों के अनुरूप अपने भविष्य का निर्णय कर सकें ।

चूंकि जम्मू और काश्मीर के उल्लेख से भारत के साथ पाकिस्तान के सम्बन्धों का प्रश्न जुड़ा हुआ है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि अपनी सुस्थापित नीति के अनुरूप हम 1972 के शिमला समझौते के सिद्धान्तों के आधार पर भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य करने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं । इन वर्षों में दोनों देशों के बीच संचार, यात्रा और व्यापार के संवर्धन की दिशा में काफी प्रगति हुई है । लेकिन अगर जम्मू और काश्मीर का सवाल शांतिपूर्वक ढंग से तय हो जाये तो यह प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है, बल्कि होगी ही । इस मामले में पाकिस्तान की स्थिति सार्वभौम रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों पर आधारित है ।"

(घ) जी हां । 3 अक्तूबर, 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने वक्तव्य में मैंने कहा था "1 अक्तूबर, 1980 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने महासभा में जम्मू और काश्मीर राज्य का जिक्र किया जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है । भारत की प्रादेशिक अखण्डता पर प्रहार करने वाला यह उल्लेख निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण था ।

विगत 24 वर्षों में पाकिस्तान ने बल प्रयोग करके जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत से अलग करने की तीन बार कोशिश की है । इन तीनों ही मौकों पर उसे माकूल जवाब मिला है । 1972 में भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों देशों के बीच की सभी समस्याओं को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा तय करने की व्यवस्था है । लेकिन 1977 से पाकिस्तान ने बार-बार जम्मू और काश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है । संयुक्त राष्ट्र के तत्संबंधी संकल्पों का हवाला दिया जाता है जो स्पष्टत: स्वयं पाकिस्तान की कार्रवाइयों की वजह से बेमानी हो गये हैं । कभी-कभी यह सोचकर मुझे आश्चर्य होता है कि शिमला समझौते के पालन करने की नीति पाकिस्तान ने क्यों छोड़ दी है । शिमला समझौते में पाकिस्तान द्वारा अभिव्यक्त इस इच्छा में कि वह भारत के साथ संबंध सामान्य करना चाहता है और उसने विविध मंचों पर जिस तरह की बातें कहीं हैं उनमें स्पष्ट विरोध है मानो वह इस दिशा में प्रगति चक्र को उल्टी दिशा में मोड़ने की चेष्टा कर रहा है और वह पाकिस्तान के साथ अपने सभी विवादों को द्विपक्षीय माध्यमों से निपटाने के लिए तैयार है ।"

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) कई अवसरों पर पाकिस्तान को यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काश्मीर का जिक्र करना शिमला समझौते पर हुई हमारी सहमति के अनुरूप नहीं है और इससे वातावरण को बेहतर करने में मदद नहीं मिलेगी। काश्मीर के संबंध में भारत सरकार की स्थिति सविदित है जो यह है कि जम्मू और काश्मीर राज्य विधित: और संविधानिक तौर पर भारत का एक अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाये हैं और उठाती रहेगी।

उत्प्रवासियों की तेजी से निकासी

510. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री शिव कुमार सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्प्रवासियों की तेजी से निकासी के लिए क्या उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गयें उपाय का ब्यौरा क्या है;

(ग) वे किस हद तक लाभदायक रहे हैं;

(घ) क्या किसी नई रियासत के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1361/80]

(ग) नयी प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं : —

(1) जो व्यक्ति उत्प्रवास अधिनियम 1922 की परिधि में नहीं आते उन्हें अब स्वयं उनके पासपोर्टों पर ही उत्प्रवासन निरीक्षण की व्यवस्थाओं से स्थायी छूट दे दी जाती है और अब उन्हें हर बार विदेश जाते हुए जांच कराने की जरूरत नहीं होती।

(2) उत्प्रवासियों को अब पहले ही यह मालूम हो जाएगा कि उत्प्रवासन की अनुमति के लिए क्या-क्या पूर्वापेक्षाएं हैं, और इस तरह उन्हें ऐन मौके पर हवाई अड्डे से वापस लौटा दिए जाने का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा।

(3) इस नई प्रणाली से हवाई अड्डों और पत्तनों पर भीड़ कम हुई है, और

(4) अब लौटने वाले या पारगमन करने वाले यात्रियों के उत्प्रवास सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना बेरोक विदेश जाने दिया जाता है।

(घ) और (ङ) उत्प्रवास सम्बन्धी प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जाती है और आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर उसमें संशोधन किए जाते हैं। फिलहाल किसी नये उपाय पर विचार नहीं किया जा रहा है।

जन्म-दर में कमी लाने के लिए नई नीति

511. श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री के० लकप्पा :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का जन्म-दर को घटा कर 30 प्रतिशत तक लाने के लिए एक नई नीति लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) योजना के कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(ङ) योजना के कार्यान्वियन पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) अगस्त, 1980 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित योजना के फ्रेम वर्क (1980-85) में 1995 तक की शुद्ध प्रजनन दर तक पहुंचने का उद्देश्य परिकल्पित है। इसका यह अर्थ होगा कि प्रति हजार 33 की वर्तमान अशोधित जन्म-दर घट कर लगभग प्रति हजार 21 और प्रति हजार 14 की वर्तमान अशोधित मृत्यु दर घटकर प्रति हजार लगभग 9 हो जायेगी। इससे यह भी सूचित होगा कि प्रति हजार लगभग 120 की वर्तमान शिशु मृत्यु दर घट कर प्रति हजार लगभग 60 हो जायेगी। 1980-85 की योजनावधि में 1984-85 तक जन्म दर को घटा कर लगभग 30 प्रति हजार तक लाने का विचार है।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पहली योजना अवधि से ही केन्द्र चालित और केन्द्र के खर्च पर चलने वाली योजना के रूप में निरन्तर चल रहा है और इसे राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों की एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को स्वैच्छिक आधार पर छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के फायदों के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें प्रेरित किया जाता है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मूल स्तर से बनाये गये आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं और सामग्री का उपयोग किया जाता है।

केन्द्र और राज्य सरकारें केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद की बैठक में जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री हैं और अन्यों के साथ-साथ सभी राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री सदस्य हैं, समय-समय पर इस कार्यक्रम की प्रगति की गहराई से समीक्षा करती रहती हैं।

योजना आयोग छठी योजना (1980-85) के कागजात को अन्तिम रूप देने में लगा हुआ है और इस कार्यक्रम के लागत अनुमान उनके विचाराधीन हैं।

जयन्ती जनता एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाना

512. श्री के० ए० राजन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन और कोचीन के बीच चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस को अभी तक त्रिवेन्द्रम तक नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सरकार इस प्रस्ताव पर लम्बे समय से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इसे कब तक बढ़ा दिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस का चालन-क्षेत्र बढ़ाने के बारे में जांच की गयी थी, परन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। बहरहाल, तिरुवनन्तपुरम और नयी दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सवारी डिब्बों के बेहतर किस्म के कपलर उपलब्ध होते ही 125/126 के० के० एक्सप्रेस में दो इंजन लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुवैत में भारतीय दूतावास द्वारा सहायता न देना

513. श्री के० ए० राजन :

श्री डी० पी० यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उन भारतीय नागरिकों की कोई सहायता नहीं की जो ईरान और इराक से इन दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण बच निकलना चाहते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या थी; और

(ग) उनके सुरक्षित लौटने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कुवैत स्थित हमारे राजदूतावास के संदर्भ में अखबारों में जो आलोचनात्मक और प्रशंसात्मक टिप्पणियां की गई हैं उन दोनों ही की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ख) और (ग) ईरान और इराक के बीच संघर्ष 22 सितम्बर, 1980 को आरंभ हुआ। बसरा पर गोलाबारी 23 सितम्बर को हुई जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय भी हताहत हुए। उसके बाद बड़ी तेजी से आतंक छा गया और 23 सितम्बर से बहुत बड़ी संख्या में विदेशी, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, सब ओर से ईरान-इराक सीमा पर एकत्र होने लगे और क्योंकि उनका आगे के लिए हवाई जहाज में स्थान सुरक्षित नहीं था इसलिए वे आसानी से कुवैत से पारगमन वीसा नहीं प्राप्त कर सके। सीमा-सुरक्षा चौकियों पर सुविधाएं अपर्याप्त थी। लोगों को बहुत अधिक तकलीफ हुई। कुवैत स्थित हमारे राजदूतावास के विरुद्ध लापरवाही

के जो आरोप लगाए गए थे और जिनका हमारे समाचार-पत्रों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, उनकी जांच की गई और यह पाया गया कि इस संबंध में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया है। जैसा कि बाद में हमारे समाचार-पत्रों में बताया गया कि कुवैत स्थित हमारे दूतावास ने निष्क्रमणार्थियों के लिए सीमा सुरक्षा चौकियों पर पारगमन वीसा की व्यवस्था की, जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी किए, कुवैत स्थित स्थानीय भारतीय समुदाय और भारतीय कंपनियों की सहायता से भोजन, पानी और अल्पाहार की व्यवस्था की थी और एयरलाइंस के साथ सभी संभव प्रबंध किए। यह सुविदित है कि अन्य राष्ट्रिकों ने भी अक्सर इन सुविधाओं का लाभ उठाया। वस्तुतः कुवैत स्थित हमारे राजदूतावास के प्रयत्नों का अन्य और अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रशंसात्मक उल्लेख हुआ। इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्यावर्तन से सम्बद्ध इन सभी व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए सरकार ने दिल्ली में एक विशेष सैल स्थापित किया, अम्मान और कुवैत के ऊपर से शरणार्थियों को ले जाने के लिए 17 विशेष एयर इण्डिया उड़ानों की व्यवस्था की; कुवैत और अम्मान स्थित हमारे मिशनों की सहायता देने के लिए वहाँ विशेष दल भेजे। युद्ध में निहित खतरे के बावजूद सरकार ने बगदाद स्थित अपने राजदूतावास और बसरा स्थित अपने प्रधान कौंसलावास को और मजबूत किया। जब कभी निष्क्रमणार्थी इराक और कुवैत और इराक-जोर्डन के रास्ते से होकर गए हैं तब हमेशा ही भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी वहां पर उनके प्रवेश को और हवाई अड्डों तक उन्हें पहुंचाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए वहां मौजूद रहे हैं। इस सिलसिले में और भी जो प्रबंध करने पड़े उन्हें भी कुवैत-जोर्डन आदि की सरकारों के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत करके तय किया गया।

पश्चिमी देशों से कपड़े का आयात

514. **श्री के. ए. राजन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास बन्दरगाह पर पश्चिमी देशों से मिशनरियों के नाम पर भारी मात्रा में गांठों में आने वाला कपड़ा उनके द्वारा छुड़ाने पर चुने हुए व्यापारियों को बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस प्रकार के आये कपड़े का विवरण तथा बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "उपहार वस्त्र" के नाम से आये इस प्रकार की आमद के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और सामान का परित्याग करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार का उपहार वस्त्र अन्य बन्दरगाहों पर भी पहुंच रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पश्चिमी देशों से आयात किए हुए माल की, जिसमें इस्तेमाल किए हुए कपड़ों की गांठें भी शामिल हैं, जब मद्रास पत्तन पर परेषिती द्वारा डिलिवरी नहीं ली जाती तो उसे महा पत्तन न्यास अधिनियम के

उपबन्धों के अनुसार नीलाम कर दिया जाता है और सीमा शुल्क समाहर्ता, मद्रास द्वारा अनुमोदित दरों पर निजी रूप से बेच भी दिया जाता है ।

(ख) मद्रास पत्तन पर 1980-81 में (अक्टूबर, 1980 तक) इस तरह का कोई माल नहीं आया । पश्चिमी देशों से आयात किए कपड़े की गांठें जिनका वजन 75 टन था, 1980 में (अक्टूबर, 1980 तक) बेची गईं ।

(ग) मद्रास के सीमा-शुल्क समाहर्ता ने मुफ्त वितरण के लिए विदेशों से उपहार के रूप में मद्रास पत्तन पर आये खाद्य पदार्थ, दवाइयों, डाक्टरी सामान, कपड़ों और कम्बलों पर सीमा शुल्क की छूट देने के तथा कथित दोष की 1979 में जांच की थी । इस जांच के फलस्वरूप, सीमा शुल्क समाहर्ता मद्रास ने ऐसे निर्यातकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाई की, जो इनका दुरुपयोग कर रहे थे । इस कार्यवाई के किए जाने से ऐसे सामान का, जिसे उपहार कहा जाता था, आयात होना काफी कम हो गया है और कुछ सामान तो आयात करने के बाद छोड़ ही दिया जाता है ।

(घ) और (ङ) पुराने कपड़े उपहार के रूप में कलकत्ता पत्तन पर भी आते हैं । कुल माल पत्तन पर जब काफी समय तक रुका रहे और उस पर किराया भी काफी हो जाय और पुरेषितियों द्वारा माल लेने से इन्कार कर दिया जाय तब ऐसी स्थिति में पत्तन ने 1979 में यह निश्चय किया है कि इस तरह के पुराने कपड़े सीमा शुल्क अधिकारियों की मंजूरी लेकर मदर टेरेसा और राम कृष्ण मिशन को आधे-आधे दे दिए जाएं ।

बहुत ही कम मात्रा में पुराने कपड़े उपहारस्वरूप बम्बई और कोचीन पत्तनों पर आयात किए जा रहे हैं । उपहारस्वरूप ऐसे कपड़ों का आयात देश में और किसी भी अन्य बड़े पत्तन से नहीं किया गया है ।

दलाई लामा द्वारा चीन में शिष्टमंडल

515. श्री सतीश अग्रवाल :

श्री एन० ई० होरो :

श्री राजेश कुमार सिंह :

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा का विचार चीन में और शिष्टमंडल भेजने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दलाई लामा ने पहले भी तिब्बत में कुछ शिष्टमंडल भेजे थे और यदि हां, तो इन शिष्टमंडलों की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन शिष्टमंडलों के भेजे जाने से पहले दलाई लामा को अनुमति दी थी; और

(घ) क्या सरकार ने दलाई लामा द्वारा तिब्बत में और शिष्टमंडल भेजे जाने की अनुमति दी है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) परम पावन दलाई लामा ने समाचार पत्रों को दिए गए कुछ साक्षातकारों में यह संकेत दिया है कि उनका इरादा चीन में पथ्यों का पता लगाने के लिए कुछ और प्रतिनिधि मंडल भेजने का है।

(घ) परम पावन दलाई लामा ने अब तक तीन प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजे हैं। दलाई लामा द्वारा इन प्रतिनिधि मंडलों के संबंध में जारी किए गए वक्तव्यों से इन प्रतिनिधि मंडलों की उपलब्धियों की मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) दलाई लामा के प्रतिनिधि मंडलों और चीनी अधिकारियों के बीच संपर्क को भारत सरकार प्रारम्भिक रूप से दलाई लामा चीनी प्राधिकारियों से संबंधित मानती है। अतः अधिक प्रतिनिधि मंडलों को तिब्बत जाने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के अधिकारी का अपहरण

516. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री झांगुर राम :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री बी० वी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1980 में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर के सामने पाकिस्तान पुलिस की उपस्थिति में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी का अपहरण किया गया था और उसे इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर पीटा गया था और उसके वाहन को क्षति पहुंचाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 4 सितम्बर, 1980 को अपने स्कूटर पर घर लौटते समय, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी को कुछ व्यक्तियों ने रोककर पीटा और उससे कुछ समय तक पूछताछ की।

(ख) और (ग) सरकार ने इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान विदेश कार्यालय से और नई दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास से भी इसके खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट किया है, पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया गया है, कि ऐसी घटनाओं से भारत-पाकिस्तान संबंधों का वातावरण दूपित होगा और पाकिस्तास सरकार को, दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में वियेना अभिसमय के उपबन्धों का पालन करना चाहिए।

डीजल शेडों की बढ़ायी गयी क्षमता

517. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक रेलवे डिवीजनों के मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों पर डीजल शेडों की क्षमता बढ़ायी जा रही है;

(ख) क्या इस हेतु रतलाम के डीजल शेड की क्षमता भी बढ़ायी गयी है और क्या इसकी क्षमता को और अधिक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी वर्तमान तथा प्रस्तावित क्षमता कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रतलाम डीजल शेड की क्षमता पहले ही 40 इंजनों से बढ़ाकर 100 डीजल इंजन कर दी गयी है। इसे और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वर्तमान क्षमता 100 इंजनों की है और इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए प्रस्तावित क्षमता का प्रश्न नहीं उठता।

रतलाम में स्टेनोग्राफरों तथा टाइपिस्टों की संख्या

518. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में रतलाम मंडल मुख्यालय के प्रत्येक सेक्शन में काम करने वाले श्रेणी I तथा II के अधिकारियों की तथा स्टेनोग्राफरों, टाइपिस्टों, हैड क्लर्कों तथा कार्यालय अधीक्षकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्टेनोग्राफरों तथा टाइपिस्टों की वर्तमान संख्या वास्तविक मांग से कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे कार्य की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

श्रेणी I व II के अधिकारी	...	55
अन्तरंग सहायक व आशुलिपिक	...	18
टंकक	...	17
मुख्य लिपिक व प्रधान लिपिक	...	64
कार्यालय अधीक्षक	...	6

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) आशुलिपिकों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर शेड का विस्तार

519. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन के अन्तर्गत शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर शेड और गोदाम का विस्तार करने, सड़क का निर्माण करने और अन्य निर्माण कार्य आरम्भ करने और अन्य विस्तार योजनाएं विचाराधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी निर्माणाधीन हैं; और

(ग) सभी प्रस्तावित योजनाएं कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) माल गोदाम, परिचलन क्षेत्र और पहुंच मार्ग की व्यवस्था से संबंधित निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य जैसे द्वीप प्लेटफार्म पर छत और वर्तमान पैदल पुल से मुख्य प्लेटफार्म तक आने के रास्ते के निर्माण तथा वर्तमान द्वीप प्लेटफार्म को चौड़ा करने के काम हो रहे हैं। हंसपुरा-शामगढ़-गारोठ खंड पर दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा होने के साथ-साथ आशा है, ये कार्य 31-12-81 तक पूरे हो जायेंगे।

कचनारा और जवाद स्टेशनों के निकट के रेल फाटक

520. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में कचनारा और जवाद रेलवे स्टेशनों के निकट लगे रेल फाटकों के रेलों के निकल जाने के पश्चात् भी दिन-रात बन्द रहने के कारण नजदीक के ग्रामवासियों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है और उन्हें लगातार कई घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के निवासियों तथा किसानों ने इस असुविधा को दूर किये जाने तथा फाटक पर कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। जवाद रोड स्टेशन पर समपार पर दिन में 7 बजे से 19 बजे तक चौकीदार रहता है और गेट की आम स्थिति सड़क यातायात के लिए उपलब्ध रहती है। यह समपार गेट रात के समय अर्थात् 19 बजे से 7 बजे तक बन्द रहता है और सड़क यातायात के लिए तभी खोला जाता है जब सड़क उपयोगकर्ता स्टेशन पर जाकर गेट खोलने का अनुरोध करे। कचनेरा स्टेशन पर सड़क यातायात के लिए गेट बन्द रहता है और ड्यूटी पर तैनात कांटे वाले द्वारा सड़क यातायात के लिए तभी खोला जाता है जब इसकी मांग की जाये।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल इण्डिया टेक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विस

521. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकनोमिक सर्विसिज (भारतीय रेल तकनीकी तथा आर्थिक सेवाओं) को वर्ष 1979-80 में लाभ हुआ है; और

(ख) क्या उन्हें परामर्श के क्षेत्र में अन्य देशों से ठेके प्राप्त हुये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, 1979-80 के दौरान 2.46 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

(ख) जी हां, उन्हें इराक, जोर्डन जाम्बिया और श्रीलंका से और बंगला देश रेलवे को परामर्श सहायता देने के लिए एशियन विकास बैंक से भी ठेके प्राप्त हुए हैं।

भारतीयों के बारे में ब्रिटेन के नये नागरिकता कानून

522. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्वारा बनाये गये नागरिकता कानूनों का वहां रहने वाले भारतीयों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके मामले पर विचार किया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) प्रस्तावित कानून की रूपरेखा बनाने वाले इस श्वेत पत्र में बताये गये कुछ प्रावधानों से कई राष्ट्रमंडल देशों के लोगों पर असर पड़ने की संभावना है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय भी शामिल हैं।

(ख) लंदन में हमारे हाई कमिश्नर ने 12 नवम्बर, 1980 को ब्रिटिश गृह मंत्री श्री विलयम वाइटला को एक स्मारक पत्र प्रस्तुत करके इन व्यवस्थाओं पर हमारी चिन्ता व्यक्त की थी।

परिवार नियोजन को प्रोत्साहन

523. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-:

(क) क्या सरकार उन दम्पत्तियों को प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है जो परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत एक बच्चा होने के बाद बच्चे पैदा करना बन्द कर देते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक बच्चा होने के बाद बच्चा पैदा करना बंद कर देने वाले दम्पत्तियों को प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस समय सरकार की नीति दो या तीन बच्चों के छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देने की है। यह समझा गया है कि जिन लोगों का एक ही बच्चा है वे दूसरे बच्चे के जन्म में अन्तर रखने के लिए परिवार नियोजन के मनचाहे तरीके (अर्थात् पुरुषों के लिए निरोध और महिलाओं के लिए लूप निवेशन) अपनाएं। वर्तमान नीति के अनुसार एक बच्चे वाले परिवारों के लिए गर्भ समापन के तरीके अपनाने की सिफारिश नहीं की जाती है।

रेलवे विज्ञापन

524. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या रेल मंत्री निम्न जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को विज्ञापनों से कोई आय होती है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से आरम्भ की गई थी और गत तीन वर्षों के दौराम (वर्षवार) कुल कितनी आय हुई;

(ग) क्या ये विज्ञापन रेल अधिकारियों को सीधे प्राप्त हुये थे अथवा किसी विज्ञापन एजेंसी में माध्यम से;

(घ) यदि ये विज्ञापन, विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं तो विज्ञापन एजेंसियों को किस दर से कमीशन दिया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक एजेंसी को कुल कितनी राशि अदा की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन लेने के बजाय स्वयं ही विज्ञापन लेने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना पिछले 30 वर्षों से अस्तित्व में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा अर्जित की गयी सकल आमदनी इस प्रकार है :

1977-78	1.54 करोड़ रुपये
1978-79	1.61 करोड़ रुपये
1979-80	1.71 करोड़ रुपये

(ग) विज्ञापन सीधे तथा विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

(घ) प्रति वर्ष 50,000 रु० तक का व्यापार करने पर विज्ञापन एजेंसियों को 15 प्रतिशत और 50,000 रु० से अधिक का व्यापार करने पर 20 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एजेंसी को भुगतान की गयी कुल रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) सुविख्यात एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन देने की वर्तमान परिपाठी से बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है और रेलों को, इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रशिक्षण दिये बिना और अन्य दायिताओं पर अपना अधिक खर्च किये बिना ही ठोस आय प्राप्त हो जाती है।

अजमेर-कांचीगुडा एक्सप्रेस गाड़ी में डकैती

525. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर-कांचीगुडा एक्सप्रेस गाड़ी में गोतमपुरा और फतेहाबाद स्टेशनों के बीच हाल में डकैती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों के जान-माल की कितनी क्षति हुई; और

(ग) क्या रेलवे ने यात्रियों को हुई क्षति का कोई हर्जाना दिया है और इस ट्रेन डकैती का कोई सुराग मिला है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां । 14-9-1980 की रात को पश्चिम रेलवे के रतलाम-इन्दौर मीटर लाइन खंड पर गोतमपुरा रोड और फतेहाबाद स्टेशनों के बीच 581 अप अजमेर-कांचीगुडा सवारी गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में सशस्त्र डकैती डाली गयी थी और बदमाशों ने यात्रियों से लगभग 29,380 रु० की नगदी/का सामान लूट लिया था । बदमाशों ने एक महिला यात्री के माथे पर आघात पहुंचाकर उसे घायल भी कर दिया था। एक अन्य यात्री के पैर और सिर पर चोटें आयी थीं, क्योंकि उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था । इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

(ग) भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मामलों में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है। राजकीय रेलवे पुलिस इन्दौर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती) के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है और जांच हो रही है ।

रेलवे के लिये 11-सूत्री कार्यक्रम

526. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए उनके मंत्रालय ने 11-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम में उल्लिखित बातों को क्रियान्वित किया जा रहा है और क्या प्रत्येक बात को क्रियान्वित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 11-सूत्री कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. रेल उपयोगकर्ताओं के प्रति व्यवहार,
2. गाड़ियों को फिर से समय पर चलाने की व्यवस्था,
3. बिना टिकट यात्रा और अनधिकृत खतरे की जंजीर खींचने की रोकथाम,
4. रेल सम्पत्ति और माल की चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम,
5. यात्रियों के लिए जल, सफाई, रोशनी और खान-पान जैसी सुविधाओं की व्यवस्था,
6. कार्यकुशलता में वृद्धि करके रेल कारखानों में उत्पादन बढ़ाना,
7. ईंधन की खपत में मितव्ययता द्वारा रेलवे राजस्व में वृद्धि करना तथा रेलवे राजस्व की हानि की रोकथाम,
8. कोयला, इस्पात आदि माल के शीघ्र परिवहन की व्यवस्था,

9. पूर्ववर्ती शासन के दौरान रद्द की गयी गाड़ियों को दुबारा चलाना,

10. रेल कर्मकारों के लिए समुचित सुविधाएं सुनिश्चित करना है, और

11. स्थायी स्वैच्छिक समिति की सहायता से जनता की शिकायतों के संबंध में रेल मंत्रालय को अवगत करना।

(ग) जी हाँ।

(घ) किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. शिष्टाचार—यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो रेल कर्मचारी उपयोगकर्ताओं के सम्पर्क में आते हैं, वे उन्हें बेहतर किस्म की सेवा प्रदान करें और ग्राहकों को अधिक संतुष्ट करें विचार गोष्ठियाँ, शिष्टाचार सप्ताह आदि विशेष अभियान प्रारम्भ किये गये हैं। पूछताछ का तत्परता और शिष्टतापूर्वक उत्तर दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों के पूछताछ कार्यालयों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

2. **गाड़ियों का समय पर चलना :** मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तरों पर निगरानी रखकर गाड़ियों के समय पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

3. बिना टिकट यात्रा और अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की रोकथाम :

बिना टिकट यात्रा : क्षेत्रीय रेलों में बिना टिकट यात्रा की जांच के काम में तेजी लायी गयी है। टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को बड़ी संख्या में तैनात करके बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध विशेष जांच की गयी है। टिकट जांच कर्मचारियों की सहायता के लिए स्थानीय संगठनों के स्वयंसेवियों और कालेजों और स्कूलों के छात्रों को भी सहयोजित किया जाता है। बड़े शहरों में और उनके आस-पास व्यापक जांच की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

खतरे की जंजीर खींचना : शरारती तत्वों द्वारा खतरे की जंजीर खींचने, होस पाइप और क्लेपेट वाल्व प्रक्रिया को खोलकर अलग करने के विरुद्ध विशेष जाँच की जा रही है। बदनाम खंडों और प्रभावित गाड़ियों में टिकट जाँच कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को मिलाकर खतरा-जंजीर निरोधक दस्ते तैनात किये गये हैं।

यात्रियों विशेषकर छात्र समुदाय में बिना टिकट यात्रा और खतरे की जंजीर खींचने के विरुद्ध शिक्षाप्रद प्रचार किया जा रहा है। चूंकि बिना टिकट यात्रा और खतरे की जंजीर खींचने का दुरुपयोग करने की बीमारी देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, अतः उच्च स्तर पर सम्पर्क करके समय-समय पर राज्य सरकारों का सहयोग लिया जाता है।

4. रेल सम्पत्ति और माल की चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम :

रेल सम्पत्ति और माल की चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। बदनाम खंडों में महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र मार्गरक्षी तैनात किए जाते हैं, प्रभावित खंडों और यार्डों में नियमित रूप से गश्त लगायी जाती है, सभी महत्वपूर्ण

यार्डों, माल गोदामों की रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चौबीसों घंटे चौकसी की जाती है, बदनाम स्थलों, आउटर सिगनलों और इंजीनियरी प्रतिबन्धों वाले स्थानों के निकट, जहां गाड़ी धीमी हो जाती है, विशेष ध्यान दिया जाता है, अधिक मूल्यवान वस्तुओं, ब्लाक गाड़ी भार, इस्पात के परेषणों, खाद्यान्न और कोयला ले जाने वाले माल डिब्बों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल को मार्ग-रक्षी के रूप में तैनात किया जाता है। पूर्व रेलवे के कोयला पट्टी वाले क्षेत्रों में अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए, कोयले के रेकों की मार्ग रक्षा और बदनाम क्षेत्रों में रेल पथ की गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 5 कम्पनियां हाल ही में तैनात की गयी हैं।

बिजली फिटिंग और लोको कोयले की चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए भी अभियान चलाए गए हैं।

5. यात्रियों के लिए जल, सफाई, रोशनी और खान-पान जैसी समुचित सुविधाओं की व्यवस्था :

पीने का पानी : कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों में यात्रियों को पेंट्री यान के बेअरों और यान परिचरों के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था की गयी है। गाड़ी खड़ी होने पर यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेशनों पर पानी की ट्रालियों की व्यवस्था की गयी है। कुछ स्वयंसेवी एजेंसियों/सामाजिक संगठन भी स्टेशनों पर प्याऊ लगाकर रेलवे के प्रयासों में सहयोग देते हैं।

स्वच्छता और सफाई : स्टेशन परिसरों, प्लेटफार्मों, बुकिंग कार्यालयों, पार्सल कार्यालयों, माल गोदामों, परिचलन क्षेत्रों, खानपान स्टालों, प्रतीक्षालयों आदि की सब प्रकार से स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान प्रारम्भ किये गए हैं। सवारी डिब्बों में स्वच्छता सुनिश्चित करने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में चलते-फिरते सफाई वाले तैनात किए गए हैं जो चलती गाड़ी में उपलब्ध रहते हैं। स्वच्छता बनाए रखने के प्रति रेल उपयोगकर्ताओं को सुशिक्षित करने और उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए दूर-दर्शन, आकाशवाणी और समाचार-पत्र जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।

रोशनी : यह सुनिश्चित करने के लिए एक सघन अभियान चलाया गया है कि प्रारम्भिक स्टेशन से प्रस्थान करते समय गाड़ियों में रोशनी, पंखे, जैसी फिटिंग पूरी तरह से हो। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए, गाड़ी प्रारम्भिक स्टेशनों पर ड्यूटी अधिकारी नामित किए गए हैं जो स्टेशन से छूटने वाले रेक का निरीक्षण करते हैं।

खानपान : क्षेत्रीय रेलों ने खानपान सेवा का बेहतर स्तर सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए जा रहे हैं, उनमें विभागीय खान-पान प्रतिष्ठानों का आधुनिकीकरण/विकास, वर्तमान खानपान प्रतिष्ठानों का नवीकरण, विभागीय और ठेकेदार द्वारा संचालित खानपान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण/की अचानक जांच, प्रामाणिक स्रोतों से अच्छी किस्म की खाद्य सामग्री की खरीद, जन शिकायतों की तत्परता से छानबीन करना और सुधारात्मक उपाय करना, भोजन तैयार करने और परोसने में सफाई और स्वच्छता बनाए रखना, आदि शामिल हैं।

6. कार्य कुशलता बढ़ाकर रेलवे कारखानों में उत्पादन में तेजी लाना :

रेलवे मरम्मत कारखानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। बिजली और नाजुक फालतू पुर्जों की उपलब्धता की तंगी के बावजूद, माल डिब्बा और सवारी डिब्बा स्टाक के आवधिक ओवरहाल के रूप में, रेलवे मरम्मत कारखानों की उत्पादकता में धीरे धीरे सुधार दिखायी दिया है।

7. इंधन की खपत में मितव्ययता करके रेलवे राजस्व में वृद्धि करना और रेलवे राजस्व की हानि की रोकथाम :

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में एक ईंधन नियंत्रण संगठन है जो ईंधन की खपत पर निगरानी रखता है और मितव्ययता लाने के उपाय करता है। ईंधन की खपत में मितव्ययता लाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उनमें कोयला खानों में रेलवे के लिए लादे जाने वाले कोयले की किस्म की जांच करना, ड्राइवरों के लिए फेरा-राशन निर्धारित करना, जो ड्राईवर ईंधन की अत्यधिक भारी खपत करते हैं, उनका मार्ग दर्शन करना तथा उठाईगीरी पर नियंत्रण के लिए सख्त जाँच करना शामिल है।

डीज़ल इंजनों के अनुरक्षण में सुधार करके उच्च गति डीजल तेल की खपत में मितव्ययता प्राप्त करने, इंधन की खपत के मामले में इंजनकर्मियों के लिए गहन प्रशिक्षण, उच्च गति डीजल तेल की ड्राइवर-वार खपत बनाए रखना और दोषी ड्राइवरों का पता लगाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

ईंधन की हानि के कारण होने वाली रेलवे राजस्व की हानि की रोकथाम के लिए, लदान स्थलों पर कोयले के माल डिब्बों को तोलने पर जोर दिया जा रहा है, परिवहन में हुई हानि का मूल्यांकन करने के लिए प्राप्ता स्टेशनों पर नमूने के रूप में, तोल किया जाता है, कोयला का स्टाक शेडों में रखा जाता है और छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए चट्टों पर चूने का छिड़काव किया जाता है तथा लोको शेडों में कोयला यार्डों में सुरक्षा व्यवस्था और रोशनी की व्यवस्था की गयी है।

8. कोयला, इस्पात जैसे माल का शीघ्र परिवहन :

इस्पात कारखानों से माल की ढुलाई लगभग उसी स्तर पर है जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान थी। इस्पात कारखानों में हाट मैटल के उत्पादन में कुछ गिरावट आयी है जिसका इस्पात कारखानों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कच्चे माल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

क्षेत्रीय रेलों से कहा गया है कि वे विशेषकर निजी उद्योगों के लिए कोयले के लदान में और तेजी लायें।

कोयले और इस्पात की ढुलाई में तेजी लाने के लिए जहां कहीं सम्भव है, ब्लाक रेकों में लदान और ढुलाई का सिद्धान्त लागू किया जा रहा है।

9. पिछले शासन में रद्द की गयी गाड़ियों को दुबारा चलाना :

जो सवारी गाड़ियां, 80 से पूर्व रद्द कर दी गयी थीं, वे सबकी सब 31-3-80 तक दुबारा चला दी गयी हैं।

10. रेल कर्मकारों को समुचित सुविधाएं प्रदान करना :

रेल कर्मचारियों की सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पुराने और जीर्ण-शीर्ण कर्मचारी क्वार्टरों का नवीकरण किया जा रहा है और उनमें पानी के नल, स्वच्छ शौचालय, बिजली और बिजली पंखे जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

11. स्थायी स्वैच्छिक समिति की सहायता से जनता की शिकायतों के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय को अवगत कराना :

रेल मंत्रालय ने हाल ही में स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है जिसमें स्टेशनों के निरीक्षण का काम भी शामिल है। यात्रियों की प्रतिक्रिया और समिति द्वारा पायी गयी कमियों से रेल मंत्रालय को अवगत कराया जा रहा है।

ईरान और इराक स्थित भारतीय दूतावासों का वहां रहने वाले भारतीयों के प्रति उदासीनता रवैया

527. **श्री सत्यनारायण जटिया :**
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री डा. वसंत कुमार पंडित :
श्री पी० एम० सईद :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पी० के० कोडियन :
श्री एफ० एच० मोसिन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक-ईरान युद्ध के कारण कितने भारतीय राष्ट्रिक भारत लौट आए हैं;

(ख) क्या सरकार को इरान और ईराक स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों के प्रति उदासीन असहयोग और उपेक्षा का बर्ताव किए जाते के बारे में गंभीर शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी जांच का क्या परिणाम है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) लगभग 10,000 भारतीय राष्ट्रिक।

(ख) और (ग) कुछ शिकायतें मिलीं भी और अखबार की खबरों में भी इस तरह की शिकायतें देखने में आयी थीं लेकिन हमारे मिशन के कार्मिकों ने इराक से होने वाले इस भारी उद्वासन के काम को जिस तरह से किया है उसकी भी अखबारों में बहुत प्रशंसा की गयी है। दूसरे देशों के राष्ट्रिकों ने भी हमारे कर्मचारियों की सहायता ली थी और उनमें से बहुतों ने इसके लिए हमें धन्यवाद के पत्र भी लिखे हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा प्रतिदिन छोड़े गए ट्रिपों की संख्या

528. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा प्रतिदिन कितने ट्रिप्स छोड़े (मिसड्) जाते हैं; और

(ख) उससे होने वाली औसत हानि क्या है और उसमें सुधार के लिए प्रस्तावित उपाय क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने अक्टूबर, 1980 के महीने के दौरान रोजाना औसतन 4769 ट्रिप (13.09 प्रतिशत) मिस किए जबकि कुल 36,421 ट्रिप लगाए जाने चाहिए थे।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि इस प्रकार का मूल्यांकन करना संभव नहीं है क्योंकि आमतौर पर छूट जाने वाले ट्रिपों के यात्री उसके बाद जाने आने वाली बसों में चले जाते हैं और अधिकांश मामलों में तो यात्री उसी रूट पर चलने वाली अन्य बसों से चले जाते हैं। इस बात का ख्याल रखने के लिए कि ट्रिप कम-से-कम छूटें, बसों के रखरखाव और संचालन में लगातार सुधार किया जा रहा है।

रेड-क्रास सोसाइटी द्वारा अस्पतालों को रक्त की पूर्ति बन्द करना

529. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के औषध नियन्त्रक ने रेड-क्रास सोसाइटी से प्रशासन के किसी भी अस्पताल में रक्त की पूर्ति न लेने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औषध नियन्त्रक द्वारा 3 मार्च, 1980 को सोसाइटी के निरीक्षण पर गम्भीर अनियमितताओं और अनुचित कमी, तालिका बनाने और परीक्षण संबंधी गलत तरीकों का पता चला था;

(घ) कर्त्तव्यों तथा नियमों के इस उल्लंघन पर सोसाइटी के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई; और

(ङ) दिल्ली के अस्पतालों को रक्त की पूर्ति के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन के कुछेक अधिकारियों ने 5 मार्च, 1980 को रेडक्रास रक्तकोष का निरीक्षण किया था और रक्तकोष के कार्यसंचालन में कुछेक कमियां बतलाई थीं। सोसाइटी ने इन कमियों के बारे में स्पष्टीकरण दे दिए थे। जुलाई, 1980 में दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रक ने सोसाइटी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए

अपनी असमर्थता व्यक्त की थी जिसके फलस्वरूप सोसाइटी ने कुछ समय के लिए रक्त एकत्र करना और सप्लाई करना बन्द कर दिया था। चूंकि रक्तकोष के कार्यसंचालन की वास्तविक कमियां दूर कर दी गई थीं इसलिए 8 अगस्त, 1980 को लाइसेंस का नवीकरण कर दिया था। तब से रक्तकोष सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

गर्भपात की नई औषधि का विकास

530. **डॉ० वसंत कुमार पंडित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भारतीय वैज्ञानिकों नें गर्भपात की नई औषधि निकाली है जिसे इसबटेंट (इसबगोल डेंट) कहते हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशों से प्राप्त होने वाली इस प्रकार की गर्भपात संबंधी औषधियों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस औषधि के बारे में परीक्षण किये हैं और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार नई औषधि के वाणिज्यिक उपयोग के लिये बनाने हेतु देशी निर्माताओं को प्रोत्साहन देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इस उपाय के परिणाम विदेशों में उपलब्ध ऐसे ही उपायों के बरावर ही बताए गए हैं।

(ग) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ-साथ अन्य संस्थाओं ने भी परीक्षण किये थे। उनके इन परीक्षणों के आधार पर ही इस उपाय को बाजार में बेचने के लिए अनुमोदित किया गया।

(ग) इसप्टेंट बाजार में "डिलेक्स-सी" के ट्रेड नाम से उपलब्ध है।

मरुधर एक्सप्रेस को रोजाना चलाना

531. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मरुधर एक्सप्रेस रोजाना कब तक चलने लगेगी;

(ख) क्या रेल प्रशासन का विचार इस एक्सप्रेस गाड़ी की गति बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उचित अनुरक्षण और संरक्षा के हित में, आजकल सप्ताह में छः दिन चलने वाली 503/504 मरुधर एक्सप्रेस को सप्ताह के सभी सातों दिन चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ख) 504 जोधपुर-जयपुर मरुधर एक्सप्रेस का चालन-समय 1-11-80 से 15 मिनट कम कर दिया गया है। 503/504 मरुधर एक्सप्रेस के चालन-समय में और कमी करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

ईरान और इराक से अन्य देशों को गए भारतीय

532. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और इराक के बीच चल रहे युद्ध के दौरान इन दोनों देशों से अनेक भारतीय दूसरे देशों को चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीयों की किन देशों ने मदद की है; और

(ग) ऐसे कितने देश हैं जहां वे गए हैं और उन्हें संरक्षण दिया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) ईरान और इराक के बीच लड़ाई शुरू हो जाने की वजह से ईरान और इराक का वायु क्षेत्र बंद कर दिया गया था और इसीलिए ईरान और इराक से आने वाले सभी भारतीयों को पड़ोसी राज्यों में होते हुए सड़क मार्ग से आना पड़ा था। ये देश थे कुवैत, जोर्डन, सीरिया, टर्की, सोवियत संघ और पाकिस्तान। इन सभी देशों ने अपने देश से होकर हमारे राष्ट्रिकों को आने में पूरी सुविधा और सहयोग दिया।

मैट्रो रेलवे कलकत्ता की दीवार गिर जाने का समाचार

533. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में कालीघाट पार्क के निकट मैट्रो रेलवे की दीवार गिर गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इस बीच कौन से पूर्वोपाय किये गये हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) महाप्रबन्धक, मैट्रो रेलवे द्वारा नियुक्त जांच समिति के मतानुसार ठेका खंड 25-ए-II में सड़क और डायाफ्राम दीवार के धँसने का मूल कारण ट्राम लाइन के नीचे सीवर के रिसने के कारण भूमि धँसना और डायाफ्राम दीवार के पीछे भूमि खिसकना था।

(घ) भूमि धंसने की घटना को रोकने के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय किये गये हैं :—

(1) निम्नलिखित स्थानों पर सीमेंट गारा के साथ अधिक गहराई तक दबाव पिलाई करना :

(क) जहां कहीं मैट्रो लाइन के निकट सीवर से रिसाव होने का डर हो।

(ख) जहां कहीं डायाफ्राम का बनाया जाना अपरिहार्य हो वहां खास जनोपयोगी सेवाओं के कारण डायाफ्राम दीवार न बनाना।

(2) रिसन और भूमि धँसने, यदि कोई हो, को रोकने के लिए भविष्य में लकड़ी के बदले केवल इस्पात परिवेस्टन का इस्तेमाल करना और इस्पात की प्लेटों से ढककर मौजूदा लकड़ी परिवेस्टन की सुरक्षा करना।

(3) बराबर भार सुनिश्चित करने के लिए ट्राम पथ पर उन्हीं हिस्सों में लकड़ी के स्लिपरों का इस्तेमाल करना जहां पर ट्राम लाइन सीवर के ऊपर होकर गुजरती है।

(4) खाइयों में पानी भरने पर इनमें से शीघ्र पानी की निकासी सुनिश्चित करना।

(5) सटे हुए अवकलों (तत्वों) की साथ-साथ पूरी गहराई तक खुदाई अधिकतम दो अवकलों तक सीमित रखना।

(6) अपरिहार्य कारणों से अधिक विलम्ब की संभावना होने के मामले में दूसरी टेक स्तर तक खाइयों को भरना।

ईरान में भारतीय डाक्टरों की स्थिति

534. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान में कितने भारतीय डाक्टर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ भारतीय डाक्टरों को, जो इरान के संकटग्रस्त क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं, रोका जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें अविलम्ब इरान से मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) ईरान में लगभग 2500 भारतीय चिकित्सा और पैरा चिकित्सा कार्मिक कार्यरत हैं। कुछ भारतीय चिकित्सा कार्मिक लड़ाई शुरू होने के बाद तत्काल परिवहन या प्रतिस्थापन न मिल सकने के कारणों से संकटग्रस्त इलाकों से निकल नहीं पाए। तेहरान स्थित भारतीय राजदूतावास के कहने पर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये अनुदेश जारी किए हैं कि भारतीय चिकित्सा कार्मिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। वे इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि जो लोग ईरान में नहीं रहना चाहते उनमें से ज्यादातर लोगों को, जो संकटग्रस्त इलाकों में काम कर रहे हैं, ईरान से जाने की अनुमति दे दी है। तेहरान स्थित हमारा राजदूतावास भारतीय कार्मिकों और ईरानी अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

बम्बई और कलकत्ता में पंजीकृत नाविकों की संख्या

535. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1980 को (1) विदेश जाने वाले जहाजों पर और (2) बम्बई तथा कलकत्ता स्थित नाविक रोजगार कार्यालयों में देशी व्यापार जहाजों पर पंजीकृत नाविकों की संख्या कितनी थी और कर्मचारियों के लिए कितने रोजगार उपलब्ध थे;

(ख) उनमें से कितने प्रशिक्षित नाविक हैं, और

(ग) शेष बेरोजगार नाविकों के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1.10.80 को रजिस्टर्ड नाविकों और उपलब्ध नौकरियों की संख्या इस प्रकार थी :—

	नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई		नाविक रोजगार कार्यालय कलकत्ता	
	विदेश जाने वाले जहाजों पर	देशी व्यापार जहाजों पर	विदेश जाने वाले जहाजों पर	देशी व्यापार जहाजों पर
रजिस्टर्ड नाविकों की संख्या	26153	644	10583	195
नौकरियों की संख्या	15809	470	4598	123

(ख) बम्बई और कलकत्ता में प्रशिक्षित नाविकों की संख्या क्रमश: 16342 और 8104 है।

(ग) भारतीय नाविकों में बेरोजगारी की समस्या या अध्ययन करने और उसे दूर करने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

मुवत्तुपुझा पुल पर पैदल पथ

536. **श्री स्कारिया थामस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इर्णाकुलम-क्विलोन सेक्शन में मुवतुपुझा पुल पर एक पैदल पथ का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसके कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) एर्णाकुलम-क्विलोन खंड पर मुवात्तुपुजा नदी पर पुल सं० 402 पर पैदल पथ की व्यवस्था करने के लिए बेल्लुर पंचायत और स्थानीय जनता की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) रेलों के पुल केवल रेल यातायात ले जाने के लिए बनाये तथा अभिकल्पित किये जाते हैं और उन पर जनता के लिए पैदल पथों की व्यवस्था नहीं की जाती। जनता के लिए पैदल पथों की व्यवस्था राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के अनुरोध पर केवल तभी की जाती है जब, उनका निर्माण करना व्यावहारिक हो और प्रचलित नियमों के अनुसार उस पर आने वाली सम्पूर्ण लागत (प्रारम्भिक तथा आवर्ती/अनुरक्षण) उनके द्वारा वहन की जाये। उपर्युक्त पुल के पैदल पथ पर लगभग 7 लाख रुपये लागत आयेगी और राज्य सरकार को विस्तृत योजना बनाने और अनुमानित लागत के 14,000 रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। अनुमानित लागत का भुगतान कर दिए जाने पर यह कार्य रेल प्रशासन द्वारा निष्पादित कर दिया जायेगा।

त्रिवेन्द्रम और हावड़ा के बीच सीधी रेल गाड़ी

539. श्री स्कारिया थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या त्रिवेन्द्रम से हावड़ा तक एक सीधी रेल गाड़ी चलाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) हावड़ा और तिरुवनन्तपुरम के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने, चाहे किसी एक गाड़ी का चालन-क्षेत्र बढ़ाया जाना हो, के बारे में जांच की गयी थी, परन्तु लाइन क्षमता तथा अपेक्षित संसाधनों के अभाव में उसे अव्यावहारिक नहीं पाया गया।

त्रिवेन्द्रम-ओलावकोट डिवीजन का विद्युतीकरण

538. श्री स्कारिया थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम- ओलावकोट डिवीजन की विद्युतीकरण का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अन्य खंडों की तुलना में जहां विद्युतीकरण का काम शुरू किया गया है, तिरुवनन्तपुरम-ओल्लव्वदकोड खंड पर यातायात का घनत्व बहुत कम है। इसलिए, निकट भविष्य में तिरुवनन्तपुरम-ओल्लव्वदकोड खंड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चंगनचेरी रेलवे स्टेशन

539. श्री स्कारिया थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंगनचेरी स्टेशन में सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्लेटफार्म नं० 1 को ऊंचा करने का कार्य जारी है । इसके मार्च, 1980 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

प्लैटफार्म नं० 1 की छत का 66.32 मीटर तक विस्तार करने और प्लेटफार्म नं० 2 पर 64.62 मीटर छत की व्यवस्था करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है । इस प्रयोजन के लिए लोहे की संरचना का निर्माण हो रहा है । इस कार्य के लगभग एक वर्ष में पूरा होने की आशा है ।

इसके अलावा; स्टेशन भवन में सुधार करने; जिसमें आरक्षण एवं पूछताछ कार्यालय, स्टेशन मास्टर के लिए अलग कार्यालय; स्टेशन भवन का जमावड़ा तथा बाहरी साजसज्जा शामिल हैं, के प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

बम्बई पत्तन न्यास द्वारा पोलिएस्टर यार्न की नीलामी

540. **श्री के० राममूर्ति :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने एक वर्ष पहले आयात किये गये लगभग 4000 किलोग्राम पोलिएस्टर यार्न और पोलिएस्टर स्टेशन की कुछ मात्रा की नीलामी की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो नीलामी का निर्णय लेने से पहले उसके मालिक के बारे में की गयी जांच का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) महाराजा टाइल्ज एण्ड मार्बल लि०, थाना को प्रेषित पोलिएस्टर फिलेमेंट यार्न के 273 कार्टनों तथा (1) अमेरिकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन, (2) पंजाब नेशनल बैंक, (3) मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज कम्पनी लिमिटेड, (4) भारत कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री लिमिटेड तथा (5) इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रेषित पोलिएस्टर फाइबर की 498 गांठों की नीलामी की घोषणा की गयी है । यह नीलामी दिसम्बर, 1980 में होगी ।

महापत्तन न्यास की धारा 61 और 62 के अधीन; न्यासी मंडल को अधिकार दिया गया है कि यदि उसे आयातकर्त्ताओं के नाम और पते मालूम हैं तो परेषितियों को नोटिस देकर और सरकारी राजपत्र और एक मुख्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कर माल के आने की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्त होने पर अपने प्रांगण में पड़े माल को बेच दे । इस मामले में प्रस्तावित बिक्री की नोटिस परेषितियों को दी गयी और सरकारी राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है ।

कंजूर मार्ग क्रासिंग पर उपरिपुल

541. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भंडुप, बम्बई में कंजूर मार्ग क्रासिंग के रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल अथवा निचला पुल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बिखरोली और भांडुप के बीच कंजूर मार्ग के पास किलोमीटर 24/16-17 पर समपार संख्या 16 के स्थान पर किलोमीटर 24/4-5 पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव पहले से ही अनुमोदित है और 1977-78 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल है।

इस काम के अनुमान की स्वीकृति दी जा चुकी है। चूंकि राज्य सरकार अभी तक पहुंच मार्गों के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पायी है, इसलिए रेलवे अपने हिस्से का काम शुरू नहीं कर सकी है। जैसे ही राज्य सरकार पहुंच मार्गों के निर्माण के कार्यक्रम की सूचना देगी, रेलवे काम शुरू कर देगी।

मध्य रेलवे उपनगरीय सेवायें

542. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दादर (बम्बई) में बिजली के पुराने जेनेरेटर पुरानी सिगनल पद्धति और ट्रैक पर अधिकतम यातायात के कारण मध्य रेलवे उपनगरीय सेवाएं बम्बई क्षेत्र के सरकारी यातायात की ढुलाई में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेलवे सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के पास कोई योजनाएं हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुनेलवेली रेलवे लोको स्टाफ द्वारा आन्दोलन

543. श्री जगपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली में रेलवे लोको स्टाफ द्वारा हाल ही में किया गया आन्दोलन हिंसक आन्दोलन के रूप में बढ़ गया और अन्तर-राज्य विवाद के रूप में फैल गया जिससे रेलवे को काफी हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो तिरुनेलवेली में रेलवे लोको स्टाफ द्वारा आन्दोलन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा अनुमानतः कितनी हानि उठाई गयी; और

(घ) क्या विवाद इस बीच हल हो गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) लोको रनिंग कर्मचारियों के साथ-साथ दक्षिण रेलवे के मदुरै मण्डल के अन्य कर्मचारियों ने एक आन्दोलन शुरू किया था। उनकी मांग थी कि तिरुनेलवेलि से नागरकोइल/कन्याकुमारी तक के नवनिर्मित बड़ी लाइन खंड को मदुरै मण्डल से सम्बद्ध किया जाये जबकि 28-2-80 को जारी की गयी अधिसूचना में इस खंड को तिरुवनन्तपुरम मंडल से संबद्ध किये जाने का उल्लेख किया गया था। इस आन्दोलन ने गंभीर रूप धारण नहीं किया था। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्य उक्त खंड को उनके राज्यों के रेल मंडल, मुख्यालयों अर्थात् मदुरै और तिरुवनन्तपुरम से सम्बद्ध करने की मांग कर रहे हैं। इस आन्दोलन के फलस्वरूप यात्री और माल गाड़ियों के रद्द कर दिये जाने के कारण आय में लगभग 23 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(घ) तत्कालीन मंत्री बहुत से संसद सदस्यों, केरल और तमिलनाडु के विपक्ष के नेताओं तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिले। विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर सरकार द्वारा अभी जांच की जा रही है।

जनवरी, 1980 के पश्चात् चलती गाड़ियों में लूटपाट और सशस्त्र डकैतियां

544. **श्री जगपाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से आज तक चलती गाड़ियों में लूटपाट की सशस्त्र डकैतियों की संख्या कितनी है तथा पिछले वर्ष की इस अवधि में इनकी संख्या कितनी थी; और

(ख) ऐसी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावग्रस्त डिवीजनों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी से अक्तूबर, 1980 के बीच गाड़ियों में लूटपाट के 214 और डकैतियों के 83 मामले हुए जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान इस तरह के क्रमशः 160 और 47 मामले हुए थे।

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटनाएं अधिकांशतः निम्नलिखित मंडलों पर हुई हैं :

मध्य रेलवे — बम्बई-उपनगरीय खंड और झांसी मंडल।

पूर्व रेलवे—हावड़ा, सियालदह, धनबाद और दानापुर मंडल।

उत्तर रेलवे - इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ मंडल।

पूर्वोत्तर रेलवे—वाराणसी, सोनपुर और इज्जतनगर मंडल।

दक्षिण पूर्व रेलवे—खड़गपुर, चक्रधरपुर, खोरधा रोड मंडल।

पश्चिम रेलवे—बम्बई-केवल उपनगरीय खंड।

1980 के दस महीनों में रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई

545. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के पहले दस महीनों में भारतीय रेलवे द्वारा कितने टन कोयले की ढुलाई की गई; और

(ख) इन महीनों में इस्पात संयंत्रों को समय पर कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980 के पहले नौ महीनों में रेलों द्वारा 457.7 लाख टन कोयले की ढुलाई की गयी। इसके अतिरिक्त रेलों ने इस अवधि में अपने उपयोग के लिए 96.5 लाख टन कोयले का संचलन किया। अक्तूबर 1980 के आंकड़े अभी सुलभ नहीं हैं।

(ख) कोयला खानों से और कोयला धुलाईघरों, इस्पात कारखानों के लिए कोयले के संचलन के लिए रेलों ने पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे लगा रखे हैं और इन डिब्बों का संचलन कड़े नियंत्रण में थोड़ी-सी दूरी के लिए ही किया जाता है।

1980 में जन-दिवसों की हुई हानि

546. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल में काम बन्द किए जाने के कारण 1980 में कितने जन-दिवसों की हानि हुई; और

(ख) इस हानि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार काम रोके जाने के सभी मामलों में रेल प्रशासनों द्वारा 'काम नहीं तो दाम नहीं' का सिद्धान्त लागू किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, गैर-कानूनी रूप से काम रोकने वाले कर्मचारी की सेवा-भंग भी की जाती है। (इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने पर जन-दिन की हानि की घटनाएं कम हो जाती हैं।)

विवरण

रेलवे	भारतीय रेलों (उत्पादन इकाइयों सहित) पर 1-1-80 से 30-9-80 तक की अवधि में काम रोकने/आन्दोलनों आदि के कारण जन-दिन की हानि की मात्रा
मध्य	575.5
पूर्व*	—
उत्तर	20461.46
पूर्वोत्तर*	—
पूर्वोत्तर सीमा*	—
दक्षिण	8735
दक्षिण-मध्य	287
दक्षिण-पूर्व	12197.5
पश्चिम	1349
चि. रे. इं. का.	65.5
डी. रे. इं. का.	शून्य
स. डि. का.	396
जोड़	44067.0*

*इन आंकड़ों में पूर्व, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर जन-दिनों की हानि के आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि उनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान के लिए रेल सेवा आयोग

547. श्री अशोक गहलोत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी रेलवे के अधीन राजस्थान के लिए एक पृथक रेल सेवा आयोग की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) देश में रेल सेवा आयोगों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली और जोधपुर के बीच नई रेलगाड़ी आरम्भ करना

548. श्री अशोक गहलोत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रींगस-फुलेरा के रास्ते दिल्ली और जोधपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली और जोधपुर के बीच प्रस्तावित गाड़ी चलाने का न तो यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य है और न ही परिचालन की दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक है क्योंकि रास्ते के कुछ खंडों में लाइन क्षमता पर बड़ा दबाव पड़ रहा है और दिल्ली (मी. ग.) में टर्मिनल सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

नेपाल में भारतीय व्यापारियों पर आक्रमण

549. श्री एन० ई० होरो : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1980 के "विश्वमित्र" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेपाल के झापा क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों पर आक्रमण किया गया था और "भारतीयो वापस जाओ" के नारे लगाये गये थे;

(ख) क्या ये सब कार्य नेपाल लीग, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा करवाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने यह खबर देखी है। सरकार की सूचना के अनुसार बढ़ते हुए मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं की कमी और कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1980 में नेपाल के झापा क्षेत्र सहित मेची अंचल में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन तथा भारतीय मूल के लोगों की दुकानों

और स्थापनाओं की लूट की घटनाएं हुईं। भारतीय मूल के कुछ लोगों के साथ किये गए दुर्व्यवहारों की खबरों की सूचना भी मिली थी।

(ग) इस मामले में नेपाल स्थित हमारे राजदूत केवल नेपाली विदेश कार्यालय के साथ ही घनिष्ठ सम्पर्क नहीं बनाए हुए हैं अपितु उन्होंने नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ भी इस मामले को उठाया है। नेपाल के प्रधान मन्त्री ने हमारे राजदूत को सूचित किया है कि इन घटनाओं से वे स्वयं चिन्तित हैं और वे इन्हें रोकने के उपाय करेंगे। स्थिति अब नियन्त्रण में बतायी जाती है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपों में अन्तर्देशीय नौवहन सेवा

550. **श्री मनोरन्जन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपों में अन्तर्देशीय नौवहन सेवा गत तीन वर्षों से असन्तोषजनक ढंग से चल रही है और उस दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के अभाव में अकथनीय दुखों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सेवा में तत्काल सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है;

(ग) क्या एस० एस० छालुंगा, एक अन्तर्द्वीपीय पोत, जो 1948 का निर्मित है, यात्री सेवा के उपयुक्त नहीं है परन्तु फिर भी उसे काम में लाया जा रहा है, यदि हां, तो इस पोत को कब बदला जायेगा; और

(घ) 1 जनवरी, 1980 से 20 अक्तूबर, 1980 के बीच प्रति मास पोर्ट ब्लेअर से दिगलीपुर के लिए कितने चक्कर लगाये गये और चक्कर लगाने वाले पोतों के नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में यात्रियों तथा माल के यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने अन्तर्द्वीपीय सेवा के लिए यात्री एवं माल की पर्याप्त क्षमता वाले दो जहाजों की खरीद के लिए 30-8-80 को स्वीकृति दी है।

(ग) एस० एस० छालुंगा यात्रियों को ले जाने के लिए समुद्री यात्रा के योग्य है तथा मौजुदा सुरक्षा प्रमाणपत्र मार्च, 1981 तक वैध है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई कोच फैक्ट्री के लिए प्रस्ताव

551. **श्री सी० चिन्तास्वामी** :

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तमिलनाडु में अथवा अन्य किसी स्थान पर नई कोच फैक्ट्री लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक नये रेल डिब्बा उत्पादन कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, परन्तु उसके स्थान के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

मद्रास में एक केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने की मांग

552. **श्री सी० चिन्ना स्वामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास में एक केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने के लिए तमिलनाडु में की गई मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संस्थान की स्थापना के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रत्येक जिले में टी० बी० सेनेटोरियम का खोला जाना

553. **श्री सी० चिन्ना स्वामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से प्रत्येक जिले में टी० बी० सेनेटोरियम खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में कितने टी० बी० सेनेटोरियम खोलने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

नेपाली अधिनियमों का भारतीय राष्ट्रकों पर प्रभाव

554. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2018 संवत् के नेपाल प्राइवेट फर्म रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेपाल इन्कमटैक्स एक्ट 35 और फोरेन टैक्स, नेपाली एजेन्सी एक्ट संवत् 2014, नेपाल कन्ट्रेक्ट एक्ट 2031 तथा नेपाल फोरेनर्स एक्ट की धारा 13 का नेपाल में भारतीय राष्ट्रिकों पर तथा भारत-नेपाल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या भारत सरकार ने काठमांडू में भारतीय दूतावास से कहा था कि 1973 के भारत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का नेपाली समाचार पत्रों में प्रचार किया जाये परन्तु दूतावास ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की;

(ग) क्या भारतीय दूतावास द्वारा एक व्यापारिक कंपनी मैसर्स काठमांडू आटोमोबाइल्स को कार द्वारा आने जाने के लिए परमिट दिया गया था और वह कार हशीश की तस्करी में पकड़ी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई और उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) नेपाल निजी फर्म पंजीकरण अधिनियम संवत् 2018, नेपाल आयकर अधिनियम 35 और विदेशी कर, नेपाल एजेन्सी अधिनियम संवत् 2014, नेपाल ठेका अधिनियम 2031 और नेपाल के विदेशी अधिनियम की धारा 13 में विदेशी राष्ट्रिकों पर प्रतिबंध लगाये गये हैं जिनमें नेपाल के भारतीय भी शामिल हैं। खासतौर पर नेपाल निजी फर्म पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अपनी निजी फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ नेपाली नागरिकता को प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होती है, नेपाल आयकर अधिनियम के अंतर्गत गैर नेपाली लोगों से कर की अग्रिम अदायगी के लिए कहा जा सकता है, नेपाली एजेन्सी अधिनियम के अंतर्गत नेपाल के नागरिकों को विदेशी कम्पनियों के अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत करते समय प्राथमिकता देनी होती है; नेपाल ठेका अधिनियम के अंतर्गत नेपाली ठेकेदारों को जहां सिर्फ पांच प्रतिशत सेक्योरिटी जमा करानी होती है वहां विदेशियों को जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, दस प्रतिशत सेक्योरिटी जमा करानी होती है और ठेके के लिए आवेदन देने से पहले उन्हें लाइसेंस लेना होता है। विदेशी अधिनियम धारा 13 के अंतर्गत भारतीयों की सम्पत्ति अर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और रोजगार पर भी नियंत्रण लागू कर दिया गया है। इन कानूनों से भारतीय राष्ट्रिकों पर दुष्प्रभाव पड़ने के विशिष्ट मामले नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास ने समय-समय पर उठाए हैं।

(ख) भारत सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास को इस तरह के अनुदेश नहीं दिए थे कि वह नेपाल के समाचार पत्रों में भारतीय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का प्रचार करे।

(ग) और (घ) मैसर्स काठमांडू आटोमोबाइल्स की श्योरिटी नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा आमतौर से स्वीकार की गई है लेकिन चूंकि इस बात का संदेह था कि 3 अगस्त, 1979 को तथाकथित औषधि तस्करी में जो कार पकड़ी गई थी उसकी गारन्टी/श्योरिटी मैसर्स काठमांडू आटोमोबाइल्स ने दी थी इसलिए राजदूतावास को यह सलाह दी गई है कि उक्त फर्म के विरुद्ध लगाए गए अभियोग की जांच जब तक पूरी न हो जाए तब तक इस फर्म द्वारा दी गई श्योरिटी स्वीकार न की जाए।

फारस की खाड़ी और हिन्द महासागर में विदेश नौसैनिक जहाजों का होना

555. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के बहुत से देशों ने अमरीका के नेतृत्व में फारस की खाड़ी में बहुत से युद्ध पोतों आदि का अपना बेड़ा भेजा है;

(ख) क्या मारिशस सरकार की इस मांग की घोर उपेक्षा करते हुए कि, दिआगो गार्शिया का द्वीप उसे लौटा दिया जाए, अमरीका वहां पर अपने सैनिक अड्डे को मजबूत कर रहा है; और

(ग) हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र के रूप में रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प को लागू करने के लिए भारत सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) फारस की खाड़ी के आसपास अमरीका, यू० के० और फ्रांस सहित कुछ पश्चिमी शक्तियों के नौसैनिक पोतों की मौजूदगी बतायी गई है।

(ख) सरकार को यह जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमरीका दिआगो गार्शिया में अपने सैनिक अड्डे को मजबूत कर रहा है। हिन्द महासागर के बारे में अपनी संशोधित नीति के अंतर्गत, इस क्षेत्र में बढ़ती हुई अमरीकी सैनिक शक्ति के लिए दिआगो गार्शिया प्रधान सम्पर्क केन्द्र होगा, विशेष तौर पर इस क्षेत्र में रेपिड डिप्लोयमेंट फोर्स रखने संबंधी अमरीकी योजनाओं के संदर्भ में।

(ग) भारत ने कई मौकों पर यह दोहराया है कि वह 1971 के संयुक्त राज्य संकल्प के अनुसार हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की घोषणा का पूरी तरह समर्थन करता है। भारत ने हिन्द महासागर में बड़े-बड़े देशों की सैनिक शक्ति की मौजूदगी का हमेशा ही विरोध किया है जिसके कारण हमारे पड़ोस में हुये तनाव और संघर्ष पैदा हो जाते हैं तथा शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो जाता है।

भारत अन्य गुटनिरपेक्ष, समुद्र तटवर्ती और पश्च राज्यों के साथ मिलकर, 1971 की घोषणा में निहित धारणा को बनाये रखना चाहता है, जिसके अनुसार हिन्द महासागर में बड़े देशों की सैनिक शक्ति मौजूद नहीं रहनी चाहिए। 1971 की घोषणा के कार्यान्वयन के लिए, 1981 में हिन्द महासागर सम्मेलन आयोजित किए जाने का भारत समर्थन करता है।

संयुक्त राष्ट्र में कम्पूचिया के बारे में भारत का मतदान में भाग न लेना

556. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हेंग सेमेरिन के नेतृत्व वाली सरकार का कम्पूचिया पर पूर्ण अधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में हुए चुनावों के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में हुए मतदान में भारत द्वारा भाग न लिए जाने के क्या कारण थे ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) ऐसा लगता है कि कम्पूचिया जन-गणराज्य की सरकार का कम्पूचिया पर प्रभावकारी नियंत्रण है सिवाय कुछेक इलाकों को छोड़कर जो कि थाई-कम्पूचिया सीमा पर स्थित हैं।

(ख) भारत ने 30 देशों द्वारा प्रस्तुत उस संकल्प पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जो 22 अक्तूबर, 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकृत हुआ था और जिसके पक्ष में 97 और विपक्ष में 23 मत पड़े थे और 22 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। भारत इन्डोचीन के राज्यों और एसियाई देशों के बीच बातचीत शुरू होने के हक में है। इसके अतिरिक्त इस

संकल्प के कुछ अन्य पक्ष भी, जैसे कम्पूचिया की समस्या का शांतिपूर्ण तरीकों से व्यापक राजनीतिक समाधान खोजने का उसका अभिव्यक्त लक्ष्य, हमारे दृष्टि कोण के विपरीत नहीं पड़ते।

लेकिन इस संकल्प में एक यह भी व्यवस्था की गयी थी कि एक सम्मेलन बुलाया जाए और उसमें कंपूचियों के विवाद ग्रस्त पक्षों को शामिल किया जाए और इसमें यदि व्यवस्था यह भी है कि कंपूचिया में संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में स्वतंत्र चुनाव कराए जायें क्योंकि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य कम्पूचिया की हेंग समरिन सरकार की जड़ खोदना था जिसे हम मान्यता प्रदान कर चुके हैं। इसलिए भारत ने इस संकल्प पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

मतदान में हमारे हिस्सा न लेने से हेंग समरिन की सरकार को हमारी मान्यता पर कोई असर नहीं पड़ता। वास्तव में भारत ने पहले पोल-वोट की सरकार के प्रत्यय पत्र स्वीकार करने के विरुद्ध मत दिया था।

पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों में कथित असंतोष

557. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है जो हाल ही में गोरखपुर में लोकोमैन द्वारा कई दिनों तक की गई हड़ताल तथा नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा किये गये प्रदर्शन तथा पांच दिन के धरने से प्रदर्शित होता है, और

(ख) यदि हां, तो लोकोमैन श्रमिकों की क्रमशः क्या मांगे हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गांवों में पदाति डाक्टर योजना में सुधार

558. **श्री जैनुल बशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गांवों में पदाति डाक्टरों की योजना में किसी फेर बदल का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) "बेअर फुट" डाक्टर योजना जैसी कोई योजना नहीं है। संभवतः इसका आशय जन स्वास्थ्य रक्षक योजना से है जो देश में 2.10.77 को शुरू की गई थी। इस योजना का निरन्तर मूल्यांकन और अनुश्रवण किया जा रहा है तथा इनके परिणामों के आधार पर इस योजना में 1978/1979 में कुछ संशोधन किए गए थे। पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर, इस योजना में, जहां आवश्यक समझा जाएगा, और भी उचित परिवर्तन किये जाएंगे।

बम्बई से मनमाड तक और वापसी के लिए एक रेलगाड़ी चलाना

559. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों तथा जन साधारण की बलवती मांग को पूरा करने के लिए, बम्बई से मनमाड तक तथा वापसी के लिए एक रेल गाड़ी चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत बंगला देश भूमि-सीमा समझौता

560. श्री पीयूष तिरकी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगला देश के प्रतिनिधि मंडलों के बीच "1974 भूमि-सीमा समझौते" को कार्यान्वित करने के संबंध में नई दिल्ली में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बातचीत सफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें किस निष्कर्ष पर पहुंचे ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) (क) भारत और बंगला देश के अधिकारियों के बीच 14 से 17 अक्तूबर, 1980 तक नई दिल्ली में इस बारे में बातचीत हुई थी कि 16 मई, 1974 को भारत और बंगला देश के बीच जो सीमा-करार हुआ था उसके द्रुतगति से क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिएं।

(ख) और (ग) इन उपायों को तय करने की दिशा में दानों प्रतिनिधिमंडलों को सफलता भी मिली जिनमें सीमांकन का कार्यक्रम शीघ्रता पूर्वक तैयार करना भी शामिल है। उनमें इन उपायों के लिए एक व्यापक समय-रूपरेखा के बारे में भी सहमति हुई है।

गाड़ी परीक्षकों की पदोन्नति संभावना

561. श्री सूरज भान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ी परीक्षकों की पदोन्नति संभावनाओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए नवम्बर, 1977 में एडीशनल चीफ मैकेनिकल इन्जीनियर्स की समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गाड़ी परीक्षकों की पदोन्नति संभावनाओं के बारे में समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इन सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित करने का कार्य कब तक पूरा करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां, परन्तु समिति का गठन माल डिब्बों और कोचिंग स्टाक के अनुरक्षण की व्यवस्था पर विचार-विमर्श करने के लिए किया गया

था । समिति ने गाड़ी परीक्षकों की पदोन्नति की संभावनाओं पर भी कुछ विचार व्यक्त किये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) समिति के विचारों और अन्य उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए गाड़ी परीक्षकों के संवर्ग का 1979 में दो बार पुनर्गठन किया गया था जिससे कि इस कोटि के कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार हो सके ।

1976 में रेलवे बोर्ड की संवर्ग पुनर्गठन योजना

562. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1976 में रेलवे बोर्ड की संवर्ग पुनर्गठन योजना के समय दर्जा बढ़ाये जाने वाले पदों की संख्या का निर्णय करते हुए एक मुख्य उद्देश्य यह था कि समानान्तर श्रेणियों में पदोन्नति के अवसरों में विषमता को कम किया जाये ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ट्रेन एग्जामिनरों और अन्य सामानान्तर श्रेणियों में अर्थात् चार्जमैन (टैंक) चार्जमैन/इलैक्ट्रिक और ट्रेन एग्जामिनर (ट्रेन लाइटिंग) भी, भारी विषमता विद्यमान है; और

(ग) यदि हां तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1976 की संवर्ग पुनर्संरचना योजना का एक उद्देश्य यह था कि सम्बद्ध अथवा समतुल्य कोटियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की उपलब्ध संभावनाओं में विद्यमान विषमता को कम किया जाय ।

(ख) और (ग) 1976 में इस संवर्ग पुनर्संरचना के पश्चात इन कर्मचारियों के मामलों पर श्रम संगठनों के परामर्श से 1979 में फिर पुनर्संरचना की गयी है । बहरहाल इन कर्मचारियों की पदोन्नति की तुलनात्मक संभावनाओं के बारे में समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

कैरज और वैगन विभाग के लिये 'वाटरनिंग कमेटी'

563. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले रेलवे बोर्ड ने कैरज और वैगन विभाग के लिए (वाटरनिंग कमेटी) का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो कमेटी ने क्या सिफारिशें की थीं;

(ग) क्या पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करने और गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की सिफारिशों सहित कमेटी की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) सरकार का कमेटी की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सवारी डिब्बों की टंकियों में अच्छे तरीके से उपयुक्त मात्रा में पानी भरने की सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए सवारी डिब्बा जलसम्भरण समिति की नियुक्ति की गयी थी ताकि चलती गाड़ी में यात्रियों के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सिफारिशें दी गयी हैं।

(ग) 14 सिफारिशों में से 11 सिफारिशें, जिनमें पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था और गाड़ियों के ठहराव से संबंधित सिफारिशें शामिल हैं, कार्यान्वित कर दी गयी हैं। केवल तीन सिफारिशों, अर्थात् 6, 8 और 13 को रेलों पर कार्यान्वित किया जाना है।

(घ) तीन सिफारिशों अर्थात् 6, 8 और 13 के कार्यान्वयन में काफी समय लगेगा और इसके लिए बहुत से जलसम्भरण स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना निहित है तथा उपलब्ध धनराशि भी सीमित है।

(ङ) इस सम्बन्ध में प्रगति भविष्य में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और इसके लिए कोई विशिष्ट तारीख निर्धारित करना संभव नहीं है।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

1. बड़ी लाइन और मीटर लाइन के वर्तमान सवारी डिब्बों में पानी की टंकियों की मौजूदा क्षमता पर्याप्त है।
2. लगभग 4 घंटे के अन्तराल के बाद सवारी डिब्बों में पानी भरने के लिए जल-सम्भरण स्टेशन निर्धारित किये जाने चाहिए।
3. धीमी रफ्तार वाली गाड़ियों में उपयुक्त अन्तरालों पर पानी भरने के लिए जल-सम्भरण करने वाले दो स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन पर 200 कि० मी० तथा मीटर लाइन पर 150 कि० मी० की दूरी होनी चाहिए।
4. पानीसम्भरण करने वाले हाल्टों पर पानी की न्यूनतम मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए :

   मुख्य बड़ी लाइन की गाड़ी के लिए 10,000 लिटर, बड़ी लाइन की शाखा लाइन की गाड़ी के लिए 12,000 लिटर, मुख्य मीटर लाइन की गाड़ी के लिए 12,000 लिटर, मीटर लाइन की शाखा लाइन की गाड़ी के लिए 7,000 लिटर।
5. पानीसम्भरण करने वाले स्टेशन पर यात्री गाड़ी का हाल्ट कम से कम 10 मिनट होना चाहिए।
6. बम्बे से पानी का बहाव 100 लिटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा करना पाइप के ढांचे में परिवर्तन करके अथवा पाइप का व्यास बढ़ाकर अथवा बूस्टर पम्प यथा-आवश्यक की व्यवस्था करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. शिरोपरि जलसम्भरण के लिए बम्बों के बीच की अधिकतम दूरी 10 मीटर होनी चाहिए।

8. साइड फिलिंग के लिए भूमि तल पर बम्बों के बीच की अधिकतम दूरी 3 मीटर होनी चाहिए।

9. पानी भरने वाले होज पाइप स्थायी रूप से बम्बों से जोड़ दिये जाने चाहिएं।

10. शिरोपरि जलसम्भरण के लिए पानी भरने वाले होज पाइप की लम्बाई 8 मीटर तथा भूमि तल वाले बम्बे के लिए होज पाइप की लम्बाई 2.7 मीटर होनी चाहिए।

11. गाड़ियों के निर्धारित हाल्ट के लिए पानी भरने वाले कर्मचारियों की संख्या 5 जन-मिनट प्रति सवारी डिब्बे के आधार पर होनी चाहिए।

12. प्लेटफार्म पर पानीसम्भरण की व्यवस्था खण्ड पर चलने वाली गाड़ियों की अधिकतम लम्बाई के अनुसार होनी चाहिए।

13. गाड़ियों में जल की सप्लाई की व्यवस्था सामान्य जल-सप्लाई से पृथक होनी चाहिए।

14. जलसम्भरण करने वाले स्टेशनों पर स्थायी रूप से जल भंडार की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए।

भारतीय दूतावासों पर खर्च की गई राशि

564. **श्रीमती कृष्ण साही** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर 35 करोड़ रुपये का खर्च किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लन्दन, वाशिंगटन तथा जेद्दा स्थित दूतावासों में से प्रत्येक पर सवा करोड़ रुपये की राशि खार्च की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जेद्दा स्थित दूतावास पर वाशिंगटन अथवा लन्दन में स्थित दूतावासों के बराबर राशि खर्च किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विदेशों में भारत के जो 101 मिशन और केन्द्र हैं उन पर बजट वर्ष 1979-80 के दौरार कुल मिलाकर 33.36 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(ख) और (ग) जिन मिशनों का यहां विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उन पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

1. जेद्दा	1.03 करोड़ रुपये
2. लन्दन	3.56 करोड़ रुपये
3. वाशिंगटन	2.05 करोड़ रुपये

जेद्दा में खर्च की गई राशि लंदन अथवा वाशिंगटन में खर्च की गई राशि की तुलना में बहुत कम है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री का हिन्दी में भाषण

565. **श्री राजेन्द्र कुमार सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 35वें अधिवेशन में उन्होंने अपना भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी में आरम्भ किया और कुछ मिनट तक हिन्दी में बोलने के बाद उन्होंने अपना शेष भाषण अंग्रेजी में पूरा किया;

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण भाषण हिन्दी में न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को क्या आपत्ति है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) भाषण को काफी समय पूर्व अन्तिम रूप दिया जा सका था क्योंकि उसमें विकसित होती हुई परिस्थितियों का ख्याल रखना जरूरी था जिसमें संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भाषण भी शामिल है। इस तरह पूरे भाषण का हिन्दी अनुवाद तैयार करा पाने के लिए काफी वक्त नहीं था।

(ग) हमारी कोशिश यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रकार के वक्तव्य जहां तक हो हिन्दी में दिए जाएं।

ईरान और इराक से भारतीयों का स्वदेश लौटना

566. **श्री हीरालाल आर० परमार :**

श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ईरान-इराक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए क्या कारगर उपाय किये हैं;

(ख) क्या विदेश सचिव भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कुवैत और जोर्डन गये; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने इस बारे में वहां क्या प्रबन्ध किये तथा लौटने पर उन्होंने सरकार को जो प्रतिवेदन दिया वह क्या है तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए थे :

1. प्रत्यावर्तन का कार्य करने वाले मिशनों को मजबूत करने के लिए विशेष दल भेजे गए,
2. निष्क्रमणार्थियों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों का प्रबंध किया गया और हमारे मिशनों को यह प्राधिकार दिया गया कि भारतीय कम्पनियों की सहायता के उद्देश्य से वे "एयर इंडिया" के टिकट जारी करने का प्रबंध करें,

3. निष्क्रमणार्थियों को दूसरे मित्र देशों के प्रदेशों से होकर लाने के प्रबन्ध के बारे में उनकी सरकारों से बातचीत करके उनकी अनुमति ली गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान से रूसी फौजों को पीछे हटाने के संबंध में किये गये प्रयत्न

567. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत सरकार द्वारा गत तीन महीनों के दौरान अफगानिस्तान में रूसी फौजों को हटाने के संबंध में क्या प्रयास किये गये ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : इस अवधि में भारत सरकार ने समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने और अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी के लिए परिस्थितियां बनाने की दिशा में सहायता करने के उद्देश्य से कई देशों से विचार-विमर्श जारी रखा। इस संदर्भ में न्यूयार्क में विदेश मंत्री की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से भेंट का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है जिसमें राजनीतिक समाधान ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोनों पक्षों के दृष्टिकोण का निश्चित पता लगाने का प्रयास किया गया।

कुशल कर्मचारी (ट्रेन लाइटिंग) यूनिट का दर्जा बढ़ाना

568. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या रेल मन्त्री कुशल कर्मचारी (ट्रेन लाइटिंग) यूनिट का दर्जा बढ़ाने के बारे में 24 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5397 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता जांच रिपोर्ट, इस बीच मिल गई है और विभागीय जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो जांच और छानबीन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सतर्कता जांच के बारे में आगे कार्रवाई नहीं की गयी थी क्योंकि यह निर्णय किया गया था कि विभागीय जांच की जाये जो कि पूरी हो चुकी है।

(ख) विभागीय जांच से पता चला है कि व्यवसायिक परीक्षा के आयोजन में कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी भूलें हुई हैं।

(ग) विभागीय जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

केरल सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को सुझाई गई योजनायें

569. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उनके मंत्रालय को कोई योजना सुझाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1) **एलप्पी-कायांकुलम बड़ी लाइन का निर्माण :**

सर्वेक्षण कर लिये जाने और रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात ही कोई विनिश्चय किया जा सकता है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

(2) **कोच्चिन-मदुरै लाइन का निर्माण :**

इस समय इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । चूंकि इसे घाट खंडों में होकर पार करना पड़ेगा और इस पर यातायात की संभावना कम रहेगी इसलिए इस लाइन पर बहुत अधिक लागत आयेगी ।

(3) **एर्णाकुलम-कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम लाइन को दोहरी करना:**

वर्तमान क्षमता को पर्याप्त समझा जाता है ।

(4) **गुरुवारन्-कुट्टिपुरम लाइन :**

इस लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(5) **तेल्लिचेरी-मैसूर लाइन**

इस समय इस लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(6) **कोट्टायम-मदुरै लाइन :**

इस लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(7) **बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलना और फाटक वाले समपारों के लिए टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था और ऊपरी पुलों का निर्माण भी करना :**

चौकीदार वाला बनाने/ग्रेड बढ़ाने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए रेलें सभी समपारों पर सड़क और रेल यातायात की आवधिक गणना प्रारम्भ करती हैं । फाटक वाले समपारों पर टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था आवश्यकताओं और धन उपलब्धता के बद्ध तरीके से की जाती है । समपारों के बदले में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और रेलों तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाता है ।

(8) **ओलवक्कोड-तिरुवनन्तपुरम और शोरुवण्णूर-मंगलूरु खंडों का विद्युतीकरण :**

इन खंडों पर यातायात का घनत्व विद्युतीकरण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले स्तर तक नहीं पहुंचा है ।

(9) **नया सवारी डिब्बा कारखाना :**

एक नये सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट की स्थापना करने के लिए इस परियोजना की रिपोर्ट योजना आयोग को उनकी स्वीकृति हेतु अग्रेषित की जाती है। योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने पर अन्तिम परियोजना तैयार की जायेगी, जिसमें प्रस्तावित नये सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट की गुंजाइश, तकनालोजी, लागत, स्थान निर्धारण आदि सम्मिलित होंगे। कारखाने के स्थान निर्धारण के लिए केरल सरकार से विचार-विमर्श किया जायेगा।

(10) **शेरुवण्णूर-निलम्बर लाइन पर और अधिक गाड़ियाँ चलाना :**

शेरुवण्णूर-निलम्बर खंड पर दो जोड़ी मिली-जुली सवारी गाड़ियां चलायी जा रही हैं। इन गाड़ियों में बैठने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा इस खंड में घाटा हो रहा है। इसलिए इस खंड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का औचित्य नहीं है।

(11) **तिरुवनन्तपुरम-एर्णाकुलम लाइन पर प्लेटफार्मों को ऊंचा करना तथा स्टेशन भवनों का नवीकरण करना :**

यह कार्य भी कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया जायेगा बशर्ते कि ऐसा करने की आवश्यकता हो तथा धन उपलब्ध हो।

(12) **प्लेटफार्मों पर सायबान लगाना :**

यह कार्य भी कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया जायेगा बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों तथा इसे औचित्यपूर्ण पाया जाये।

(13) **के० के० एक्सप्रेस में दो इंजन लगाना :**

तमिलनाडु एक्सप्रेस में दो इंजन लगाने के अनुभव से बेहतर विश्वसनीयता के लिए सवारी डिब्बों और रेल इंजनों में सुदृढ़ कपलिंगों की व्यवस्था करना आवश्यक पाया गया है। चलते समय गाड़ियों को विभाजित हो जाने से बचाने के उद्देश्य से रेल इंजनों में सुदृढ़ कपलिंगों की फिटिंग के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार के० के० एक्सप्रेस में दो इंजन लगाने और गाड़ी में सवारी-डिब्बों की संख्या बढ़ाने के कार्य को 1981 के प्रारम्भिक दिनों में किसी समय मूर्त रूप दिया जायेगा।

ईरान-इराक युद्ध में मारे गये भारतीय

570. **श्री छीतू भाई गामित :**

श्री के० प्रधानी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान-इराक युद्ध के कारण बमबारी में बसरा में कुछ भारतीय मारे गये थे और कुछ जख्मी हुये थे;

(ख) यदि हां, तो मारे गए भारतीयों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने भारतीय ऐसे हैं जो वहां के सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे और कितने अन्य भारतीय ऐसे हैं जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए स्वयं वहां गए थे; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) मृत भारतीयों की एक सूची संलग्न है। ये सभी या तो विदेशी कम्पनियों अथवा सीधे इराकी संगठनों द्वारा नियुक्त किए गए थे।

(ग) सम्बद्ध इराकी सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अन्तर्गत मुआवजे के दावे सम्बन्धित नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

1. अल शिरावी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बसरा (दुबई स्थित एक फर्म) :

1. अनंत वामन सापरे, द्वारा सत्य भामा, 346-बी० दत्तात्रे भुवन रोड, प्लाजा सिनेमा के सामने बम्बई-28,
2. यूसुफ खां, वार्ड नं० 8, मोहल्ला कोकाम, राजस्थान,
3. शंकाराया राजन्ना कोटा, कुरा चाल, एस० एच० नं० 34, 12वीं लेन, पहली मंजिल, कमरा नं० 19, कमाथीपुरा, बम्बई-8,
4. सैरान्ना सवाना गवाली, मैसर्स ग्पूरजो पालनजी एण्ड कम्पनी भारतीय स्टेट बैंक के पीछे नारीमन प्वाइंट, बम्बई-1
5. फाम्या सैया, ग्राम तथा डाकघर पाकुर तलुआ अमूर, जिला निजामाबाद, आन्ध्र प्रदेश,
6. नरसन्नस इदिया गंगाना, चाल नं० 1 बदेकर पंचाल हनुमान टेकरी, कमरा नं० ए/91, सांताक्रुंज (इ), बम्बई,
7. राय गंगाराम, कस्तूरपुर गांव, सिरूर, डाकघर मेडापाली तलुका करीमनगर आन्ध्र प्रदेश,
8. कोटा रूबन थाकन्ना, कोटापाली, असरूर, निजामाबाद, आन्ध्र प्रदेश (उपनाम: कोटालगन्ना),
9. जीन गंगाराम, वेलन्ना, कोटापाली, अरमूर, निजामाबाद, आन्ध्र प्रदेश (उपनाम लक्षमन),
10. बालू गंगाराम राजन्ना पुत्र राजन्ना राजलिंगम परकित, जिला निजामाबाद, आन्ध्र प्रदेश,

11. सत्री राजाराम मुमय्या पुत्र बी० गंगाराम मोहल्ला नं० 33, कमरा नं० 3, 11वीं लेन, कमातीपुरा बम्बई-8,

2. लुमुस थाइसेन पेट्रो-केमिकल कम्पलेक्स, बसरा अमरीकी कम्पनी :

12. डी० बी० जादव-पेटर्न इंजीनियरिंग कम्पनी बम्बई,

3. हमाम अल-अलील सीमेंट फैक्ट.ी (इसकी उद्योग तथा खनिज मंत्रालय :

13. मुरादुल्ला गुलाम हबी गजली पुत्र अरेलामला एस० गजली, ए० के० शोरावजी विल्डिंग जुहू मस्जिद के सामने, डाकघर कल्वा थाना महाराष्ट्र,

14. दुलीचन्द पुत्र स्वर्गीय गौरी शंकर, नजदीक तलाब, गांव तथा डाकघर पिल्लै, जिला झुनझुनु, राजस्थान,

4. "मोहजिल-5" होन्डरस-रजिस्टर्ड शिप, रामनगर :

15. ए० ए० पीटर, अरुणाकुलम के०, भारतीय नौसैनिक।

खुर्रम शहर में जहाजों से गुम बताए गए भारतीय

1, विजय लाइंस, बम्बई का "विजय अवतार"

1. कैडेट टी० अम्बु,

2. पानमियन जहाज "जेटपुर नगर"

1. कैप्टन बी० पी० समाल,

2. रेडियो अफसर फाडकर।

भारत-चीन संबंध

571. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी :**

श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने कहा है कि भारत के प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए एक निश्चित कदम उठाया है और चीनी इसका स्वागत करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) संदर्भगत समाचार सरकार ने देखा है।

(ख) 23 जनवरी, 1980 को संसद के समक्ष अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा था : "भारत समानता पर आधारित शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में चीन के साथ सीमा के सवाल सहित, सभी मसलों पर विचार-विमर्श करने को तैयार है——।" 1 मई 1980 में बेलग्राद में हमारी प्रधानमंत्री की मुलाकात जब चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री हुआ गुओ फेंग से हुई थी, उस समय उन्होंने उनसे कहा था कि अगर दोनों पक्ष पंचशील के सिद्धांतों का ईमानदारी

से पालन करें और अगर दोनों ओर सद्भाव हो तो दोनों देशों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए अर्थपूर्ण बातचीत की जा सकती है।

रेल मंत्री की उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के साथ हुई बैठक

572. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1980 में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्र के पांच राज्यों ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया था कि कोयले की पर्याप्त मात्रा में ढुलाई के लिए प्रतिदिन औसतन 4000 वैगन उपलब्ध किए जायें; और

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 13 अक्तूबर, 1980 को आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में, जिसके बाद विचार-विमर्श भी हुआ था, बिजली घरों को कोयले की सप्लायी लगभग 3100 माल-डिब्बे प्रतिदिन तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया था और लदान को इससे अधिक दर पर बनाए रखा जा रहा है।

खाड़ी युद्ध के कारण नौवहन उद्योग को क्षति

573. **श्री सुभाष चन्द बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध के कारण नौवहन उद्योग को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ख) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौवहन उद्योग को अनुमानतः लगभग कुल 375.00 लाख रु० की हानि हुई है।

(ख) नौवहन उद्योग की इस हानि को कम करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु जहाजों के जिन मालिकों को हानि हुई है वे युद्ध जोखिम बीमा पालसी के तहत बीमा कम्पनियों को अपने-अपने दावे यथासमय पेश करेंगे।

यात्री सुविधायें समिति

574. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेल स्टेशनों पर तथा रेल गाड़ियों में अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एक 'यात्री सुविधायें समिति' की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या है और समिति का प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के विचाराधीन विषय इस प्रकार हैं :

1. गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में रेलों में प्रचलित नीति और पद्धतियों की समीक्षा करना,

2. यात्री सुविधाओं के रूप में समझी जाने वाली मदों की सूची का सुझाव देना और उनकी व्यवस्था करने के लिए मानदंडों की समीक्षा करना,

3. अगले पांच से दस वर्षों में सुविधाओं की अतिरिक्त वास्तविक और वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों को अधिकतम लाभ देने के उपाय सुझाना, और

4. गाड़ियों और स्टेशनों में फिटिंग और जुड़नार, स्टेशनों पर पानी की ट्रालियों, जल फुहारों तथा विभिन्न सुविधाओं जैसे विश्राम कक्षों, बिस्तरों आदि के लिए किराया और अन्य प्रभारों की प्रणाली का मानकीकरण लागू करने की वांछनीयता पर विचार करना।

समिति का कार्यकाल दो वर्ष है।

भारतीय रेलवे में नैमित्तिक और स्थानापन्न कर्मचारी

575. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में बहुत से नैमित्तिक और स्थानापन्न कर्मचारी अभी तक कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में सरकार औपचारिक घोषणा कर चुकी है कि वे स्थायी कर दिए जावेंगे;

(ख) यदि हां, तो उनको स्थायी करने में और कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) भारतीय रेलवे में स्थानापन्न श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) नैमित्तिक और स्थानापन्न कर्मचारियों के बीच अन्तर क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) घोषणा की एक प्रति संलग्न है। रेलों को 21-10-80 को आदेश जारी किये गये हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किये जायें कि प्रारंभिक सत्यापन करने और नियमित वेतनमान या मंहगाई भत्ता सहित निम्नतम वेतनमान, जहां स्वीकार्य है, देने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त प्रारंभ कर लिया जाए और तीन महीने के भीतर इसे पूरा कर लिया जाए।

(ग) लगभग 41,000।

(घ) भारतीय रेल स्थापनाओं में एवजी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी नियुक्ति उन नियमित वेतनमानों और भत्तों पर की जाती है जो उन पदों पर लागू होते हैं जिन पर उनकी नियुक्ति रेल कर्मचारियों के छुट्टी पर होने या स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त होने पर की जाती है, जहां उन्हें रिक्त नहीं रखा जा सकता। नैमित्तिक श्रमिक नियमित कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते और उनका नियोजन मौसमी सविरामी छुट-पुट या थोड़े समय के लिए किया जाता है। नैमित्तिक श्रमिकों को परियोजनाओं में भी नियुक्त किया जाता है चाहे उनकी अवधि कितनी ही हो।

विवरण

रेलों में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा-शर्तों में सुधार लाने की
से विचार किया जा रहा है । गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर यह विनिश्च
इन कर्मचारियों को निम्नलिखित बेहतर सुविधाएं प्रदान की जायें :—

(1) नियमित वेतनमान/वेतनमान का 2/30 और भत्ता न देने के लि
पैदा किए जाने के सम्बन्ध में बहुत पहले से चली आ रही शि
गयी है, भविष्य में, नैमित्तिक श्रमिकों को अधिक मजूरी का
कृत्रिम सेवा-भंग नहीं किया जाएगा । सभी नैमित्तिक श्रमिकों
120 दिन और परियोजनाओं में 180 दिन पूरा करने पर रि
सत्यापन करने के बाद क्रमशः वेतन और प्रति दिन वेतनमान
दिया जायेगा । इस सत्यापन में तीन महीने से अधिक समय न

(2) इस प्रकार सभी मौजूदा पात्र नैमित्तिक श्रमिकों को वेतन का
प्रति दिन वेतनमान का 1/30 मिलेगा । जहां कहीं उत्पादन सम्
के कारण सेवा में व्यवधान पड़ता है, उसे सेवा-भंग नहीं समझा

(3) वरिष्ठता और उपलब्धता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में नियमित
लिए नैमित्तिक श्रमिकों पर विचार किया जाएगा ।

(4) 11,000 नैमित्तिक श्रमिक पहले ही नए पदों में समाहित
वरिष्ठता के आधार पर लगभग 15,000 और नैमित्तिक श्रमि
समाहित किये जायेंगे ।

(5) रेलों में नैमित्तिक श्रमिक नियोजित करते समय, स्वतंत्रता सेन
प्राथमिकता दी जाती है ।

रेल कर्मचारियों को मुआवजा

576. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा क

(क) क्या सरकार को उन यात्रियों को 50,000 रुपये का भुगतान क
रेलगाड़ी दुर्घटनाओं में मर जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ड्यूटी पर काम कर रहे रेल कर्मचारी
छोड़कर) रेलवे के नियमों के अन्तर्गत उस अवस्था में मुआवजे के हकदार हैं
अन्तर्ग्रस्त हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं;

(ग) क्या ड्यूटी पर काम करने वाले उन रेल कर्मचारियों, जो रेल
हैं, के परिवार को केवल रेलवे नियमों के अन्तर्गत मुआवजा मिलता है और उ
नहीं किया जाता है जैसा कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे रेल कर्मचारियों, जो रेल दुर्घटना में
परिवारों को भी मानवीय आधार पर मुआवजा देने का है और अन्य श्रेणियों

को भी ड्यूटी के समय दुर्घटनाओं में उनके अन्तर्ग्रस्त हो जाने अथवा उनमें उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मुआवजा देने का है जिनको इस समय मुआवजा अदा नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समय-समय पर यथा संशोधित रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के उपबन्ध के साथ पठित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा ×2(क) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार यात्री गाड़ी दुर्घटना में मृत एक यात्री के लिए उसके आश्रित/आश्रितों को 50,000 रुपये तक की रकम का भुगतान किया जाता है।

(ख) और (ग) जो रेल कर्मचारी गाड़ी में ड्यूटी पर होते हैं और अपने कार्य नियोजन के कारण और उसके दौरान दुर्घटना में चोट लगने के परिणामस्वरूप मारे जाते हैं या अशक्त हो जाते हैं, उनके मामले में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ही क्षतिपूर्ति देय होती है।

जहां किसी विशिष्ट मामले में, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम लागू नहीं होता या जहां यह समझा जाता है कि उस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति अपर्याप्त है, वहां रेलवे नियमों में उस रेल कर्मचारी के परिवार को क्षतिपूर्ति उपदान देने की भी व्यवस्था है जो अपनी ड्यूटी करते हुए गाड़ी या रेल इंजनों के संचालन में अपनी असावधानी या दुराग्रह से भिन्न अन्य कारणों से हुई दुर्घटना में मारा जाता है। गुण-दोष के आधार पर वैयक्तिक मामलों में एक-मुश्त अनुग्रह भुगतान पर भी विचार किया जाता है।

गाड़ियों के चालन से प्रत्यक्षतः असम्बद्ध जो अन्य रेल कर्मचारी ड्यूटी पर या छुट्टी में यात्रा करते समय गाड़ी दुर्घटना के कारण घायल हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82(क) के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति के पात्र होते हैं।

(घ) क्षतिपूर्ति के भुगतान के मामले में गाड़ी कर्मियों सहित गाड़ी में ड्यूटी पर यात्रा करने वाले रेल कर्मचारियों को दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी के यात्रियों के समकक्ष मानने का एक प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किया गया है। विधि मंत्रालय द्वारा विधीथा के बाद इस प्रस्ताव को संशोधित रेल अधिनियम के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल में शामिल कर लिया गया है। इस समय इस बिल की जांच-पड़ताल हो रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ईरान-इराक युद्ध बंद करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयास

577. **श्री के० प्रधानी :**

श्री के० कुन्हम्बु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधि के साथ भारत तथा पांच अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों को इराक तथा ईरान के बीच पांच सप्ताह से चल रहे खाड़ी के युद्ध को बंद करने के लिए अपना सहयोग देने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) न्यूयार्क में गुटनिरपेक्ष समन्वय ब्यूरो के निर्णय के अनुपालन में, (नवम्बर 2-5) बेलग्रेड में पांच गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों (जिसमें भारत भी शामिल है) और फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधि की मुलाकात हुई। उपर्युक्त देशों के अलावा, अल्जीरिया सहित गुटनिरपेक्ष राष्ट्र समिति द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों पर ईरान और इराक सरकारों ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की थी। बेल्ग्रेड की बैठक में इन्हीं देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर, बेलग्रेड और तेहरान भेजने के लिए एक समिति का गठन किया जाना था, परन्तु इस समिति में अल्जीरिया को शामिल करने के बारे में ईरान और इराक में मतभेद पैदा हो गए। इन परिस्थितियों में सद्भावना समिति के गठन और कार्य के बारे में, ईरान और इराक को अपनी सहमति प्रकट करने के लिए अपील करने के बाद, बेलग्रेड की बैठक समाप्त हो गई।

भारत ने, बेलग्रेड में हुई बातचीत में एक सक्रिय भूमिका अदा की और उसे गुटनिरपेक्ष उपक्रम संबंधी सभी आगामी प्रयत्नों में एक ऐसी ही प्रभावकारी भूमिका अदा करने की आशा है।

विजय ज्योति नामक माल वाहक जहाज के डूबने का कथित समाचार

578. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 16 अक्तूबर, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रैस'' में छपे समाचारों के अनुसार 'विजय ज्योति' नामक माल वाहक इंदिरा डाक बम्बई में डूब गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी जांच के लिए यदि कोई समिति गठित की गयी है तो क्या सरकार को उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो जहाज के डूबने के मुख्य कारण क्या थे और उसके डूबने के कारण कितने जान माल की क्षति हुई है; और

(घ) गोदी पर जहाजों को डूबने से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जांच अभी शुरू नहीं हुई है।

(ग) इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इसके डूबने के मुख्य कारण, सम्पत्ति की हानि आदि की जानकारी जांच होने के बाद मालूम होगी।

(घ) जांच की रिपोर्ट के उपलब्ध होने के बाद इस तरह की घटनाओं के द्वारा होने से रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाएगा ?

पाकिस्तान द्वारा सिख यात्रियों को अनुमति न दिया जाना

579. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 दिसम्बर, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को महाराजा रणजीत सिंह के 200वें जन्म दिवस पर सिख यात्रियों का जत्था पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) पकिस्तान सरकार ने हमें सूचित किया है कि प्रशासनिक अड़चनों तथा कठिनाइयों के कारण उनके लिए तीर्थ यात्रियों को गुजरांवाला की यात्रा की अनुमति देना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार को इस बात का खेद है कि भारत में महाराजा रणजीत सिंह की 200वीं वर्षगांठ के महत्व के प्रति भारत में कितनी तीव्र भावना है और सिख समुदाय में उनके जन्म स्थान के दर्शन करने की कितनी उत्कट इच्छा है, पाकिस्तान सरकार के लिए इस संबंध में हमारी विशिष्ट भावना को समझना सम्भव नहीं हुआ ।

भारत बंगला देश सीमा का निर्धारण

580. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगला देश के बीच सीमा के निर्धारण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और भारत को इससे बंगला देश के हक में कितना भू-क्षेत्र गंवाना पड़ेगा; और

(ख) दोनों देशों द्वारा अन्तिम सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की आशा है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अनुमान है कि भारत-बंगला देश भूमि सीमा के सभी क्षेत्रों को सीमांकित करने के कार्य को पूरा करने में 2-3 वर्ष लग जाएंगे। अन्तिम सर्वेक्षण में जिसमें मुद्रण के बाद स्ट्रिप नक्शे तैयार करना भी शामिल है, सीमांकन का कार्य पूरा हो जाने के बाद लगभग एक वर्ष का समय लगेगा ।

लेकिन यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि यह अनुमानित समय ही है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को अंकित करने जैसा किसी जटिल प्रक्रिया की ठीक-ठीक समयावधि बता पाना सम्भव नहीं हैं।

जो क्षेत्र मिलेंगे या जिन्हें छोड़ना होगा उसका ठीक-ठीक विवरण सीमांकन का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा ।

कम्पूचिया को सहायता

581. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कम्पूचिया को किसी प्रकार की सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अब तक इस प्रकार की कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) । (क) और (ख) हमने कम्पूचिया की सहायता के लिए अब तक किसी प्रकार का कोई विशिष्ट वचन नहीं दिया है ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने द्विपक्षीय आधार पर कम्पूचिया जनगणराज्य को 2.5 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री तथा दवाईयां, 84 लाख रुपये मूल्य के 3000 टन चावल 5.5 लाख रुपये मूल्य के 100 टन चावल के बीज तथा 2.58 लाख रुपये मूल्य की लेखन सामग्री, पेन्सिलें तथा कागज भेंट में दी । इनके अतिरिक्त भारत सरकार ने मासिक के माध्यम से कम्पूचिया जनगणराज्य को 2,000 टन चावल भी भेंट में दिये ।

कम्पूचिया जनगणराज्य द्वारा हमसे सम्पर्क करने के बाद हम उनकी आवश्यकताओं का जायजा ले रहे हैं । उसके बाद हम संयुक्त रूप से इस बात का निर्णय करेंगे कि अपने विद्यमान साधनों के अन्दर कम्पूचिया को किस प्रकार की और कितनी सहायता दे सकते हैं ।

बी० सी० जी० के टीकों का प्रभावकारी न होना

582. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बच्चों को लगाये जाने वाले बी० सी० जी० के टीके तपेदिक से सुरक्षा के लिए प्रभावकारी साबित नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या तपेदिक को रोकने के लिये कोई नया टीका तैयार किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी तक ऐसी कोई नई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है जो क्षयरोग को रोक सके ।

कम यातायात के समय पर बसों का उपलब्ध होना

583. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कम यातायात के समय अर्थात् दोपहर एक बजे से तीन बजे के मध्य बसों के उपलब्ध न होने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम कम यातायात की इस अवधि के दौरान स्कूलों के लिए बसें देता रहा है;

(ग) क्या ये बसें उन्हीं स्कूलों के बच्चों के लिए दी जाती हैं जो धनिक परिवारों से संबंधित हैं, उन पब्लिक स्कूलों के बच्चों के लिए जहां भारी शुल्क दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्कूलों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली में बसें उपलब्ध कराई जाती हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दोपहर बाद 1 बजे से 3 बजे तक कितनी बसें उपलब्ध होती हैं, इसके बारे में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। एक रूट पर फेरे लगाने और इस पर कितनी बसें चलाई जायें, इसका निर्णय निगम यात्रियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए समय-समय पर किए गए सामान्य सर्वेक्षणों के आधार पर करता है। कम यातायात के समय बसों के फेरों में व्यस्ततम समय में लगाए जाने वाले फेरों की अपेक्षा कमी कर दी जाती है। इसकी वजह यह है कि इस समय में बसों की मांग अपेक्षाकृत कम होती है। किसी विशेष रूट पर यदि किसी विशेष समय में बसें उपलब्ध न होने पर की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो बसों की मांग का निर्धारण किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है कि उन रूटों पर बसें उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त जब कभी किसी रूट पर बसों की कमी महसूस होती है तो निगम स्टाफ अपनी रिपोर्ट भेजता है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) कम यातायात के समय निगम के पास जो फालतू बसें होती हैं, उनका प्रयोग फिर जाने के लिए उन स्कूलों को, जो बसों के लिए अनुरोध करें, छात्रों के स्तर पर ध्यान न देते हुए निर्धारित दरों पर बसें भाड़े हर दी जाती हैं।

(घ) इस समय निगम दिल्ली में 32 स्कूलों को 356 बसें सप्लाई कर रहा है जिनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1362/80]

भारतीय नौवहन निगम का कार्यकरण

584. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत सरकार ने केवल भारतीय नौवहन निगम के कार्यों का अध्ययन करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति

गठित नहीं की थी। इसलिए, ऐसा किसी समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने का सवाल ही नहीं होता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

रायपुर और वाल्टेयर के बीच अनियमित रेल सेवा

585. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रायपुर और वाल्टेयर के बीच रेल सेवा की ओर दिलाया गया है जो हमेशा अनियमित तथा अनिश्चित रहती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गाड़ियों द्वारा समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सितम्बर, 1980 के दौरान रायपुर-वालतेरू खंड पर चलने वाली यात्री गाड़ियों का समय-पालन 92% से अधिक था। किन्तु, अक्तूबर, 1980 के दौरान रेल लाइनों में बाढ़ तथा दरारें पड़ जाने से इन गाड़ी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था तथा इनका चालन संतोषजनक नहीं रहा था।

इस खंड पर चलने वाली यात्री गाड़ियों के समय-पालन में सुधार लाने के लिए संयुक्त उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें यात्री गाड़ियों के रोके जाने के सभी मामलों की समीक्षा की जाती है और जहां-कहीं त्रुटि पायी जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाती है।

तापीय बिजली घरों को कोयले और भट्टी तेल की ढुलाई के लिए वैगन

586. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तरी क्षेत्र में तापीय बिजली घरों को कोयले और भट्टी तेल की ढुलाई हेतु वैगन अलाट करने में प्राथमिकता देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जून से अगस्त और अगस्त से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में रेलवे ने उपरोक्त प्रयोजन के लिये कुल कितने वैगन उपलब्ध कराये हैं;

(ग) अक्तूबर और नवम्बर, 1980 में कोटे में कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या प्रधान मंत्री द्वारा रेलवे के खराब कार्य का उल्लेख किये जाने के बाद, माल की ढुलाई में सुधार दिखाई देने लगा है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं और वे किस हद तक सफल हुए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें इन वस्तुओं के संचलन को सदैव प्राथमिकता देती रही हैं।

(ख) जून से अक्तूबर, 1980 तक बिजली घरों के लिए कोयले के लदान का स्तर इस प्रकार रहा :—

(माल डिब्बों की दैनिक संख्या)

मास	सभी बिजली घर
जून, 1980	3195
जुलाई, 1980	2906
अगस्त, 1980	2526
सितम्बर, 1980	2683
अक्तूबर, 1980	3059

रेलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के बिजली घरों के लिए कोयले के लदान के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(ग) 13-10-1980 को हुई उच्च-स्तरीय बैठक और उसके बाद हुए विचार-विमर्श के बाद माल डिब्बों के कोटे को 31,000 माल डिब्बे प्रतिदिन तक बढ़ाया गया था तथा लदान की इससे अधिक दर को बनाए रखा जा रहा है ।

(घ) और (ङ) रेलें वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों की किफायती परिवहन की आवश्यकताओं को यथा-संभव अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही हैं । अक्तूबर, 1980 में प्रारम्भिक भाड़ा यातायात की ढुलाई उससे पहले के 4 महीनों के लदान से अधिक थी ।

राष्ट्रीय राज-पथ संख्या 17 पर पुटु पोनाकी पुल का निर्माण

507. **श्री ई० के० इम्बोचीबाबा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राज पथ संख्या 17 पर बनने वाले पुटु पोनाकी पुल के निर्माण कार्य को, पुल के निर्माण के लिए निर्माण निगम को ठेका दिए जाने के बाद भी प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या कार्य प्रारम्भ न किए जाने के कोई विशेष कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पुटु पोनानी पुल के निर्माण का स्थल, पहले ही केरल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा केरल राज्य निर्माण निगम को सौंपा जा चुका है, तथा अब वास्तविक निर्माण में संबंधित प्रारम्भिक कार्य निगम द्वारा शुरू कर दिए गए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

आयुर्वेद और सिद्ध पद्धति में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद के विरुद्ध शिकायत

588. **बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेन्ट्रल काउन्सिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध की कार्य-प्रणाली के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) समुचित कार्रवाई करने के लिए इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

मंचेश्वर में रेलवे वर्कशाप

589. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मंचेश्वर में रेलवे वर्कशाप का कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है;

(ख) उस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या अब तक चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के सम्बन्ध में भर्ती के कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ताकि स्थानीय बेरोजगार युवकों को वहां काम करने का अवसर मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस कारखाने को लगाने के लिए सितम्बर, 1980 तक कुल 210 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गयी है। वर्ष (1980-81) के लिए बजट में 242 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ग) और (घ) स्थानीय उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से तृतीय-श्रेणी में रिक्तियां रेल सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाती हैं, जो उन सभी रिक्तियों के लिए विज्ञापन देते हैं, जिसका न्यूनतम वेतनमान 425 रुपये और उससे कम होता है। ये रिक्तियां उन ही क्षेत्रों में विज्ञापित की जाती हैं जहां ये रिक्तियाँ वर्तमान होती हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियां नैमित्तिक श्रमिकों की छानबीन करके भरी जाती हैं जो अधिकांशतः स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं। कारखानों में चतुर्थ श्रेणी की 50% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है और इस मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया स्थानीय उम्मीदवारों को आकर्षित करने के आशय से भी है।

दिल्ली परिवहन की बसों के लिए घेराव और घटिया किस्म के पुर्जों की खरीद

590. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन की बसों के लिए गत दो वर्षों के खरीदे गए कई लाख रुपए मूल्य के पुर्जे खराब घटिया किस्म के पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त खरीदों की जाँच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बसों के खराब होने के कारणों की विभागीय जांच के फलस्वरूप पता चलता है कि कुछएक पुर्जे, जैसे आयल सील, बेयरिंग, क्लब प्लेटें और वियर पार्ट आदि जिनकी खरीद पिछले कुछ वर्षों में की गई है और जिनकी कीमत कुछ लाख रुपये है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे।

(ख) जी, नहीं। इस मामले की दिल्ली परिवहन निगम द्वारा विभागीय तौर पर जांच की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

मीटर गेज जोन का निर्माण

591. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड काफी समय से एक ऐसे नये मीटर गेज जोन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके अन्तर्गत राजस्थान की मीटर गेज लाइन का काफी बड़ा भाग आयेगा, यदि हां, तो कब से;

(ख) उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने में सरकार के समक्ष अब तक क्या-क्या कठिनाइयां आई हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राजस्थान के लिए एक नए मीटर लाइन रेलवे जोन बनाने के प्रस्ताव की पिछले कुछ महीनों से जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) नए जोन के बनाने से भारी वित्तीय उलझनों के साथ-साथ कर्मचारियों को स्थानान्तरण भी करना पड़ता है। रेलों की वर्तमान वित्तीय स्थिति में नया ज़ोन बनाना अनुपयुक्त समझा जाता है।

स्थिति की समीक्षा की जाती रहेगी।

कोलायत-फलोदी लाइन

592. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर और बीकानेर को सीधे दिल्ली से जोड़ने के लिए कोलायत से फलोदी तक 100 कि० मी० लम्बी रेल लाइन बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) क्या इस रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भोजपुर और पंसकुरा के बीच नया रेलवे स्टेशन

593. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में भोजपुर और पंसकुरा रेलवे स्टेशनों के बीच एक नये रेलवे स्टेशन के निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे ने भोगपुर (न कि भोजपुर) और पाशकुड़ा के बीच एक फ्लैग स्टेशन खोलने का एक प्रस्ताव भेजा है। रेल मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

हल्दिया पत्तन में सुधार

594. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हल्दिया पत्तन की टर्न की परियोजना बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) तत्संम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) हल्दिया पत्तन के सुधार हेतु कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) हल्दिया गोदी परियोजना को 'टर्न की प्रोजेक्ट' बनाने का कभी विचार नहीं किया गया था।

(ग) हल्दिया में विकास कार्यों से संबंधित 1980-81 की योजना में जो-जो महत्वपूर्ण बातें शामिल की गयी हैं, वे इस प्रकार हैं :—

कन्टेनर उतारने-चढ़ाने की सुविधाएं, दो इंजिनों और एक क्रालर पर चलने वाला क्रेन की खरीद, वर्कशाप की सुविधाएं, मरम्मत के लिए संयंत्र, मोबाइल उपकरणों के लिए यार्ड इत्यादि।

पोर्ट ब्लेयर में पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) के निर्माण के लिए प्रस्ताव

595. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पत्तन सुविधाओं आदि में सुधार और विस्तार के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में पोर्ट ब्लेयर में एक पत्तन न्यास का निर्माण करने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में लघ पत्तनों का सुधार करने के लिए कुछ कार्यवाही करने के लिए कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) औपचारिक रूप से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, इस योजना को 'मास्टर प्लान' में शामिल कर लिया गया है जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने जुलाई, 1980 में तैयार की थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पत्तनों का विकास केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और अण्डमान व निकोबार बंदरगाहों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 2.65 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है। नीचे लिखे शीर्षों पर काम हो रहा है :—

(1) पोर्ट ब्लेयर में शुष्क गोदी का निर्माण,

(2) 10 द्वीपों में नई जेट्टियों का निर्माण,

(3) पोर्ट ब्लेयर में ढालू रास्ते का निर्माण,

(4) पोर्ट ब्लेयर में कार्यालय एवं आवास के लिए भवन,

(5) यार्डों का निर्माण,

(6) छोटे अण्डमान को छोड़कर शेष भाग में सहायक एवं तट के आगे की सुविधाओं की व्यवस्था करना (चरण-I)।

(7) छोटे अण्डमान में पनकट दीवार का निर्माण,

(8) छोटे अण्डमान में सहायक एवं तट के आगे की सुविधाओं की व्यवस्था करना (चरण-I),

(9) छोटे अण्डमान में बंकर की सुविधाएं जुटाना,

(10) छोटे अण्डमान के लिए सहायक एवं तट के आगे की सुविधाओं की व्यवस्था करना (चरण-II),

रियायती आल रूट डी० टी० सी० बस पास

595. **श्री केशव राव पारधी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के एल० एल० बी० और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को रियायती आल रूट डी० टी० सी० बस पास की सुविधा मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इंस्टीट्यूट आफ कोस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स के उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह सुविधा न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उन विद्यार्थियों को भी यह सुविधा देने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण (मुफ्त और रियायती पास) अधिनियम 1954 के अधीन दिल्ली परिवहन निगम द्वारा रियायती पास जारी किए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत दिल्ली में स्थित शिक्षा संस्थाओं के वास्तविक विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय दिल्ली या उपकुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय की सिफारिश पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे या उसके नियंत्रण में चल रहे प्रशिक्षण और निर्माण केन्द्रों और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और आयुर्वेदिक व यूनानी तिबिया कालेज, दिल्ली के वास्तविक विद्यार्थियों को, सरकार या दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंगहीन वास्तविक विद्यार्थियों को और चार्टर्ड एकाउन्टेंसी का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन निर्दिष्ट लिपिकों को रियायती पास दिए जाते हैं जिन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेंट की फर्म से जिसके तहत वे काम करते हैं न तो कोई छात्रवृत्ति और न ही कोई वेतन मिलता है।

इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट्स एंड वर्कस एकाउन्टेंट्स की नार्दन इण्डिया रीजनल कौंसिल से दिल्ली परिवहन निगम का आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं कि यह सुविधा उसके विद्यार्थियों को भी दी जाये। इन आवेदन पत्रों की निगम द्वारा जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यह कौंसिल अन्य उन शिक्षण संस्थाओं की तरह है जो व्यापारिक रीति से विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयार कराती है और यह कौंसिल उक्त प्राधिकरणों में से किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए इस कौंसिल के विद्यार्थियों को रियायती पास देना स्वीकार्य नहीं है।

(ग) नहीं, ऊपर प्रश्न के भाग (ख) में कारण दे दिये गए हैं।

कम्पूचिया को मान्यता देना

597. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने कम्पूचिया में हेंग सेमरिन की सरकार को भारत से पहले मान्यता दी थी;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत द्वारा मान्यता दिये जाने के बाद उनकी सरकार को मान्यता दी थी; और

(ग) क्या इन आंकड़ों से सरकार ने नीति संबंधी कोई निष्कर्ष निकाले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) सरकार के पास अब उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित देशों ने कम्पूचिया जन गणराज्य की सरकार को भारत से पूर्व मान्यना प्रदान कर दी थी।

लाओस, वियतनाम, सोवियत संघ, जर्मन जनवादी गणराज्य, बल्गारिया, हंगरी, अफगानिस्तान, पोलैंड, मंगोलिया, चेकोस्लावाकिया, क्यूबा, इथियोपिया, यमन, लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजमबिक, कांगो, ग्रेंडा निकारगुआ, जमाइका, गिनी, अंगोला और सेशल्स।

(ख) भारत द्वारा कम्पूचिया जन गणराज्य की सरकार को मान्यता प्रदान करने के बाद किसी और सरकार ने उसे मान्यता प्रदान नहीं की है ।

(ग) कम्पूचिया जन गणराज्य की सरकार को भारत द्वारा दी गई मान्यता कम्पूचिया की वस्तुस्थिति, भारत सरकार द्वारा भारत की जनता को दिए गए वचन और इस निर्णय के पक्ष में राष्ट्र की आम सहमति पर आधारित थी ।

स्विटजरलेंड द्वारा पाकिस्तान को "न्यूकलियर टैक्नोलोजी की सप्लाई

598, **श्री बिलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत की सरकार ने उस समाचार के विषय में क्या कार्यवाही की है, जो स्विटजरलैंड द्वारा अप्रयुक्त अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को "न्यूकलियर टैक्नोलोजी" सप्लाई करने तथा इस प्रकार उसे अणु-बम बनाने में सहायता देने से सम्बन्धित था ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : स्विस फर्मों द्वारा पाकिस्तान को कतिपय उपस्कर बेचे जाने की खबरों पर सरकार ने गौर किया है। सरकार भारत की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय कर रही है ।

सरकारी औषध भंडार डिपो, मद्रास

599. **श्री के० बी० एस० मणि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा औषध भंडार डिपो मद्रास से सम्बद्ध फार्मेस्यूटिकल्स फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का अध्ययन करने के लिए जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी उसने अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ये रिपोर्ट कौन-सी तिथियों को प्रस्तुत की गई थी और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना के पूर्ण हो जाने की सम्भावित तिथि क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1980 में दी थी। मैसर्स आई. डी. पी. एल. से प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट, 1980 में प्राप्त हुई थी। इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इस समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) आयल फायर्ड कार्निश बायलर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक होगा कि नई दवाइयों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाये जैसे ट्रान्सफ्यूजन साल्यूशन और इंजेक्शन।

(2) फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करने के लिए यथोचित नवीकरण करने की जरूरत होगी।

(3) औषधि निर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों में प्रस्तावित विस्तार करने के परिणाम-स्वरूप प्रयोगशाला पर पड़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार को निपटाने के लिए मौजूदा परीक्षण सुविधाओं में विस्तार करना आवश्यक होगा।

(4) चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन की एक कम्पनी बना दी जानी चाहिए।

इस परियोजना रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री अनुभाग गोदाम को इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दवाइयों का यूनिट बना दिया जाना चाहिए और उसमें सेवा की सुविधाएं होनी चाहिएं।

(घ) जब कि विशेष समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का सम्पूर्ण प्रश्न विचाराधीन था, सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी समिति की उस समिति की कतिपय सिफारिशों के प्रकाश में चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन को सुव्यवस्थित करने का भी एक प्रस्ताव विचारार्थ आया था। इस प्रस्ताव पर निर्णय होने तक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

मद्रास और तूतीकोरिन पत्तन न्यासों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किए गए ठेके

600. **श्री के० पी० एस० मणि :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से पत्तन न्यास हैं जो भारत सरकार नौवहन मंत्रालय के अन्तर्गत सीधे नियंत्रण में हैं;

(ख) विशेषकर मद्रास और तूतीकोरिन, पत्तन न्यासों में ठेकेदारों को किस तरह के कार्य/ठेके दिए जाते हैं;

(ग) क्या विशेषकर मद्रास और तूतीकोरिन पत्तन न्यासों में कुछ प्रतिशत ठेके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किए जाते हैं; और

(घ) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है, तो क्या ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस मन्त्रालय के नियंत्रण में आने वाले पत्तन न्यास ये हैं :—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, काण्डला, मार्मुगांव, पारादीप, न्यू मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन न्यास।

(ख) सभी प्रकार के सिविल निर्माण कार्य जैसे : —भवनों, सड़कों तथा समुद्री इमारतों का निर्माण, ड्रेजिंग का काम, बिजली के कार्य जैसे, ट्रांसफार्मर लगाना, केबल बिछाना और मशीन संबंधी कार्य जैसे, वार्फ क्रेनों की सप्लाई करना और उन्हें लगाना इत्यादि कार्य ठेके पर दिए जाते हैं। ये ठेके खुले रूप से कम से कम कीमत पर टेंडर भरने वाले को दिए जाते हैं।

(ग) मद्रास और तूतीकोरिन पत्तनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ठेकों का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जाता है। फिर भी, मद्रास पत्तन न्यास ने हाल ही में फैसला किया है कि छोटी-मोटी मरम्मत के लिए छोटे ठेके जो 15,000 रु० लागत तक के हों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के ठेकेदारों को दिए जाएं। यह भी फैसला किया गया है कि अन्य लोगों के लिए सिक्यूरिटी डिपाजिट की जो रकम तय की गयी है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए वह राशि 50% कम कर दी जाए।

(घ) जी, नहीं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : नासिक के किसानों के आन्दोलन के सम्बन्ध में मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था......

अध्यक्ष महोदय : मैंने नासिक तथा भारत के अन्य भागों में हो रहे किसान आन्दोलन के बारे में 24 तारीख के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन मेरा तो एडजर्नमेंट मोशन था।

दूसरा मेरा था बिहार में जो पन्द्रह आदिवासियों की हत्या कर दी गई है उसके सम्बन्ध में......

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार हो रहा है। मैं आपको बता दूंगा। कृपया बैठ जाएं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पारपत्र अधिनियम 1967 के अधीन अधिसूचना

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : श्री नरसिंह राव की ओर से मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (द्वितीय संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 559 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1325/80]

वाणिज्यिक पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना; नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : श्री बूटा सिंह जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वाणिज्यिक पोत परिवहन [गोदी स्थोरा (काष्ठ स्थोरा सहित)] नियम 1980 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 943 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्यिक पोत (परिवहन) प्रमाण पत्रों तथा रोजगार की विशिष्टियों के प्रारूप नियम, 1980 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 970 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०–1326/80]

(2) नाविक-भविष्यि निधि (संशोधन) स्कीम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 881 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०–1327/80]

(3) दिनांक 1 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० आ० 698 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 6 राजमार्गों, जिनका उल्लेख उक्त अधिसूचना में किया गया है, को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–1328/80]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944; आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम 1961 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक 2 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 791 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79-केन्द्रीय उत्पाद में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 873 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा "परिष्कृत तरल सोडियम सिलिकेट" पर छूट दिलाये जाने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु दिनांक 1 अगस्त, 1970 की अधिसूचना संख्या 154/70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 874 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को तैयार पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण के लिए उत्पादन हेतु शोधन-शाला में ईंधन के रूप में प्रयोग करते समय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या 352/77-केन्द्रीय उत्पाद मुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) दिनांक 29 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 498 (ङ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो अक्तूबर-नवम्बर, 1980 के दौरान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट स्कीम के बारे में है।

(पांच) दिनांक 15 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 536 (ङ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो दिनांक 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 96/80 में अधिसूचना के अन्तर्गत प्रयुक्त "मूल्य" शब्द की परिभाषा के बारे में है।

(छ) दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 955 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा साबुन अन्तर्विष्ट साबुनीकरणीय सामग्री को उत्पाद शुल्क से छूट की मंजूरी को दिनांक 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 24/75-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन करके स्पष्ट किया गया है।

(सात) सा० सां० नि० 954 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना सं० 27/75-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन करके चावल की भूसी के तेल के मिश्रण तथा अन्य तेलों से निर्मित साबुनों पर उत्पाद शुल्क से छूट की मंजूरी को स्पष्ट किया गया है।

(आठ) सा० सां० नि० 550 (ङ) से 552 (ङ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो पोली प्रोपीलिन स्टेपल फाइबर, पोलीप्रोपीलिन स्पन यार्न तथा ब्लैंड यार्न पर उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में है।

(नौ) सां० स० नि० 981 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो ग्रामोफोन के रिकार्डों के

विनिर्माण में रिकार्डों के लिए प्रयुक्त मैरिसिस पर समस्त उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में हैं।

(दस) सा० सां० नि० 569 (ङ) जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो साइकिल रिक्शा के टायरों और ट्यूबों पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में है।

(ग्यारह) सा०सां०नि० 577 (ङ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो बिजली-करघों पर निर्मित सूती कपड़े पर उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में है।

(बारह) सा०सां०नि० 578 (ङ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो सादे लच्छों तथा बाबीनों से निकाले गये सूत पर उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट के बारे में है।

(तेरह) सा०सां०नि० 1052 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के लिए बनाये जाने वाले टायरों और ट्यूबों, जब उन पर "ए बी डी" अंकित हो, पर समस्त उत्पाद शुल्क से छूट के बारे है।

(चौदह) सा०सां०नि० 610 (ङ) से 611 (ङ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले कारखानों में जूट-पारेषणों की पैकिंग में प्रयोग होने वाले जूट के गोलों तथा पैक शीटों पर उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में है।

(पन्द्रह) सा०सां०नि० 501 (ङ) जो दिनांक 29 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो आयात तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से तांबे पर छूट जारी रखने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1329/80)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 2 अगस्त, 1980 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 790 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1970 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद (चौदहवां संशोधन) नियम, 198.. जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1078 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1330/80)

(3) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत दिनांक 29 अगस्त. 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आं० 695 (ङ) में प्रकाशित हुए।
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.–1331/80)

(4) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 508 (ङ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो नई दिल्ली में हुई राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों, उनके पतियों/पत्नियों तथा प्रतिनिधियों को विदेश यात्रा कर की भुगतान से छूट के बारे में है।

(दो) सा०सां०नि० 525 (ङ) जो दिनांक 8 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा राष्ट्रमंडलीय देशों की सरकारों के प्रमुखों की नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों, उनके पति/पत्नियों तथा प्रतिनिधियों को विदेश यात्रा कर से छूट देने की तारीख को 15 सितम्बर, 1980 तक बढ़ाने के बारे में है।
(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.–1332/80)

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 462 (ङ) जो दिनांक 2 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 470)ङ) जो दिनांक 8 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 2 अगस्त, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा की पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 472 (ङ) जो दिनांक 12 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा

को जापानी येन में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यामक ज्ञापन।

(चार) सा०सां०नि० 475 (ङ) जो दिनांक 14 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कॉफी पर निर्यात शुल्क में कमी के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) सा०सां०नि० 478 (ङ) और 479 (ङ) जो दिनांक 19 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अमोनियम फास्फेट को खाद के रूप में अथवा मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग करने के लिए आयात करते समय समस्त मूल और सहायक सीमा-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०सां०नि० 480 (ङ) और 481 (ङ) जो दिनांक 19 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कोकिंग कोयले को आयात करते समय समस्त मूल, सहायक और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से लूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०सां०नि० 488 (ङ) जो दिनांक 25 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा खेलकूद के सामान के विनिर्माण में प्रयोग में आने वाले कतिपय विशिष्ट कच्चे माल पर मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०सांनि० 496 (ङ) जो दिनांक 28 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 8 अगस्त, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०सां०नि० 495 जो दिनांक 28 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात आर्डरों के निष्पादन के लिये अग्रिम लायसेंसों पर निःशुल्क आयात किए जाने वाले सामान की सूची में और मद शामिल करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०सां०नि० 497 (ङ) जो दिनांक 28 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जूतों के बक्कल और उनकी सजावट के अन्य सामान पर मूल शुल्क से छूट वापस लेने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०सां०नि० 500 (ङ) जो दिनांक 29 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा बिना पिटे तांबे पर वर्तमान सीमा-शुल्क और तांबे तथा उससे बनी वस्तुओं पर मूल उत्पाद-शुल्क जारी रखने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०सां०नि० 502 (ङ) जो दिनांक 29 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी तथा शिक्षा के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक फिल्म-स्ट्रिप के साथ आने वाले प्रि-रिकार्डेड कैसेट के एक सैट को समस्त मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा०सां०नि० 509(ङ) जो दिनांक 3 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 28 अगस्त, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग को बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा०सां०नि० 511 (ङ) और 512 (ङ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अनिवार्यतः प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम विशिष्ट प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० सां०नि० 519 (ङ) तथा 520 (ङ) जो दिनांक 5 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कच्चे पेट्रोलियम कोक को समस्त मूल और सहायक सीमा-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा०सां०नि० 521 (ङ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 3 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौण्ड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन :

(सत्रह) सा०सां०नि० 526 (ङ) जो दिनांक 8 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा हेसियन कपड़े और थैलों को निर्यात शुल्क की वसूली से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा०सां०नि० 535 (ङ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा नेपाली मूल के छः और उत्पादों को वरीयता के आधार पर भारत में लाये जाने योग्य बनाने के लिये शामिल किये जाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा०सां०नि० 538 (ङ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 6 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा०सां०नि० 542 (ङ) जो दिनांक 22 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा 12 अगस्त, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में

जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा०सां०नि० 555 (ङ) और 556 (ङ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा 40 प्रतिशत मूल्य के अनुसार से अधिक मूल शुल्क और सहायक सीमा-शुल्क से मुद्रण आयोग में प्रयोग में आने वाले रबड़, कम्बलों को छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा०सां०नि० 557 (ङ) और 558 (ङ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एयर कंडीशनरों, रेफ्रीजरेटरों और डीप-फ्रिज समेत सभी सामानों को अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा०सांनि० 560 (ङ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा द्रवित पैट्रोलियम गैस को समस्त मूल सीमा-शुल्क से छूट सम्बन्धी दिनांक 19 जनवरी, 1980 की अधि-सूचना संख्या 4 सीमा-शुल्क की मान्यता को 31 मार्च 1971 तक बढ़ाने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा०सां०नि० 573 (ङ) और 574 (ङ) जो दिनांक 8 अक्तूबर 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कलाई घड़ियों के कतिपय पुर्जों को 50 प्रतिशत मूल्य अनुसार से अतिरिक्त मूल शुल्क से और समस्त सहायक सीमा-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा०सां०नि० 580 (ङ) और 581 (ङ.) जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सोने के आभूषणों के निर्यात के लिए योजना के अन्तर्गत आयात किये गये और उक्त योजना के अन्तर्गत बने और निर्यात किये गये आभुषणों के विदेशी खरीददार द्वारा दिए गए सोने को समस्त मूल और सहायक सीमा-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा०सां०नि० 599 (ङ.) और 600 (ङ) जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कोआपरेटिव यूनियन आफ कनाड़ा के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आयात किए गए खाद्य तेलों को समस्त मूल, अतिरिक्त और सहायक सीमा-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1333/80]

भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अधीन अधिसूचना

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाफर शरीफ) : अपने साथी की ओर से मैं भारतीय

रेल अधिनियम, 1890 की धारा 56–ख के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सां० आ० 589 (ङ) जो दिनांक 29 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित स्टेशनों को 1 अगस्त, 1980 से 4-1/2 महीने की और अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित किया गया है ।

(दो) सां० आ० 590 (ङ) जो दिनांक 29 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित स्टेशनों को 1 अगस्त, 1980 से 4-1/2 महीने की अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित किया गया है ।

(तीन) सां० आ० 693 (ङ) जो दिनांक 28 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित स्टेशनों को 1 अगस्त, 1980 से 3-1/2 महीने की और अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित किया गया है ।

(चार) सां० आ० 625 (ङ) जो दिनांक 16 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित स्टेशनों को 18 अगस्त, 1980 से 14 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित किया गया है ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–1334/80)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कतिपय जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्य बढ़ाने का सरकार का कथित निर्णय और इनमें से कुछ औषधियों की बाजार में कमी

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा । श्री रावत । उपस्थित नहीं हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु उपस्थित नहीं हैं । वे मुझे लिख चुके हैं । श्री नवलकिशोर शर्मा । मैं सभा को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने परसों की कार्यवाही को देखा है और मैंने पाया है कि इस वक्तव्य को अनावश्यक रूप में अधिक समय दिया गया है । यह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मात्र है । मैं चाहता हूं कि सदस्यवर प्रश्न पूछने में थोड़ा समय लें । यह कोई वाद-विवाद तो है नहीं । यह तो केवल प्रश्न और उत्तर मात्र है । हमें इस सभा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिये ।

हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट होने चाहियें और उन्हें उत्तर के लिए उचित, पर्याप्त समय मिले । श्री शर्मा ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : विधि और व्यवस्था की स्थिति पर दिए गए मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं । कृपया मुझे खेद है । मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री रामबिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । लिस्ट आफ बिजनेस में अंग्रेजी में यह श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत के नाम से छपा है और हिन्दी में श्री हरिकेश बहादुर के नाम से छपा है ।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी अशुद्धि हो जाती है ।

श्री रामविलास पासवान : शुद्धि-पत्र निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा । श्री नवलकिशोर शर्मा ।

श्री नवलकिशोर शर्मा (दोसा) : महोदय, मैं पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

"कतिपय जीवन रक्षक औषधियों का मूल्य बढ़ाने और बाजार में इनमें से कुछ औषधियों की कमी के बारे में सरकार का कथित निर्णय ।"

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : प्रपुंज औषधियों और फार्मुलेशनों के मूल्य वर्ष 1962 से कुछ वैधानिक नियंत्रण में हैं किन्तु औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 से लागू हैं । इस आदेश के अन्तर्गत सभी फार्मुलेशन मूल्य नियंलण के अन्तर्गत थे किन्तु उस आदेश में परिभाषित कुछ प्रपुंज औषध ही नियंत्रण के अन्तर्गत थे । अन्य प्रपुंज औषधों के मामले में निर्माता पहले उत्पादन पर मूल्य घोषित करने के लिए स्वतंत्र थे । जब कभी उन्हें घोषित मूल्य में संशोधन की आवश्यकता पड़ी, सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक थी । टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1970 में सरकार द्वारा आवश्यक प्रपुंज औषधों के मूल्य नियत किये गये थे । तत्पश्चात समय-समय पर इन मूल्यों को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर संशोधित किया गया (अन्तिम संशोधन वर्ष 1976-77) ।

1. 1 जहां तक फार्मुलेशनों का सम्बन्ध है, कारखाने के बाहर लागत और मार्क-अप की कुछ प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत सभी फार्मुलेशनों के मूल्य नियत किये गये थे । मार्क-अप में निर्माता का लाभ, प्रोत्साहन व्यय बहिर्गामी प्रभार, वितरण लागत और व्यापार कमीशन आदि शामिल हैं । औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत अनुमोदित मार्क-अप अभी प्रचलित हैं ।

2. मार्च, 1978 में घोषित नई औषध नीति में ये प्रावधान किये गये थे कुछ श्रेणियों के फार्मुलेशनों के मूल्य में नियंत्रण और ऐसे फार्मुलेशनों के उत्पादन में प्रयुक्त सभी प्रपुंज औषधों के मूल्य में नियंत्रण विभिन्न श्रेणियों के फार्मुलेशनों के मार्क-अप में विभिन्नता, सभी लागत प्रपुंज औषधियों और सभी मूल्य नियंत्रण फार्मूलेशनों के मूल्य में एक वर्ष की स्थिरता तथा

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा सभी प्रपुंज औषधियों और फार्मुलेशनों पर आज तक किये गये अध्ययन को नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाय। नई औषध नीति के मूल्य सिद्धान्तों को लागू करने के लिए वर्ष 1979 में एक नई औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश जारी किया गया।

3. इस प्रकार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत नियंत्रित प्रपुंज औषधों और फार्मुलेशनों के मूल्य में संशोधन अपेक्षित हो गया और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के लागत अध्ययन के आधार पर लागू किया जाना था। इसी बीच अगस्त, 1979 के पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई। उद्योग ने सिर्फ इस वृद्धि के लिए मूल्य में संशोधन करने पर बल दिया। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को वृद्धि के संदर्भ में नये सिरे से लागत अध्ययन करना था और औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के आधार पर संशोधन और लागत वृद्धि में परिवर्तन को जोड़ने की प्रक्रिया विकसित करनी थी। सरकार ने अगस्त, 1980 में प्रपुंज औषधों और फार्मुलेशनों के मूल्य के समायोजन की प्रक्रिया को स्वीकृति दी है। इसमें औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के लागत अध्ययन को ध्यान में रखते हुए औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के मूलभूत सिद्धान्तों के कार्यान्वियन का प्रावधान है। इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि इन लागत अध्ययनों में वे प्रपुंज औषध भी आते हैं जो पहले मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं थे, प्रपुंज औषधों के मूल्यों में संशोधन की संभावना है। मूल्य नियंत्रित औषधों के मामले में वर्ष 19 6-77 की अवधि में अन्तिम मूल्य संशोधन किया गया था, तब से लागत में काफी वृद्धि हुई है। यह आवश्यक है कि ऐसी स्थिति से बचा जाय जहां आवश्यक औषध निर्माण करना गैर किफायती है जिसके परिणामस्वरूप कमी होती है।

4. जबकि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने लगभग सभी प्रपुंज औषधों के लागत अध्ययन कर लिये हैं, जून, 1980 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में फिर वृद्धि हुई और इन्हें ध्यान में रखते हुए फिर से किया जाना है। इसी बीच कुछ महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के मामले में जहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपलब्धता की स्थिति प्रभावित न हो, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के पूर्व लागत अध्ययन के आधार पर मूल्य संशोधन की घोषणा कर दी गई है। अब तक इनकी संख्या चौदह है। तदनुरूपी फार्मुलेशनों के संशोधित मूल्य तैयार किये जा रहे हैं और शीघ्र ही घोषणा कर दी जायेगी।

5. सरकार प्रति सप्ताह राज्य औषध नियंत्रकों और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के आधार पर जीवन रक्षक औषधों और फार्मुलेशनों की उपलब्धता की देख-रेख करती है। सामान्यतया विशिष्ट ब्राण्डों के फार्मुलेशनों की कमी की सूचना है। ऐसे अनेक मामलों में अनेक मिलते जुलते (समतुल्य) ब्राण्ड उपलब्ध हैं। कमी की सूचना के मामले में सूचित उत्पाद जिनकी कमी हमें निर्माता और समतुल्य उत्पादों के निर्माताओं के सहयोग से कमी वाले क्षेत्र में सप्लाई भेजने की व्यवस्था की जाती है।

6 विशिष्ट ब्राण्ड के फार्मुलेशनों की कमी के अनेक कारण हैं, जैसे बिजली कटौती, औद्योगिक अशान्ति, पैंकिंग सामग्री की कमी, निवेश लागत में वृद्धि, कुछ कच्चे माल की अनुपलब्धता, उपकरण खराबी, परिवहन समस्या आदि। उत्पादन में रुकावट के विशिष्ट मामले जो

सरकार के ध्यान में लाये गये, सरकार ने हरसंभव उपचारी कार्यवाही की। जब पैकिंग सामग्री की कमी हुई, सरकार ने अल्युमिनियम फोईल के आयात पर सीमा शुल्क की कमी की और इसे सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत शामिल कर इसके उदार आयात की अनुमति दी। सरकार ने स्वदेशी उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों के अपेक्षित आयात की व्यवस्था की है।

7. उन मामलों में जहां प्रपुंज औषधों के मूल्य में संशोधन की घोषणा की जाती है, तत्पश्चात तदनुरूपी फार्मुलेशनों के मूल्य में यथाशीघ्र संशोधन किया जायेगा। फार्मुलेशनों की उपलब्धता की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कुछ ब्रांडों की आवश्यक औषधियों की बाजार में कमी को स्वीकार किया है। उन्होंने जो लम्बा वक्तव्य दिया है उसमें इसके कई कारण गिनाए हैं।

महोदय, इतना लम्बा वक्तव्य देने के बावजूद भी मूल प्रश्न बना ही हुआ है और इस मूल प्रश्न का उत्तर दिया जाना शेष है। प्रश्न यह है कि लोगों की मांग के अनुरूप कोई औषध नीति बनाने में सरकार असफल क्यों रही है? ऐसी बात क्यों है कि उपभोक्ता के हित की रक्षा हेतु ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है? औषध क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों के हितों के कारण, सरकार अभी तक कोई ऐसी नीति तैयार करने में असफल रही है जो कि आमतौर पर भारतीय औषध उद्योग के विकास में सहायक हो, प्रेरक हो। यह बात स्वीकार कर ली गई है कि इन बातों के कारण भारतीय क्षेत्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस उद्देश्यार्थ बहुत सी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें नवीनतम समिति हाथी समिति है। इन समितियों द्वारा समस्याओं का अध्ययन करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सरकार ने यह निश्चित करने के लिए कि भारतीय औषध क्षेत्र का विकास हो और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उपभोक्ताओं को लूटने से रोका जा सके कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। जो भी बातें मैंने यहां कही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने कौन से विशिष्ट कदम उठाए हैं। महोदय, औषधियों पर 1979 के आदेश से नियंत्रण लगाया गया था। फिर ऐसा क्यों है कि इन औषधियों को उपयुक्त दामों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया गया? सच्चाई यह है कि विक्रेता और थोक व्यापारी औषधियों का भण्डार रोके रख कर साधारण उपभोक्ता को निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

क्या यह सच्चाई नहीं है? यदि बात ऐसी है तो क्या किसी औषध तैयार करने वाली कम्पनी या औषधियों का भंडार करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है? मन्त्री महोदय से मुझे यह सूचना चाहिये। दूसरे, मूल प्रश्न, जिसका उत्तर मन्त्री महोदय ने नहीं दिया है, वह इस प्रकार है कि केवल औषध निर्माता उद्योगों के संगठन के अभ्यावेदन पर ही 14 औषधियों के थोक मूल्यों में संशोधन किया गया है। इन औषधियों की कीमतें बढ़ गई हैं जबकि फार्मुलेशनों की कीमतें वही हैं। इनका संशोधन क्यों नहीं किया गया है। इनका संशोधन भी साथ-साथ होना चाहिए था। इसीलिए तो जन-साधारण को नुकसान होता है। हथी समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन ब्रान्ड नामों को समाप्त कर दिया जाए। यदि हाथी

समिति ने यह सिफारिश की थी तो यह कैसी बात है कि सरकार ने अभी तक इन ब्रान्ड नामों को समाप्त करने के किए कोई कदम नहीं उठाया है ? इन्हीं ब्रान्ड नामों के कारण ही बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां देश को लूट रही हैं। मन्त्री महोदय ने बताया है कि जीवन रक्षक औषधियों का अभाव है और ये उन ब्रान्ड नामों का प्रयोग कर रहे हैं। मन्त्री महोदय भविष्य में इन ब्रान्ड नामों को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय कोई ऐसी पद्धति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इन वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ने पर, फार्मुलेशनों की लागत में भी साथ-साथ वृद्धि हो ? क्योंकि यहीं आकर सारी समस्या खड़ी होती है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन फार्मुलेशनों के वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है और यह नियन्त्रण कैसे किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि भारतीय-क्षेत्र को इन फार्मुलेशनों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाती है। क्योंकि औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन तो अभी भी इन्हीं बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है ? अत मुझे, मेरे द्वारा पूछे गये इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर मन्त्री महोदय से चाहिये। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि ये सभी जीवन रक्षक औषधियां देश के आम उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर उपलब्ध हो सकें ? महोदय, मेरे यही प्रश्न हैं और मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दें।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : पिछली सरकार ने हाथी समिति के आधार पर, वर्ष 1978 में एक औषध नीति की घोषणा की थी। अतः यह कहना सही नहीं है कि सरकार की कोई औषध-नीति ही नहीं है। अब, यह भिन्न मामला है कि विद्यमान परिस्थितियों में, यदि इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो औषध-नीति की गहराई से जांच करनी होगी। दूसरे, स्वयं हाथी समिति के आधार पर बहु-राष्ट्रिकों को अपनी ईक्विटी को 40 प्रतिशत तक घटाना चाहिये अथवा 51 प्रतिशत से अधिक 40 प्रतिशत तक अधिकांश मामलों में, केवल उन 3-4 मामलों को छोड़कर जिनकी कि जांच चल रही है, ईक्विटी को 40 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। अत इस दिशा में हरसम्भव प्रयास किए जा रहे हैं कि बहु-राष्ट्रिकों की ईक्विटी घटाई जाए और इस प्रकार उनका लाभ भी कम हो जायेगा। फिर, यह भी विचार किया गया है कि जब कभी भी इन बहु-राष्ट्रिकों का फैलाव, विस्तार होगा या किया जायेगा तो उनके उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल औषधियां अवश्य होंगीं। अतः उनको केवल उन्हीं दवाईयों का उत्पादन नहीं करना होगा जो कि अधिक लाभ प्रदान करती हैं, परन्तु मूल दवाईयों का भी उत्पादन करना होगा और जब वे मूल दवाईयों का उत्पादन करेंगे तो उन्हें वे मूल औषधियां भारतीय निर्माताओं को सप्लाई करनी पड़ेंगीं। इसलिए, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

जहां तक कीमतों में संशोधन का सम्बन्ध है, यह सच है कि जैसा कि श्री नवल किशोर शर्मा ने सुझाव दिया है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे यदि कच्चे-माल के दामों में वृद्धि होती है, विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो इसमें कुछ गठ-जोड़ होना चाहिये जिससे कि हर वार जब-जब कच्चे-माल की

कीमतों में वृद्धि होती है तो बी. आई. सी. पी. को सैकड़ों मुख्य दवाईयों की जांच न करनी पड़े। मूल्य नियन्त्रण हेतु लगभग 376 औषधियों की जांच की जा रही है। इसी प्रकार मुख्य औषधियों पर आधारित ऐसे सहस्रों फार्मुलेशन हैं जिनकी कि बी०आई०सी०पी० ने जाँच करनी है। इसलिये 1971 की मूल्य-वृद्धि के आधार पर इन कीमतों में संशोधन किया गया था, परन्तु इसके बीच 1980 में मूल्य-वृद्धि की गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए, बी.आई.सी.पी. आद्यःतन कीमत संशोधन की बात सोच रही है। अतः 14 दवाईयों के मामले में मुख्य औषधियों की कीमतें संशोधित कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 317 मुख्य औषधियां हैं जिनमें 140-145 का आयात किया जाता है और इन आयातित मुख्य औषधियों पर एक ऐसे तन्त्र द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है जिसमें बी. आई. सी. पी. का कोई दखल नहीं है। उसके बाद 176 शेष ऐसी औषधियां हैं जिनकी कि बी. आई. सी. पी. को जांच करनी होती है और हमने बी. आई. सी.पी. और विभाग से इस जांच को दो मास में पूरा करने के लिए कहा है।

एक माननीय सदस्य : यह सम्भव नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वे अवश्य पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही साथ हमने उनसे यह भी कहा है कि जिन 14 औषधियों की कीमतों में संशोधन कर दिया गया है उनसे सम्बद्ध फार्मुलेशन्स की संशोधित कीमतों की घोषणा भी साथ ही साथ कुछ ही दिनों में या अधिक से अधिक एक सप्ताह में अवश्य कर दी जानी चाहिये। इसलिये हम उस पर ध्यान दे रहे हैं।

जहां तक कीमतों के दवाईयों पर अंकित करने का प्रश्न है, यह भी नीति सम्बन्धी मामला है जिस पर पिछली सरकार ने निर्णय लिया था। हमें कीमतों के अंकन के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और कीमतों के संशोधन के सम्बन्ध में भी, परन्तु इस प्रकार के नहीं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि केवल विदेशी निर्माताओं से ही, बल्कि सरकारी क्षेत्र आई. एच. ए. एल. डी. पी. एल. और भारतीय निर्माताओं से भी प्राप्त हुआ है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कच्चे-माल की कीमतें बढ़ गई हैं, हमें ऐसे भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यदि पहले के अंकनों को ही रखा जाए तो फिर कुछ मामलों में, इस सच्चाई के बावजूद कि कीमतों में सशोधन किया जाना है और वे बढ़ जाती हैं, वे कम भी हो सकती हैं। अतः कीमतों के अंकन के प्रश्न पर भी नये सिरे से विचार किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यहां पर इस या उस ओर के दबाव से काम नहीं चलेगा। अतः हम अपनी ओर से हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

रही ब्रान्ड नामों को समाप्त करने की बात, अनुभव के तौर पर सारे मामले का परीक्षण करने हेतु पांच ब्रान्ड नामों को हटाया गया था। हम स्थिति पर दृष्टि रखे हुए हैं। कुछ देशों में जहां ब्रान्ड नामों को समाप्त कर दिया गया था, उन्हें भी फिर से ब्रान्ड नामों को अपनाना पड़ रहा है। अतः यह कोई इतना आसान मामला नहीं है इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये, इस प्रकार का निर्णय तो सम्पूर्ण स्थिति का लेखा-जोखा करने के बाद ही लेना चाहिये। अतः हमारा मुख्य लक्ष्य तो औषधियों, जीवन रक्षक औषधियों तथा अन्य औषधियों

के उत्पादन का होना चाहिये । और यह देखने के लिए भी कि हाथी समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, उनको 10-12 प्रतिशत लाभ कमाने की जो भी अनुमति है, उनको पैंकिंग आदि जो भी खर्चे लेने की अनुमति है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कीमतों पर भी नियन्त्रण रखा जाना चाहिए । अतः इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

जहां तक औषधियों की कमी की बात है, मैंने यह स्वीकार किया है कि कमी की बात देश के हर कोने से सुनी जा रही है । सारे मामले पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिये हमने मन्त्रालय में एक विशिष्ट विभाग खोल दिया है जिसमें राज्य सरकारों के स्वास्थ्य अधिकारियों और हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों को साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करनी पड़ती है । उदाहरणार्थ, 15-11-1980 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 63 मदों की कमी की रिपोर्ट मिली थी, जिनमें से 43 मदों की कमी को पूरा कर दिया गया है । रही शेष 22 मदों की बात, हमने देखा है कि कुछ मदों के मामले में जिन्हें ब्रान्ड नामों से बेचा जाता है उनके समानक उपलब्ध हैं । मैं केवल दो उदाहरण दूंगा और पूरी सूची को पढ़कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि यह लम्बी है । मैसर्स डे मेडिकल स्टोरस, कलकत्ता की एन्ट्रोमाइसीटीन मिल नहीं रही थी, परन्तु इसकी समानक, मैसर्स बोहिन्जर क्नोल द्वारा निर्मित पैराक्सीन उपलब्ध थी । इसी प्रकार, कलकत्ता और राजस्थान में झालावाड़ में मे एण्ड बेकर थाली सोल टेब्लैट्स की सप्लाई का अभाव सुनने में आया था । वे ईस्ट-इण्डिया द्वारा निर्मित इसके समानक एन्ट्रोक्यूइनोल और बंगाल एम्युनिटी द्वारा तैयार की हुई डिनोक्यूइनोल को ले सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पुस्तिका में ही यह दर्शाया जाना चाहिए कि वे इसके इस समानक का प्रयोग कर सकते हैं । ये बातें पुस्तिका में ही क्यों न लिख दी जाए ? यदि डाक्टर लोग बताते हैं तो रोगी विश्वास ही नहीं करते ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे विचार से यह अच्छा सुझाव है । हमें यह करना ही होगा । हम इस बात का पता लगायेंगे कि यह हो सकता है या नहीं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : जो लोग अधिक कीमतें वसूल कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस समय हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है । कीमतों पर नियन्त्रण तो औषध नियन्त्रक द्वारा ही किया जाता है । यदि माननीय सदस्य इच्छुक हैं, जैसा कि वे हैं ही तो हम स्वास्थ्य मन्त्रालय से सूचना एकत्र करके यहां रख देंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो लम्बा वक्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उससे यह स्पष्ट है कि इन्होंने बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों और हिन्दुस्तान के इजारेदारों की कम्पनियों की वकालत की है । उन्होंने जो दाम बढ़ाने की नीति अपना रखी है, उसका इन्होंने समर्थन किया है । ज़ाहिर बात है कि जब तक इस नीति पर सरकार चलेगी, तो गरीबों को जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध नहीं हो सकतीं, यह मानकर चलना होगा । अगर ऐसी बात न होती, तब हाथी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरा-पूरा मानकर जीवन रक्षक दवाइयों का पूरा उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों में, कारखानों में किया जाता । ऐसा नहीं हो रहा है

और समय-समय पर सरकार कानून भी बनाती है, आर्डर भी इसू करती है लेकिन उसका दवा कम्पनियों के बड़े-बड़े इजारेदारों पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि वे तो मौत के सौदागर हैं, वे लोगों की मौत से मुनाफा कमाना चाहते हैं। यही वजह है कि अभी हाल में 14 दवाइयों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। खुद मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में 18 नवम्बर को कहा है कि 75 प्रतिशत कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अभी अपने भाषण में इन्होंने कहा है कि 10 से 15 प्रतिशत कीमतें बढ़ी हैं। इन दोनों में कोई मेल नहीं है।

यह जरूर है कि 1962-63 में चीन की लड़ाई के समय भारत में दवाओं की कीमतों को फ्रीज किया गया, उन्हें रोका गया था। अब खुद दो बार सरकार ने दवाओं के दाम बढ़ाए और फिर उसके बाद अक्टूबर में भी 11 दवाओं के दाम सरकार ने बढ़ा दिये। उनमें तीन दवाओं को और जोड़ दिया गया। इस तरह से 14 दवाओं के मूल्य सरकार ने बढ़ा दिए। अगर इस तरह से दवाओं के दाम बढ़ाते जाइयेगा तो गरीब आदमी दवाओं को कैसे खरीद पायेगा? इसकी चिंता मंत्री जी को नहीं है।

आपकी दवाओं की जो नीति है वह उद्योगपतियों, इजारेदारों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समर्थन की नीति है जिस नीति के खिलाफ हाथी कमेटी ने सिफारिश की थी और उसको आपने नहीं माना। उसकी कुछ ही सिफारिशों को आप मानते हैं, कुछ को नहीं मानते है। पूरी की पूरी उसकी सिफारिशें मानने में आपको क्या कठिनाई है? यदि कोई कठिनाई है तो उसे आपको देश के सामने रखना चाहिए कि ये सिफारिशें गलत हैं। आप उसकी किसी सिफारिश को गलत भी नहीं कहते और सारी की सारी सिफारिशें मानते भी नहीं।

आज हम देखते हैं कि दवाओं की 50 से 75 प्रतिशत कीमतें बढ़ी हैं। अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो गरीब लोग बीमारी से ही मर जायेंगे। सरकार इस देश से गरीबी मिटाने का दावा करती है लेकिन वह तो दवाएं न खरीद पाने से बीमारी से ही मर जायेंगे। मैं चहूंगा कि आप इन बातों को ध्यान में रखिए और अपनी दवा की नीति को इजारेदार विरोधी बनाइए। इजारेदारी चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, आपको इसके विरुद्ध नीति बनानी चाहिए।

मार्क-अप के नाम पर दवाओं के उद्योगपति दो सौ प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं। आप भी उसकी इजाजत दे देते हैं। इसको आपको रोकना चाहिए। आपका जो ब्योरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्राइसिज है क्या इसमें गरीबों के प्रतिनिधि भी हैं? क्या इसने इजारेदारों से सांठ-गांठ नहीं कर रखी है? इसका भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। सरकार इजारेदारों के सामने नतमस्तक हो जाती है लेकिन आम आदमी के सामने नतमस्तक होना नहीं जानती। आप इजारेदारों के सामने झुक जाते हैं और इसीलिए क्लोरमफेनीकोल (टाइफाइड), स्ट्रेप्टोमाइसीन (टी० बी०), इन्ट्रोक्वीनोल (पेचिस) और दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीन और इन्ट्रोक्वीनोल का तो उन्होंने अभी जिक्र भी किया। इसी तरह से तमाम दवाओं के दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसी दवाओं के दाम बढ़ाए गए हैं जिन्हें गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं। गरीब बीमार ज्यादा होते हैं, अमीर कम बीमार होते हैं। वे अगर होते हैं तो ज्यादा खाने से बीमार होते हैं। लेकिन जीवन बचाने वाली दवाएं तो ज्यादातर गरीबों के ही काम में आती हैं। आपको उनके बारे में सोचना चाहिए।

आप इन तमाम दवाओं को सरकारी कारखाने में बनाने का विचार रखते हैं या नहीं, यह बताएं ? इस तरह की दवाओं के सम्बन्ध में हाथी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? और क्या आप बहु-राष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तैयार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं कि सरकार ने आयात कितना किया है । आप आयात करते हैं इंग्लैंड से, अमरीका से और वेस्ट जर्मनी से । किसी भी समाजवादी देश से आयात नहीं करते । क्या वहां की दवाएं आपको सूट नहीं करतीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह डर है कि यदि आप बहु-राष्ट्रिकों को भारत से बाहर भेज देंगे तो वे समाजवादी देशों में चले जायेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्हें वहां जाने दो । वे देश अपना ख्याल स्वयं रखेंगे । हमें उनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।

मैं बताना चाहता हूं कि आपने 1971-72 में 35.4 करोड़, 1973-74 में 37.50 करोड़, 1976-77 में 82 करोड़ और 1978-79 में 150 करोड़ रुपए की दवाओं का आयात किया है। क्या यह मल्टी नेशनल को तोड़ने का तरीका है । इतनी दवाइयाँ आप मंगवाते हैं। वे लूटकर हमारे देश से ले जा रहे हैं । इनको नियंत्रित करने के लिए आप कौन-सा कदम उठा रहे हैं ?

कुछ लोगों को आपने लायसेंस दे रखे हैं । अभी भी 50 से ज्यादा ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने कोई दवा नहीं बनाई, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की है । मैं जानना चाहता हूं कि उनके लायसेंस रद्द करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं ?

आप कम्पनियों को टानिक बनाने को इजाजत देते हैं या फैंसी दवाइयां अधिक बनाई जाती हैं, अधिक मुनाफा कमाने के लिए, इसको कम करने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस तरह की दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं ?

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं । आप दवाओं पर सेल्स टैक्स लगाते हैं, आक्ट्राय चुंगी कर लगाते हैं, उत्पादन कर लगाते हैं । क्या सरकार दवाओं की कीमतों की वृद्धि को देखते हुए इन करों को वापिस लेने के लिए तैयार है या नहीं, ताकि गरीबों को कुछ सस्ती दवाइयां मिल सकें ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शास्त्री जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनमें मुख्य रूप से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार, देशी कम्पनियां हों या विदेशी कम्पनियां हों, इजारेदारों की हैं और उनकी बात मानती है ।

शास्त्री जी के कहने के अनुसार दवाइयों का उत्पादन पूरे तौर पर राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, निजी कम्पनियां चाहे वे हिन्दुस्तानी हों, चाहे विदेशी हों, सबको हटा दिया जाना चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक लाइफ सेविंग ड्रग्स का ताल्लुक है, इनका उत्पादन शनैः-शनैः पब्लिक सेक्टर में बढ़ता जा रहा है । यह बहुत खुशी की बात है कि अब करीब-करीब 25 प्रतिशत तक ये पब्लिक सेक्टर में बनती हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री* :

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि ध्यानाकर्षण में उन सदस्यों के अलावा जिनके नाम पुकारे जाते हैं कोई माननीय सदस्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। और मुझे बड़ा खेद है कि अभी जो कुछ कहा गया है उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक बहुत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : बड़ा गंभीर मामला है परन्तु नियमों के विरुद्ध नहीं। (व्यवधान)। यह नियमों के अनुसार होना चाहिए। नियमों का पालन कीजिए और नियमानुसार मामला उठाइये।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : केवल अन्य सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। परन्तु व्यवधानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। ध्यानाकर्षण में व्यवधानों की भी अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : व्यवधानों को भी अनुमति नहीं दी जाती है। व्यवधान तो व्यवधान ही हैं। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिन्दी में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधानों की कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। साधारणतया उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। उस स्थिति में ध्यानाकर्षण का महत्व समाप्त हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान, यह ठीक नहीं है कि इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और आप ऐसी टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। मान लीजिए कोई व्यवधान पैदा करना चाहता है......

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : व्यवधानों को कभी कार्यवाही वृतान्त से निकाला नहीं जाता है। उन्हें कभी कार्यवाही से नहीं निकाला जाता है। आपको उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति देनी चाहिए जो सदन में होता है। ऐसी बातें कभी कार्यवाही वृतांत से निकाली नहीं जाती हैं। वे असंसदीय नहीं हैं, वे अशोभनीय नहीं हैं, वे असंगत भी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? (व्यवधान)। मान लीजिए कोई बातचीत करना चाहता है। क्या उसे मेरी आज्ञा नहीं लेनी चाहिए?

श्री सतीश अग्रवाल : किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे अनुमति नहीं मागेंगे तो मैं उन्हें बोलने नहीं दूंगा।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यदि आप इस बात पर उतारू हैं कि हमें व्यवधानों के लिए अनुमति लेनी ही है - क्या आप कहते हैं कि व्यवधानों के लिए आपकी अनुमति लेनी चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय: केवल तभी आपको अच्छा उत्तर मिल सकता है । परन्तु तीन या चार व्यक्ति खड़े हों और प्रश्न पूछें यह अच्छा नहीं है । (व्यवधान) । वस्तुतः, माननीय सदस्य आये और मुझसे पूछा कि वह ध्यानाकर्षण के बारे में कुछ कहना चाहते थे । मैंने उन्हें कहा कि जब विधेयक प्रस्तुत होता है तब वह बोल सकते हैं । उन्होंने पहले ही मुझसे संबंध स्थापित किया है और मैंने पहले ही बता दिया है कि यह ठीक नहीं है । अब मंत्री महोदय जारी रखेंगे ।

श्री रशीद मसूद : व्यवधानों में कभी आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और आपको इस तरह से अपना निर्णय नहीं देना चाहिए क्योंकि व्यवधान सदैव बिना आज्ञा के होता है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : एक लोक सभा के मेम्बर के जीवन से ज्यादा बढ़कर क्या यह इंटरप्शन है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बड़ा अच्छा हुआ कि आप आए और मुझे बताया कि आप कुछ कहना चाहते हैं । मैंने आपको बताया कि आप ध्यानाकर्षण में कुछ कह नहीं सकते हैं । आप विधेयक पर बोल सकते हैं । यह मान लिया गया है । (व्यवधान) । मैं आपको अनुमति नहीं प्रदान कर रहा हूं । मंत्री महोदय, अब आप जवाब दे सकते हैं । (व्यवधान) । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । श्री अग्रवाल ने पूछा और मैंने उन्हें बता दिया है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मार्क-अप जैसा शास्त्री जी ने कहा था वह दो सौ प्रतिशत मुनाफे की दृष्टि से नहीं है बल्कि हाथी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मैनुफैक्चरर का दस या बारह प्रतिशत जो मार्जिन रिकोमेंड हुआ है वह और उसके अलावा प्रोमोशनल एक्सपेंसिस हैं, उसके अलावा आउटवर्ड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग चार्जिज वगैरह उसमें दिए गए हैं । जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो वर्तमान प्राइस रिवीजन है, यह चूंकि 1979 में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पैट्रोलियम के भाव बढ़ जाने के आधार पर बी० आई० सी० पी० द्वारा निश्चय किये गये हैं, यह कहना कि बी० आई० सी० पी० में बैठे हुए लोग इजारेदारों की सिफारिश करते हैं, यह बी० आई० सी० पी० के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा । वह बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करके सिफारिश करते हैं । यदि किसी मामले में शास्त्री जी कोई ठोस प्रमाण उपस्थित करें कि बी० आई० सी० पी० ने प्राइस की सिफारिश गलत की है, अगर वह अध्ययन करके कहें तो मैं जरूर उनके अध्ययन का स्वागत करूंगा और उसकी जांच कराऊंगा और अगर बी० आई० सी० पी० ने कोई गलती की होगी तो मैं उसका ध्यान रखूंगा । लेकिन जैसा मैंने हाल में कहा कि यह मार्क्स-अप पुराने तय किये हुए हैं, उनके बिनाह पर हमारे खास भारतीय उत्पादनकर्ता और विदेशी उत्पादनकर्ता दोनों की यह मांग आई है कि यदि वर्तमान मार्क्स-अप ही रखे गये और 1979 और 1980 के जून में जो प्राइस एक्सक्लेशन हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए भी यही मार्क्स-अप

रखे गये, तो उनको घाटा होगा। हमने उनको कहा है कि केस-बाई-केस वह हमको बतायें कि वर्तमान मार्क्स-अप रखने से प्राइस रिवीजन करने के पश्चात् भी उनकी कीमतें जो वर्तमान में हैं, उससे ज्यादा कम आ जायेंगीं। वर्तमान प्राइस रिवीजन में यही नहीं है कि केवल कीमतें बढ़ने वाली हैं, इससे कुछ चीजों की कीमतें घटने वाली भी हैं। खासतौर से सवाल यह है कि बेसिक ड्रग्ज की कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता थी, काफी मात्रा में बेसिक ड्रग्ज को हमको बाहर से मंगवाना पड़ता है और कुछ फार्मुलेशन भी आये हैं और इसीलिये देश में दवा की खपत के बढ़ते हुए नजरिये को देखते हुए यह जरूरी मालूम होता है कि देश में दवाओं के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाये और खास तौर पर विदेशी कंपनियों पर यह जोर डाला गया है कि वह फार्मुलेशन के साथ-साथ बेसिक ड्रग्ज भी बनायें और वह बेसिक ड्रग्ज भारतीय उत्पादन-कर्ता जो दवाओं के हैं, उनको दें। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक लाइफ सेविंग ड्रग्ज का सम्बन्ध है उसमें पब्लिक सैक्टर की आर्म को बढ़ाने की निरन्तर कोशिश है।

कई राज्यों में पब्लिक सैक्टर की कंपनियों को खोल दिया गया है और कई राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अभी खोलने का प्रोग्राम है। कुछ राज्यों में राज्य सरकार के साथ ज्वायन्ट सैक्टर में खोलने का प्रोग्राम है। इस प्रकार से हमारी पूरी कोशिश है कि लाइफ सेविंग ड्रग्ज में वह करें।

जहां तक इम्पोर्टेन्ड ड्रग्ज का ताल्लुक है, जहां से भी अच्छी दवाएं मिलती हैं, वहीं से आम तौर पर लोग मंगाते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि सोशलिस्ट कंट्रीज में अच्छी नहीं मिलती हैं, मगर हमारे पास भी दवाओं का जो उत्पादन है, उसका कुछ हिस्सा सोशलिस्ट कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है।

(व्यवधान)

जो हमारी दवाएं आई० डी० पी० एल० की हैं, वह हमारे मित्र राष्ट्र हमसे खरीद रहे हैं। मैं शास्त्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि अच्छी दवाएं जहां से भी उपलब्ध होंगीं, हमारी बराबर इस बात की कोशिश होगी, चाहे सोशलिस्ट कंट्री हों या दूसरी कंट्री हों, वहां से उनको बराबर मंगाया जाये। मैं फिर से आश्वासन देना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

हाथी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश की है कि हरेक कंपनी की इक्विटी 40 परसैंट पर रहेगी, उसको बराबर कार्यान्वित किया जायेगा। अधिकांश कंपनियों के लिये कर दिया गया है, शेष के लिये उनको शीघ्र लागू किया जायेगा।

जहां तक टैक्स का सवाल है, माननीय शास्त्री जी दोहरी नीति अपना सकते हैं। एक तरफ तो राज्य सरकारों से मांग करते हैं कि अधिक से अधिक काम खोलें, अधिक से अधिक निर्माण का काम करें और दूसरी तरफ राज्य सरकारों के जो सीमित साधन हैं, आय के स्रोत हैं, उनको भी काटना चाहते हैं। यह विषय राज्य सरकारों के विचार करने का है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

चिट फण्ड विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिट फंडों के विनियमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि चिट फण्डों के विनियमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकट रामन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अमरीकी न्यायालय द्वारा महिला जालसाज को सजा भुगतने के लिए भारत भेजा जाना।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

एक अमरीकी न्यायालय ने एक महिला जालसाज को भारत की गरीब जनता के साथ सजा भुगतने के लिए भारत भेजने का फैसला किया है।

मिलवनकी (विसकोनसिन) न्यायालय ने 50 वर्षीय एलाइस डीन को जालसाजी के लिए जेल जाने की 3 वर्ष की सजा दी है परन्तु उसके वकील के आग्रह पर जज ने निर्णय दिया कि उसके वजाय, उन्हें अमरीकी मिशनों में से एक में भारतीय निर्धन बच्चों के साथ कार्य करने के लिए 3 वर्ष के लिये भारत में भेज दिया जाना चाहिए।

अमरीका के वकीलों तथा न्यायाधीशों की भारत, उसके महान तथा गौरवशाली व्यक्तियों के बारे में ऐसी धारणा है जिन्होंने विश्व के लिए कला व संस्कृति के अमिट कार्य किये। अमरीकी न्यास कर्ताओं द्वारा अपने विवेक से भारत को ऐसा समझने का यह निन्दक एवं अपमानजनक

प्रयास निन्दा करने योग्य है। विश्व के कुछ देशों ने अमरीकी न्यायालय के इस फैसले की एक दम आलोचना की है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने इस दिन तक भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। यह मालूम हुआ है कि एलाइस दीन को वीजा देकर भारत में यात्रा-प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से इस विषय पर इस सभा में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। वह यह बतायें कि क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है और यदि नहीं, तो कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं। यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो मैं सरकार से यह बताने का निवेदन करता हूं कि सरकार को क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा एलाईस दीन को वीजा कब दिया जायेगा ?

(दो) उड़ीसा में नमक का उत्पादन।

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं :

उड़ीसा में नमक की खपत लगभग 2.50 लाख टन--मानव उपभोग के लिये 2 लाख टन और बाकी औद्योगिक उपभोग के लिये है। 1989 के अन्त तक मानव तथा औद्योगिक खपत की मांग 7.50 लाख टन हो जाएगी। जहां तक नमक की 2.50 लाख टन की वर्तमान खपत का संबंध है, उड़ीसा में उत्पादन केवल 70,000 टन है। इस भारी कमी की पूर्ति अन्य राज्यों से मंगा कर की जाती है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र पर आधारित है। रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण राज्य में नमक की पूर्ति अनियमित है और मूल्य अस्थिर है। उड़ीसा में नमक का उत्पादन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। राज्य इसके विकास के लिये व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। भूमि का एकक क्षेत्र उपलब्ध है और जिसे बालासौर, कटक, पुरी तथा गंजम के तटीय जिलों में नमक के अन्तर्गत लाया जा सकता है। यह क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के हाल के सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है। जिस समय प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र नमक उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाएगा तो राज्य न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि 30,000 से अधिक व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान करेगा।

मैं परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के मामले में उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता देने, तकनीकी मार्ग दर्शन की व्यवस्था करने लाइसेंस देने तथा उड़ीसा में नमक विकास कार्यक्रम के लिये अन्य आवश्यक सभी कदम उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं।

मुझे आशा है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय उड़ीसा के लोगों की इस आवश्यक वस्तु की आवश्यकता को पूरा करने के लिये तुरन्त आवश्यक कदम उठाएगी।

(तीन) तमिलनाडु में इस्पात निर्माताओं को सी० आर० चादरों की सप्लाई।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य दे रहा हूं :

तमिलनाडु में विशेषकर कोयम्बटूर जिले में इस्पात फर्नीचर निर्माताओं को सी० आर० चादरों की सप्लाई न करने से उत्पादन में रुकावट पैदा हो गई है जिसके परिणामस्वरूप हजारों

कर्मचारियों का रोज़गार ठप्प हो गया है। एस० आई० डी० सी० ओ० तमिलनाडू सरकार को एक उपक्रम छोटे एककों को सी० आर० चादरें सप्लाई करने की थोक एजेंसी है। उक्त निगम ने पिछले 5 महीनों से चादरों की सप्लाई नहीं की है, सप्लाई लगभग बन्द हो गई है। इस्पात फर्नीचर निर्माताओं को चादरें खुले बाजार से खरीदनी पड़ती हैं जो सामान्य रूप से ऊंचे मूल्यों पर उपलब्ध होती हैं। निर्माण लागत अधिक हो जाती है, अन्ततः गरीब उपभोक्ताओं पर ही भार पड़ता है। यह कहना खेद की बात है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण तमिलनाडु को कोटा आवंटित करने में भेदभाव करता है। बहुत ही थोड़ी अर्थात 32% की सप्लाई तमिलनाडु में छोटी एककों को हुई है। मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन करता हूं कि इस्पात प्राधिकारियों के इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को एक दम रोका जाए और तमिलनाडु में इस्पात निर्माताओं को उचित मात्रा में चादरें सप्लाई की जाए और उपरोक्त उद्योग को बन्द होने से बचाया जाए।

(चार) बिहार में अभ्रक उद्योग

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : बिहार प्रदेश के अन्तर्गत अभ्रक खनिज क्षेत्रान्तर्गत स्थित अभ्रक उत्पादन एवं निर्यात की सबसे पुरानी सबसे बड़ी कम्पनी - मैसर्स सी. एम. आई. लि. एवं ईस्टर्न मैगनीज एवं मिनरल लि. आज हाई कोर्ट कलकत्ता द्वारा नियुक्त रिसीवरों द्वारा गाजर मूली के दर से पचासों करोड़ की चल एवं अचल सम्पत्ति नीलाम की जा रही है।

पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 80 लाख रुपए मात्र कम्पनी पर बकाया है। कम्पनी की सम्पत्ति पचास करोड़ से ज्यादा की लागत की होगी। कम्पनी मैनेजमेंट की अव्यवस्था एवं पूंजी को 6 अन्य सिस्टर माइका कन्सर्न्स में दुर्विनियोग करने से उत्पन्न स्थिति से आज 9000 स्थायी (कोमब्रांच) गिरिडीह तिसरी झुमरीतलैया, आदि स्थानों के कारखानों एवं अभ्रक खानों में कार्यरत मजदूर बेकारीग्रस्त हो गए हैं। इस कम्पनी में 30,000 होम अस्पलीटर्स तथा अप्रत्यक्ष रूप से 40,000 लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई है। सभी भुखमरी के कगार पर हैं।

इस सन्दर्भ में श्रम मंत्रालय, कानून एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय एवं खान मंत्रालय का ध्यान 1976 से ही मजदूरों के प्रतिनिधियों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार ध्यान आकर्षित किया गया है तथा कई बैठकें भी की जा चुकी हैं।

इस कम्पनी को, उसकी चल-अचल सम्पत्ति से बकाया भुगतान करके भी बहुत अच्छी तरह चलाया जा सकता है। सैकड़ों वर्गमील में सैकड़ों अभ्रक खानें बन्द हो रही हैं जबकि खनिज सम्पत्ति काफी मात्रा में है। सम्प्रति कम्पनी के एक निदेशक का पत्र सभी अधिकारियों एवं पुलिस आदि की मिली भगत से खनन श्रमिक सहकारी समिति बनवाकर लाखों रुपये प्रति सप्ताह अर्जन कर रहा है। लूट ही लूट चल रही है। अतः मैं कानून एवं कम्पनी मामलों के मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि इस बीमार कम्पनी को अधिग्रहण करके इस क्षेत्र के हजारों श्रमिकों को भूखों मरने से बचावें तथा अभ्रक उत्पादन के ठप्प होने से राष्ट्र को हो रही विदेशी मुद्रा की क्षति को रोकें।

(पांच) बिहार के मुंगेर और पटना जिलों में खड़ी फसल को कीड़ों द्वारा नष्ट होने से बचाने के उपाय।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : बिहार के मुंगेर एवं पटना जिले में बड़हिया, लखीसराय, शेखपुरा, बरबिघा एवं मोकामा पण्डारख में तकरीबन एक लाख से डेढ़ लाख वर्गमीज में लगी फसल को कीड़ों के भीषण प्रकोप ने नष्ट कर दिया है। दवा छिड़काव का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। परिणामस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति भयंकर रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है। लाखों रुपए की क्षति हो रही है और भविष्य में भी होती जायेगी। सरकार से अनुरोध है कि इतने बड़े पैमाने पर क्षति को रोकने के लिए हवाई जहाज से दवा के छिड़काव की व्यवस्था करे।

(छ:) त्रिपुरा में आवश्यक वस्तुओं की कमी।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा देश के दूरदराज कोने में स्थित है। त्रिपुरा सड़क और रेल द्वारा असम के साथ जुड़ा हुआ है। संचार की कमी तथा दूरी के कारण त्रिपुरा में आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर कमी रहती है। अब असम में आन्दोलन ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। असम में वर्तमान आन्दोलन के कारण कभी-कभी खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं का लाना-ले जाना पूर्णरूप से रुक जाता है जिसके कारण त्रिपुरा के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वाहन सड़क पर नहीं हैं। निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई है और सामान्य रूप से लोग आवश्यक वस्तुओं की अत्याधिक कमी का सामना कर रहे हैं। इसके कारण, राज्य की अर्थ-व्यवस्था चरमरा गई है। इसके अलावा, वैगनों के आने-जाने की कठिनाई तथा वैगनों के आवंटन में विलम्ब ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। सामान्य-रूप से बुक किए हुए वैगन अगरतल्ला पहुंचने में एक महीना लेते हैं। रेलवे प्राधिकारी त्रिपुरा के लिए वैगनों के आवंटन को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब करते हैं। हाल में एक दुर्घटना हुई जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि 36 एम० जी० वैगनों को छोड़कर 1100 मी० टन के मासिक आवंटन में से कोई नमक वैगन जुलाई, 1980 के बाद त्रिपुरा राज्य को नहीं भेजा गया है। इससे त्रिपुरा में नमक की अत्याधिक कमी हो गयी है। नमक का बफर स्टाक समाप्त हो गया है और वैगनों के आवंटन में विलम्ब से स्थिति और खराब हो गई है।

यह हर वर्ष की तरह एक आम बात है कि त्रिपुरा आवश्यक वस्तुओं एवं भवन-निर्माण सामग्री के अपने कोटे का पर्याप्त भाग माल डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण उठा नहीं पाता है। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि त्रिपुरा को प्राथमिकता के आधार पर माल डिब्बे दिए जायें, ताकि राज्य सरकार आवंटित आवश्यक वस्तुएं एवं भवन-निर्माण सामग्री को समय पर उठा सके।

——

बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का मर्जन और अन्तरण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का मर्जन और अन्तरण) विधेयक पर और आगे विचार करेगी ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का मर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1980 का समर्थन करता हूं । जहां तक विधेयक के उद्देश्यों का प्रश्न है यह प्रशंसनीय हैं । यदि आप इसके उद्देश्य और कारण बताने वाला विवरण देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार यह कानून आम जनता के हित में बना रही है ताकि आम जनता जरूरतों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के रसायन एवं औषधियों के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके तथा उनका वितरण समुचित रूप से हो सके । इसलिए इस विधेयक का सार्वजनिक उद्देश्य स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि इसे पूरी सभा का समर्थन मिलेगा ।

इस विधेयक के सार्वजनिक उद्देश्य के अलावा, अन्य पहलू भी हैं......

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् भाषण जारी रख सकते हैं । अब सभा 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि० (उपक्रमों का मर्जन और अन्तरण) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु ।

श्री चित्त बसु : जैसा कि मैं मध्याह्न भोजन से पूर्व कह रहा था, यह विधेयक एक सही दिशा में एक कदम है । विधेयक में कुछ कमियां हैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि यह विधेयक सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि हमारे रासायनिक और औषधीय उद्योग, विशेषत: औषध निर्माण पर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का नियन्त्रण है और इस प्रमुख क्षेत्र में उनका अधिपत्य देश की प्रभुसत्ता के लिए न केवल हानिकर है, अपितु साथ ही हमें औषधियों के लिए ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं ।

आज, प्रातः बहुत से मित्रों ने बताया है कि जीवन-रक्षक औषधियों की कमी और 'बल्क' दवाईयों की ऊंची कीमतें देश के लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही हैं । एकाधिकारियों, विशेषतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल से छुटकारा पाने का एक मात्र रास्ता है

कि सार्वजनिक क्षेत्र में रसायनों तथा औषधियों का उत्पादन बढ़ाया जाये । अपनी अर्थ-व्यवस्था के इस पहलू पर ध्यान देते हुए मैं समझता हूं कि बंगाल कैमिकल्स का राष्ट्रीयकरण एक प्रशंसनीय कार्य है और मैं इस बारे में सरकार के प्रयत्न का स्वागत करता हूं । इसी संदर्भ में यह कारखाना अधिकार में लिया गया है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को दवाइयों के उत्पादन में और सुदृढ़ बनाया जा सके, इस पहलू की कभी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

दूसरे, मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय ने बंगाल कैमिकल्स द्वारा हमारे देश के स्वदेशी आन्दोलन के दौरान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है । मुझे यह बताते हुए खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी कतिपय लाभ पर आधारित निजी उपक्रमों से तुलना की है तथा उन्होंने अधिकार में लिए जाने के सिद्धान्त का विरोध किया है ।

उन्हें अपना निर्णय स्वयं देना है । परन्तु मैं समझता हूं कि यह कंपनी हमारे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम का अंग रही है । बहुत से स्वतन्त्रता सेनानी इस कंपनी के कर्मचारी थे तथा उनके विचार हमारे देश में स्वदेशी आदर्शवाद को फैलाने के बारे में थे बंगाल केमिकल्स तथा इसके संस्थापक आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय की महान सेवाओं को मान्यता देते हुए ही सरकार ने यह कार्यवाही की है ।

इतना कहने के बाद मैं मंत्री महोदय का ध्यान कतिपय विशिष्ट तत्वों की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि विधेयक में भी आ गये हैं । श्रीमान, आपको पता है हमारे संविधान अनुच्छेद 310 में 'इच्छा सिद्धान्त' यह भयंकर सिद्धांत है । यह न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत है अपितु यह लोकतन्त्र के लिए भी घातक है । पहले किसी अवसर पर मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी । इसी सिद्धान्त से राज्यपाल पदच्युत किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के श्रमिक संगठनों के साथ भी किया जाता है ।

श्रीमान, इस सिद्धान्त के संविधान में सम्मिलित किए जाने के जो भी ऐतिहासिक कारण रहे हैं । परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यह 'प्रसाद' सिद्धान्त किसी विधेयक में स्थान पा सका हो । श्रीमान, आपको आश्चर्य होगा कि इस विधेयक में जो कि फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सराहनीय उद्देश्य से लाया गया । में भी घातक 'प्रसाद सिद्धान्त' प्रवेश कर गया है । पृष्ठ 7 पर आप पाएंगे कि केन्द्रीय सरकार के 'प्रसाद पर्यन्य पद पर बना रहेगा । तब किसी कंपनी के अभिरक्षक अथवा अभिरक्षकों की नियुक्ति में सरकार अनिर्णय की इस स्थिति का शिकार बनी हुई है कि इस नयी राष्ट्रीकृत फर्म का प्रबन्ध कैसे किया जाए । वे चाहते हैं कि एक या अधिक अभिरक्षक हों तथा एक कंपनी भी होनी चाहिए ।

श्रीमान, इस समय मैं कहना चाहता हूं कि अभिरक्षक नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । आप किसी सरकारी कंपनी को थोड़े समय के लिए अभिरक्षक क्यों नहीं नियुक्त करते ।

श्रीमान, अभिरक्षकों की नियुक्ति के मामले में मूल उद्देश्य यह है कि वे ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहते हैं जिस पर उनका विश्वास हो तथा जो उनके इशारे पर कार्य कर सके ।

यह तो उनको राजनीतिक दृष्टि से नियुक्तियां करने का अवसर देते हैं। श्रीमान, विधेयक की यह निराशाजनक बात है। जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर अभी भी पुनर्विचार करे तथा कंपनी के अभिरक्षकों अथवा अभिरक्षक की नियुक्ति पर पक्का निर्णय लें। यह मेरी पहली बात है। व्यक्तिगत रूप से मैं सरकारी कम्पनी को अभिरक्षक बनाने के पक्ष में हूं, क्योंकि पृथक अभिरक्षकों अथवा अभिरक्षक की नियुक्तियों द्वारा राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं जिससे कंपनी का कुप्रबंध और भी बिगड़ती है। इस विधेयक में व्यवस्था है कि अभिरक्षक केन्द्रीय सरकार के 'प्रसाद पर्यन्त' तक पद पर बने रहेंगे। पूरे विधेयक में यह पहलू सबसे घातक है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है आपको 'प्रसाद' शब्द से 'एलर्जी' है। आप भारत की जनता के 'प्रसाद' पर्यन्त तक पद पर हैं।

श्री चित्त बसु : परन्तु यहां तो प्रश्न जनता की इच्छा का है और वहां प्रश्न कांग्रेस (आई) राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की 'इच्छा' का है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'प्रसाद' शब्द से 'एलर्जी' क्यों रखते हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे 'एलर्जी' नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह वृद्धावस्था के कारण था ?

श्री चित्त बसु : यह सरकार द्वारा अनिर्णय की स्थिति का एक और उदाहरण है। विधेयक के एक भाग में उल्लेख है, 'कंपनी विद्यमान, कंपनी अथवा नयी कंपनी' वास्तव में इससे प्रकट होता है कि सरकार ने दृढ़ निश्चय नहीं किया है, कि क्या इस उद्देश्य के लिए कोई नयी कंपनी होगी अथवा वर्तमान कंपनी को चलने दिया जायेगा। इसलिए, श्रीमान, बंगाल कैमिकल उद्योगों के बारे में सरकार की अनिश्चय की स्थिति की एक और मिसाल है।

मेरी अगली बात यह है : उक्त कारखाने में इस समय कार्य कर रहे कार्मिकों के बारे में सरकार की चिन्ता को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूं परन्तु इस विधेयक द्वारा मात्र यथास्थिति को कायम रखने का आश्वासन दिया गया है। जैसा कि मेरे मित्रों ने उल्लेख किया है। बंगाल कैमिकल वर्क्स स्वदेशी आन्दोलन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उस समय कर्मचारियों को पर्याप्त मजूरी नहीं दी जाती थी। तुलनात्मक दृष्टि से उनकी मजूरी कम थी। कर्मचारी मातृ भूमि की सेवा तथा देश के कल्याण के हित में कम वेतन पर कार्य करते रहे। इसीलिए उन्होंने ऊंचे वेतनों की मांग नहीं की। उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य मानकर वहां कार्य किया। इस प्रकार बंगाल कैमिकल वर्क्स में कर्मचारियों के वेतनमान, देश के अन्य भागों के रासायनिक, फार्मास्यूटिकल और भेषज उद्योगों, से जिनमें पश्चिम बंगाल के उद्योग भी सम्मिलित हैं, बहुत कम थे। इस प्रकार वेतनों में असमानता आज भी बनी हुई है। मेरा नम्र निवेदन है कि विधेयक में इस पहलू पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समय जबकि सरकार इस कंपनी को अपने हाथ में ले रही है, वह इस पहलू पर भी ध्यान दे कि कंपनी केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठान बने, यह केन्द्रीय

सरकार के अन्य औषधि, रसायन और फार्मास्यूटिकल कारखाने के समकक्ष बने । इसी प्रकार के कार्य करने वाले अन्य कारखानों जैसे आई० ई० पी० एल तथा इस कंपनी के कारखानों के कर्मचारियों के वेतनों में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए । क्या सरकार यह आश्वासन सभा में देगी ? अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि निःसंदेह यह एक सही कदम है । इस बंगाल कैमिकल वर्क्स के पास आगे विकास के लिए पर्याप्त अवसर और साधन क्षमता है । यह तभी हो सकता है जबकि सरकार इस कारखाने के और आधुनिकीकरण करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करे, और इस प्रकार देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में यह कारखाना भेषज उद्योग के विकास का एक प्रमुख केन्द्र बन सकता है । आज आवश्यकता इस बात की है कि इसके विकास, विस्तार, इसके आधुनिकीकरण और पूरे क्षेत्र में भेषज उद्योग के विकास का मुख्य केन्द्र बनाने के लिए विस्तृत परियोजना हो ।

अंत में, यह बताया गया है कि बेशक सरकार ने इस कंपनी का प्रबन्ध दो वर्ष पूर्व अपने हाथ में लिया था परन्तु कंपनी कुछ लाभ नहीं कमा सकी । यह एक नाकारात्मक तथ्य है और ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार ने प्रबन्ध को स्वयं दोष मुक्त नहीं बनाया । बहुत से सेवानिवृत्त, अक्षम तथा भ्रष्ट अधिकारी वहां पर हैं । इस बात पर ध्यान देते हुए सरकार को वहां पर नया प्रबन्ध लाना चाहिए, ताकि शक्ति सक्षम, गतिशील और भ्रष्ट न हो सकने वाले व्यक्तियों को उसमें लिया जाये जिनकी सार्वजनिक क्षेत्र के दर्शन के प्रति निष्ठा हैं । किसी भी व्यक्ति को किसी की 'इच्छा' पर वहां रखने से प्रबन्ध मंडल अपना दायित्व नहीं निभा सकता ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर अनुकूल कार्यवायी करेगी ।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, प्रयोजनों और कारणों के विवरण के अनुसार इस विशेष कंपनी को सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने के चार कारण बताये गये हैं । कहा गया है कि इस कंपनी का धीरे-धीरे ह्रास होने लगा तथा इसके वाणिज्यिक कार्य में 1969-70 से 1971-72 तक अवरोध आ गया । बेशक इसमें 1974-75 तक वृद्धि का रुख आया । परन्तु उसके बाद यह गिरने लगी । अंत में यह कहा गया है कि कंपनी में कुप्रबन्ध भी था । अतः 15 दिसम्बर, 1977 को केन्द्रीय सरकार ने इस कम्पनी का प्रबन्ध हाथ में ले लिया । इन कारणों से सरकार कंपनी को अपने अधिकार में लेने के लिए यह विधेयक लायी है ।

अब उद्देश्यों और कारणों संबन्धी विवरण में यदि वास्तविक, सच्चे और यथार्थ आधार बताये गये हैं तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु विधेयक को पढ़ने के बाद मुझे सन्देह है कि क्या वास्तव में ये आधार सही हैं तथा क्या यह विधेयक अति विशुद्ध विधेयक है । प्रथम दृष्टि में कोई भी यह समझ सकता है कि इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में कोई कुछ कह सके परन्तु विधेयक को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर इस सभा को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । यह उल्लेख किया गया है कि मूल कंपनी अपना कार्य समुचित रूप से नहीं चला रही थी । परन्तु मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता

हूं कि 15 दिसम्बर 1977 को सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने के बाद क्या स्थिति है। 15 दिसम्बर 1977 से अब तक लगभग तीन वर्ष बीत गये हैं। इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इस सरकारी कंपनी ने, जिसे कि मूल कंपनी का प्रबन्ध सौंपा गया था, प्रबन्ध उचित ढंग से किया। मैं मंत्री महोदय के भाषण के दौरान इस आशय के वक्तव्य की उम्मीद कर रहा था, परन्तु उसका उल्लेख नहीं किया गया।

दूसरे, क्या यह कंपनी इन तीन वर्षों में लाभ पर चल रही थी तथा इसके वाणिज्यिक क्रिया-क्लाप क्या थे ? इसके अभाव में मेरे लिए विधेयक के खण्ड 6 का समर्थन करना कठिन है। खण्ड 6 में उल्लेख है कि अधिग्रहण के बाद जो कंपनी मामलों का पिछले तीन वर्ष से प्रबन्ध कर रही है उसे ही उसका कार्यभार सौंप दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि यदि यह सरकारी कंपनी, जिसने मूल कंपनी को 1977 में अधिकार में लिया था, वह इसे लाभ पर चला रही थी तथा सम्पत्तियों का प्रबन्ध सही रूप से कर रही थी, कोई घाटा तो नहीं हुआ था, तो सरकार ने इस विधेयक की आवश्यकता क्यों समझी ? और सरकार के अनुसार यदि यह कंपनी मूल कंपनी के कार्यों का प्रबन्ध समुचित ढंग से नहीं कर रही थी तथा व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं कर रही थी, तब इस विधेयक के खण्ड 6 में यह व्यवस्था क्यों की गई कि अधिग्रहण के पश्चात कंपनी को वर्तमान कंपनी को सौंप दिया जायेगा, क्योंकि पृष्ठ 5 में हम पाते हैं कि "सरकार इस वर्तमान कंपनी को निर्धारित तारीख को सौंप देगी ?" इस प्रकार दो बातें हैं। यदि वर्तमान कंपनी सम्पत्तियों का प्रबन्ध सही ढंग से नहीं कर रही थी जिसके कारण आप सम्पत्ति का अर्जन कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप संपत्ति उसी कंपनी को फिर यदि यह वर्तमान कंपनी सही ढंग से कम्पनी का प्रबन्ध चला रही थी तो उसके अधिग्रहण की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन दो बातों का समाधान किया जाए कि विशेष विधान लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

श्रीमान, इस विधेयक में रोचक बात यह है कि विधेयक की धारा 7 अथवा खण्ड 7 के पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि सरकार के समक्ष कोई बात है।

खण्ड 7 में उल्लेख है कि सरकार नयी सरकारी कंपनी का भी निर्माण कर सकती है और मूल कंपनी को अन्य कंपनी में मिला सकती है। यह क्या मामला है ? क्या आपकी दृष्टि में कुछ व्यक्तियों की तालिका है जिन्हें इस नयी कंपनो में नियुक्त किया जायेगा ? आप एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं। यह वर्तमान कंपनी तथा नयी वर्तमान कंपनी क्यों ? क्या मूल वर्तमान कंपनी जो दिसम्बर, 1977 में इस विशेष मामले को लेने के लिए तैयार हुई, समूचा प्रबन्ध उन्हें दे दिया है ? यह धारा 6 और 7 क्यों ? इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि यह नयी कंपनी वर्तमान सरकारी कंपनी क्यों और अभिरक्षक क्यों नहीं जिसकी बात मैं बाद में करूंगा।

श्रीमान, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा खण्ड रख रही है जिससे सरकार को 5,02,76,000 रुपये का भार वहन करना पड़ेगा।

मैं सरकार एवं मंत्री महोदय से सादर अनुरोध चरता हूं कि इस बारे में सभा पटल पर एक रिपोर्ट रखी जाये कि किसने यह मूल्यांकन किया और सभी सदस्यों को यह रिपोर्ट परिचालित की जाये जिसके आधार पर हमें इस विशेष खंड के लिये हां कहना है। यह 10 करोड़ रुपया हो सकती है, यह दो करोड़ रुपया हो सकती है, किन्तु केवल वक्तव्य के कारण विशेष सम्पत्ति 5,76,00,000 रुपये की हो गयी है।

महोदय, हम विधेयक के बारे में बोलते हुये मेरे मित्र ने कहा है कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। हम इस प्रकार धन को नष्ट कर रहे हैं। श्री बसु यह 10 करोड़ रुपया हो सकती है। आपको अधिक धन मिल सकता है। मतदान से पहले सम्पत्ति का परीक्षण करने एवं भारत सरकार के अनुदान का भुगतान करने के लिए हमें अवश्य ही संतुष्ट किया जाना चाहिये। हमारे समक्ष कोई आंकड़े न होते हुये केवल हम अधिग्रहण के कारण ही कंपनी का मूल्यांकन 15 करोड़ और 76 लाख रुपये किया गया और हमें 1977 से 2000/- रुपया प्रतिमास देना है। मैं सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि यह बहुत ही कठिन हो जायेगा। हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जब मैं वापस अपने निर्वाचन क्षेत्र जाऊंगा, तो लोग मुझसे पूछेंगे कि "किस आधार पर आपने 6.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की" और मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। अतः जब आप इस प्रकार के विशेष विधेयक को लायें, तो महोदय सरकार के लिये यह सर्वथा आवश्यक है कि वह इसके विवरणों के बारे में हमें सूचित करे।

श्रीमान, मैं जिस अन्तिम रुचिकर बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि सरकार ने पिछली कम्पनी के सभी दायित्वों और बन्धक आदि सभी कुछ समाप्त कर दिया है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। किन्तु खण्ड 3 में आप यह देखेंगे कि 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व की तिथियों का विलोपन कर दिया गया है। आपको इस विशेष दिन का पता कैसे चला? क्या 1 अप्रैल, 1979 के पश्चात सरकार के कोई कृपा पात्र ऋणदाता हैं? ये कौन लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं? इसकी धनराशि कितनी है। मैं मंत्री महोदय से इस सम्मानित सभा को यह सूचित करने की प्रार्थना करता हूं कि कंपनी द्वारा इस विशेष तिथि से ऋणदाताओं को भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है और वे ऋणदाता कौन हैं जिन्हें ये धनराशि दी जाती है और आपने इस तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 1979 के बारे में निर्णय कैसे कर लिया और अप्रैल के दूसरे दिन के बारे में निर्णय क्यों नहीं किया?

श्रीमान, समझदार लोगों के मन में इस शंका का पैदा होना उचित ही है कि कोई संदेहजनक बात अवश्य है कि कुछ लोगों को अनुग्रहीत किया जाना है, क्योंकि उनके ऋणों को समाप्त नहीं किया जाना है। उनके धन का भुगतान किया जाना है और 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व के धन का भुगतान नहीं किया जाना है। अतः मैं मंत्री महोदय से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि यदि वह हमें यह जानकारी देते तो उनके लिये यह अधिक अच्छा होता।

अतः मैं माननीय मंत्री से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि यदि वह सभी सूचना हमें दें, तो उनके लिए यह अधिक अच्छा होगा कम से कम यह अपेक्षित था कि वह अपने भाषण में हमें सभी आंकड़े देते। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने उत्तर में इस विशेष बात के

बारे में बताना चाहिये । यदि वह अपने उत्तर में इन विशेष बातों को स्पष्ट कर देते हैं, तो मैं इस विशेष विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक को भारत के लोगों के बड़े हित को देखते हुये पुरःस्थापित किया गया है । आबादी अत्यधिक संख्या में बढ़ती जाती है । बीमारी भी अत्यधिक बढ़ती जा रही है । प्रतिदिन हम भारत में तथा अन्यत्र एक नयी और विचित्र बीमारी देखते हैं । निर्माता कम्पनियां विभिन्न दवाईयों का निर्माण कर रही हैं । वे भी अत्यधिक बढ़ती जा रही हैं । निर्धन व्यक्ति और भी निर्धन होता जा रहा है । सरकार को बताना मेरा कर्त्तव्य है कि निर्धन जन साधारण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन रक्षक तथा कीमती दवाईयों को खरीदने में असमर्थ हैं । प्रतिदिन अनेक स्थानीय तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हम इस तरह के इतने अधिक समाचार पढ़ रहे हैं कि निर्धन लोग कीमती दवाईयों को खरीदने में असमर्थ होने के कारण मर रहे हैं । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सभी औषधियों और दवाईयों के मूल्य को निर्धारित करें चाहे वह हमारे राष्ट्रिकों और हमारे देशवासियों द्वारा तैयार की गयी हों अथवा बहुराष्ट्रीय या विदेशी कम्पनियों द्वारा बनायी गयी हों ।

जहां तक मूल्यों में कटौती का संबंध है आबादी में वृद्धि एवं कम उत्पादन को देखते हुये वर्तमान परिस्थिति मैं नहीं समझता कि सरकार पर्याप्त रूप से मूल्यों को कम कर सकेगी ताकि जनता कीमती औषधियों, जीवन रक्षक दवाइयों तथा अन्य दवाइयों को खरीदने में समर्थ हो सकें अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि वह अधिक उत्पादन करें, इन दवाइयों के उत्पादक को प्रोत्साहन देतथा गैर-सरकारी एकाधिकारी कम्पनियों को अनुमति न देकर अधिक उत्पादन करना चाहिये ।

हम जानते हैं कि जनता सरकार के शासन के दौरान 40 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव अथवा प्रयास किया गया था । मैं इस सरकार से जोकि सक्षम सरकार है, प्रार्थना करता हूं कि जहां तक हमारा संबंध है, हम समझते हैं एवं आशा करते हैं कि वह ऐसा करने में, अर्थात सभी कम्पनियों का राष्ट्रीकरण करने में समर्थ तथा सक्षम है चाहे ये कम्पनियां बहुराष्ट्रीय हों अथवा राष्ट्रीय हों । अधिक औषधियों एवं दवाइयों के उत्पादन करने का एकमात्र समाधान है, इस प्रकार से सरकार अधिक औषधियों एवं दवाइयों को बाजार में ला सकती है तथा मूल्यों को कम कर सकती है और जनता की मांग को पूरा कर सकती है । जनता शासन के दौरान जब हमारे मित्र यहां बैठे हुए थे, तब हाथी समिति की सिफारिशों को सभा में प्रस्तुत करते समय भी हम वही मांग कर रहे थे । जनता शासन के दौरान 40 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था । अब 60 प्रतिशत बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में क्या किया जायेगा । जिन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है उन सभी का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । केवल तभी हमें अवसर मिल सकता है और हम इन दवाइयों के मूल्यों को कम कर सकते हैं और निर्धन व्यक्ति को इन दवाइयों को खरीदने के लिए समर्थ बना सकते हैं ।

हमें बताया जाता है कि इनके मूल्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह सिद्धान्त कि आबादी ज्यामितिक अनुपात में बढ़ती है, जो 200 वर्ष पूर्व था, आज भी लागू होता है। हमें जन्म-दर पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जन्म-दर पर नियंत्रण किए बिना, कोई भी सत्तारूढ़ हो, चाहे यह आपकी सरकार हो अथवा मेरी या किसी अन्य की सरकार हो जाए या कोई भी सरकार बने अथवा कठोर से कठोर व्यक्ति सत्ता में आ जाए, मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकता जो कि तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको उस सब तंत्र का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए, जिसका उपयोग आपने 1976 में स्पष्ट रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम में किया था। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की घोषणा की है। किन्तु अधिनियम के उपबन्धों का न तो दवाइयों और औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है और न ही कपड़े एवं अन्य अनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर। ऐसी सब बातें हो रही हैं। जनता न केवल तमिलनाडु सरकार से अपितु इस सरकार से पूछती है। जनता द्वारा हमारी सरकार से यह पूछा जा रहा है और हमारा यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि हम असंख्य श्रमिकों और निर्धन वर्ग के लोगों के विचारों को व्यक्त करें।

मिलावट करना अपराध है जो 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध से भी अधिक जघन्य है, जिसमें ऐसे-ऐसे मामले आते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है और हत्या के मामले में इसका संबंध दो परिवारों अथवा कुछ परिवारों से हो सकता है, इसमें कुछ परिवारों को विकृत अथवा नष्ट किया जा सकता है। किन्तु यदि कोई अपमिश्रण करता है, तो यह मनुष्यता के विरुद्ध अपराध होता है और यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। हम अस्पतालों में डाक्टरों के पास जाते हैं और वे नुस्खे दे देते हैं। किन्तु यदि अपमिश्रण के कारण रोगियों को भंडारों एवं औषध दुकानों से विष मिले, तो यह एक बहुत ही जघन्य अपराध हो जाता है। 1976-77 में आपने एक विधेयक को पुरःस्थापित किया, जिसके द्वारा मिलावट करने के लिए आजीवन कारावास अर्थात् 14 वर्ष का कारावास का दण्ड देना था। अब हम बार-बार इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि अपमिश्रण करने वालों को मृत्यु दण्ड दिया जाए। मैं सरकार से बहु-राष्ट्रीय तथा एकाधिकारी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की प्रार्थना करता हूं।

कुछ अनियमिततायें करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इन्होंने केवल बंगाल फार्मेस्यूटीकल्स के संबंध में घपला किया है। माननीय मित्रों ने इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कही हैं जो कि उनके हृदय ने महसूस कीं। 5 करोड़ रुपया उस कम्पनी को दिया जायेगा। इस धनराशि को राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किया जाना चाहिए। इसका भुगतान अभिरक्षक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वह एक राजनीतिज्ञ हो सकता है अथवा कोई घूस लेने वाला हो सकता है जिसने उस कम्पनी को विकृत कर दिया हो। पुराने घूसखोरों को एक पाई को भी छूने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह आपका या चैयरमैन का धन नहीं है। यह तो करोड़ों मेहनतकश लोगों का धन है। अतः, आपको राज्य

सरकार के परामर्श से सीधा नियंत्रण करके इस कम्पनी पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : निस्संदेह ही हमने इसका समर्थन किया है। हमने देखा है कि सरकार द्वारा प्रबंध ले लेने के तुरन्त पश्चात् उत्पादन की मात्रा तथा प्रबंधक कार्य-कुशलता में पर्याप्त सुधार हुआ है। किन्तु हाल ही में कार्यकुशलता के कम होने की शिकायतें आई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस संगठन की ओर समुचित ध्यान दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक आई० डी० पी० एल० परियोजनाओं का संबंध है, एक बार एक निर्णय लिया गया था कि भारत के उस भाग में, जहां एक या दो एककों को छोड़कर जो संकटग्रस्त हो गयीं हैं, औषध उद्योग विद्यमान ही नहीं है, आई० डी० पी० एल० द्धारा पश्चिम बंगाल में एकक स्थापित किये जायेंगे। पर्याप्त मात्रा में भूमि कल्यानी में उपलब्ध कर दी गयी थी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी भी यह परियोजना मौजूद है अथवा इसे समाप्त कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें, ताकि परियोजना को कार्यान्वित किया जा सके। इससे उस क्षेत्र के लोगों की उस महत्वपूर्ण मांग को पूरा किया जा सकता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, बंगाल कैमिकल्स की औषधियों के संबंध में यह जो बिल पेश किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं इस बिल के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं कि औषधियां जिन्दगी का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ज्यों-ज्यों हम तरक्की करते जा रहे हैं, त्यों-त्यों औषधियों की विचारधारा में भी परिवर्तन होता जा रहा है।

आजादी के पहले हम लोग जो औषधियां इस्तेमाल करते थे आज उनकी जगह बड़ी-बड़ी औषधियां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज में तैयार की जाती हैं। पहले वहां नहीं होती थीं। अथर्ववेद की ऋचाओं में संख, पुष्पी, पुनर्नवा, काली मिर्च के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आदमी को सौ वर्ष तक जिन्दा रहना है तो वह इन औषधियों का सेवन करे। लेकिन आजादी के बाद हम सब लोगों को जिन्दा रखने के लिए अनेक केमिकल औषधियां निर्मित की जाने लगी हैं और अब हर आदमी उनका फायदा उठा रहा है। यह विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ केमिकल इंडस्ट्रीज की भी अपनी विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।

केमिकल इंडस्ट्रीज जो मानव के जीवन के लिए औषधियों का निर्माण करती हैं और जिन्हें मानव पैसे के बल पर खरीदना चाहता है, कभी-कभी यह सुना जाता है कि यदि डाक्टर किसी औषधि को लिखता है और पेशियेन्ट बाजार में औषधि खरीदने के लिए जाता है, या उसके परिवार के लोग जाते हैं तो वह औषधि बाजार में गायब पाता है। वह औषधि या तो वहां होती ही नहीं, यदि किसी दवा वाले ने छिपाकर रखा हुआ है तो वह उसका ब्लैक करता है और उससे चौगुना और पांच गुना दाम वसूल करता है। यहां तक कि औषधियों की जिनकी

फैक्ट्री की कीमत दो रुपये होती है वे बाजार में दो-दो सौ रुपये तक में मिलती हैं। कभी-कभी तो कम्पनियों द्वारा औषधियों में बड़ी भयंकर मिलावट कर दी जाती है।

गत वर्ष का कानपुर का ग्लूकोज काण्ड पूरे देश में गूंज उठा था। ग्लूकोज जहां से लाया गया वहां उसमें ऐसी मिलावट की गयी कि उसको लगाते ही बीमार मौत के घाट उतर गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसका अखबारों में हल्ला मचा और इसकी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी गूंज हुई। उस काण्ड का क्या हुआ यह तो मन्त्री जी जानें लेकिन उस काण्ड में 80-85 आदमी जरूर मौत के घाट उतर गए और इस काण्ड को देश जानता है।

मान्यवर, अभी मैंने आज से 22-23 दिन पहले एक डाक्टर की सलाह पर एक पेरीटन नाम की दवाई बाजार से खरीदी। वह दवाई बनारस में पांडेपुर के एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर–एहसान मेडिकल स्टोर–से खरीदी। यह दवाई देश की एक प्रसिद्ध कम्पनी ग्लेक्सो की औषधि है। उसको खरीदकर जब मैं डाक्टर को उसे दिखाने के लिए ले गया तो डाक्टर ने उसको हिला-डुलाकर देखा। दवा की उस शीशी में चींटा मौजूद था। यह ग्लेक्सो कम्पनी हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी दवाएं बेचती है और एक बड़ी लोकप्रिय कम्पनी है। मैं उस शीशी को, जिसमें चींटा था, इस हाउस में पेश करूंगा। अब यह तो मंत्री जी ही जानें कि वे जाली दवाइयां हैं या असली हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी जांच करे। अभी इसकी सील भी नहीं टूटी है।

एक बात और बताना चाहता हूं। मेरे एक मित्र ने डेढ़ माह पहले एक औषधि खरीदी। वह सूर्या मेडीकल लखनऊ द्वारा बनाई गई स्प्रिट थी। उस बोतल को इस्तेमाल करने से पहले जब देखा गया तो उसमें मक्खी थी। वह भी मेरे पास इस समय मौजूद है। यह पता नहीं कि सारी इस प्रकार की दवाइयां बनारस में ही जा रही हैं या सब तरफ जा रही हैं। यह तो मंत्री जी ही बतला सकते हैं कि मंत्री जी मिलावट कर रहे हैं या सरकार ने इलेक्शन के लिए पैसा लिया है और यदि जनता सरकार के जमाने में यह मिलावट की गई है तो वह कांग्रेस सरकार के जमाने में कैसे आ गई। मंत्री जी इन बातों का उत्तर देंगे।

मैं सूर्या मेडिकल के बारे में बात कर रहा था। यह उत्तर प्रदेश की बड़ी प्रसिद्ध कम्पनी है, जिसकी बोतल में मक्खी पाई गई है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उस शीशी पर आबकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी की मुहर लगी है और उसके सिगनेचर भी हैं। माननीय आबकारी अधिकारी आई० ए० एस०, आई० पी० एस० होंगे। वे भी इसमें हिस्सेदार हैं।

महोदय, यह इतना गंभीर मामला है। हम तो एक संसद सदस्य थे, हमने अपनी बात यहां हाउस में कही, लेकिन देहातों में जो व्यक्ति होंगे, जिनको इस प्रकार की मिलावटी दवाइयां दी जाती होंगीं, उनकी क्या स्थिति होगी? यह गंभीर मामला इस बिल से ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे तुरन्त इन सब बातों पर ध्यान दें जिससे लाखों, करोड़ों आदमियों के साथ, उनकी जिन्दगी के साथ इस प्रकार का जो मजाक किया जा रहा है वह समाप्त हो।

महोदय, मैं विशेष इस बिल पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस प्रकार की जो मिलावट कम्पनियों द्वारा की जा रही है उसके बारे में पुन: मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे इसे देखें। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो हम भी वे शीशीयां उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। मंत्री महोदय, यह पता लगाएं कि इस मिलावट में सरकार का हाथ है या किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है या किसी पार्टी विशेष का हाथ है ?

आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

(इति)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस विधेयक पर हुई चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय सदस्यों का कहना है कि मुझे विधेयक का समर्थन करना चाहिए। अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यद्यपि आपने ऐसा बहुत देर से किया है।

केवल श्री वर्मा को छोड़कर, जिन्होंने कि इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने तथा उस उद्देश्य से 'राष्ट्रीयकरण' शब्द पर ही आपत्ति की है क्योंकि उनका मत यह है कि राष्ट्रीयकरण करने से हानि अधिक होती है, अतः राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। अन्य सभी सदस्य जिन्होंने कि इस चर्चा में भाग लिया, उन्होंने विधेयक का समर्थन ही किया है यद्यपि अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने इस विधेयक की त्रुटियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। मैं श्री मोहम्मद इस्माइल का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने न केवल इस विधेयक का समर्थन ही किया है, अपितु कम्पनी के संघ के नेता होने के नाते, उन्होंने मुझे कारखाने का दौरा करने का खुला निमंत्रथ भी दिया है। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं शीघ्र से शीघ्र वहां जाने का प्रयत्न करूंगा ····· (व्यवधान) अब जबकि निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है तो उससे वापिस हटना होगा।

जहां तक श्री डागा का सम्बन्ध है, उन्होंने न तो विधेयक का समर्थन किया है और नहीं इसका विरोध किया है परन्तु उन्हें विधेयक की सामान्य प्रक्रिया पसंद नहीं आई है। सम्भवत: वह यह सोचते हैं, सभी मंत्रालयों के पास एक आम प्रकार का मसौदा तैयार रहता है और उसी को जैसे-तैसे करके विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि 1951 के अधिनियम के अनुसार सरकार को समिति के मामलों की जांच करने का पूरा अधिकार होता है और उन्हें ऐसा काफी पहले कर देना चाहिये था। मुझे यह तो मालूम नहीं है कि वह ऐसा कहने से उनका तात्पर्य क्या है परन्तु यदि इस कम्पनी के पूर्व इतिहास को देखा जाये, तो वह कुछ गलत कार्यकरण नहीं कर रही थी। जैसा कि विभिन्न माननीय सदस्यों तथा विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है। इस कम्पनी की नींव देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के आधार पर रखी गई और इस कम्पनी के अनेक कर्मचारियों ने देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। इस कम्पनी की स्थापना करने का उद्देश्य ही बहुत नेक था

कि देश के ऐसे भाग में भारतीय भेषज तथा औषध उद्योग की स्थापना की जाये जिससे कि भारतीयों को भेषज तथा औषध सम्बन्धी लाभ हो सके। औषध तथा भेषज बनाने के अतिरिक्त इस कम्पनी द्वारा सिर के जानाक्रसम नाम तेल का निर्माण भी किया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कैन्थराडीन का भी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जी हां, कैन्थराडीन का भी।

श्री डागा ने इस कम्पनी के भागीदारों सम्बन्धी ब्यौरा मांगा है। कम्पनी के भागीदारों की कुल संख्या 59,049 है जिनमें से 3,966 शेयर भारतीय बीमा निगम के तथा सरकारी निकायों के हैं तथा शेष सामान्य जनता के हैं। कम्पनी की प्राधिकृत पूजी 1 करोड़ रुपये तथा अभिदत्त पूंजी 79.95 लाख रुपये है। श्री डागा सहित कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है कि शेयर होल्डरों को उनका पैसा लौटा दिया जाना चाहिये। वर्ष 1977 में जब कम्पनी सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई थी तो उस समय कम्पनी की कुल हानि 2.70 करोड़ रुपए की थी। इसलिए यदि सरकार कम्पनी की सहायता को न आती और यह कम्पनी सरकार की ओर से न चलाई जाती तो न केवल कम्पनी की सारी पूंजी समाप्त हो जाती अपितु कम्पनी का दिवाला निकल गया होता और कुछ भी प्राप्त न हो पाता। जहां तक शेयरहोल्डरों की धनराशि का प्रश्न है, दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि जो कुछ उन्होंने पूंजीनिवेश किया था, उसका काफी भाग व्यर्थ हो गया है।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बाद भी कम्पनी घाटे में क्यों गई, यह प्रश्न श्री बापू साहिब ने भी उठाया है। जहां तक कम्पनी की हानि का सम्बन्ध है, मैं उल्लेल कर ही चुका हूं, और अनेक सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है कि सरकारी क्षेत्र में लिये जाने के बाद कम्पनी ने अच्छा कार्यकरण किया है। वर्ष 1977 में इस कम्पनी की हानि 197 लाख रुपए से घटकर 97 लाख रुपए रह गई। वर्ष 1979-80 में यह फिर बढ़कर 148 लाख रुपए हो गयी। परन्तु इस वर्ष विशेष में भी 57 लाख रुपए मजूरी-वृद्धि के कारण अधिक देने पड़े और अब यह स्थिति है।

जहां तक कम्पनी के समग्र उत्पादन का सम्बन्ध है, कम्पनी ने इस दिशा में प्रसंशनीय कार्य किया और 1977-78 में इसका उत्पादन 422 लाख रुपये का था और जो अब 1979-80 में 841 लाख रुपए का हो गया है। इसलिए, सरकार द्वारा इसे अपने अधिकार में लेने के बाद, मैंने इसकी व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है और कम्पनी के समग्र कार्यकरण के बारे में मैं कह सकता हू कि कार्यकरण हाथ में लेने के बाद इस कम्पनी की हालत में सुधार आया है। इसके पूंजीनिवेश में वृद्धि हुई है, इसकी चालू पूंजी में वृद्धि हुई है, इसकी नकद पूंजी में वृद्धि हुई है और इस कम्पनी को यूनाईटेड बैंक तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण संस्थान आदि से मिलने वाला ऋण अब लगभग 1,73,00,000 रुपए हो गया है। अतः इस धनराशि के लगने के बाद इस कम्पनी ने अपना भाग्य बदलने का प्रयास किया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कम्पनी के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा कार्य करके इस कम्पनी के उत्पादन में काफी वृद्धि कर ली है।

जहां तक प्रबन्ध-व्यवस्था का प्रश्न है, उसके बारे में बापू साहिब ने जो कुछ कहा है, उसका उल्लेख विधेयक में कर दिया गया है। विधेयक में कम्पनी के 1977 के क्रिया-कलापों का उल्लेख किया गया है और उसमें उन क्रिया-कलापों का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के बाद किए गए। अतः जब यह कम्पनी सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई थी, उस समय हमें आशा थी कि हम इसके कार्यकरण में सुधार ला सकेंगे और यदि यह एक लाभप्रद कम्पनी बन गई होती तो सम्भवतः हम इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करते। परन्तु हमारी आशायें सत्य सिद्ध न हुई और अब सरकार ने अन्ततः कंपनी को अपने अधिकार में लेने का निर्णय कर लिया है।

कुछ सदस्यों, उदाहरणार्थ श्री अराकल द्वारा यह पूछा गया है कि आयोग के निष्कर्ष क्या थे। उन्होंने यह भी कहा है कि इतना अधिक पूंजीनिवेश करने की उपेक्षा हम इस 5 करोड़ रुपये की धनराशि से नई कम्पनी क्यों न बना लें, क्योंकि ऐसा करना ठीक ही होगा क्योंकि इस प्रकार से तो जो 5 करोड़ रुपया हम लगाने जा रहे हैं, वह फिर गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों के हाथ में चला जायेगा। जब मैं भुगतान की योजना के बारे में बताऊंगा तो माननीय सदस्यों को मालूम हो जायेगा कि गैर-सरकारी हाथों में कुछ नहीं जा रहा है और उन्हें स्पष्ट हो जायेगा कि यह 5 करोड़ रुपया बेकार नहीं हो जायेगा। इस कम्पनी की जमीन बहुत अधिक है और जैसा कि श्री बापु साहिब ने कहा है समिति ने 5.02 लाख के आंकड़े किस आधार पर निकाले हैं, उसके सारे तथ्य तो यह है कि विभिन्न स्थानों पर सरकार की जो भूमि है, उसको दृष्टिगत रखते हुये तो मुआवजा और अधिक बनता। परन्तु अब तो केवल यही मुआवजा सरकार दे रही है जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया गया है। यह वही धन राशि है और हमने जमीन की बढ़ी हुई कीमत को दृष्टिगत नहीं रखा है और मंत्रिमण्डल ने इसके लिए 5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्णय किया है जब मैं भुगतान की योजना पर बोलूंगा तो मैं बताऊंगा कि इस 5 करोड़ रुपये को किस प्रकार से बांटा जाना है।

इसलिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि से इतने बड़े आकार की कम्पनी बना पाना सम्भव नहीं है। इस कम्पनी के भूमि संसाधन व्यापक हैं। इस कम्पनी की एक बड़ी इमारत बम्बई में तैयार हो रही है और इस कम्पनी के पास सरकारी क्षेत्र की एक बड़ी कम्पनी बनने की क्षमता तथा संसाधन दोनों ही हैं। हमारा उद्देश्य केवल इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है अपितु हमारा उद्देश्य इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था, उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता आदि को ठीक करना तथा श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध बना कर, इसे आधुनिक बनाना तथा जहां सम्भव हो सके इसके विभिन्न उत्पादनों में वृद्धि कर, इसे देश के इस क्षेत्र का एक ऐसा उद्योग बनाना है जोकि रसायन तथा औषध के क्षेत्र में अग्रगण्य हो।

श्री नारायण चौबे का कहना है कि यह विधेयक पहले लाया जाना चाहिये था। मैं उनके साथ सहमत हूं कि विधेयक जल्दी लाया जाना चाहिये था परन्तु अन्ततः वह इस बात पर प्रसन्न थे कि विधेयक लाया तो गया और उन्होंने कम्पनी के राष्ट्रीयकरण करने का स्वागत किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि कम्पनी का मुख्य कार्यकारी एक मकैनिकल इंजीनियर है तथा वह रसायन शास्त्र के क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है। परन्तु वह व्यक्ति व्यापारिक प्रशासन से सम्बद्ध है। वह इंजीनियरज (इण्डिया) लिमिटेड में थे और वह प्रशासन को जानते हैं। यदि जांच के बाद हमें यह पता चला कि उनका प्रशासन ठीक नहीं है तो निश्चय ही यह सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर करता है और जैसा कि चित्त बसु ने कहा कि सरकार चाहे तो उसे बर्खास्त कर सकती है।

श्री चौबे द्वारा इस बात का उल्लेख भी किया गया था कि इसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये। हम श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

जैसा कि श्री चित्त बसु सहित अनेक सदस्यों ने कहा है कि भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड तथा इस कम्पनी के श्रमिकों की मजदूरी में समानता होनी चाहिये। ऐसा करके हमें निश्चय ही बहुत खुशी होगी। मैं श्री बसु तथा श्री मोहम्मद इस्माईल, जो कि वहां के श्रमिक नेता हैं को यह बताना चाहता हूं कि हमने इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के बाद वहां के मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है तथा उसके लिए 57 लाख रुपये दिए गए हैं। अत: इसे धीरे-धीरे ही किया जा सकता है। यदि हम श्रमिकों को दी जाने वाली पहले की बकाया राशि को भी ले लें, तो फिर कम्पनी का कार्य ठीक ढंग से आरम्भ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जब तक कम्पनी का आधुनिकीकरण नहीं कर दिया जाता, और इसकी स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक इसमें अचानक किसी वृद्धि की आशा नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वह अपना सहयोग देते रहेंगे। हम अपनी ओर से यह भरसक प्रयत्न करते रहेंगे कि सरकारी क्षेत्र की सभी कम्पनियाँ जो कि केन्द्र सरकार के अधीन हों, उनमें मजदूरी का भुगतान समान आधार पर ही किया जाना चाहिये। यही हमारा अन्तिम लक्ष्य है।

कच्चे माल की सप्लाई का प्रश्न भी श्री हाल्दर द्वारा उठाया गया था और उसमें बकरे की चरबी सम्बन्धी कच्चे माल का उल्लेख विशेषरूप से किया गया है जिस पर कम्पनी को इस वर्ष 50,000 रुपये से अधिक खर्च करना पड़ा। यह पदार्थ प्राय: राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनियों के माध्यम से आयात किया जाता है और उस वर्ष विशेष में उस सहायक कम्पनी ने हमें बताया कि वह इसे सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है और हमें इसको खरीद स्थानीय मंडी से ही करने के लिए कह दिया। टेंडर मांगे गये। दुर्भाग्यवश बकरे की चर्बी का आयतित मूल्य भारत में विद्यमान मूल्य से कम है। अत: कम्पनी के 50,000 रुपये अधिक देने पड़े। लेकिन हम देखेंगे कि भविष्य में कम्पनी में, जो अब राष्ट्रीयकृत है, ऐसी बातें दोबारा न हों।

माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने भी पूछा कि किसे संरक्षक नियुक्त किया जाएगा और सरकार ही इसकी नियुक्ति क्यों करे। उन्होंने पूछा कि क्या हम उन्हें ही नियुक्त करेंगे जिसे हम चाहते हैं और उन्हें नहीं जिन्हें हम नहीं चाहते ? साधारणत: इसी तरह से बिल बनते हैं। लेकिन मुझे सभा विशेषकर श्री चित्तबसु, जिन्होंने चर्चा उठायी है, को सूचित करते हुए खुशी है कि सरकार एक सरकारी कम्पनी, अर्थात् एस० एस० पी० एल० को संरक्षक नियुक्ति करने वाली है। अत:

किसी विशेष व्यक्ति को अपनी इच्छा से हम नियुक्त करने जा रहे हैं, ऐसा भय नहीं रहना चाहिये। संरक्षक केवल उसी समय तक काम करेगा जब तक कि नई कम्पनी स्थापित नहीं हो जाती। अतः माननीय सदस्यों के लाभार्थ मैं खंड 6 का जिक्र करूंगा। इसमें कहा गया है :—

"धारा 3 तथा 4 की व्यवस्था के होते हुए और धारा 7 की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार यदि वह संतुष्ट हो कि वर्तमान सरकारी कम्पनी पालन करने को तैयार है,……।" इस खंड से यह आभास नहीं मिलता कि हमने अभी निर्णय नहीं किया। लेकिन इस प्रश्न पर जाने से पहले, हमने खंड इस ढंग से बनाया है ताकि सरकार की संतुष्टि इस प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले ली जा सके कि क्या नई कम्पनी बनायी जाये या वर्तमान कम्पनी को चलने दिया जाए। जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, इसकी खंड-वार स्थिति संतोषजनक है।

जहां तक "राशि" का हिसाब लगाए जाने का सम्बन्ध है, मूल्यांकन समिति में सलाहकार (औषध) डा०पी०आर० गुप्ता; जन उपक्रम ब्यूरो के उप-सलाहकार श्री डी०के० जैन; रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, श्री एस० सी० सरीन; हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर लिमिटेड के मार्केटिंग आफिसर, श्री श्याम बनर्जी तथा रसायन विभाग के ओ० एस० डी०; श्री बी० के० कैला शामिल थे। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की राशि का मूल्यांकन किया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अंत में 5 करोड़ 2 लाख रुपए ही देने का निर्णय लिया गया।

अदायगी योजना की स्थिति इस प्रकार है। हमने विधेयक में व्यवस्था की है कि प्राथमिकतायें होंगीं और तीन प्राथमिकताओं के बाद ही अदायगी की जाएगी। संरक्षक के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति मूल्यांकन करने के बाद अदायगी करेगा। सर्वोच्च प्राथमिकता उस श्रेणी के लोगों को मिलेगी जिन्हें अधिग्रहण से पहले तथा बाद की अवधि के लिए मजूरी, वेतन तथा भविष्य-निधि की राशि की अदायगी की जानी है। अतः 5 करोड़ रुपये में से पहली प्राथमिकता इस ओर दी जाएगी। यह राशि पर्याप्त है। यह राशि 71.27 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। दूसरी श्रेणी में ऋण सहित केन्द्रीय सरकार के ऋण आयेंगे। यह राशि भी 165 लाख रुपए की है। यह दूसरी प्राथमिकता है जिसके अन्तर्गत अदायगी की जाएगी। तीसरी श्रेणी में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया वह ऋण आयेगा जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा गारण्टी दी गई है तथा इसके व्याज की राशि भी आएगी और यह राशि 90 लाख रुपये की होगी। व्यापार तथा उत्पादन हेतु ऋण सुविधायें 87,91,000 रुपए की होगी।

अतः हमने इस प्रकार की अनेक प्राथमिकतायें निश्चित की हैं और इन प्राथमिकताओं के लिए अदायगी की जाएगी और जरूरी, समझा गया तो यह दूसरी कम्पनी गठित की जाएगी। माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम कम्पनी के उसी नाम को रहने देने का प्रयास करेंगे। यदि नई कम्पनी भी गठित करनी पड़ी तो भी हम यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस नाम से जुड़े ऐतिहासिक सम्बन्ध को बनाये रख सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आई० डी० पी० एल० की स्थिति क्या है ?

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। इसी तरह से श्री रामावतार शास्त्री ने जिस प्रश्न की चर्चा की है, वह भी इससे उत्पन्न नहीं होता। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी हमने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पश्चिम बंगाल को निश्चय ही उस समय ध्यान में रखा जायेगा जब हम देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्रों में औषध एकक स्थापित करने का निर्णय लेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम ऐसा करते समय पश्चिम बंगाल को भी ध्यान में रखेंगे।

श्री शास्त्री द्वारा उठाये गये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि वे प्रश्न विधेयक से सम्बन्धित नहीं हैं क्योंकि यदि औषधियों में मिलावट हो और इसी रूप में बाजार में मिलती हो तो यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि चाहे ग्लैक्सो पेरितन हो अथवा सूर्य मैडिकल स्प्रिट, शास्त्री जी ने बाजार में जो कुछ भी खरीदा हो, वह या तो धोखे-धड़ी का माल था या मक्खी थी। इस कम्पनी की औषधियों के खरीदने वाले अधिकांश लोगों ने इस प्रकार की शिकायतें नहीं की है। लेकिन मैं समझता हूं कि शास्त्री जी जो कुछ भी कहते हैं, ठीक ही कहते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : "हो सकता है" "नहीं" बल्कि "है"।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने कहा कि ठीक होना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि "हो सकता है" ठीक है।

यद्यपि मिलावट की समस्या से मैं पूर्णतः सम्बन्धित नहीं हूं, फिर भी इन्हें सभा में बोतलें पेश करने की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चय ही इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री के साथ उठा सकते हैं और हम इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हर पार्टी चुनाव के लिए चंदा लेती है लेकिन जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है, औषधियां जीवन रक्षक होती हैं, हमने इस प्रयोजन के लिए दवाई अथवा चिकित्सक क्षेत्र कभी नहीं छुआ।

श्री बापु साहिब पारूलेकर (रत्नगिरि) : मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आपकी अनुमति से मैं कहूंगा कि यह महत्वपूर्ण है।

सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं लेकिन मेरा पहला प्रश्न यह था कि आप सभी और तिथियों को छोड़कर पहली अप्रैल, 1977 की तिथि पर कैसे पहुंचे और क्या सभा के सामने रखी गयी प्राथमिकताओं में पहली अप्रैल, 1979 के बाद उत्पन्न बेनदारियां भी शामिल हैं। यदि आप खंड 5 के उपखंड (3) को देखें तो उसमें कहा गया है :—

"(क) इस अधिनियम में स्पष्टतः की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त कम्पनी की अपने किसी भी उपक्रम की अप्रैल, 1979 से पहले की अवधि की कोई भी देनदारी प्रभावी नहीं होगी......"

आप इस तिथि पर कैसे पहुंचे और इससे पहले की देनदारियों की स्थिति क्या है? आपने सभी प्राथमिकताओं के आंकड़े अप्रैल 1979 से पहले के दिये हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य को यह भय था कि इस तिथि के बारे में कोई घपला है। सभा के सामने अभी-अभी रखी गयी श्रेणियों और पहले न बतायी गयी राशियों को ही मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि इससे उन लोगों के लिये समस्यायें पैदा होनी थीं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अतः मैं यह बताना चाहूंगा कि जिन श्रेणिगों का मैंने जिक्र किया है, चाहे वह वेतन हो अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा बैंक द्वारा दिया गया ऋण हो या कोई और प्रकार का ऋण हो, उसकी अदायगी की जायेगी······

श्री बापू साहिब पारूलेकर : वे पहली अप्रैल, 1979 के बाद की हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक मजूरी तथा वेतन का सम्बन्ध है, कर्मचारियों की मजूरी, वेतन, भविष्य-निधि तथा अन्य राशि अधिग्रहण से पहले की अवधि की है। इसलिए, जहां तक श्रमिकों की मजदूरी तथा वेतन का सम्बन्ध है, उनको 1979 में अधिग्रहण की तारीख से ही वेतन नहीं मिलेंगे अपितु अधिग्रहण से पूर्व की अवधि का वेतन भी मिलेगा।

सभापति महोदय: अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान हेतु विचारार्थ रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण के हित में बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार शुरू करते हैं। मैं समझता हूं, खण्ड 2 से खण्ड 10 तक में किसी भी संशोधन का नोटिस नहीं दिया गया है। मैं उनको एक साथ सदन के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 10 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 11

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 7 पंक्ति 23

'उस रीति के बारे में जिसमें' 'के स्थान पर उस रीति के बारे में जिसमें कंपनी के'

प्रतिस्थापित किया जाए

(श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 संशोधित रूप में, विधेयक का अंश बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। खण्ड 12 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 10, पंक्ति 29

"उक्त खाते" के स्थान पर "उक्त निक्षेप खाते" प्रतिस्थापित किया जाए (2) (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 से 22

सभापति महोदय : खण्ड 18 से 22 कोई संशोधन नहीं है। मैं उनको एक साथ रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 से 22 विधेयक का अंग बना।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 22 विधेयक में जोड़ गये दिए।

खण्ड 23

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 32

"ऐसे दावे" के स्थान पर "ऐसा दावा" प्रतिस्थापित किया जाए (3)

पृष्ठ 12 पंक्ति 34

"जिन्हें ऐसी रकमें शोध्य हैं" के स्थान पर "जिन्हें ऐसी रकम शोध्य हैं" (4) प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंश बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 24 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए। अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, हम विधेयक का समर्थन करते हैं। परन्तु मंत्री महोदय का उत्तर सुनने के बाद मैंने विवशता महसूस की। मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने कम्पनी के प्रबन्ध के बारे में जो उत्तर दिया है, उस बारे में मैं नहीं समझती हूं कि उन्होंने इस संबंध में मेहनत की है और संभवतः उन्होंने इस बात को समुचित महत्व नहीं दिया है कि इस कम्पनी को सफल बनाने की दृष्टि से इसका पुनर्गठन कितना अधिक महत्वपूर्ण है। केवल इसी विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

एक मान्यता-प्राप्त संगठन आल इण्डिया ट्रेड यूनियन सर्वप्रथम और सर्वाधिक इसके अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण की पुरोधा रही। मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह देख सकते हैं कि अपनी यूनियनों के नेतृत्व में मजदूरों द्वारा पैदा किए गए जबर्दस्त उत्साह से पहले दो वर्षों में उत्पादन में इतना बड़ा सुधार आया था। उसके बाद भी सरकारी धन को सही रूप से खर्च नहीं किया जाता है तो इसके लिए कम्पनी के प्रबन्धक जिम्मेदार हैं और उसमें बंगाल कैमीकल्स के मुख्य अभियन्ता ने बड़ी भूमिका अदा की है। यह अच्छी बात है कि आपने एक और सरकारी उपक्रम बना दिया है और उसका अभिरक्षक (कस्टोडियन) भी बनाया है लेकिन स्वतः ही इसका यह अर्थ नहीं हो जाता कि अभिरक्षक एक नया ढांचा शुरू कर देगा। श्री नारायन चौबे की टिप्पणियों के उत्तर में मंत्री महोदय का यह उत्तर है कि यह सज्जन, जो इस समय बंगाल कैमीकल्स के मुख्य कार्यकारी हैं, एक मेकेनिकल इंजीनियर हैं। इससे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने उससे संक्षिप्त बातचीत की।

महोदय, जब सरकार ने बंगाल कैमीकल्स के पहले ढांचे को तोड़कर इसका अधिग्रहण किया तो हमें मानसिक संतोष हुआ। अब, जब हम विधेयक पारित कर रहे हैं, यदि आप इन मजदूरों को, जिन्होंने कम्पनी के पुराने प्रशासन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति, जिनके बारे में वे अत्यन्त शिकायतें करते रहे हैं, स्पष्ट रुख अपनाकर सरकारी धन की, एक अन्य बड़ी मानसिक खुशी देने के लिए तैयार नहीं होते तो स्थिति सुधरेगी नहीं। आपने कहा है कि आप काफी जांच पड़ताल करायेंगे। मुझे भय है, ये जांच पड़तालें इतना लम्बा समय ले लेती हैं कि सारा मानसिक संतोष समाप्त हो जाता है और बहुत सा सरकारी धन नष्ट होता है। यही कारण है कि मैं आपसे इस बात के लिए विशेष रूप से आग्रह कर रही हूं कि आप इसकी अविलम्बनीयता को समझें और इस अत्यावश्यक पुनर्गठन में लम्बा समय न लगाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मजदूरों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करें और उनकी बात सुनें और शीघ्र निर्णय करें। यह मेरा विशेष अनुरोध है।

महोदय, मैं एक या दो बातें और कहूंगी। आपने यह बताने की कृपा की थी कि सरकार

पश्चिम बंगाल में आई. डी. पी. एल. का एक एकक स्थापित करने का विचार कर रही है। जब मैं "विचार हो रहा है" शब्द सुनती हूं, तो इससे मुझे अत्यन्त चिढ़ होती है। श्री हिदायतुल्ला ने ठीक तो कहा था कि जब यह शब्द केवल "विचार हो रहा है" तो इसका अर्थ है कि फाइल खो गई है। जब यह शब्द "सक्रिया विचार हो रहा है" तो इसका अर्थ है कि फाइल मिल गई है। इसलिए, आपके शब्द "विचार हो रहा है" का यह अर्थ हो सकता है कि फाइल खो खई है। इसलिए मैं नहीं जानती कि इस पर कब सक्रिय विचार होगा। हल्दिया पेट्रो-केमीकल्स के बारे में हमारा अनुभव बड़ा कटु रहा है। आप 28 तारीख को हल्दिया आ रहे हैं और मैं आशा करती हूं कि आप इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि आपने लाइसेंस दे दिया है। दूसरे यह आई. डी. पी. एल. "विचाराधीन" के स्थान पर "सक्रिय रूप से विचाराधीन" कब हो जाएगी ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के राष्ट्रीयकरण के विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि इस कंपनी का संबंध राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ बहुत गाढ़ा था और मैं अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन का एक सिपाही मानता हूं, इसीलिये यह मेरा कर्तव्य और धर्म हो जाता है कि सरकार जब इसे ले रही है तो इसका जितना खुशी के साथ समर्थन किया जाये वह करना चाहिये।

यह ठीक ही कहा गया है कि इस कंपनी का संबंध स्वदेशी आन्दोलन से अन्योन्याश्रित रहा है और उन दिनों इस कंपनी में साबुन, तेल और दवाइयां सब बनती थीं। हम लोग उस जमाने में कांग्रेस के वालेन्टियर थे, हम चाहते थे कि इसकी बनी हुई ज्यादा से ज्यादा चीजें लोग खरीदें और इसको प्रोत्साहित करें क्योंकि यह स्वदेशी आन्दोलन का एक पार्ट एंड पार्सल था। जब आप इतनी बड़ी कंसर्न को, संस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं तो इसको एक राष्ट्रीय स्मारक समझकर लें और इसकी उन्नति के लिये जो भी संभव हो करें।

इस सिलसिले में मैं यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि इसके मैनेजमेंट में, प्रबन्ध में ऐसे ही लोगों को रखें जिनका विश्वास राजकीय क्षेत्र के दर्शन में हो, उसमें विश्वास करते हों, निजी क्षेत्र के दर्शन वालों को मेहरबानी करके इस तरह के कारखानों में मत डालिये, नहीं तो वह इसे खा-पीकर समाप्त कर देंगे और वह घाटे में जाकर लिक्विडेशन में चली जायेगी।

आपने इसकी चर्चा की कि हम मैनेजमैंट को ठीक रखेंगे, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो तुरन्त कार्यवाही करेंगे। लेकिन शुरू से ही ऐसे लोगों को इसमें रखें, जो उसमें विश्वास रखते हैं।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां जो दवाएं अब बनती हैं, क्या मैं उमीद करूं कि उनके अतिरिक्त जो बहुत सारी जीवन रक्षक दवाएं हैं उनका उत्पादन भी इसमें होगा। यह हम जरूर मंत्री महोदय से एश्योरेंस चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जिस संस्था को हम पुष्पित और पल्लवित करने जा रहे हैं, इसके जरिये हम जनता की जिन्दगी को बचाने वाली कुछ दवाएं भी उत्पादित कर सकेंगे या नहीं ?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : सभापति जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं

कि लाइफ सेविंग ड्रग्ज जो यहां तैयार की जायें, मेरा कहना यह है कि सर पी० सी० राय के जमाने में बंगाल कैमिकल की जो मशहूर दवाएं होती थीं, उनको पहले शुरू किया जाये। उसके एक्सटेंशन के बाद यह काम करें।

पेट्रोलियम, उर्वरक श्रौर रसायन मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : सभापति महोदय, यथासंभव अपनी जानकारी में मैं समझता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसने श्रीमती गीता मुखर्जी को उत्तेजित किया होता। जो कुछ मैंने कम्पनी के प्रबन्ध के बारे में कहा, वह यह था कि इस समय जो व्यक्ति कंपनी के कार्यों को नियंत्रित कर रहा है, वह न केवल एक मेकेनिकल इंजीनियर है अपितु व्यवसाय संचालन का व्यक्ति भी है। जहां तक कंपनी के कार्यों के बारे में ज्यादा जानकारी की आवश्यकता का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि जब हम नई कम्पनी बनने अथवा पुरानी कम्पनी को जारी रखने के प्रश्न का विचार करेंगे और यह देखेंगे कि उसने गत दो या तीन वर्षों में कैसा काम किया है और यदि हम यह पाते हैं कि उनके प्रबंध में कमियां होती रही हैं अथवा उनके बारे में कोई गलत बात है तो हम उन्हें हटाने में हिचकियाएंगे नहीं। श्रीमती मुखर्जी ने यह भी सुझाव दिया है कि मजदूरों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और कम्पनी के कार्यों के बारे में उनसे बात की जानी चाहिए। मैं उन्हें इस बात का आश्वासन देता हूं कि हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।

शास्त्री जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस कम्पनी के प्रबंधक हैं उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की रुचि निजी क्षेत्र के हितों को बढ़ाने में नहीं होनी चाहिए। मैं सारे सदन के साथ उनको इस बात का आश्वासन देता हूं कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को, जिनका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विश्वास है और जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करना चाहते हैं, इस कम्पनी के प्रबन्धकों के रूप में नियुक्त किया जाऐगा।

इस कम्पनी के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि हमारा पहला कार्य इसका आधुनिकीकरण करना होगा और दूसरा कार्य इसमें अधिक से अधिक किस्म की दवाइयों का निर्माण करना होगा। और जैसा कि श्री मोहम्मद इस्माइल ने सुझाव दिया है, डा० राय के नुस्खों के आधार पर इस कम्पनी में जो पेटेंट दवाइयां निर्मित की जा रही हैं, उनका बड़े पैमाने पर और अनेक किस्म की दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। दूसरे जब हम इनके विस्तार के बारे में विचार करेंगे तो हम शास्त्री जी के इस सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे कि इस कम्पनी में कुछ जीवन रक्षक दवाइयों का भी निर्माण किया जाए।

जहां तक आई. डी. पी. एल. और हल्दिया एककों का सम्बन्ध है, मैं 28 तारीख को मुख्य मंत्री के साथ हल्दिया जा रहा हूं और हमें आशा है कि हल्दिया में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, विशेषकर जबकि वहां एक नया एकक स्थापित किये जाने की मांग की जा रही है, हम इस बारे में कुछ कर सकेंगे। वहां हमारा उर्वरकों का पुराना एकक दयनीय स्थिति

में है, हम वहां बिना काम के वेतन का भुगतान कर रहे हैं क्योंकि वहां बिजली उपलब्ध नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सम्बन्ध में फाइल आपके ऊर्जा मंत्री के पास रखी हुई है। वह तो 'हू इज हू' को ठीक करने में व्यस्त हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यदि हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा तो अवश्य ही हल्दिया के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, करने का प्रयत्न करेंगे। अब जबकि सत्र चल रहा है, यह वांछनीय नहीं होगा कि मैं वहां जाऊं और 28 तारीख को कुछ घोषणा करूं जैसा श्रीमती गीता मुखर्जी चाहती हैं। यदि मैं ऐसा करता हूं तो आप मुझे यहां कटघरे में खड़ा कर देंगे। इसलिए मैं वह नहीं करना चाहता।

मैं माननीय सदस्यों को फिर धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : महोदय, मैं शास्त्री के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम के साथ बंगाल कैमीकल्स के सम्बन्ध के बारे में बताया। संभवत: वह एक बात कहना भूल गए हैं और वह आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक डा० प्रफुल्ल चन्द्र राय के साथ इस कम्पनी का सम्बन्ध। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस महान वैज्ञानिक को स्मरण करने का निवेदन करूंगा जो इस कम्पनी का संस्थापक था और सम्पूर्ण देश में रसायनिक उद्योग में पथ प्रदर्शक भी था। कम्पनी के हितों को देखते हुये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस महान विभूति का स्मरण करने का ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन, विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

सभापति महोदय : सभा अब उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक लेगी। श्री शिव शंकर प्रस्ताव करेंगे।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : सभापति महोदय :

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमान, नियम 69 के अन्तर्गत व्यवस्था के प्रश्न पर।

सभापति महोदय : उन्हें प्रस्ताव को पेश करने दीजिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने के बाद मेरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रश्न कहां रहता है ?

सभापति महोदय : सभा में मतदान होने से पूर्व आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं नियम 69 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । इसके प्रस्तुत हो जाने के बाद एतराज उठाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

सभापति महोदय : आप अपने विचार बाद में व्यक्त कर सकते हो ।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह हैं कि सभा में तथा प्रस्तुत विधेयक पर विचार नहीं हो सकता है और उन्हें इसको प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है । क्योंकि यह आदेशात्मक उपबंध है जिसका इस मामले में उल्लंघन किया गया है । मैं नियम 69 की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं ।

"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा उसमें उस आवर्तक और अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।" निःसन्देह इस विशेष विधेयक में परीक्षा के रूप में एक वित्तीय ज्ञापन है । इस विशेष विधेयक में आप एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कुछ उपबंध करने का प्रस्ताव है । प्राक्कलन के संबंध में 13,500 करोड़ रुपये इस विधेयक में दिए गए हैं । परन्तु जहाँ तक अन्य व्यय का संबंध है यह भारत की समेकित निधि से 45 दिनों से 120 दिनों तक अवकाश भत्ता आदि के लिए दी जाने वाली कुछ रियायतों के कारण व्यय किया जाना है । आपने कुछ आंकड़े दिए हैं कि मुख्य न्यायाधीश के मामले में अमुक महीने के लिए लगभग 20 रु० होगा । अन्य के मामलों में अन्तर इतना होगा, छः जोड़ो या घटाओ जो बढ़ सकता है । हम उस आधार को जानना चाहेंगे कि पिछले अनुभव के आधार पर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के कितने प्रतिशत न्यायाधीशों ने बीमारी की छुट्टी के इस लाभ को उठाया है, उस वजह से आप को कितनी अतिरिक्त अदायगी करनी पड़ती है और उस पर इस संसद को अतिरिक्त व्यय वहन करना है वह अनुमानित व्यय कितना है । आपने वित्तीय ज्ञापन में नहीं दिया है । आपने सामान्यतः कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। आपने सामान्यतः संख्या दी है कि उन्हें 45 दिनों के लिए भुगतान किया जा रहा है । अब चार महीने बीमारी के आधार पर पूरा वेतन मिलेगा । मैं जानना चाहूंगा कि भारत की समेकित निधि से होने वाला कुल व्यय, अनुमानित व्यय, कितना है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाना है, जो राज्यों की समेकित निधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को दिया जाना है, कितना है ? परन्तु जहां तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संबंध है वह व्यय भारत की समेकित निधि से दिया जाना है । आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है क्योंकि नियम 69 के अधीन उपबंध में

कहा गया है कि आपको कुल आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय बताना होगा । जब तक इस विशेष बात का उल्लेख नहीं किया जाता है, जब तक इस सभा को यह मालूम नहीं हो जाता तब तक कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि नियम 69 में स्पष्ट रूप से किया गया है और यह एक आदेशात्मक खण्ड है । इसका अनुपालन किए बिना इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अब इस पर विचार किया जाना है । इसलिए इस समय प्रश्न नहीं उठता है, विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है ।

श्री सतीश अग्रवाल : विधेयक अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री पी० शिवशंकर : श्री अग्रवाल इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी ज्योतिष विज्ञान का अभ्यास नहीं किया है और इस समय बिल्कुल ठीक बताना संभ्व नहीं है कि कितने न्यायाधीश छुट्टी पर जायेंगे और कितने दिनों के लिए जाएंगे ताकि मैं अनुमानित राशि को समेवित रूप में प्रस्तुत कर सकूं । इसीलिए मैंने इन दिनों के संबंध में अनुमान लगाया है । मान लीजिए एक व्यक्ति 75 दिन का अवकाश लेता है तो क्या स्थिति होगी ? यह अनुमान ही है, और उससे मेरे मित्र को सन्तुष्टि हो जानी चाहिए और वह अब मुझे आगे बोलने दें ।

सभापति महोदय : अब आपने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही शुरू करें । अब वह आपको कहने देंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : अनुभव के आधार पर विधि मंत्री महोदय सभा को अच्छी तरह से बता सकते हैं क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में 500 से अधिक रिक्तियां हैं और आप उस तरह से अवकाश मंजूर नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान) अनुमान के आधार पर आप कह सकते हैं कि पिछले वर्ष कितने उच्च न्यायालय न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश बीमारी की छुट्टी पर थे ।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : सभा को इस बात की जानकारी है कि 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू हो जाने के साथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायमूर्ति समेत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान संविधान में उपबंधित तरीके से लागू हुए थे । मुख्य न्यायमूर्ति समेत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन और मुख्य न्यायमूर्तियों समेत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग-(घ) के साथ पठित क्रमशः अनुच्छेद 125 तथा अनुच्छेद 221 में किया गया है । अनुच्छेद 125 के खण्ड (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों तथा भत्तों तथा अनुपस्थिति और पेंशन के बारे में ऐसे हकों के पात्र हैं जो समय-समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या कानूनों के तहत निर्धारित किए गए हैं ।

अनुच्छेद 125 के खंड(2)के साथ पठित अनुच्छेद 221 के खंड (2) में उच्च न्यायाधीशों से संबंधित विशेषाधिकार और भत्ते तथा उनके अधिकार वर्णित हैं।

विधायी शक्ति की शर्तों के अनुसार, संसद ने अनुच्छेद 125 के खंड (2) के अधीन 1958 में उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 को 1958 के अधिनियम 41 के रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कतिपय सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया था। उससे पहले, उच्च न्यायालय न्यायधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 को उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की कतिपय सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए 1954 के एक अधिनियम के रूप में संविधि में सम्मिलित किया गया था। इन सेवा-शर्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की (सेवा-शर्तों की) तुलना कर समय-समय पर रूप-भेद कर संशोधित किया गया था।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि संविधान लागू हो जाने के बाद से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में कोई संशोधन नहीं हुआ था। समय-समय पर जिस बात की व्यवस्था करने तथा संशोधन करने की मांग की गई थी वह कतिपय सीमांत लाभ की तुलना उनकी सेवा-शर्तें थीं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें), अधिनियम, 1958 की धारा 23 (1) के कारण तथा अनुच्छेद 125 के साथ पठित संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग (घ) के अधीन भी सरकारी आवास के उपयोग के लिए किराये के बिना भुगतान के पात्र रहे हैं। इसी तरह से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 के अधीन सरकारी आवास के उपयोग के लिए किराये की बिना अदायगी के पात्र हैं। न्यायाधीशों को दिए गए किरायारहित आवास की लागत को आय कर अधिनियम के अन्तर्गत परिलब्धि के रूप में माना जा रहा है और तद्नुसार उन पर कर लगाया जा रहा है। 1976 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों से संबंधित अधिनियमों के संशोधन के समय तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह सुझाव दिया था कि न्यायाधीशों को दिया जाने वाला किराया-रहित सज्जित आवास की लागत आय कर से मुक्त होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया कि यदि इसे आय कर से मुक्त नहीं किया जाता है तो दिया जाने वाला प्रस्तावित लाभ धोखा-मात्र होगा। यह निवेदन किया गया था कि इस लाभ को विशेष छूट माना जाए न कि परिलब्धि के रूप में माना जाए। सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह उचित समझा गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किराया मुक्त आवास की लागत या उसकी ऐवज में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाने वाला भत्ता आय कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से धारा 23 (घ) को संशोधन के रूप में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 में तथा धारा 22 (घ) को संशोधन के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा-शर्तं) अधिनियम, 1954 में जोड़ा जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस समय 45 दिन की अवधि के लिए एक महीने के वेतन के बराबर भत्ते पर अवकाश के पात्र हैं बशर्ते ऐसा अवकाश चिकित्सा के आधार पर लिया गया हो। यह अनुभव किया गया है कि इस अवधि को वर्तमान 45 दिन की बजाय अधिकतम 120 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 954 दोनों में प्रतिस्थापन एवं संगत उपबन्धों में और उपबन्ध जोड़कर संशोधन किया जा रहा है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा-शर्तें), अधिनियम, 1958 के अधीन पेंशन की गणना करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने से पूर्व 'पेंशन योग्य सिविल पद' पर आसीन रहा हो। वह उस पद की सेवा को न्यायालय की सेवा में जोड़ने एवं पिछली सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होता है। उस व्यक्ति को यह लाभ नहीं मिलता जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने से पूर्व 'पेंशन योग्य सैनिक पद' पर आसीन रहा हो।

श्री सतीश अग्रवाल : केवल एक व्यक्ति। अब आप इसकी व्यवस्था कर रहे हो।

श्री पी० शिवशंकर : केवल एक व्यक्ति जो हम लोगों की सत्ता में आने से थोड़े पहले नियुक्त किया गया था। तद्नुसार इस अन्तर को दूर करने के लिए प्रस्ताव किया गया है और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक संशोधन इन दोनों अधिनियमों के संगत उपबंधों में संशोधन विधेयक द्वारा किया जा रहा है जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के संबंध में है।

एक माननीय सदस्य : क्या वह पहले सेवा-निवृत्त नहीं हो चुके हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : इस प्रकार उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा-शर्तें), अधिनियम, 1954 तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) 1958 में इस विधेयक द्वारा किया जा रहा है।

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें), अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सतीश अग्रवाल : धारा 22 (घ) जोड़ी जा रही है जिसका 1975 से भूतलक्षी प्रभाव है और जिसमें कहा गया है कि किराये की आय कर के उद्देश्यों के लिए गणना नहीं की जायेगी।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : यह अच्छा तरीका है ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं ताकि वाद-विवाद उद्देश्यपूर्ण हो अन्यथा मुझे अपने मतदान का अधिकार प्रयोग करना होगा और बहुत-सी बातें कहनी होंगी । हम वकील हैं और हम घंटों बिना प्रश्न के बोल सकते हैं । श्री शिवशंकर इसे अच्छी तरह से जानते हैं ।

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं । खंड 5 में संशोधन का प्रस्ताव है जो 1975 से प्रभावी होगा और इसमें कहा गया है कि वे किराया मुक्त आवास के पात्र हैं और उस पर कोई आय कर नहीं दिया जायेगा । क्या ऐसा है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की आय कर विवरणियों में से किसी को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उन पर कोई कर नहीं लगाया गया है । क्या स्थिति यह है कि पांच वर्षों से उन पर आय कर नहीं लगाया गया है । यदि उन पर आय कर लगाया गया है तो क्या कर निर्धारणों पर पुनः विचार किया जायेगा । विधेयक में वापसी की कोई व्यवस्था नहीं है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मुझे पता है कि मेरे मित्र निर्धारण के बारे में अधिक जानते हैं क्योंकि वह संवद्ध तीन वर्षों अर्थात 1977 से 1979 तक मंत्री रहे हैं । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि संशोधन 1-10-1974 से लागू किया जायेगा और उसे 1-10-1974 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए कुछ लाभ देने की हमने चेष्टा की । यह अल्प लाभ 2½ अथवा तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है इसलिए हमने सोचा कि लाभ 1-10-74 से दिया जाये क्योंकि 1976 में जब यह संशोधन रखा गया था तो इसके पीछे यही विचार था कि इस पर कर न लगाया जाये । यह अल्प लाभ है । और श्रीमान जी, यदि मुझे ठीक ज्ञात है, तो श्री अग्रवाल जी भली प्रकार जानते होंगे कि कुछ न्यायाधीशों ने अपीलें दायर की हैं, जिनमें से कुछ न्यायाधिकरणों के पास और कुछ उच्च न्यायालयों के पास विचाराधीन हैं । हम कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते । इन मामलों पर सुनवाई करने के बाद कोई निर्णय लिये जा सकते हैं । हम चाहते हैं कि यह लाभ 1-10-74 से प्रभावी किया जाये और यदि किन्हीं मामलों में निर्धारण पहले ही किया जा चुका है तो उन्हें उतनी धनराशि दी जाये जितनी इस कानून के भूतलक्षी तारीख से प्रभावी करने के कारण देय होती है क्योंकि ऐसा समझा गया था कि इस तारीख को निर्धारण के लिए कोई कानून नहीं था, अतएव राशि वापस करना आवश्यक होगा । स्थिति यह है ।

सभापति महोदय : बहुत धन्यवाद ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान इस विधेयक द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अल्प राहत देने का प्रस्ताव है और हमें इस बारे में तथा विधेयक के उद्देश्यों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, निःसंदेह यदि अब आगे सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों पर सेना के न्यायाधीशों की भरती नहीं करना चाहती । परन्तु हमें न्यायाधीशों के वेतनों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर खण्डों में विचार

किये जाने पर आपत्ति है। ऐसे मामलों पर अपनी आदत के अनुसार तदर्थ निर्णय नहीं लेने चाहिएं।

जब समस्या पैदा होने पर आप उसे थोड़ा-थोड़ा करके तदर्थ रूप से उसका समाधान करेंगे तब समग्र रूप से समस्या बनी रहेगी। श्रीमान हम क्या चाहते हैं – और यह अनिवार्य है – कि इस तरह के मामले पर संबद्ध व्यक्तियों के साथ मिलकर परामर्श करके ऐसा व्यापक कानून बनाया जाये जिसमें जीवन यापन का व्यय बढ़ने पर जोकि उनकी अर्थ नीतियों से पैदा हुआ है भीतरी समायोजन किया जा सके। श्रीमान केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्वतंत्रता के बाद वेतन कम हुए हैं। इसीलिए माननीय सदस्य ने अवसर मिलते ही उसका उपयोग किया है। विभिन्न जीवन क्षेत्रों में लोग आश्चर्य अनुभव करेंगे कि जहां देश में भयानक गरीबी है वहां अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं कि न्यायाधीशों को केवल 3500 अथवा 4000 रुपए ही क्यों मिलते हैं। श्रीमान हम अपने देश में भूखे न्यायाधीश नहीं चाहते। हम चाहते हैं संपूर्ण न्यायव्यवस्था में ऐसे न्यायाधीश हों जिन्हें उचित वेतन एवं सेवा की शर्तें उपलब्ध हों।

उपाध्यक्ष महोदय : वकीलों के लिए भी आप उनकी भी, वकालत कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान, हम वकील अपनी योग्यता के अनुसार कमाते हैं। मुझे सरकार के बावजूद मेरी कभी-कभी सरकार की मदद से पर्याप्त आमदनी है, उनके द्वारा पास किये गये आश्चर्यजनक आदेशों के कारण। श्रीमान, स्थिति यह है कि देश में ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों के तथा आम व्यक्तियों के वेतनों में बहुत अन्तर है, विशेषतः जबकि अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे हैं। परन्तु हमारे देश में जिस तरह का प्रशासन है उसमें न्यायपालिका के दायित्व का महत्व है। हमें कोई संदेह नहीं है कि हम देश से गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, एक कल्याणकारी राज्य में हम न्यायपालिका की मदद से उन्नति कर सकते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सी कमियां एवं कमजोरियां हैं। परन्तु हम समझते हैं कि हमारे देश में दृढ़ तथा स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए क्योंकि तानाशाही कानूनों से स्वतंत्र न्यायपालिका ही हमारी रक्षा कर सकती है। कार्यकारणी की चुनौतियों का सामना करने के लिए ही, जो सदा अधिक शक्तियां प्राप्त करने में सचेष्ट रहती है, एक निडर और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता है। हम समझते हैं जन-आन्दोलन के अलावा न्यायपालिका ऐसे हमलों का सामना करने में मदद कर सकती है कि आने वाले दिनों में जब सकार की अक्षमता तथा कदाचार का अधिकाधिक भंडाफोड़ होगा तब इस कार्यपालिका द्वारा अधिकाधिक तानाशाही शक्तियां ग्रहण किये जाने का खतरा बढ़ जायेगा अन्यथा वे शासन नहीं कर सकते। यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद कुछ ही महीनों में सरकार ने ऐसे काले कानून बनाये हैं जिनसे संवैधानिक व्यवस्था का आधार छिन्न-भिन्न हो गया है। इस देश में विधि सम्मत शासन समाप्त हो गया है। आज हम देखते हैं कि लोगों को तानाशाही शक्तियों और कानूनों का बारबार शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में लोगों को कार्यकारिणी की चुनौतियों का सामना करने के लिए न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ेगा। अभी पिछले ही दिन हमारे एक साथी को इस कुख्यात काले अध्यादेश के अधीन गिरफ्तार किया गया। हमें उन्हें छुड़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। तब

उन्हें छोड़ा गया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और अब अपील दायर कर दी है। मैं आशा करता हूं कि वह अपनी अपील में जीत जायेंगे। इसलिए हमें इस बारे में संदेह नहीं है कि हम देश में कमजोर न्यायपालिका से निर्वाह नहीं कर सकते। लोगों के हित में, इस देश के लोगों के न्यूनतम अधिकारों की रक्षा के लिए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमें स्वतंत्र तथा निर्भय न्यायपालिका की आवश्यकता है। हमने अभी हाल ही में देखा है कि कैसे विभिन्न कानूनों द्वारा लोगों की आवाज को दबाया गया तथा किस प्रकार न्यायपालिका को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल बनाने के यत्न किये गये। हमने वचनबद्ध न्यायाधीशों की बात सुनी ... विधि के प्रति नहीं अपितु सत्तारूढ़ पार्टी अपितु एक व्यक्ति के प्रति वचनबद्ध हैं। हमने देखा है कि जब भी एक पार्टी सत्ता में आती है तब लोगों के अधिकाधिक अधिकार छिनने लगते हैं। हम देखते हैं कि न्यायपालिका पर योजनाबद्ध आक्रमण किये जाते हैं। कैसे ढंग अपनाये गये हैं। हाल ही में हमने देखा, मुझें गलत न समझा जाये, छोटे वकीलों ने तथा कथित वकीलों के सम्मेलन के नाम पर जो नाटक किया वह उपहासनीय है।

इस देश का संविधान पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में बना। इस वर्तमान संविधान के बारे में हमारे बहुत से मतभेद हैं। जब भी समय आयेगा हम उसके गुणों-अवगुणों पर प्रकाश डालेंगे परन्तु हम देखते हैं कि न्यायपालिका को नीचा करने, उस पर हमला करने के यत्न किये जाते हैं, ऐसे प्रयत्न उन व्यक्तियों द्वारा किये जाते है जो रात-रात में प्रसिद्ध वकील बन गये, जिनके नाम पहले कभी नहीं सुने गये थे। वे वकालत कर रहे हैं कि न्यायपालिका को दबाया जाये, सांविधानिक व्यवस्था को बदला जाये और किन उद्देश्यों के लिए विपक्ष को सबक सिखाने के लिए। उनका कथन है कि लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा – न्यायपालिका प्रगति में बाधा बनी हुई है अतएव उसकी शक्ति कम की जानी चाहिए। परन्तु जब यह पूछा जाता है कि एक भी उदाहरण पेश करें जिसमें कोई भी न्याय निर्णय गलत हुआ हो, आपके दोष-पूर्ण कानूनों को छोड़कर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

ठीक है, मैं न्यायपालिका का पक्ष नहीं ले रहा। यह लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है। लोग बहुत समय से प्रतीक्षा में रहे हैं, उन्हें बहुत आशायें थीं जो पिछले 33 वर्ष में झुठला दी गईं... (व्यवधान) दुर्भाग्य से यह आपके-आप जैसे लोगों के हाथ में है।

आप सदा बलि के बकरों की तलाश में रहते हैं। हमें इस बात पर आपत्ति है कि आप अपनी त्रुटियों, कमियों, गलत कामों की सफाई देने के लिए विपक्ष, विदेशी अभिकरणों, न्यायपालिका और नौकरशाही आदि को बलि का बकरा बनाते हैं। किन्तु आप अपने हृदय में झांक कर नहीं देख रहे हैं। आप यह पता लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि यह देश आज दलदल में क्यों फंस गया है तथा संविधान का कौन सा उपबन्ध आप के मार्ग में बाधक बना हुआ है।

आपने संविधान का इतनी अधिक बार संशोधन किया है। कांग्रेस दल के शासन के दौरान आपने 42 बार संविधान का संशोधन किया जब तक कि आपको सत्ता से उतार कर फेंक नहीं दिया गया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की मार्ग-दर्शक भावना ही थी कि इस संविधान

को बनाया गया था और बड़े-बड़े महारथी उनकी सहायता करने वाले मौजूद थे। यदि आप देखते हैं कि संविधान का कोई विशेष उपबन्ध आपके मार्ग में बाधक है, तो आप उसका संशोधन कर सकते हैं। किन्तु आपने देश के प्रधान मंत्री के लिये प्रतिरक्षा का उपबन्ध करने के अभिप्राय से संविधान का सशोधन किया है चाहे यह अपराधिक कार्य के लिए क्यों न हो। आपने संविधान का संशोधन इस देश में एक व्यक्ति के सभा चुनाव संबंधी अपराधों से मुक्त करने के अभिप्राय से किया है। किस प्रकार के लोग इस प्रकार के विधेयक के समर्थन में मतदान कर सकते थे? क्या संविधान के उपबन्ध इस देश में एक कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने में बाधक हैं? आप कितने समय एक व्यक्ति के लिये ही कार्य करते रहेंगे चाहे वह कितना ही बड़ा अथवा महत्वपूर्ण क्यों न हो? अतः, आप बलि के बकरे मत ढूंढ़िए। आपकी आर्थिक नीति बनी हुई है। आप इस देश के एकाधिकारियों के सहायक हैं और आप उनकी पुष्टि कर रहे हैं। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में फल फूल रही हैं। इस देश में एकाधिकारी कम्पनियां इस रूप में बढ़ रही हैं कि अब वे पहले से बड़ी हो गई हैं तथा उनके पास अधिक वित्तीय संसाधन हो गए हैं, चाहे उनकी संख्या पहले से कम ही क्यों न हो गयी हो। गरीबी के स्तर से नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। बेरोजगारी बढ़ रही है और शिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं। देश को स्वतंत्र हुए 33 वर्ष हो गये हैं, क्या आप शरम महसूस नहीं करते कि करोड़ों लोग बिल्कुल ही अनपढ़ हैं? क्या आपको शरम महसूस नहीं होती कि आप गांवों के लिये पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं? संविधान का कौन सा उपबन्ध आपको ऐसा करने से रोकता है?

मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में कुछ सुधार किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि सब मिलाकर कुछ खेदजनक नियुक्तियां हुई हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि जो काले बादल आपात काल के काले दिनों के दौरान न्याय-पालिका के ऊपर घिर आए थे वे आखिरकार दूर हो जायेंगे। हमारे यहां सजीव और जीवन्त उच्चतम न्यायालय है, लोगों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार काम करता है। जैसा कि अभी उस दिन ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कार्यपालिका के साथ मुकाबले की गुंजाइश ही कहां है? फर्ज करिये कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश को पारित करके कानून बना दिया है और हमें यह आशा करनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय इसे रद्द कर देगा, क्या ऐसा करना संविधान की भावनाओं के विरुद्ध होगा? क्या यह एक ऐसा निर्णय होगा जो इस देश के लोगों के विरुद्ध होगा? क्या यह एक निर्णय होगा जो समतावादी समाज तथा कल्याणकारी देश के विरुद्ध होगा? क्या यह लोगों के मूलभूत अधिकारों के लिए विनाशकारी होगा? जब वे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश को रद्द कर देंगे, तो क्या आप न्यायाधीशों को निहित स्वार्थों के लिये काम करने वाला कहेंगे?

अभी उसी दिन उच्चतम न्यायालय ने मेरी लेख याचिका के संबंध में अपील को मंजूर कर लिया, जिसके लिये मैंने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के पक्ष में बहस की थी। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। कानूनी बोनस को एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा समाप्त किया जा रहा था। अब उच्चतम न्यायालय ने इसे मंजूर कर लिया है और इस प्रकार आप संविधान का

सम्मान कर रहे हैं। यद्यपि उच्चतम न्यायालय को निर्णय दिए दस दिन हो गए हैं, फिर भी एक पाई का भुगतान नहीं किया जा रहा है और जीवन बीमा निगम के चैयरमैन ने कहा है कि 'चूंकि दिल्ली से वित्त मंत्रालय ने हमें भुगतान न करने के लिए कहा हैं, इसलिए हम उच्चतम न्यायालय आदेश का पालन नहीं करेंगे।' आप इस तरह संविधान तथा उच्चतम न्यायालय के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। किन्तु, यह अच्छा विधेयक है हमने पिछले विधेयक का जोरदार तथा हार्दिक रूप से समर्थन किया है, जबकि आप इस देश की एक महत्वपूर्ण कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं जो कि कुप्रन्ध के कारण संकटग्रस्त हो चुकी है। अब आप कई बार विरोधी पक्ष को दोष देते हैं, न्यायपालिक को दोष देते हैं, कई बार नौकरशाही को दोष देते हैं और कई बार संविधान को भी दोष देते हैं, किन्तु आप यह पता नहीं लगाते कि आपका क्या दोष है। इस आदरणीय सज्जन के प्रति मेरा सम्मानपूर्ण अनुरोध है जिनका मैं बहुत अधिक आदर, अर्थात व्यक्तिगत आदर करता हूं। आप भावनाओं में मत बह जाइए। मुझे नहीं मालूम कि यदि वह सरकार में नहीं होते और यदि उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती तो वह इतने विचित्र प्रस्ताव लाते जिन्हें हम देख रहे हैं। इस देश में बड़े न्यायाधीशों का स्थानान्तरण, मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण—क्या इस प्रकार यहां सरकार का कार्य हो रहा है? क्या इस देश में कुछ कार्य हो रहा है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि 66 करोड़ लोगों वाले इस देश समूचे भारत के लिए उच्चतम न्यायालय के 18 न्यायाधीशों में से 8 न्यायाधीशों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं ? पहले ही न्यायाधीशों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं और आगामी जनवरी में एक अन्य स्थान रिक्त हो जायेगा। उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायालय कमरों पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि न्यायाधीश नहीं है और बकाया मामलों में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हो रही है। इस बात को हरेक जानता है। इस संबंध में प्रश्न किए गए हैं। मेरे माननीय मित्र, विधि मंत्री उनका उत्तर दे रहे हैं और उन्होंने यह स्वीकार किया कि ये बकाया मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, मैं जानता हूं कि सामान्य तर्क यह होता है : 'राज्य के मुख्य न्यायाधीश यह अथवा वह काम नहीं कर रहे हैं और कि आदि-आदि, हम क्या कर सकते हैं ?' किन्तु, जहां तक उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों का सम्बन्ध है, इसमें राज्य सरकारों ने कुछ भी नहीं करना होता। वह काम तो केन्द्रीय सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है।

महोदय, एक न्यायाधीश महोदय की सेवानिवृत्ति की तिथि ज्ञात होती है। यह 'सदस्य परिचय' को शुद्धि करना नहीं है, जिसमें कोई भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है। एक न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की तिथि का पता तो उसकी नियुक्ति के दिन से ही लग जाता है। अतः, अचानक ही इसका पता नहीं चलता। अचानक मौतों के कारण यह स्थान रिक्त नहीं हुये हैं। सेवानिवृत्ति के कारण ही ये स्थान रिक्त हुए हैं। परामर्श की प्रक्रिया को शुद्ध क्यों नहीं किया जा सकता ? नियुक्तियां क्यों नहीं की जा सकतीं ? यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश और माननीय विधि मंत्री सहमत नहीं हो सकते हैं और प्रधान मंत्री भी कुछ नियुक्तियों के बारे में सहमत नहीं हो सकती हैं, तो फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ही

नहीं सकता। विधि मंत्री महोदय जानते हैं कि उन्हें कुछ समय से चले आ रहे उच्चतम न्यायालय में रिक्त स्थानों के लिए नियुक्तियां न करने के लिए देश को स्पष्टीकरण देना चाहिए मैं नहीं जानता हूं। जहां तक उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है, वहां लगभग 70 रिक्त स्थान हैं आप ठीक संख्या बता सकते हैं। शायद ये रिक्त स्थान 64 या 65 हैं। जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए मांग की जा रही है, वहां इन स्थानों का मूल कोटा भी भरा नहीं जा रहा है।

महोदय, अनेक मामलों में उच्च न्यायालयों को दोष दिया जाता है। उच्च न्यायालयों, वकीलों एवं सिविल प्रक्रिया को दोष दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया इस देश में जो प्रक्रिया है, वह भी बकाया मामलों के बकायों के संचयन को बढ़ा रही है। सभी वकील उस बात को जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। किन्तु आप इसका समाधान कैसे करेंगे ? न्यायाधीशों के पदों को रिक्त रखकर उनकी संख्या कम करके समाधान किस प्रकार करेंगे ? मेरे मित्र यह कहेंगे कि जनता सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। किन्तु कांग्रेस को सत्तारूढ़ हुए एक वर्ष होने वाला है, इसके साथ जनता सरकार की कार्यकुशलता पर निर्भर रहने को कम किया जाना चाहिए। दस महीनों में एक बच्चा जन्म लेता है। एक वर्ष का समय कम से कम न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय है।

हमें यह मान लेना चाहिये कि जनता सरकार बुरी और पूरी तरह असफल रही है। आपने क्या काम किया है ? यदि मेरी गिनती ठीक है, तो आपको सत्ता में आये 10 महीने 6 दिन हो चुके हैं और आप एक न्यायाधीश का चयन नहीं कर सके हैं ? इस देश में यह स्थिति है। इस बारे में स्पष्टीकरण क्या है ?

श्री जनार्दन पुंजारी (मंगलौर) : वह विधेयक के विषय से बाहर जा रहे हैं और इतनी अधिक बातों को उठा रहे हैं जो संगत नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह बात विधेयक के क्षेत्र से बाहर की है।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : यह इस विधेयक का प्रथम वाचन है।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने तर्कसंगत बात उठायी है कि यह विषय विधेयक के क्षेत्र में नहीं है।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : उन्हें यह कहने का अधिकार है कि सरकार ने अभी जन्म लेना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक इस देश में वर्तमान पद्धति की सरकार तथा सांविधिक ढांचा बना रहता है, तब तक तो इसे चलना ही है। चाहे यह कितना ही त्रुटिपूर्ण क्यों न हो। कुछ लोग इसे बदलने का स्वप्न ले सकते हैं। किन्तु जब तक वह अपने स्वप्न को पूरा करने में सफल नहीं हो जाते तब तक इस पद्धति के अन्तर्गत काम करना ही है। किन्तु यदि आप एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि समूचा भवन ही टूट रहा है, तो आप किस प्रकार इस देश की जोरदार समस्याओं का समाधान कर पायेंगे ? समूचा भवन ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यायाधीश नहीं है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है।

हम बार-बार गरीब लोगों को कानूनी सहायता देने के बारे में सुनते-सुनते तंग आ चुके हैं। एक समिति है, उसके ऊपर दूसरी समिति बैठती है, जिसके ऊपर एक और समिति बैठती है। सरकार ने कितनी समितियां गठित की हैं। कृष्णा अय्यर, भगवती, भगवती और कृष्णा अय्यर, कोई पृथक हैं और कोई संयुक्त। मुझे इन समितियों के नामकरण की पूरी जानकारी नहीं रहती। जब मैं सलाहकार समिति में था, मैंने यह प्रश्न उठाया था। उनका उत्तर यह था कि इसका अध्ययन किया जा रहा है। कभी-कभी यह विचाराधीन रहता है और कभी-कभी यह पूर्णतः विचाराधीन रहता है। श्री स्टीफन अब मंत्री हैं और जानते हैं कि इसमें क्या अन्तर है। हमारे उपाध्यक्ष ने इन शब्दों के कुछ उत्तर दिये हैं। अतः आज की स्थिति यह है कि आज अधिकांश कोई भी काम सुचारु ढंग से नहीं चल रहा है।

रिक्त स्थानों को भरने की असफलता के दो कारण हो सकते हैं। यह या तो किसी उद्देश्य से प्रेरित है अर्थात् उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार लोग नहीं मिलते या इसका कारण उनकी अयोग्यता ही है, जिसके फलस्वरूप वे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी न्यूनतम जिम्मेवारियां भी पूरी नहीं करते। यदि यह किसी उद्देश्य से प्रेरित है और अपनी पसंद के अनुसार लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं तो इस बात का निर्णय कौन करेगा, कि उनकी पसंद का कौन है। हमने "वचनबद्ध न्यायाधीश" के बारे में सुना है। कृपया हमें बतायें कि वे किस बात के लिए बचनबद्ध हैं। न्यायाधीश की वचनबद्धता का पता कौन लगाता है? यदि किसी पेशेवर वकील को ही लाना है अथवा न्याय सेवा के किसी व्यक्ति को पदोन्नत करके उच्च न्यायालय को भेजा जाना है अथवा उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्ति की जाती है, तो उनके बारे में क्या वचनबद्धता हो सकती है? हमने इसके बारे में पहले भी सुना है। क्या वचनबद्ध न्यायाधीश न मिलने की असफलता ही इन रिक्त स्थानों का कारण है और निर्णयाधीन मामलों को निपटाने की समस्या को हल नहीं किया जा सकता और गरीबों की कानूनी सहायता संबंधी योजना की व्यवस्था नहीं हो सकती।

इस बात का निर्णय कौन करेगा कि वचनबद्ध न्यायाधीश कौन है? प्रधान मंत्री ने एक दिन पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि वह वचनबद्ध न्यायाधीश नियुक्त कर रही है जो हस्तक्षेप कर रहे हैं और यह भी कि उच्च न्यायालय में वचनबद्ध न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान वामपक्षी सरकार के शासनकाल में दो नियुक्तियां की गयीं लेकिन उनके नाम वामपक्षी सरकार के सत्ता में आने से पहले स्वीकार किये गये थे। नियुक्ति की प्रक्रिया वामपक्षी सरकार के पहले से भी चल रही थी। इसके बावजूद भी भारत के प्रधान मन्त्री ने इस बारे में यह आरोप लगाया है।

इस मंत्रालय में क्या हो रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे बड़ी आशायें थीं। मुझे अब भी आशा है कि वे अपने कार्यकरण में सुधार लायेंगे और अपने को सक्रिय बनायेंगे और लीक से ऊपर उठेंगे। मेरे विचार में उनके हाथ बहुत बंधे हुए हैं। हमने इन्हें पहले भी देखा है और शुरू में भी देखा है। हमें उनसे बड़ी आशायें थीं। मैं यह सब उनके सामने बोलने के लिए

नहीं कह रहा। हमें आशा थी क्योंकि जब हमें इस सरकार को सहन करना है तो इसमें अच्छे लोग होने चाहियें। लेकिन जब हम देखते हैं कि सम्पूर्ण ठहराव आ गया है तो हम इसे देश के सर्वोच्च मंच के सामने लाये बिना नहीं रह सकते। अतः इस सभा से मेरा अनुरोध है कि इन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाये।

कृपया इस प्रकार के सिद्धान्त न बनायें जैसे सभी अथवा एक तिहाई न्यायाधीशों के तबादले करना। इसका परिणाम क्या होगा? इनकी स्थिति क्या होगी? वे कार्यकारी न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की योजना स्वस्थ नैतिकता के विश्वास के विरुद्ध है। आखिर वे भी इन्सान हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान उन्होंने निर्दयता का अनुभव किया है। कितने न्यायाधीशों का तबादला किया गया? अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वे वहां बिना उनकी सहमति के हैं। उनका तबादला न किया जाये। सरकार उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साधारण कर्मचारी समझती है। साधारण कर्मचारी के भी तबादले के अपने अधिकार होते हैं। उन्हें पक्षपातपूर्ण भावना से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। तबादले के आधारों का पता लगाने के लिए कोई भी प्रस्ताव तथा उपाय नहीं है। क्या इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता ही है? क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति लेंगे, चाहे उन्हें इस बारे में कुछ भी न कहना हो।

हम इस विधेयक का समर्थन तो करते हैं लेकिन इतना अनुरोध भी करते हैं कि कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण मामले हैं जिनकी ओर ध्यान देना जरूरी है अन्यथा इस देश में अपूर्ण राज्य प्रणाली भी एक ठहराव के बिन्दु पर पहुंच रही है। कृपया इस देश की न्यायिक प्रणाली को समाप्त न करें। हम अपना समर्थन देंगे। लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करें।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व-दिल्ली) : माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी के लिए मेरे दिल में बहुत आदर है। मैंने उनकी बात बड़े आदर तथा ध्यान से सुनी है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी नहीं है कि मैं इसकी उनसे आशा नहीं रखता था। वे अपनी पार्टी को प्रगतिशील पार्टी कहते हैं। वे उस पार्टी के वक्ता के रूप में बोले। मैं इनसे आशा रखता था कि विधेयक के उद्देश्य से बाहर की बातें करते हुये वे देश में न्याय तथा न्याय प्रणाली को ठीक परिपेक्ष में सामने रखेंगे।

मुझे खेद है कि उनकी बात सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके भाषण का उद्देश्य पूर्व स्थिति को लाना है। यदि आप इनके सारे भाषण को देखें तो आपको पता चलेगा कि न्यायपालिका, न्यायालय आदि ही ऐसे मंच हैं जहां इनकी संतुष्टि के अनुसार काम होता है। उन पर कोई प्रहार कर रहा है, सरकार उन पर प्रहार कर रही है और इसलिए उन्हें वहां से समर्थन मिल सकता है। उन्होंने अपना भाषण वहीं से शुरू किया और वहीं उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

उनसे यह सुना कि "भावनाओं में बहकर कार्य मत करो", मेरे लिए बड़ी रोचक बात थी। अच्छी बात है, महोदय, हम समझते थे कि हम हमेशा कुछ आदर्शों, कुछ विचारधाराओं के आधार पर, और जनता के कुछ विचारों के आधार पर जो भावनाओं पर आधारित थे, संसद के

लिए चुने गए थे। एक राष्ट्र और एक दल के जीवन में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मैं कहूंगा कि श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण एक भावनारहित व्यक्ति की भांति था। अब, आखिरकार, आज सही परिप्रेक्ष्य क्या है? मेरे हृदय में न्यायाधीशों के प्रति बड़ा आदर है, उनका किसी तरह अनादर करने की मेरी कोई बात नहीं है। मैं और मेरा दल निश्चित रूप से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के पक्ष में रहे हैं और हमने न्यायपालिका को बदनाम करने का कोई काम नहीं किया है— यह मैं कहना चाहता हूं। अब उस तरह के सामान्य आरोप लगाना अर्थहीन है। मेरे मित्र ने कहा। "आपने यह किया, आपने वह किया, आपने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, आपने वह किया आदि।" इन सब विषयों को किसने निर्धारित किया था? इसका निर्धारण करने वाले आप और मैं न थे, 1980 के चुनावों में भारत की जनता ने ये निर्धारित किए थे। ये सभी विषय जो उन्होंने उठाए……

(व्यवधान)

ये सभी विषय, जिनका मेरे मित्र जिक्र कर रहे थे, भारत की जनता ने निर्धारित किए थे। चुनावों के दौरान वह चर्चा करते रहे, हमारे चुनाव हारने के बाद वह चर्चा करते रहे; ये सभी विषय भारत की जनता द्वारा, जो प्रभुता संपन्न है, निर्धारित किए गए थे।

उदाहरण के लिए, मेरे मित्र यह बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि वे संसदीय लोकतंत्र के पक्षधन हैं और हम इसके विरोधी हैं और कि हम इस प्रणाली को नष्ट-भ्रष्ट करने जा रहे हैं और वे संसदीय लोकतंत्र के रक्षक हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी का दल श्री चरण सिंह के नेतृत्व में कार्य कर रहा है —जो कुछ भी कार्य वह कर रहा है: उन्होंने एक तरह का संयुक्त मोर्चा बनाया है। लोकसभा चुनावों में पराजित होने के तत्काल बाद श्री चरण सिंह ने कहा कि संसद निरर्थक हो गई है। अब, विपक्ष नेता जो संसद को अर्थहीन कहते थे, आज आगे आकर कहते हैं: हम संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर हैं।"

नई दिल्ली में वकीलों ने एक सम्मेलन आयोजित किया उन्होंने कहा, यह किसी के आदेश पर किया गया कार्य था, कि वे प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं अपितु कम जाने जाने वाले लोग हैं। मेरे मित्र लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखना जाहिर करते हैं, परन्तु उनके विचारों के विरोधी वकीलों को सम्मेलन बुलाने का कोई अधिकार नहीं है और प्रधान मंत्री को वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में भयंकर समस्याएं हैं और आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मैं संसद और न्यायपालिका के बीच किसी तरह का विवाद नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं करना चाहता और न सरकार ऐसा करना चाहती है। परन्तु मूल तथ्य यह है कि संसद में जनता के समक्ष आज प्रश्न यह है कि संविधान में दिए गए राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा नहीं। प्रश्न यह है और इस पर अनेक बातें निर्भर करती हैं। उन्होंने कहा, वह निर्णयों का उद्धरण दे सकते हैं। मैं ऐसे तमाम निर्णयों को उद्धृत कर सकता हूं जहां सामाजिक न्याय ठप्प हो गया है। अब, कभी-कभी सामाजिक न्याय तकनीकी न्याय और अदालती न्याय में टकराव होता है। जो निर्णय वे देते हैं वे अपने तरीके से सही हो सकते हैं, परन्तु इसका कुल असर यह है कि सामाजिक न्याय अवरुद्ध हो जाता है। हमें भारतीय जनता की सहायता करनी

है अथवा नहीं ? मैं श्री चरण सिंह से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह का न्याय भारत के लोगों को दिया जा रहा है उससे क्या भारत के लोग संतुष्ट है ? मैं अकेली न्यायपालिका को दोष नहीं दे रहा हूं, यह तो व्यवस्था है । क्या हम, लोगों को शीघ्र न्याय दे रहे हैं ? क्या हम, लोगों को समय पर न्याय दे रहे हैं ? क्या यह एक विषय नहीं है ? मैं उनसे यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने और यह कहने की आशा की थी कि वर्तमान व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ क्रांतिकारी कार्य किए जाने चाहिए । इस विषय पर निष्क्रिय रहने से कोई लाभ नहीं है । आप वकील हैं, मैं भी एक वकील हूं । हम मिसालें देते हैं, हम यथापूर्व स्थिति के विचारों के हैं । जब 1980 में हम एक मुकदमे पर बहस करते हैं तो 1925 में दिए गए निर्णय की चर्चा करते हैं, हम 1940 में दिए गए निर्णय की चर्चा करते हैं । हमारा दृष्टिकोट यथापूर्व स्थिति के विचारों का है । हम पूर्ववर्ती मिसालों पर विचार करते हैं । मैंने समझा कि श्री चटर्जी यह कहेंगे "हमें नई मिसाल शुरू करनी चाहिए, नया उदाहरण कायम करना चाहिए, न्यायपालिका की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाना चाहिए, इसकी कार्यविधि को सरल बनाया जाना चाहिए । इसमें परिवर्तन होने चाहिए ।" व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि न्यायपालिका की वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तत किए जाने की आवश्वकता है ताकि लोगों को शीघ्र न्याय सुलभ कराया जा सके । एक मुकदमे का निर्णय करते समय लोगों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार में मैं विश्वास करता हूं । मैं जोरदार रूप से इसका पक्ष लेता हूं । मेरे दोस्त ने आंखें बंद कर लीं और कहा, "अच्छा, श्री शिवशंकर जी, दस महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आप इतनी अवधि में कोई निर्णय नहीं ले सके मैं कहूंगा," श्रीमान शिवशंकर जी, जल्दी से इन बच्चों को पैदा करो, परंतु गर्भपात जैसे कार्य में न पड़ो जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है ।" पश्चिम बंगाल में जो बुरी स्थिति आपने पैदा की है, मैं कुशासन उपद्रवों और अराजकता की स्थिति जो आपने वहां पैदा कर दी है, मैं उसका उल्लेख करता हूं । और आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की आपको कोई हक नहीं है······

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती (दक्षिण कलकत्ता) **:** राज्य सरकार पर आक्रमन न करिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं करूंगा ।

श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती : आप ऐसा नहीं कर सकते । तब आपको यह बात साबित करनी चाहिए । (व्यवधान) सभापति महोदय, वह बिना प्रमाण दिए राज्य सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं । क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार है ?

सभापति महोदय : जब मैं यह समझूंगा कि वे चर्चा के विषय से बाहर जा रहे हैं तब मैं उन्हें रोकूंगा । फिलहाल, उन्हें अपनी बात जारी रखने दीजिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : जो कुछ श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा, मैं केवल उस पर टिप्पणी कर रहा हूं । उन्होंने कहा, इन वकीलों की ओर देखिए, ये मामूली लोग सम्मेलन करते हैं और वे विपक्ष को बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए······

सभापति महोदय : वकीलों के रूप में आपको मित्र होना चाहिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं केवल यही कहूंगा । हो सकता है उन्होंने बड़ा नाम कमा लिया हो । मैंने भी थोड़ा सा नाम पैदा किया है । परन्तु मेरे मित्र को यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि यह लोकतत्र है, जो लोग आज जाने नहीं जाते, कल वे लोग जाने पहचाने होंगे जो लोग आज काम करते हैं, वे कल के नेता होंगे ।

इन वकीलों को विपक्ष की भूमिका के इस प्रश्न के बारे में क्यों चर्चा नहीं करनी चाहिए। वह पूछ रहे थे, "क्या वे हमें पढ़ाने जा रहे हैं ?" हां, आपको पढ़ाए जाने की आवश्यकता है । इस समय निकृष्ट किस्म के राजनीतिक योगलेपन में लगे हुए हैं । एक ओर आप भारत के किसानों से कह रहे हैं, "देखो, सरकार के पास खाद्यान्न मत ले जाओ, सरकार को खाद्यान्न मत दो, ऊंची कीमतों की मांग करो ।" आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारा दल किसानों के प्रति अत्याधिक सहृदय रहा है, किसानों के लिए अत्याधिक कार्य किया, उससे कहीं ज्यादा जो लोकदल और जनता सरकार ने किया और जिनको आपने समर्थन दिया था । एक ओर आप उनसे कहते हैं, "देखो, सरकार के पास खाद्यान्न न ले जाओ" और दूसरी ओर आप शहर के लोगों से कहते हैं—इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों द्वारा इश्तहार लगाए गए हैं—"देखो, यह सरकार आपको खाद्यान्न मुहैया नहीं कर रही हैं । वे कीमते बढ़ाएंगे" आप किसानों से ऊंचे मूल्य मांगने के लिए कहते हैं और उसके साथ ही उपभोक्ताओं से आंदोलन करने के लिए कहते हैं । आप एक बात किसानों से कहते हैं और उपभोक्ताओं को दूसरी बात कहते हैं । 1971 में जब आप पराजित हो गए थे तो आपने ऐसा किया था और इस समय भी आप वैसा भी कर रहे हैं । आप वसूली के सारे ढांचे को, वितरण प्रणाली के सारे ढांचे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । आप कहते हैं कि यह सरकार काम नहीं कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? भारत की जनता आपको पढ़ाना आवश्यक समझती है । उसने आपको एक सबक सिखाया । वह अब भी आपका मार्ग दर्शन करने की आवश्यकता समझती है । यहां हम क्या देखते हैं ? हम आज ऐसा बिपक्ष देख रहे हैं जो पूरी तरह निराश है और जो पराजित होने के बाद भी अपनी पराजय स्वीवार नहीं करना चाहता और सरकार के लिए अधिक से अधिक कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। (व्यवधान) अब मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है । यह है, जहां वकीलों सहित भारत की जनता को आपको यह सिखाने का अधिकार है कि विपक्ष को किस तरह व्यवहार करना चाहिए । अपनी अधिकार-सीमा के अंतर्गत उन्होंने ऐसा किया था और प्रधान मंत्री को वहां जाने और इन वकीलों को संबोधित करने का अधिकार था। क्या हमें यह विचार नहीं करना है कि इस देश में क्या होने वाला है, कहां पर कठिनाइयां हैं, क्या कठिनाइयां हैं और हमें क्या करना है ? क्या हमें घिसी-पिटी लीक पर चलना है ? सरकार से मेरा विनम्र निवेदन यह है : आपको इस देश में हालात सुधारने के लिए जनादेश मिला हैं, बहादुरी से कार्य कीजिए, हिचकिचाइए मत, साहस के साथ कार्य कीजिए, समय से कार्य कीजिए, अन्यथा समय आपके हाथ से निकल जाएगा और पछताएंगे।

लोग किसी तरह का बहाना नहीं सुनेंगे, वे आप से किसी तरह का बहाना नहीं सुनेंगे —"अच्छा, हमने वह नहीं किया क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते थे अथवा ये लोग यह नहीं चाहते थे।"

इसलिए न्यायिक ढांचे के सम्बन्ध में मेरा यह भी कहना है कि सरकार को मूल रूप से विचार करना चाहिए और वह क्रांतिकारी उपायों को सामने लाएं। इस बात पर मैं उनसे सहमत हूं। वह कहते हैं कि एक खण्ड सामने लाई है और इसी के साथ वह कहते हैं कि यह एक अच्छी बात है। जो चीज अच्छी है उसे खण्ड रूप में भी सामने लाने में क्या बुराई है? यह मेरा कहना है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह न्यायिक सुधार आयोग नियुक्त करे—एक आम तरह का नहीं जो वर्षों तक वक्तव्य के बाद वक्तव्य दर्ज करता चला जाता है और आखिरकार एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जो वर्षों तक बंद पड़ा रहता है।

एक ऐसा न्यायिक सुधार आयोग नियुक्त कीजिए जिसमें यथास्थिति बनाए रखने वाली मनोवृत्ति के लोग शामिल नहीं किए जाने चाहिए। मूल बातें सामने लाने के लिए इस न्यायिक सुधार आयोग के लिए एक थोड़ा समय नियत किया जाना चाहिए। इसमें सिद्धांतों से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। मूलभूत अधिकार बने रहेंगे। विवाद वहां अब भी है। सारा देश यह बात जानता है।

इसलिए मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सहयोग करने के बजाय वह कहते हैं कि सरकार अस्तित्वविहीन है। मैं कहता हूं कि आप उसका कोई विकल्प नहीं हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि सरकार असफल रही है। आप क्यों नहीं इसका उत्तर दे रहे हैं? मेरे मित्र जानते हैं कि जब आप सरकार में थे तो आप में कमी रही। हम सरकार में इसलिए हैं कि उस समय आप में कमी रही। उसी के कारण हम यहां पर हैं। अब आप कहते हैं कि हम बेकार हैं। मैं कहता हूं कि आप बेकार सिद्ध हुए। क्या आप बाहर के किसी व्यक्ति को चाहते हैं? श्री चटर्जी महोदय किसी व्यक्ति का आयात करना चाहेंगे, उनके पास कुछ विचार आयातित हो सकते हैं। उनके मस्तिष्क में कुछ व्यति ऐसे हो सकते हैं। परन्तु भारत की जनता इसे अच्छी तरह समझती है। यहां भयंकर कठिनाइयां हैं जिनका लोग सामना कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जनता सरकार के तीन वर्ष के कुशासन के कारण कठिनाइयां पैदा हुई, और विकास रुक गया। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हम लम्बे समय तक यह बहाना नहीं दे सकते। इसलिए, हमें इन बातों को ठीक करने का निर्णय मिला। इस सरकार को इन बातों पर काबू पाना है। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में यह सरकार दृढ़ निश्चय और कार्यकौशल से इन पर काबू पा सकती है। निराशावादी लोगों ने अनेक बार बहुत सी बातें कही हैं। मैं सदन के अन्दर तथा बाहर दोनों जगह कह चुका हूं कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ेगा। यह बात सत्य सिद्ध हो चुकी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री भगत, आप श्री चटर्जी को धन्यवाद देना भूल गये। सब कुछ कह दिया गया है और कर दिया गया है। उन्होंने आप को अपना समर्थन तथा अपने दल के समर्थन का भी आश्वासन दिया है। परन्तु आप उन्हें धन्यवाद देना भूल गये।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : श्री माया तेवर।

श्री के० माया तेवर (डिन्डिगल) : सभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरे विद्वान मित्र, श्री चटर्जी ने बताया है कि यह अपूर्ण विधेयक है। मैं कहता हूं कि हम कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं चाहे यह विधेयक अपूर्ण ही हो। कुछ न होने से तो कुछ होना भला। इसलिए आपको इससे संतुष्ट होना चाहिये।

हमें सरकार से तथा विधि मंत्री से अधिक आशा थी। इस विधेयक में विधि मंत्री अकेले मकान किराये भत्ते पर ही आय कर के आकलन से छूट देकर कुछ अधिक सुविधायें देने में काफी उदार थे। 'अकेले' शब्द पर ध्यान दीजिये। मुझे माननीय मंत्री महोदय से बड़ी आशा थी क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संपर्क स्थापित किया था और इसलिए उन्हें न्यायाधीशों की कठिनाइयों के बारे में पूरी तरह से पता है। यह हमारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार है। उन्हें मालूम है कि उनके दिमाग में बात है।

हालांकि मैं मकान किराया भत्ते के लिए छूट देने के लिए इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु उन्हें उनकी कार के लिए भी छूट देनी चाहिए थी। आप उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 300 रु० महावार कार भत्ता दे रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी कार्यों के लिए कारों का प्रयोग करने लिए उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 300 रु० पर्याप्त हैं? मुझे इस मामले में वर्तमान स्थिति का कड़वा अनुभव हो रहा है। पैंट्रोल व डीजल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। मैं यहां पैंट्रोल के बढ़ रहे मूल्यों से चिंतित हूं। हमें इस पर अधिक खर्च करने की आशा है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में 250 रु० प्रति एम्बेसडर कार 25 लीटर पैंट्रोल के 250 रु० प्रतिदिन खर्च करता हूं। पैंट्रोल की लागत एक या दो दिन के लिए पर्याप्त है। जो भत्ता आप दे रहे हैं वह उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार के लिए एक अथवा दो दिन के लिए पर्याप्त है। मैं विधि मंत्री महोदय से न्यायाधीशों के लिये 750 रु० प्रति माह भत्ते को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय जो यहां पर हैं, इससे सहमत होने के लिये काफी उदार हैं क्योंकि उन्होंने न्यायिक रूप से अपना मस्तिष्क लगाया है। मुझे आशा है कि वे हमारी यहां बात सुनकर और विधि मंत्री के परामर्श से वे सहमत हो जाएंगे। इसी कारण वे यहां पर मौजूद हैं।

इसलिए, कार भत्ता 300 रु० से बढ़ाकर 750/ रु० कर देना चाहिए। वेतन के संबंध में जैसा कि कई माननीय मित्रों ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन 4000 रु० से घटकर 3500 रु० कर दिया गया था ऐसा महसूस होता है। मेरी बात संशोधन के अध्याधीन है। मुझे बताया गया है कि वे 1950 से पहले 4000 रु० ले रहे थे तथा भारत के संविधान के लागू होने के बाद वह वेतन घटाकर 3,500 रु० कर दिया था। इस सदन में किसी के द्वारा न तो वांछनीय माना गया है और न इसका स्वागत किया गया है। वर्तमान

रहन-सहन के स्तर की लागत पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले वेतन की वर्तमान मात्रा पर्याप्त नहीं है। मैं अधिक व्यापक विधेयक को लाने के लिए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा जिसमें सारे प्रश्न शामिल हों और जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को पर्याप्त रूप से सन्तुष्ट कर सकता हो।

श्रीमान्, जैसा कि मुझे बताया गया है कि पिछले 120 वर्षों से इन न्यायाधीशों के वेतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि 1954, 1958 तथा 1976 में संशोधन किए गए थे फिर भी इन संशोधनों द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जब हम स्वतंत्र न्यायपालिका और इसे राजनीति, सन्देह तथा भ्रष्टाचार से ऊपर चाहते हैं तो हमें उन्हें सभी मूलभूत सुविधायें सन्तोषजनक रूप से उपलब्ध करनी चाहिए। इसलिए मैं विधि मंत्री महोदय तथा वित्त मंत्री महोदय दोनों से अनुरोध करूंगा कि अपना न्यायिक मस्तिष्क उनका वेतन अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए लगायें और अनुकूल रूप से विचार के लिए बैठे हुए हैं।

श्रीमान्, आज प्रसिद्ध वकील उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वेतन पर्याप्त नहीं है। प्रसिद्ध वकील को इन पदों के लिये आकर्षित करने के लिए वेतन बढ़ाना चाहिए।

श्रीमान्, मद्रास उच्च न्यायालय में 25 न्यायाधीशों के पदों में से चार पद रिक्त पड़े हुए है। मैं विधि मंत्री महोदय से इन रिक्तियों का यथासंभव शीघ्र भरने के लिए अनुरोध करूंगा।

श्री पी० शिव शंकर: अभी तक मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें भरना आवश्यक नहीं है।

श्री के० माया तेवर : मैं चाहता हूं कि मद्रास उच्च न्यायालय में इन रिक्तियों को भरा जाए।

सभापति महोदय : क्या आप मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के विरुद्ध जाना चाहते हो ?

श्री के० माया तेवर : श्रीमान, मैं किसी के परामर्श के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मैं उसी हद के भीतर रहूंगा; मैं इस देश के बुद्धिमान लोगों के परामर्श को मानूंगा। विलम्ब न्याय को त्रुटिपूर्ण कर देता है क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहते हैं। मैं स्वयं वकील हूं। विधि मंत्री महोदय भी स्थिति से अवगत हैं। उन्हें इस व्यवसाय में बहुत अनुभव है। हजारों, हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं। विशेष रूप से सिविल मामले, याचिकायें तथा संशोधित मामले अनिर्णीत हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अपीली पक्ष में वे मामले 40,000, 50,000 आदि हैं न केवल मद्रास उच्च न्यायालय में यह बात है देश के अन्य राज्यों के बहुत से दूसरे उच्च न्यायालयों में भी यह बात है। इसलिये अधिक न्यायाधीशों को रखने की आवश्यकता है ताकि इन मामलों में तुरन्त निर्णय दिया जाए और यथासम्भव शीघ्रतम समय पर मुकदमेबाजों को न्याय दिया जा सके। न्याय में विलम्ब हो जाना न्याय को न करना है और मुकदमेबाजों का यथा-सम्भव शीघ्रतम समय पर न्याय दिया जाना चाहिए। इसलिये मैं अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता हूं।

उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है और लोगों को सभी ओर से दूर के स्थानों से दिल्ली में आना पड़ता है और उच्चतम न्यायालय में सदैव भीड़ जमा रहती है। मैं चाहता हूं कि आप उच्चतम न्यायालय की एक शाखा या पीठ मद्रास में दक्षिणी राज्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिये खोलें। आम आदमी को केवल दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ना चाहिए। इसलिये माननीय मंत्री महोदय को मद्रास या दक्षिणी क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर देश के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उच्चतम न्यायालय की एक पीठ या खण्ड खोलने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। हमें दक्षिण के लोगों की सुविधा के लिये दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक ऐसी न्यायपीठ रखनी चाहिए। यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है और मुझे विश्वास है कि वे मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे।

जहाँ तक मेरे अपने जिले का संबंध है मैं यह कहूंगा, हमारे विभिन्न राज्यों के केवल बड़े शहरों और नगरों में उच्च न्यायालय हैं। तमिलनाडु में लोगों की सर्वसम्मत मांग मदुरई में न्यायालय की डिविजन की स्थापना करने की है। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय, लोगों की इस मांग से अच्छी तरह से अवगत हैं। आप हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय से मार्ग दर्शन ले सकते हैं। लोगों की यह मांग नहीं मानी गई है और यह मांग लम्बे समय से लम्बित पड़ी है। इस मामले पर गौर करने के लिए मेरा उनसे अनुरोध है।

मद्रास में 25 न्यायाधीशों में से 24 न्यायाधीशों के पास सरकारी आवास नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि वे अपने मकानों में रहते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से न्यायाधीशों से, जिनसे मैं कल और परसों मिला, मुझे बताया कि वे किराये के मकानों में रह रहे है। वे सामान्य किसान परिवारों तथा मध्यम श्रेणी परिवारों से हैं। ये मंत्री लोग हैं जो इन मकानों में रह रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री इन सभी सरकारी आवासीय मकानों पर कब्जा जमा लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि राज्य के मंत्री अच्छे लोग है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अपेक्षा ईमानदार लोग हैं? मैं उच्च न्यायालय के सभी 25 न्यायाधीशों को उनके परिवारों तथा उनके बच्चों के भविष्य की सहायता करने के लिए सरकारी रिहायशी आवास देने का उनसे अनुरोध करता हूं।

मैं किसी समुदाय या किसी धर्म या किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध नहीं हूं। मैं अपने दिल में जो महसूस करता हूं और जो तमिलनाडु के लोगों की कामना है वह यह है कि मद्रास के न्यायाधीशों के पदों की रिक्तयां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति से भरी जाए। मद्रास में डी० एम० के० तथा कांग्रेस (आई) के शासन के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से भी की गई थी। परन्तु पिछले 3½ वर्ष या ऐसे ही समय से हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों से कोई नियुक्ति की जाने का मालूम नहीं हुआ है। मेरी विधि मंत्री महोदय तथा वित्त मंत्री महोदय से भी मेरे निवेदन पर विचार करने की विनम्रतापूर्वक अपील और दलील है। इस समय मद्रास उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की कुछ रिक्तियां है। कृपया 3 या 4 न्यायाधीशों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियों से और एक या दो पिछड़े वर्गों से नियुक्ति पर विचार किया जाए। इस संबंध में मैं निवेदन कर सकता हूँ जो लोग पिछड़े हैं उन्हें सदा पिछड़े नहीं रहने दिया जाए। अन्यथा यह आने वाले दिनों में बड़ी खराब स्थिति पैदा कर देगी। आपको भी उन्हें प्रोत्साहन देकर तथा उनके पद्दलित दशा में सुधार करके उन्हें सुरक्षण देना है। हमारी माननीय प्रधान मंत्री महोदया ने हाल में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठीक रूप से यह कहा था कि जीवन का नियम के लिए कानून के नियम बन्द किया जाना चाहिए।

श्रीमान, इस सारे समय में मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए तथा उनके लाभ व कल्याण के लिए बात कर रहा था।

अब मैं आम लोगों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अपील करता हू कि जहां संविधान के भाग 3 और 4 के मामलों में विवाद हो उनके कानूनी पक्ष को अधिक महत्त्व न दें। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में है और भाग 4 निदेशक सिद्धान्तों के बारे में है। जब भी संविधान के इन दो अध्यायों में विवाद हो तब सभी न्यायाधीशों को जन-कल्लाण को महत्व देते हुए भाग 4 को भाग 3 पर वरीयता देनी चाहिए क्योंकि निर्धन लोगों के, जो कि बहुमत में हैं, कल्याण को ही हम सबको चिन्ता होनी चाहिए।

श्रीमान, हम समाजवाद के प्रति वचनबद्ध हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने मत व्यक्त किया है कि सरकार न्यायपालिका के वचनबद्ध होने के पक्ष में है। मेरा वर्तमान सरकार पर कोई आरोप नहीं है। हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के अलावा कोई भी गरीबों की रक्षा नहीं कर सकता (व्यवधान)। इसी कारण आपको 1980 के निर्वाचन में हटा दिया गया था। आप 2½ वर्ष से अधिक समय तक नहीं चल सके। आपकी पार्टी में मतभेद थे तथा आपकी पार्टी अपने आप टूट गई। अब भी आप इतने विभाजित हैं कि भविष्य के चुनावों में आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आप में एकता नहीं है। आप अपना गला स्वयं काटते हैं। आपकी पार्टी के पतन का बहुत गहरा प्रभाव है। इसलिए कृपया समाजवाद, लोक तंत्रीय समाजवाद और राष्ट्रीय लोक-तंत्र की चर्चा न करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : श्रीमान, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य पहले के दो अधिनियमों अर्थात् 1954 तथा 1958 के अधिनियमों का स्थान लेना है। एक संशोधन विधेयक द्वारा दो अधिनियमों को संशोधित करने का लक्ष्य है। इस विधेयक में तीन बातों का प्रस्ताव किया गया है। प्रथम, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्याया-लयों के न्यायाधीशों को अवकाश के दिनों में पूरा वेतन (मासिक वेतन की दर के बराबर) दिया जाये, पहले 120 दिनों की छुट्टी के दौरान पूरे भत्ते दिये जायें, यदि ऐसी छुट्टी चिकित्सा के लिए ली गई हो; दूसरे, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के किराया मुक्त आवासों को आय कर से मुक्त किया जाये; और तीसरे, जो व्यक्ति, न्यायाधीश पद की नियुक्ति से पूर्व पेंशन वाले सिविल अथवा सैनिक पदों पर थे उनमें भेद-भाव न बरता जाये। अब इस संशोधन में तीन बातें निहित हैं। परन्तु श्रीमान, इस विधेयक पर बोलने वाले पहले वक्ता विषय से बहुत दूर हट गये थे और मुझे वास्तव में एक मार्क्सवादी सदस्य को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्याया-

लयों के न्यायाधीशों के लिए उच्च वेतनों तथा अधिक सुविधाओं के लिए मांग करते देखकर आश्चर्य हुआ। क्या माननीय सदस्य की यही मान्यता है। आश्चर्य है......(व्यवधान)। इस वाद-विवाद में यह पहलू आश्चर्यजनक था, परन्तु मैं इसको आगे नहीं ले जाऊंगा।

जैसा कि मैंने बताया, इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं। और हमारे देश में दो तरह के लोगों को अधिक लाभ पहुंचता है। एक है, संगठित अर्ध सैनिक श्रमिक संगठन और दूसरे धनी एवं समृद्ध लोगों को लाभ पहुंचता है। कितने लोग सच्चे दिल से उन निर्धनों के बारे में सोचते हैं जो निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं ? हममें से कितने लोग कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं ? इसीलिए न्यायपालिका में गतिशीलता होनी चाहिए, उसे समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। अध्याय 3 के खण्ड 3 के परन्तुक कहा गया है :

"परन्तु जब किसी न्यायाधीश को रोगी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी दी जाती है तब पहले 120 दिन पूरे भत्ते मिलते हैं उन्हें मासिक वेतन दर पर दिया जाये।"

इस समस्थिति क्या है, यदि न्यायाधीश निरन्तर बीमार रहता है तो 1954 के अधिनियम के अनुसार, जैसा कि विधेयक के अनुबंधों में निहित है :

"किसी न्यायाधीश को छुट्टी के दौरान पहले 45 दिन उसके वेतन के बराबर छुट्टी का वेतन दिया जायेगा और उसके बाद 2220/- रुपये की दर से दिया जायेगा।"

क्या उन्हें अब लाभ मिल सकेगा।......

उपाध्यक्ष महोदय : आप असम बजट की पुरःस्थना के बाद जारी रखें।

असम बजट, 1980-81

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिवाई सिंह सिसोदिया) : मैं असम राज्य के वर्ष 1980-81 के अनुमानित आय-व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं :—

महोदय,

मैं, आसाम राज्य का वित्तीय वर्ष 1980-81 का नियमित बजट सभा-पटल पर रखता हूं।

2. चालू वर्ष के लिए आसाम राज्य का अंतरिम बजट संसद के समक्ष 14 मार्च, 1980 को प्रस्तुत किया गया था और उसी के आधार पर, सभा ने वर्ष के पहले चार महीनों के लिए (अप्रैल से जुलाई 1980 तक के लिए) व्यय की मंजूरी दी थी। बाद में, जून 1980 में चार महीने की और आगे की अवधि के लिए (अगस्त से नवम्बर 1980 तक के लिए) दूसरा लेखानुदान प्राप्त कर लिया गया था। यद्यपि राज्य में राष्ट्रपति के शासन की अवधि लगभग 3 सप्ताह बाद समाप्त हो रही है फिर भी चालू वर्ष का नियमित बजट संसद में इस कारण पेश किया जा रहा है जिससे कि राज्य सरकार के पास नवम्बर, 1980 के बाद भी धनराशियां मौजूद रहें।

3. अनुमान है कि राजस्व प्राप्तियां 298.73 करोड़ रुपए की होंगी जबकि इसकी तुलना में अंतरिम बजट में इनकी राशि 303.73 करोड़ रुपए की थी। इस समय जो अनुमान प्रस्तुत

किए जा रहे हैं उनसे राज्य के कर सम्बन्धी राजस्व में 27.87 करोड़ रुपए की और कर-भि राजस्व में 17.19 करोड़ रुपए की कमी का पता चलता है किन्तु ये कमियां केन्द्र से अपेक्षा अधिक अनुदान तथा अंशदान दिए जाने के कारण बड़ी हद तक प्रति-संतुलित हो गई हैं । राज खाते का व्यय, जो अंतरिम बजट में 313.55 करोड़ रुपए का था, बढ़कर 368.95 करोड़ र हो गया है । यह वृद्धि आयोजना परिव्यय में वृद्धि होने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने कार्य पर ज्यादा व्यय के कारण हुई है ।

4. राज्य की आयोजना के लिए व्यवस्था को, जो अंतरिम बजट में 160 करोड़ रुपए थी, बढ़ाकर 198 करोड़ रुपए कर दिया गया है; और केन्द्रीय सहायता की राशि को 115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 135.20 करोड़ रुपए कर दिया गया है । विदेशियों की समस्या को ले चल रहे आंदोलन के संदर्भ में राज्य सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, भ सरकार इस वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपए का विशेष ऋण भी देगी ।

5. केन्द्र से अधिक अन्तरणों के बावजूद चालू वर्ष के कुछ घाटे में भी वृद्धि होगी अ अंतरिम बजट में जो घाटा 17.89 करोड़ रुपए दिखाया गया था वह बढ़कर 34,64 क रुपया हो जायेगा । किन्तु आशा है कि आसाम की स्थिति में सुधार होते ही राज्य सरकार के स्तर को कम करने के लिए अपने राजस्व संग्रह को भी बढ़ाने में समर्थ हो जाएगी ।

आयोजना परिव्यय

6. राज्य की चालू वर्ष की आयोजना में विद्युत (पावर) के लिए 74.80 करोड़ र कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिए 37.97 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 21.32 करोड़ र स्वास्थ्य तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए 21.62 करोड़ रुपए, परिवहन तथा र के लिए 17.79 करोड़ रुपए और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 13.36 करोड़ रुपए शा किए गए हैं । राज्य की आयोजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 12.04 करोड़ रुपए रकम भी शामिल की गई है । शिक्षित युवकों की बढ़ती हुई बेकारी को रोकने और राहत के उद्देश्य से, शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रारम्भ किए गए विशेष कार्यक्रम के निमित्त 1 क रुपए की व्यवस्था भी की गई है ।

7. राज्य की आयोजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए की गई 12.04 करोड़ रुपए व्यवस्था के अतिरिक्त, 8.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था विशेष पहाड़ी आयोजना के लिए, मुख्य से कृषि सड़क निर्माण तथा सामाजिक और समुदायिक सेवाओं के लिए की गई है । 3.19 क रुपए की एक और राशि की व्यवस्था जनजाति उप-आयोजना के लिए की गई है । अनुमान अनुसूचित जातियों के लिए भी 1.55 करोड़ रुपए की पूरक व्यवस्था सम्मिलित है । केन्द्रीय केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपए की व्य की गई है; इसमें ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण के लिए 16.16 करोड़ रुपए, ग्रामीण जलपूर्ति के 5.18 करोड़ रुपए, उत्तर-पूर्वी परिषद की परियोजनाओं के लिए 3.36 करोड़ रुपए, लोक स्वा तथा परिवार कल्याण के लिए 5.72 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए करोड़ रुपए और छोटे तथा सीमान्तिक किसानों एवं कृषि मजदूरों की योजनाओं के लिए करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

8. विद्युत परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई है; चालू वर्ष की आयोजना में 74.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष के दौरान 3-3 मेगावाट क्षमता वाले 3 चल गैस टर्बाइनों, लकवा तापीय बिजली घर के 15-15 मेगावाट की क्षमता वाले 3 सेटों और कोयले पर आधारित बोंगाई गांव तापीय बिजली घर के 60 मेगावाट क्षमता के एक कारखाने को चालू किया जाएगा, जिससे 151 मेगावाट की विद्यमान संस्थापित क्षमता में 114 मेगावाट की वृद्धि हो जाएगी। लोअर बरापानी हाइडल परियोजना पर तथा चन्द्रपुर तापीय बिजलीघर के विस्तार का कार्य आरम्भ हो चुका है किन्तु आंदोलन के कारण, नामरूप कारखाने को चालू करने में देरी हो गई है। आशा है कि वर्ष के दौरान लगभग 1400 गावों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली मुहैया कर दी जाएगी।

9. इस वर्ष के आरम्भ में नियुक्त किए गए केन्द्रीय कार्य-दल की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने चालू वर्ष की खरीफ के मौसम से खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू कर दिए हैं। 1979-80 में अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुआई 6 लाख हेक्टेयर भूमि में की गई थी; चालू वर्ष के दौरान इन किस्मों की बुआई लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाएगी। अधिक उपज देने वाले बीजों की सप्लाई में भी पिछले वर्ष के मुकाबले में तिगुनी वृद्धि की गई है। इसी प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में उर्वरकों की सप्लाई में भी दुगुनी वृद्धि हुई है। रबी के मौसम के लिए एक विस्तृत रबी कार्यक्रम भी शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता से रबी की फसलों के बीज और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करके वितरित किए गए हैं। आशा है कि वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 26.20 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जो कि अब तक का सर्वोच्च उत्पादन होगा।

10. शिक्षित बेरोजगारों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के लिए चालू वर्ष की आयोजना में एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बेरोजगारी को कम करने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं उनमें रोजगार के लिए युवकों को लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों मिस्तरियों, फार्म प्रबन्धकों, टेलीफोन आपरेटरों, स्टेनोग्राफरों के रूप में प्रशिक्षण देना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए मशीनों का आधुनिकीकरण शामिल है।

11. आसाम के पहाड़ी इलाकों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को कारगर ढंग में हल करने के उद्देश्य से 1967-68 से राज्य में एक समन्वित विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है। दो स्वायत्त-शासी जिलों की जिला परिषदों को आयोजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। पहाड़ी इलाकों के लिए एक अलग योजना बोर्ड नीति विषयक ढांचा तैयार करता है और आयोजना सम्बन्धी गतिविधियों की समीक्षा करता है। चालू वर्ष की आयोजना में भूमि संरक्षण, झूम नियंत्रण और काफी, रबड़ आदि जैसी बागानी फसलों के विकास पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, परिवहन और संचार के विकास के लिए काफी रकम की व्यवस्था की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जलपूर्ति जैसी सामाजिक सेवा सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

12. गेहूं, दालों, नमक, चीनी, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकताओं के लिए आसाम को प्रायः बाहरी पूर्ति (सप्लाई) पर निर्भर रहना पड़ता है।

परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों और आन्दोलन के बावजूद राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति बनाए रख सकी है। राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इस्पात, सीमेंट आदि जैसी प्रमुख इमारती सामग्री की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अनेक रुकावटों और राज्य में व्याप्त आन्दोलनात्मक वातावरण के बावजूद, राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें देश के अन्य भागों की कीमतों के लगभग बराबर ही रहीं। वर्ष के कम कामकाज के महीनों में, जब कीमतों की प्रवृत्ति बढ़ने की होती है, खाद्यान्नों विशेषकर चावल और गेहूं की बाजार कीमतों को स्थिर बनाए रखा गया।

13. आसाम में हर साल बाढ़ आती है। इस वर्ष राज्य में दो बार बाढ़ आई, पहली बार जुलाई में और फिर अगस्त में। इससे जान और माल की व्यापक हानि हुई। इसके अलावा इन बाढ़ों से सड़कों, पुलों और इमारतों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। भारत सरकार ने राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 12.72 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमोदन किया है।

14. भारत सरकार ने चालू वर्ष में इस क्षेत्र में काफी अधिक पूंजी लगाई है। न्यू बोंगाईगांव से गोहाटी तक रेल की बड़ी लाइन के निर्माण का काम तेज कर दिया गया है। वर्तमान आन्दोलन के कारण काम के अवसर ठप्प हो जाने के बावजूद बोंगाईगांव में तेल शोधक कारखाने और पेट्रोरसायन कंप्लेक्स के निर्माण की प्रगति बराबर जारी है। यह कंप्लेक्स देश के सबसे बड़े कंप्लेक्सों में से एक है। इस पर कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें हर साल 30,000 टन पोलिएस्टर रेशे का उत्पादन होगा। हाल में भारत सरकार ने एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति नियुक्त की है जो इस कंपलेक्स में अन्य अनुप्रवाही उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाएगी। पैंसठ करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दूसरे ब्रह्मपुत्र पुल के निर्माण का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और इसके 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है। आसाम में दूर संचार सुविधाओं की वृद्धि का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम में गोहाटी में अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था करना, एस. टी. डी. सुविधाओं में वृद्धि करना, माईक्रोवेव प्रणाली का बड़े पैमाने पर विस्तार करना और अतिरिक्त अति उच्च आवृत्ति वाले रेडियो सम्पर्कों की व्यवस्था करना शामिल है।

15. जैसाकि सम्मानित सदस्य जानते हैं, सरकार आसाम में विदेशियों की समस्या को हल करने के लिए बड़ी ईमानदारी के साथ प्रयत्न कर रही है। आन्दोलनकारियों के साथ बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। उनकी कई मांगों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया हैं और सरकार ने कई उपाय शुरू भी कर दिए हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि सदन में 17 नवम्बर, 1980 को आसाम की स्थिति के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है और गृह मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और आन्दोलनकारियों के साथ हुई बातचीत के परिणामों के बारे में भी सब बता दिया है।

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक (जारी)

श्री जेवियर अराकल : इसलिये इस तिथि को होने वाले लाभों का विवरण दिया जाये ।

श्रीमान, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां तक निम्न स्तर न्यायिक वर्ग का संबंध हैं, हमने उनके साथ न्याय नहीं किया है । उदाहरणार्थ इसमें कोई भी मेजिस्ट्रेटों के रहन सहन की दशा को देख सकता है । आप जान सकते हैं वह किन हालात में जी रहे हैं तथा कार्य कर रहे हैं ? यह आप स्वयं देख सकते हैं । यह हमारे देश की न्यायपालिका के लिए लज्जा-जनक है ।

श्रीमान, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं हम सदा शिखर की ओर देखते हैं । अग्रता ऊंचे व्यक्तियों को दी जाती है नीचे वालों को नहीं । यदि गरीबों को न्याय देना है तो यह निम्न स्तर से प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

श्रीमान, जहां तक न्यायपालिका का संबंध है उसका अखिल भारतीय स्वरूप होना चाहिए । इस प्रणाली को समान प्रणाली के रूप में समेकित किया जाना चाहिए । मैं न्यायालय फीस और अधिवक्ता भविष्य निधि का उल्लेख करना चाहता हूं । तब ही अपने देश में उचित न्याय दिया जा सकता है । मुझे उम्मीद है कि वर्तमान सत्र में इस बारे में समान एक समान न्यायालय फीस अपनाने के लिए विधेयक रखा जायेगा । वर्तमान प्रणाली गरीबों के हित में नहीं है । यदि आप किसी भी राज्य पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि केवल धनी लोग ही न्यायालय जा सकते हैं । न्यायव्यवस्था गरीवों की पहुंच से बाहर है । इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जाने चाहिएं ।

श्रीमान, मैं एक और बात कहना चाहता हूं । मैं धारा 22-(डी) का उल्लेख करना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि आयकर अधिनियम 1961 के अधीन एक न्यायाधीश को कितने रुपए मिलेंगे यदि उसका संशोधन किया जाता है । सभा में विचार के लिए यह संगत प्रश्न है । इसमें भारी परिवर्तन होना चाहिए । अब हम न्यायाधीशों के मकान किराया भत्ते पर चर्चा कर रहे हैं । आय और उसके निर्धारण की क्या स्थिति है । यह बात पहले नहीं बताई गई । मुझे यही कहना है । मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इन बातों पर वक्तव्य देंगे ।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वास्तव में इस विधेयक में दिये जा रहे लाभ बहुत कम हैं । परंतु मैं समझता हूं भेदभाव बरता जा रहा है । यह लाभ केवल न्यायाधीशों को ही क्यों दिये जा रहे हैं ? सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति है ? मेरा सरकार से निवेदन है कि 1975 से यह सभी लाभ सभी कर्मचारियों को दिये जायें । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वयं भेदभाव की बात करते हैं, वे समझते हैं कि उनके साथ इस विधेयक में भेदभाव बरता जा रहा है । इसलिये मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसे स्वीकार नहीं करें । मेरा निवेदन है कि जो सुविधाएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जा रही हैं उन्हें निम्न स्तर के न्यायधीशों, सिविल न्यायाधीशों,

न्यायिक मजेस्ट्रेटों एवं जिला मजेस्ट्रेटों को भी दिया जाये। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें 3500 या 4000 रुपए मिल रहे हैं वह इस थोड़ी-सी राशि से संतुष्ट न होंगे। परंतु यदि 400 रुपए अथवा 500 रुपए प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह लाभ मिलता है तो उसके लिये पर्याप्त रहेंगे। इस बारे में मुझे यही कहना है। आपने इसका उल्लेख क्यों किया है? आप अपने मुख्य मंत्रियों से कहें कि वे इस बारे में कानून बनायें ताकि निम्न स्तर के न्यायाधीशों को लाभ मिल सके।

पैरा 2 में आपने इस बात का उल्लेख किया है कि पेंशन वाले सिविल पदों के अलावा आप इसे सैनिक पदों पर भी लागू करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे न्यायपालिका एवं सेवा-निवृत्त जनरलों पर लागू नहीं करना चाहते और इसीलिए आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जबकि मार्शल तथा एयर मार्शल राज्यपाल बनाये जा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्या आप जनरलों को न्यायपालिका में लेने की सोच रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (यादवपुर) : मिस्टर जस्टिस एयर मार्शल।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने न्याय दिये जाने, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के बारे में अपनी राय दी है। मुख्य शिकायत निर्धन वर्ग के लिए न्याय सुलभ करने के बारे में है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि न्याय कानून अनुसार अथवा शासक दल के निर्वाचन घोषणा-पत्र के अनुसार दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री, सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दें। दुर्भाग्य से, इसी कारण महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान के प्रति वचनबद्ध न होकर शासक दल के निर्वाचन घोषणा-पत्र के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्य से न तो अभी तक प्रधान मंत्री ने और न ही सरकार की ओर से किसी ने मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य पर कोई टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, उक्त मुख्य मंत्री ने आगे कहा है कि संविधान की व्याख्या करना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, जिन्होंने संविधान के नाम पर शपथ ली थी संविधान के प्रति असम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसी कारण आपको न्यायाधीशों के पदों के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया है कि उच्च न्यायालय के 45 न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : 68।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 44 है। प्रतीत होता है कि कुछ नियुक्तियां हुई हैं। उच्चतम न्यायालय के 6 न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के 5 मुख्य न्यायाधीशों के स्थान रिक्त हैं। यह आजादी के बाद का एक अपूर्व कृत्य है। अतः हम कारण नहीं जानते।

हम अपने विधि मंत्री से बार-बार प्रश्न पूछते हैं। लेकिन क्या हुआ है? वे हमलों को मिठास के साथ ग्रहण करते हैं और सभी प्रश्नों का सामना हंसते-हंसते खुशी से करते हैं। अतः उनसे बार-बार में प्रश्न पूछना कठिन सा हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुस्कराहट के साथ हमला हमेशा मीठा होता है।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : श्री शिवशंकर साहिब, आपको सभा के सामने यह स्पष्ट करना है कि इतना विलम्ब क्यों हुआ है? क्या यह सच नहीं कि जनता शासनकाल में सरकार को सभी रिक्त स्थानों के लिए सिफारिशें की गयीं और आपने सब मामलों की छान-बीन के लिए वापिस भेज दिया है। क्या इसका कारण यह है कि आप इन रिक्त स्थानों को भरने की स्थिति मे नहीं हैं? हम समझते हैं कि गरीबों के साथ न्याय किया जाना चाहिये, इस बारे में दो रायें नहीं होनी चाहियें। लेकिन यदि आप अमीर लोगों के लिये कानून बनायें और न्यायाधीश को गरीब के लिए कानून की व्याख्या करने के लिए कहें तो ऐसा उस समय तक कैसे किया जा सकता है, जैसे कि किसी ने यहां कहा भी है, जब तक गरीबी के पक्ष में व्याख्या न हो, चाहे वह गैर-कानूनी ही क्यों न हो। मैं उस विचार का समर्थन नहीं करता और मैं समझता हूं कि विधि मंत्री भी उस विचार का समर्थन नहीं करेंगे।

हम न्यायाधीशों को दिये जाने वाले लाभों पर चर्चा हेतु दो घंटे लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे और लाइनों में खड़े वादियों की दशा पर विचार करने के लिए कोई समय नहीं है। उच्चतम न्यायालय में पिछले तीन वर्षों से 7223 मामले निर्णयाधीन पड़े हैं और उच्च न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से 1,79,450 मामले निर्णयाधीन पड़े हैं। आप इन मामलों को कैसे निपटाने जा रहे हैं। आप उन्हें लाभ पहुंचायें, हम इसे बुरा नहीं मानते। आप जैसे तैसे निर्णय ले लें कि क्या न्यायाधीशों को स्थानान्तरित किया जाये या नहीं। श्री शिवशंकर को उन लोगों की दशा पर विचार करना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन इन 7223 मामलों में अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी हैं। ये मामले 12-13 वर्ष पहले मूल न्यायालयों में शुरू हुये होंगे। हम इन मामलों को गम्भीरता से नहीं लेते। कठिनाई क्या है? हमें विश्वास में लीजिये। क्या आपको अच्छे आदमी नहीं मिल रहे हैं? मेरा सुझाव है कि इस समद में कुछ अच्छे-अच्छे वकील हैं। आप कुछ समय तक इसके लिए उनसे अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन अब तो आप समूची न्यायिक प्रणाली का मजाक ही उड़ा रहे हैं।

मैं नहीं जानता कि क्या आप राष्ट्रपति प्रणाली लाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। श्री भगत वकीलों के सम्मेलन की चर्चा के लिए श्री सोमनाथ चटर्जी की निंदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रधान मंत्री अध्यक्षता करें तो क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं। लेकिन किन्हें आमंत्रित किया गया? मुझे बार में निमंत्रण-पत्र नहीं मिला। कांग्रेस (आई) के केवल दो ही सदस्यों को निमंत्रण पत्र मिले। वे बार के सही प्रतिनिधि हैं? मामले की असलियत यही है। ये राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते हैं जिसमें राष्ट्रपति न्यायपालिका के अध्यक्ष हों और तब सब कुछ किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को पढ़े जाने के बारे में मुझे याद है। इसे

सभी न्यायाधीशों के बीच वितरित किया गया। उसमें कहा गया है कि आप किस किस्म की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार चाहते हैं। आपके मन में क्या है। वह बात अभी चल रही है। माननीय विधि मंत्री कहते हैं कि मैंने अभी इसे नहीं पढ़ा है। मैंने कुछ वैसा ही सुना था। उन्हें शायद इसे न लिखवाया हो या पढ़ा हो .....(व्यवधान)। लोगों के मन में बहुत आशंकायें हैं। हम समाचार पत्रों बहुत से में लेख देखते हैं। लेकिन एकमात्र उत्तर यह है : – हमने कोई निर्णय नहीं लिया है; मामले पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री भगत न्यायिक प्रणाली की चर्चा भी कर रहे थे; सन् 1940 के आस-पास के निरंकुश कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिये। हम वकील लोग 1940 के कानूनों का हवाला देते रहते हैं। ये खुद भी एक अच्छे वकील हैं। लेकिन 1940 के बाद का यदि कोई मामला न हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? मुझे 1940 के मामलों का हवाला देना पड़ता है। यदि आप कानून परिवर्तित करना चाहते हैं तो ऐसा कर लीजिए। लेकिन रिक्त स्थान न भरने के लिए यह कोई कारण नहीं हो सकता।

जहां तक बम्बई उच्च न्यायालय का संबंध है, यह भारत का एक महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय है। वहां निर्णयाधीन मामलों की संख्या और न्यायाधीशों की संख्या बहुत है। हम इस बात को जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश देशमुख को कल रिटायर होना था। वे कल ही रिटायर हुये। लेकिन आज तक भी हमारी सरकार जो "सरकार जो काम करे" के बारे पर सत्ता में आयी, अभी तक नियुक्ति नहीं कर पायी है। क्या बार में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है ?*

कुछ वकील शायद सम्मेलन में गये हों। यदि आप उनमें से लेना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है। आप इन लोगों को लाइये और जैसे-तैसे इन मामलों की सुनवायी करें।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : क्या किसी राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाए जा सकते हैं ? यह नियमों के विरुद्ध है।

एक माननीय सदस्य : यह नियमों के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

श्री बापू साहिब परूलेकर : श्री साठे आप उस समय यहां नहीं थे जब पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा हो रही थी और यही आरोप लगाया गया था और इसका एक पूर्वोदाहरण है। आप यहां होते......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोई पूर्वोदाहरण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : छोड़िये, इसे छोड़िये।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं एक तथ्यपूर्ण वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री वसंत साठे : वह क्या है ? तथ्यपूर्ण वक्तव्य क्या है ?

श्री बापू साहिब पारूलेकर : श्री साठे, आप मेरी बात सुन चुके हैं। आप इतने उतावले क्यों हैं ? मुझे नियमों की जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम जानते हैं। अत: नियमों के अनुसार चलें।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : उन व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए जो इस सभा के सदस्य न हों, नियम ऐसा कहते हैं। कृपा करके ऐसे नाम न लें। आप नियमों के अनुसार चलें। केवल नियम जानना ही पर्याप्त नहीं है।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : जिक्र करने पर नियमों में कोई प्रतिबंध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कार्यवाही वृतांत को देखेंगे। यदि नियम 353 के विरुद्ध कुछ न हो, यदि मैं नियम 353 के विरुद्ध कुछ पाऊंगा तो मुझे खेद सहित इसे कार्यवाही वृतांत से निकालना पड़ेगा।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : वह तो आप हमेशा कर सकते हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा।*

(व्यवधान)

प्रश्न यह है।

श्री वसंत साठे : 'संविधान के लिए वचनबद्ध' चुनाव घोषणा-पत्र के लिये नहीं। आप मुख्य मंत्री की बात को गलत ढंग से कह रहे हैं। 'संविधान के लिए वचनबद्ध', यह शरारतपूर्ण है। तो क्या हम......

श्री बापू साहिब पारूलेकर : एक विपक्ष के सदस्य बोल रहे हैं और तीन मंत्री तथा सदस्य एक साथ हमला कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : नियम 352 में कहा गया है :—

बोलते समय कोई सदस्य—

(5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।

एक माननीय सदस्य : "क्या प्रश्न यह है"......

क्या हम प्रश्न नहीं पूछ सकते ?

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र नहीं करेंगे जो इस सभा का सदस्य न हो......

श्री बापू साहिब पारूलेकर : किस नियम के अधीन ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 352 के अधीन।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : बिल्कुल ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले जिक्र कर चुके हैं। चूंकि आपको नियमों की जानकारी है, इसलिए मुझे इसे कार्यवाही वृतांत से निकालना पड़ेगा।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : मैं इसे प्रश्न के रूप में रखूंगा। इस वक्तव्य के अतिरिक्त, मैं विधि मंत्री का ध्यान भी इस विशेष तथ्य की ओर आकर्षित करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बापू साहिब पारूलेकर : मैं केवल इसी प्रश्न से सम्बन्धित हूं। मैं विधि मंत्री का ध्यान न्यायालयों में निर्णयाधीन मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि इन्हें कैसे निपटाया जायेगा। रिक्त स्थान भरने के प्रश्न को किसी न किसी तरह हल करना ही पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। क्या नीति यह है कि न्यायाधीश संविधान नहीं बल्कि चुनाव घोषणा-पत्र के प्रति वचनबद्ध हो। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विरधी चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सेवा शर्त संशोधन विधेयक 1980 के संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

जो हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली है वह अभी तक भी गरीब आदमी को मदद नहीं पहुंचा सकी है। हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि जब तक हमारी न्याय प्रणाली में गरीब आदमी का हम मदद नहीं पहुंचा पाते हैं, उसे न्याय नहीं दे पाते हैं तब तक हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। जब तक हम इस प्रजातंत्र में गरीब आदमी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तब तक हम प्रजातंत्र को भी सफल नहीं मान सकते।

एमर्जेंसी के समय में बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लीगल एड के बारे में हमने कुछ कदम उठाये थे परन्तु उनका क्रियान्वयन किसी भी प्रान्त में हुआ है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं अपने राजस्थान के बारे में जानता हूं कि वहां अभी तक पुअर परसंस को लीगल एड नहीं मिली है। इसके लिए राज्य सरकार प्रावधान भी नही करती है कि कितना फण्ड इस काम के लिए खर्च होगा जिससे कि पुअर परसंस को लीगल एड मिल सके। एमर्जेंसी के समय में कुछ व्यवस्थाएं की गयी थीं। परन्तु फ्री लीगल एड के लिए जो वकील मुकर्रर किये गये थे, वे सबसे लो स्टेण्डर्ड के, बहुत ही निम्न कोटि के वकील रखे गये थे। अगर हम ऐसी निम्न कोटि के वकील मुकर्रर करें जो कि ठीक तरह से पैरवी न कर सकें तो उनसे गरीब आदमियों को कैसे मदद मिल सकती है।

अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में एरियर्स की बात कही गई। मैं भी कहता हूं कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में तीन-तीन, पांच-पांच और दस-दस साल के एरियर्स पड़े हैं। वहां दस साल पुराने 102 केसिज पेंडिंग हैं और हाई कोर्टों में तो दस-दस साल के 14,971 केसिज पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस तरह से न्यायालयों में जब तीन-तीन, पांच-पांच और दस-दस सालों के केसिज हजारों की संख्या में हों तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली की क्या व्यवस्था है। हमने प्रजातंत्र प्रणाली अपनायी है और इस प्रणाली में जब कोर्टों में इतने केसिज पेंडिंग हों और दस-दस सालों से पेंडिंग हों तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दस साल पुराने केस की आज क्या इम्पार्टेंस हो सकती है। आज उनकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए ऐसे केसिज का कोई भी सही तौर पर जवाब नहीं दे पाता है।

आज हम रिट पेटीशंस के अधिकारों और कांस्टीट्यूशन के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछता हूं कि गरीब आदमी कितने रिट पेटीशंस देते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कौन एडवोकेट उनके लिए लड़ता है। वे उनके लिए लड़ते हैं जिनसे पांच-पांच हजार रुपये मिलते हैं।

श्री पी० शिवशंकर : श्री चटर्जी कहां हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं आपको नाम बताऊं तो आप हैरान हो जायेंगे। मैं उन्हें तभी लताड़ता हूं जब वे आपस में लड़ते हैं। मैं गरीबों को कुछ नहीं कहता। कृपा करके मजदूर संघों से पता करें।

श्री विरधी चन्द्र जैन : इस प्रकार के कुछ एडवोकेट्स हैं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सारे पैसा लेते हैं।*

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : ये मुफ्त में करते हैं।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : सारे पैसा लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री :

(व्यवधान)

श्री विरधी चन्द्र जैन : मेरा उन एम० पीज और एम० एल० एज० से निवेदन है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि बन कर यहां आये हैं। तो वे प्रतिज्ञा करें कि हमको कुछ केसेज गरीबों के फाईल करने हैं।

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाल गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। मेरे भाई श्री रामावतार शास्त्री ने जो कहा है कि मैं लक्ष्मण हू, मुझे उसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकालना है। अपनी आयु को ध्यान में रखते हुये उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री रामावता शास्त्री : इन्होंने कहा कि मैं···*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या इन्होंने ऐसा कहा है। यदि ठीक हो तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकालूंगा मजाक के तौर पर मैं कहता हूं कि इस उम्र में इन्हें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिये था। मैं जानता हूं कि वे इसका अर्थ समझते हैं। अत: इनकी आयु और स्थिति को ध्यान में रखते हुये मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि इसका उल्लेख श्री रामावतार के नाम से नहीं रहना चाहिये।

श्री रामावतार शास्त्री : यह एक कहावत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कर्मयोगी नहीं हैं। मैंने आपकी आयु को ध्यान में रखते हुये इसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाल लिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : * अससंदीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय से भी अधिक है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं भी एडवोकेट रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो एडवोकेट फ्री फाइट करते हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, उनको मैं एप्रेसिएट करता हूं और केन्द्रीय सरकार और विधि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी को 33 साल हो गए हैं और प्रजा-तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए और गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए न्याय को सस्ता करना होगा। अन्याय हमेशा गरीब आदमी पर होता है। उस अन्याय में उसको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मदद नहीं मिलती है, क्योंकि न्याय बहुत महंगा है इसलिए न्याय को सस्ता करने के लिए डेमोक्रेसी का डी-सेंट्रलाइजेशन करके न्यायपालिकाओं को अधिकार दिए जाएं और लीगल एड के लिए व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्तियों और स्थानांतरण के बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे विचारों के जजेज हों। यदि जनता पार्टी यह सोचे कि जजेज हमारें कमिटेड हों तो ऐसा हो नहीं सकता। जजेज कमिटेड होंगे तो न्याय नहीं कर सकते। वे कमिटेड होंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए आप राजस्थान की सरकार को और अन्य सरकारों को निर्देश दें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्तियां करा दें और आप भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से को-आपरेट करके इन नियुक्तियों के बारे में व्यवस्था करें। यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि कोई चाहे कि उसके मन की व्यवस्था हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की एक बात मुझे पसंद नहीं आई और वह है इन्कम टैक्स के बारे में। इन्कम टैक्स के एग्जम्शन को जो क्लाज है जिसमें हाउस रैंट की बात की गई है। इससे अन्य सरकारी कर्मचारी फी हाउस रैंट के बारे में एग्जम्शन मांगेंगे। यह एक परिपाटी बन जाएगी और जो सरकारी अफसर हैं, आई० ए० एस० अफसर हैं वे भी इस प्रकार की सुविधाओं की मांग करने लग जाएंगे। मैं इसको पसन्द नहीं करता हूं। इस वास्ते उनको भी यह सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिये।

दूसरे, जो संशोधन आपने रखे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुंसिफ कोर्ट के जो जज होते हैं या जो सैशन जज होते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। हाई कोर्ट्स के जजों की तनख्वाहें भी आज की मंहगाई को देखते हुए, आज के कंटैक्स्ट में बहुत कम हैं लेकिन उनकी तो बहुत ही कम हैं। आप इंसाफ करना चाहते हैं तो इनकी सैलैरीज को भी आपको बढ़ाना चाहिए और इन लोगों को भी अच्छी सैलैरी आपको देनी चाहिए। मैं राजस्थान की बात करता हूं। वहां मुंसिफ कोर्ट और सैशन कोर्ट में कुरप्शन बढ़ता जा रहा है। ज्युडिशरी में कुरप्शन बढ़े यह ठीक नहीं है। राजस्थान में आर० ए० एस० और आर० जी० एस० के जो अफसर हैं उनको अधिक सुविधायें इन लोगों के मुकाबले में मिलती हैं, जीप आदि की सुविधायें उनको मिलती हैं लेकिन इनको कोई सुविधायें नहीं मिलती हैं। इस-लिए यह भी जरूरी है कि इनकी सैलेरीज और सुविधायें दोनों बढ़ें। एग्जैक्टिव साइड में जीप तथा दूसरी प्रकार की सुविधायें उनको उपलब्ध हैं, उनका लाभ वे उठाते हैं लेकिन यह लाभ इन को नहीं मिलता है। इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।

फ्री लीगल एड के बारे में भी आपको गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए। इस सम्बन्ध में पार्टी-इन-पावर और अपोजीशन पार्टीज की कान्फ्रेंस बुला करके और सब को कान्फिडेंस में ले करके ऐसी नीति निर्धारित की जानी चाहिए जिससे गरीब आदमियों को लाभ पहुंच सके, उनकी मदद हो सके, उनको न्याय मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : इस बिल का सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन दिया है। जजों को जो सुविधायें दी जा रही हैं उनका समर्थन सभी ओर से हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश में न्याय जगत की जो स्थिति है वह बहुत ही चिन्ताजनक है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मुकदमों का अम्बार लगा हुआ है। मैंने इसके बारे में एक सवाल उठाया था जिसका उत्तर मुझे 18 तारीख को दिया गया। उसके मुताबिक देश में 1 लाख 86 हजार 603 मुकदमे तीन साल या इससे ऊपर की अवधि से लम्बित हैं। पांच साल या इससे अधिक समय से जो मुकदमे लम्बित हैं उनकी संख्या 90 हजार 748 है। दस वर्ष से ऊपर से जो मुकदमे लम्बित हैं उनकी तादाद 15 हजार 73 है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में तीन वर्ष से जो मुकदमे लम्बित हैं उनकी संख्या 7223 है और पांच वर्ष या उससे ऊपर के समय से जो मुकदमे लम्बित हैं उनकी संख्या 5675 है और दस वर्ष से ऊपर के समय से जो मुकदमे लम्बित हैं उनकी संख्या 102 है। इतने लम्बे समय से जो लोग इन

मुकदमों में उलझे हुए हैं उनकी क्या अवस्था हो गई होगी इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। आजादी के 32 साल के बाद भी आज हम इस लायक नहीं हुए हैं कि हम दावा कर सकें कि हमने गरीब आदमियों के लिए न्याय उपलब्ध करवा दिया है। एक तरफ न्याय लगातार महंगा होता जा रहा है और दूसरी तरफ इतने लम्बे अर्से से लम्बित मुकदमों की वजह से इन मुकदमों में फंसे लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जो मुकदमें इतने वर्षों से लम्बित हैं, उनमें न्याय की उमीद नहीं की जा सकती है। बहुत सारे मुकदमों के गवाह मर गये होंगे, जो जिन्दा भी हैं, वे क्या गवाही दे सकेंगे ? 10-10 साल से लोग न्याय पाने के लिये दौड़ रहे हैं, उनके मुकदमें खत्म नहीं हो रहे हैं। सचमुच में यह एक आजाद देश के लिए कलंक के टीके के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है।

आज जुडिशियरी की क्या हालत है ? आज यह बात कही जाती है कि जुडिशियरी कमिटेड नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का हिमायती हूं कि जुडिशियरी कमिटेड होनी चाहिए। हमारा जो संविधान है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि हमारा देश समाजवाद को चाहता है, हमारा देश गरीबी और बेरोजगारी दूर करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जो न्यायपालिका के ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता है, अगर वह इससे कमिटेड नहीं होगा तो हमारे पूरे संविधान का इससे मखौल होगा। हम देश के साथ जो न्याय करने की बात सोचते हैं, वह नहीं कर सकते हैं।

इसके साथ ही साथ शासक दल के लोग या किसी दूसरे की समझ यह है कि जुडिशियरी का मतलब, उनके दल के मैनिफैस्टो के साथ कमिटेड होना चाहिये, तो यह सचमुच में हिन्दुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दुर्दिन होगा। चाहे कहीं का भी चीफ मिनिस्टर इस सवाल को उठाता हो, मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस सवाल पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो चर्चा हो रही है वह किसी मामूली आदमी की नहीं हो रही है, एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति की हो रही है। इससे पूरे देश की जनता के बीच में भ्रम फैल सकता है और इसे दूर करने के लिए आवश्यक है कि सरकार के ऊंचे ओहदे हर जो लोग बैठे हैं, उनको इस मामले में पूरी चीज को साफ करना चाहिए।

एक वकील होने की हैसियत से मुझे भी इस बात की जानकारी है कि लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में आज भ्रष्टाचार हो रहा है, और न्याय मिलने में दिक्कत आ रही है। जो करने वाले लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग न्याय नहीं कर पाते हैं। आमतौर पर यह बात है कि अगर आपको किसी मुकदमें में अपने पक्ष में फैसला कराना है तो फलां वकील को रखिये, आपका मामला तय हो जायेगा, फलां बहस करने वाले को रखिये, हाई कोर्ट में तमाम इस तरह की बात होती है। लोअर कोर्ट में जब तक पैसा न दीजिए, मैं नहीं कहता कि सबके सब मजिस्ट्रेट मुन्सिफ या न्याय करने वाले खराब हैं, लेकिन यह विभाग पहले भ्रष्टाचार से अलग माना जाता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर यह सारी चीजें इसमें भी घुस रही हैं।

ऐसी स्थिति में जब हम इस बात का ऐलान करते हैं, लोगों को कहते हैं कि फ्री लीगल एड देंगे, तब आज क्या हालत हो रही है ? इस सिलसिले में सरकार की ओर से कोई कदम नहीं

उठाया जा रहा है। सिवाय घोषणा, ऐलान और चीप नारे देने के अलावा, जो कदम सरकार को उठाने चाहिये, वह नहीं उठाये जा रहे हैं। यही वजह है कि आज न्याय के प्रति और न्याय में जो खुद गड़बड़ी है, उसके विरुद्ध सरकार के प्रतिनिधि एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं, लोगों के दिल में शक हो रहा है और लोगों का जुडिशियरी पर से यकीन उठता जा रहा है। यह स्थिति आज पूरे देश में व्याप्त है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये। आज बहुत सारी बातों की चर्चा की गई, हम लोग यही देखते हैं, जब कभी कोई कानून की बात हो, उसका सीमित फायदा भी जनता को उठाने को नहीं मिलता है। आज उसी तरह के कानून पेश किये जाते हैं जैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में लैंड रिफार्म एक्ट बनाया गया, लेकिन देखा जाता है कि निचले स्तर पर जब उसे लागू करने की बात की जाती है तो वह मामला हाई कोर्ट में ले जाकर पैंडिंग कर दिया जाता है और हाई कोर्ट में जजेज क्योंकि कांस्टीट्यूशन के प्रति कमिटेड नहीं हैं, इसलिये बहुत लम्बे समय तक उसको लम्बित रख दिया जाता है और भूमि-सुधार के मुताबिक जो फैसला होना चाहिये, उसके खिलाफ फैसले होते हैं। इस सिलसिले में सुविधायें देने की जो बात कही गई है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन देश की आम जनता चाहती है कि हमारी जुडिशियरी गरीबों और मजदूरों के पक्ष में, समाजवाद के पक्ष में, कमिटेड होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि उसके लिए कदम उठाये जायें।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैंने विधेयक की विषय सामग्री का अध्ययन किया है और मैं विधेयक के क्षेत्र से भी अवगत हूं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की तरह अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि हमारा दल न्यायपालिका की निन्दा नहीं करना चाहता है। हम न्यायपालिका का आदर करते हैं। वह स्पष्ट हो चुका है और मैं समझता हूं कि हमारे कार्यों से वह सन्देह दूर हो गया है।

न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें एक अच्छा वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि वे प्रलोभन में न आ सकें। उनकी सेवा-शर्तों में अवश्य सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही यदि यह कहा जाता है कि न्यायाधीशों को कम वेतन अथवा अपर्याप्त वेतन या अपर्याप्त आवास दिये जाते हैं तो मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। जैसा कि आपको मालूम है। इस देश की प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गरीब लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, क्या न्यायाधीशों को कम वेतन मिल रहा है या न्यायाधीश अपेक्षित से अधिक वेतन ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री वेंकट सुब्बैया के अनुसार कि उन्हें 'पर्याप्त' मिल रहा है। यह शब्द उनके द्वारा प्रयोग किया गया है।

अब मैं कहता हूं कि यदि हम नीचे के संवर्ग अर्थात अधीनस्थ संवर्ग पर जाते हैं तो मैं श्री अराकल द्वारा व्यक्त विचारों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इस संदर्भ में मैं यह सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को अर्थात अधीनस्थ न्यायाधीशों के संवर्ग के लिए अखिल भारतीय सेवा के पद तथा वेतनमानों के साथ अखिल भारतीय सेवा स्थापित करनी चाहिए ताकि अधीनस्थ न्याया-

लयों में तेजी से मुकदने चलाये जा सकें । अन्यथा इससे गरीब लोगों की कानूनी सेवा पर प्रभाव पड़ेगा ।

सेवा-निवृत न्यायाधीशों की क्या स्थिति है ? संविधान के अनुच्छेद 220 के संशोधन के बाद उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त अनेक न्यायाधीशों तथा अनेक मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में वकालत शुरू कर देते हैं । निष्पक्ष पर्यवेक्षकों ने यह टिप्पणी की है और उदाहरणार्थ, यदि मैं निष्पक्ष पर्यवेक्षक बन जाता हूं, और यदि हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं तो हम उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यालालय में मुकदमें पर बहस करते हुए देखते हैं और बहस के दौरान अपने निर्णयों का हवाला देते हैं या अपने निर्णय पर टीका-टिप्पणी करते हैं या स्वयं के अपने निर्णय पर निर्भर करते हैं या हम कह सकते हैं कि उस निर्णय पर निर्भर करते हैं जिसमें वे पक्षधारी रहे हैं ।

श्री जेवियर अराकल : क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने दी जाये ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उस विषय पर आ रहा हूं । पहले ही न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है । आप उसे ध्यान में रखिये । केवल वही नहीं । न्यायाधीशों की पेंशन में वृद्धि की गई है । उच्च न्यायालय के इन सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत करते देखना वुरा नहीं लगता । जो साथ-साथ अपने स्वयं के निर्णय पर टीका-टिप्पणी करते हैं और अपने निर्णयों पर निर्भर करते हैं । मैं अनुभव करता हूं कि यह परम्परा अवश्य बंद की जानी चाहिए । मैं माननीय विधि मंत्री से इस परम्परा को बन्द करने का अनुरोध करता हूं । अन्यथा मैं अनुभव करता हूं कि न्यायपालिका सही रूप से कार्य नहीं करेगी ।

उसके बाद मैं इस बहस पर आ रहा हूं कि न्यायाधीश अधिक वेतन चाहते हैं, एक प्रश्न उठाया गया है कि न्यायाधीशों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और उनकी परिलब्धियाँ 5000 रुपये की सीमा तक पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि मंत्री महोदय अधिक प्राप्त कर रहे हैं । मैं यह प्रश्न आप से, श्री सोमनाथ चटर्जी से या विपक्ष के किसी अन्य सदस्य से पूछता हूं जिसने यह प्रश्न उठाया है । मन्त्रियों को कितनी राशि दी जाती है । सांसदों को कितनी राशि मिलती है । क्या आप मुझ से सहमत हैं कि सांसदों को केवल 500 रुपये दिये जाते हैं ? क्या आप समझते हैं कि सांसद सक्षम नहीं हैं, वे ईमानदार नहीं हैं ? मैं यह प्रश्न आप से पूछ रहा हूं क्योंकि आपने एक दलील दी है सक्षम और ईमानदार व्यक्ति न्यायपालिका में कम वेतन के कारण नहीं आ रहे हैं । संसद के बारे में क्या है ? आप संसद की क्यों निन्दा कर रहे हो ?

एक माननीय सदस्य : यह एक सेवा है ।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रत्येक बात सेवा है । यह भी सेवा है, मैं नहीं कहता हूं कि यह सेवा नहीं है । परन्तु साथ ही हमें एक इज्जत की जिन्दगी भी बितानी चाहिए । अन्यथा कल को

देश के लोग यह कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग भ्रष्ट हैं इसलिए हम अधिक वेतन की मांग नहीं कर रहे हैं।

मुझे एक बात करने की आज्ञा दी जाए। हम इस देश के लोगों को ऐसा आभास न होने दें कि शासकों को वेतन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

श्री के० मायातेवर : हम यह चाहते हैं; हम अधिक चाहते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : इसीलिये मैं निवेदन करता हूं, हम ऐसी दलील न पेश करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को इतना वेतन दिया जाए और मंत्रियों को अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि मंत्री महोदय अपने वेतन से गुजारा कर सकते हैं, जबकि सांसद अपने वेतन से गुजारा कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश 5000 रु० के वेतन से अपना गुजारा क्यों नहीं कर सकते हैं—विशेष रूप से जब इस देश के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

अब न्यायालयकों के कार्यों के बारे में यह कहने के लिए मुझे माफ किया जाए कि मिनर्वा-मिल के बारे में न्यायपालिका ने अधिक स्वतंत्रता दिखाई है मुझे यह नहीं करना चाहिए था परन्तु आप जानते हैं कि अन्य फैसलों के मामले क्या हुआ—मुझे आपको उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह मूलभूत ढांचे के अधीन किया गया था। क्या आपने संविधान का अध्ययन किया है? मुझे कहीं भी संविधान का मूलभूत 'ढांचा' नहीं मिला है। यह किसने बनाया है? यह न्यायपालिका है। मैं कहूंगा कि न्यायपालिका में स्वार्थ निहित तत्व हैं। देश में स्वार्थ निहित तत्व हैं। देश में यह मानना व्याप्त है कि जब निहित स्वार्थ कार्यपालिका के प्रभाव में आ जाते हैं तो बाकी न्यायपालिका स्थगन आदेश जारी करती है या विधान को समाप्त कराने का प्रयास करती हैं जिससे गोष्टी या अन्याय के कलावन्त को न्याय दिलाने की शक्ति दी जा सकती है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इस संसद में हम 545 सदस्य हैं और हम कुछ विधान बना रहे हैं सामाजिक विधान और नियम। क्यों? यह देश के उन लोगों के लिए है जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि हम 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। 7½ लाख मतदाता हैं परन्तु निर्वाचन-क्षेत्र में 20 लाख लोग होंगे। हमारी कुछ जिम्मेवारी है—सामाजिक-जिम्मेवारी है और हम यहां आये हैं और विधान बना रहे हैं। परन्तु उच्चतम न्यायालय में बैठे एक या दो न्यायाधीश इस सामाजिक विधान को रद्द कर देते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं। उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हों परन्तु साथ-साथ वे हम पर धौंस न जमाये, हम उन पर धौंस नही जमा रहे हैं। हम भी विधायक हैं और हमारी अपनी जिम्मेवारी है। मैं श्री भगत की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं जो उन्होंने सभा में कही है कि लोगों की यह भावना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय में कितने लोग आ रहे हैं। देश के कितने गरीब लोग उच्चतम न्यायालय में आ रहे हैं? हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। हम विश्लेषण करें और इन सब बातों का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि न्याय इस देश के लोगों को नहीं मिला है। मैं अभी आपके ध्यान में ला रहा हू कि हम सांसदों को इस आभास में नहीं रहना चाहिए कि न्यायाधीश

स्वर्ग से आये हैं। वे भी हम जैसे व्यक्ति हैं। मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध कर रहा हूं। हमें अपनी निन्दा नहीं करनी चाहिये और यदि सम्पूर्ण भारत में यह भावना व्याप्त है कि संसद सदस्य ईमानदार नहीं हैं तो हम एक इज्जत की जिन्दगी बितायें और दुनिया को दिखला दें कि संसद सदस्य की जिम्मेवारी है, वे ईमानदार व्यक्ति भी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमान, मैं इस विधेयक का सिद्धान्त रूप से समर्थन करता हूं हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है क्योंकि यह ऐसा विधेयक है जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कुछ वित्तीय राहत देने का मुख्य रूप से इरादा है। आज की परिस्थितयों में उन लोगों के साथ जो गरीबी की रेखा से नीचे जिन्दगी बसर कर रहा है, यहां तक कि जिन लोगों की मासिक निश्चित आय है वे भी अपनी जीविका कमाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, यह विधेयक हमारी न्यायपालिका के संबंध में है जो उन मुख्य स्तम्भों में से एक है जिस पर हमारा सविधान खड़ा है। हमारे संविधान के निर्माता हमारे संविधान को मुख्य तीन स्तम्भों अर्थात न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका पर खड़ा करना चाहते थे। और वे इन तीनों अंगों अर्थात न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच पारस्परिक संतुलन बनाये रखना चाहते थे। इस वाद-विवाद में भाग लेते समय मैं माननीय सभा के ऊपर इस बात पर जोर दूंगा कि हमारे देश के लोगों के दिमागों में हमारे देश में न्यायपालिका के भविष्य तथा भाग्य के बारे में कुछ बड़ी आशंकायें में हैं। कुछ समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि विधि मंत्री महोदय व भारत के मुख्य न्याय मूर्ति के बीच उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने तथा तबादले के बारे में बड़ा मतभेद है। इसलिये न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब हुआ है। यह भी समाचार है कि भारत सरकार संविधान के उस उपबंध में संशोधन करने जा रही है। जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने का उपबन्ध है। इसलिये मैं लोगों के दिमाग में घर रही इन आशंकाओं को समाप्त करने का मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। इस संविधान के अन्तर्गत जो इस समय हमारे पास है, संघीय पद्धति के संबंध में भी आशंका है। सयोगवश कुछ माननीय सदस्यों ने यह स्पष्ट किया है। मैं उन वकीलों के विरुद्ध नहीं हूं जो अपने को संगठित कर रहे है और संघीय पद्धति अथवा कोई अन्य पद्धति समेत विभिन्न शैक्षिक विषयों के बारे में वाद-विवाद कर रहे हैं। मैं सत्तारूढ़ दल के उन कुछ सदस्यों अथवा अन्य किसी के भी विरुद्ध नहीं हूं जो अपने को संगठित कर रहे हैं और इन सभी बातों पर वाद-विवाद कर रहे हैं। हमारी प्रधान मंत्री महोदय सविधान और संघीय प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने सविधान के अधीन शपथ ली है। वह एक ऐसे सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रही थीं और विभिन्न प्रकार की पद्धतियों पर वाद-विवाद की मांग कर रही थीं......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार हमारा देश एक स्वतंत्र देश है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन : मैं महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मंत्री का उल्लेख कर रहा हूं। वह सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति शासन पद्धति की वकालत कर रहे हैं। दिनांक 16 नवम्बर के 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक साक्षात्कार में उन्होंने ऐसी पद्धति के लिये सार्वजनिक रूप से वकालत की है। उनका भी निर्वाचन वर्तमान संघीय पद्धति के अनुसार हुआ है। मैं उनसे यह निवेदन कर सकता हूं कि यदि वे कोई अन्य पद्धति शुरू करना चाहते हैं या वे वर्तमान पद्धति को बदलना चाहते हैं तो वे वर्तमान संविधान तथा वर्तमान संघीय ढांचे के अनुसार उसके बारे में तय करें। कुछ माननीय सदस्यों को वर्तमान पद्धति के बारे में आशंका उत्पन्न हो रही है। कोई मुख्य मंत्री महोदय सत्तारूढ़ दल के चुनाव घोषणा-पत्र के आश्वासनों के बारे में बात कर रहे थे तथा श्री भगत इसके बारे में भी बोल रहे थे। वह भी इस संसद के लिये निर्वाचित हुए थे। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सत्तारूढ़ दल ने विश्लेषण करने या समीक्षा करने के लिए 11 माह की अवधि के दौरान ऐसा कोई कार्य किया है कि क्या उन्होंने अपने घोषणा-पत्र के अनुसार कोई कार्य किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, कृपया विधेयक के क्षेत्र-विस्तार पर बात करें।

श्री ए० नीलालोहिथादसन : मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या उनके संसदीय दल या ग्रुप ने इस विषय पर वाद-विवाद किया है? क्या सरकार या मंत्रि मंडल ने समीक्षा या वाद-विवाद किया है और आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर अभी तक क्या किया है? उसके बाद, न्यायाधीशों के आश्वासन के बारे में बात करने के पात्र हो?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अगले दिन जारी रखना चाहेंगे या अब समाप्त कर रहे हैं?

श्री ए० नीलालोहिथादसन : मैं समाप्त करूंगा। मैं श्री माया तेवर की इस बात का समर्थन करता हूं कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुराई में न्यायपीठ बनाई जाए। उसी प्रकार से केरल की राजधानी, त्रिवेन्द्रम में जहां केरल उच्च न्यायालय की कोई न्यायपीठ नहीं है। हम त्रिवेन्द्रम में न्यायपीठ शुरू करने के लिए बहुत समय से अनुरोध कर रहे थे। भारत सरकार ने इस संबंध में 1973 में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। उन्होंने उनको स्पष्टीकरण भेज दिए हैं। मैं विधि मंत्री महोदय से केरल राज्य सरकार को लिखने के लिए अनुरोध करता हूं, जिसमें वह उस अवधि को निर्धारित करें जिस अवधि के भीतर उन्हें अपनी राय भेजनी चाहिए और मामले में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1980/30 कार्तिक 1902 (शक) के ग्यारह **बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

सनलाइट प्रिंटर्स, फव्वारा दिल्ली-110006